

SPECIAL COMPONENT PLAN

for
SCHEDULED CASTES
1982-83



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Harijan and Social Welfare Department

SEPTEMBER, 1982

Sub. National Systems Unit,
National Council of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-985
Date..... 30.11.84

FOREWORD

Uttar Pradesh has got the highest number of Scheduled Caste persons numerically and they account for about 25 per cent of the total Scheduled Caste population in India. These tens of millions have been living a life of squalor and poverty for centuries, and a majority of them are at a level much below the poverty line. The objective before us, as set by the Prime Minister of India, is that 50 per cent of the Scheduled Caste families should be brought above the poverty line in the Sixth Five-Year Plan.

It involves an all out effort on the part of the various development departments to set their sights in formulation and implementation of their schemes in such a manner that economic, social and educational benefits flow to the Scheduled Castes who constitute a major part of the weaker sections of our society. The Special Component Plan of different departments has been prepared with this objective in view. Whereas, it may not be possible to make any curtailment in big infrastructural projects such as major and medium irrigation, power, major and medium industries, bridges etc. in which benefits cannot be quantified separately for the Scheduled Caste population, attempts have been made by the departments to set apart sizable funds out of these schemes which are divisible. They have also drawn up strategies to ensure that the benefits of quantified outlays actually flow to the target population. They have also formulated some new schemes for the economic upliftment of the Scheduled Castes.

The Prime Minister in her 20 Point Programme, emphasised the need to accelerate the pace of implementation of the programmes for the development of Scheduled Castes. I hope that every department, as well as the administrative machinery at all levels will do the utmost in the sacred task of development of Scheduled Caste people without which a large section of our society would not be able to take an active part in the development of Uttar Pradesh.

SHRIPAT MISHRA,
Chief Minister,
Uttar Pradesh.

- 542

309-24

WTT - A

ACKNOWLEDGMENT

The Special Component Plan of Uttar Pradesh now in your hands is the result of :

KEEN INTEREST taken by Sri Shripat Mishra, Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Vishwanath Pratap Singh, Ex-Chief Minister and Sri Gulab Sehra, Minister for State for Harijan and Social Welfare, Government of Uttar Pradesh.

INSPIRATION provided by Sri N. R. Laskar, Minister for State, Ministry of Home Affairs, Government of India.

ABLE GUIDANCE of Sri R. P. Khosla, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and Sri Tribhuvan Prasad, Ex-Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh who guided prolonged deliberations on the subject.

WHOLE HEARTED CO-OPERATION of Sri P. S. Krishnan, Joint Secretary, Sri Lalit Muthar, Deputy Secretary, and Sri R. S. Tolia, Ex-Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

ACTIVE PARTICIPATION of Sri Shamshad Ahmad, Agriculture Production Commissioner, Government of Uttar Pradesh in building linkage with the rural development set up for implementing the Special Component Plan.

ACTIVE SUPPORT of Sri Venkatnarayanan, Secretary, Institutional Finance, Sri S. K. Modwel, Secretary, Industries, Sri P. C. Srivastava, Ex-Secretary and Sri D. S. Bugga, Secretary, Rural and Area Development, Sri R. C. Tripathi, Secretary, Education, Smt. Lata Singh, Secretary, Medical and Health, Sri J. C. Pant, Secretary, Forest, Sri P. C. Jain, Secretary, Hill Development, Sri Yogendra Narain, Ex-Secretary, Irrigation and Power, and other Secretaries and Heads of departments of concerned development departments, Government of Uttar Pradesh in maximising the quantification for the Special Component Plan.

Deep Involvement of Sri J. L. Bajaj, Secretary, Finance and Dr. J. P. Singh, Planning Secretary, Government of Uttar Pradesh.

Able Supervision provided by Commissioners of all divisions of Uttar Pradesh in implementation of the special Component Plan.

Administrative Leadership provided by all District Magistrates of Uttar Pradesh.

Active Mobilisation of development resources provided by All Divisional Deputy Development Commissioners, Chief Development Officers, Additional District Magistrates (Development), Additional District Magistrates (Projects), District Development Officers, Block Development Officers and their team of development staff of Uttar Pradesh in implementation of the Special Component Plan at the grass-root level.

The Harijan and Social Welfare Department, Government of Uttar Pradesh takes this opportunity to thank them all.

CONTENTS

		<i>Page</i>
CHAPTER I	Special Component Plan for Scheduled Castes 1982-83 ..	1—7
CHAPTER II	Abstract of Special Component Plan, 1982-83 ..	8—11
CHAPTER III	Details of Programmes/Schemes of Different Departments—	
	1. Agriculture	12—13
	2. Horticulture and Fruit Utilisation	13—16
	3. Cane Development	16—17
	4. Marketing (including Link Roads)	17
	5. Land Reforms	17
	6. Private Minor Irrigation	17—18
	7. State Minor Irrigation	18
	8. Soil Conservation (Ag. Deptt.)	18—19
	9. Area Development	19—20
	10. Animal Husbandry	20—22
	11. Dairying and Milk Supply	22—23
	12. Fisheries	23
	13. Forest	23—24
	14. Panchayat Raj	24
	15. Pradeshik Vikas Dal	24—25
	16. Co-operative	25—26
	17. Power	27—28
	18. Industries	29—34
	19. Public Works Department	34
	20. Education	34—36
	21. Technical Education	36
	22. Medical and Public Health	36
	23. Water Supply and Sanitation	37—39
	24. Housing and Urban Development	39
	25. Rural Housing— Allotment of House-sites. Revenue Department ..	39—40
	26. Rural Housing— Construction of house—Rural Development Department ..	40
	27. Labour Welfare	40—41
	28. Training and Employment	41—42
	29. Harijan Welfare	42—45
	30. Social Welfare	46
	31. Nutrition	46
	32. National Rural Employment Programme	47
	33. Grant to Zila Parishad	47
CHAPTER IV	Special Schemes for development of Scheduled Castes for which Special Central Assistance is proposed to be used in 1982-83.	48—51
APPENDIX I	Statement showing effort based programmes directed towards raising income level of various categories of Scheduled Caste families for enabling them to cross the poverty line under Special Component Plan 1982-83.	52—53
APPENDIX II	Scheme for Sweepers and Scavengers	54
APPENDIX III	Schemes for Bonded Labourers	55
APPENDIX IV	Schemes for Denotified Communities (Nomadic and Semi-Nomadic) of Scheduled Castes.	56—57

	<i>FPaPage</i>
APPENDIX V State Plan Outlays/Expenditures under Special Component Plan— Proforma S.C.P.-I.	588—3—81
APPENDIX VI Physical Targets/Achievements under Special Component Plan Proforma—S.C.P.-II.	822—2—83
APPENDIX VII Important G.O.s./Circulars and literature issued from time to time regarding formulation and implementation of the Special Com- ponent Plan—	
1. <i>Formulation and implementation of Special Component Plan in Uttar Pradesh—</i>	
(1) Prime Minister's letter no. 281-PMO/80, dated March 12, 1980.	944—96
(2) D. O. letter no. 11014(1)/9/81 SC & BCD-II, dated April 13, 1981 from Sri Zail Singh, Home Minister, Govern- ment of India.	97
(3) D. O. letter no. B.C.-11014/51/81—SCBCD-III, dated January, 1982 from Sri P. S. Krishnan, Joint Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs.	98—1-101
(4) G. O. no. Bha-Sa-35/26—3-80-4(29)/80, dated July 26, 1980 from Chief Secretary, Government of U. P.	102—1-103
(5) D. O. letter no. 8171/26—3-81-11(50)/81, dated October 29, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	104—1-106
(6) G. O. no. 7247/26—3-82-11(34)/81, dated May 10, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	1 107
2. <i>Provision of quantified outlays of different departments in the separate Head of Budget—</i>	
(1) U. O. no. B-1-1803/X-76, dated December 14, 1976 from Finance (Budget), Section-1.	1 108
(2) D. O. letter no. U. O. no. B.I.259/X—1981, dated June 23, 1981 from Secretary Finance, Government of U. P.	1 109
<i>District-wise targets of the Scheduled Caste families for enabling them to cross the poverty line and instructions regarding sub- mission of progress report—</i>	
(1) G. O. no. 7370/26—3-82-11(24)/81, dated May 12, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	110—1112
(2) G. O. no. 8807/26—3-82-11(24)/81, dated July 13, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Govern- ment of U. P.	113—1116
(3) G. O. no. 8807/26-3-82-11(24)/81, dated August 16, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	117—1121
(4) G. O. no. 5532/26—3-82-11(24)/81, dated March 17, from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Department, Government of U. P.	122—1125
(5) D. O. letter no. 8131/26—3-82-11(2)/81, dated June 25, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Depart- ment, Government of U. P.	126—1:35
(6) D. O. letter no. 7634/26—3-82-11(43)/82, dated May 31, 1982 from Chief Secretary, Government of U. P.	1:36
(7) D. O. letter no. 8928/26—3-82-11(54)/82, dated July 31, 1982 from Chief Secretary, Government of U. P.	1:37
(8) G. O. no. 9688/26—3-82-11(24)/81, dated August 17, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare De- partment, Government of U. P.	1:38

	<i>Pages</i>
4. <i>Implementation of integrated programmes for Scheduled Castes in these blocks in which percentage of Scheduled Caste population is high—</i>	
(1) D. O. letter no. 7427/26—3-82, dated May 10, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	139—146
(2) G. O. no. 5009/26—3-80-11(1)/80, dated October 24, 1980 from Special Secretary Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	147—151
(3) D. O. letter no. 5053/26—3-1980, dated October 4, 1980 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	152—158
(4) G. O. no. 5497/26-3-82-11(81)/81, dated April 3, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	159—163
(5) G. O. no. 6883/26—3-82-11(34)/82, dated April 19, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	164—166
(6) G. O. no. 8473/26—3-82-11(20)/80, dated July 15, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	167—168
(7) G. O. no. 6343/26—3-81-(35)/81, dated August 14, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	169—171
(8) G. O. no. 8489/26—3-81-11(71)/81, dated November 17, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	172—173
(9) G. O. no. 8866/26—3-81-11(71)/81, dated December 23, 1981 from Joint Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	174
(10) G. O. no. 4120/26—3/81, dated January 12, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	175—176
(11) G. O. no. 5608/26—3-82-11(36)/81, dated March 30, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	177
(12) G. O. no. 6596/26—3-82-11(71)/81, dated May 24, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	178—183
(13) G. O. no. 8981/26—3-82-11(71)/81, dated July 15, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	184
(14) G. O. no. 9114/26—3-82-11(71)/81, dated August 20, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	185
(15) G. O. no. 7451/26—3-82-11(71)/81, dated May 10, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	186—187
(16) D. O. letter no. 7765/26—3-81, dated October 15, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	188
(17) G. O. no. 8683/26—3-81-11(1)/80, dated November 30, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	189
(18) G. O. no. 8250/26—3-81-11(69)/81, dated November 30, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	190—191
(19) D. O. letter no. 9055/26—3-82-4(27)/80, dated January 14, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	192

	<i>Page</i>
(20) D.O. letter no. 7648/26—3-82-11(35)/81, dated October 23, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department of U. P.	1993-3—197
(21) D. O. no. letter no. 8600/26—3-81-11(39)/81, dated November 26, 1981.	198
(22) G. O. no. 8438/26-3-82-11(34)(82), dated September 16, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	199
(23) G. O. no. 15525/26-382-11(71)/81 dated September 23, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	2000-0—201
5. <i>Inclusion of Credit needs of the Scheduled Caste Families who are to be enabled to cross the poverty line in the District Credit Plan—</i>	
(1) G. O. no. 8306/26—3-82-11(59)/82, dated July 3, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	202
(2) G. O. no. A—15(1)/81-T.C./3542, dated April 21, 1982 from Deputy Secretary, Institutional Finance Department, Government of U. P.	203
6. <i>Implementation of Special Component Plan in the context of Point no. 7 of the 20-Point Programme of the Prime Minister—</i>	
(1) D.O. letter no. 5557/26—3-82-11(54)/81, dated March 17, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U.P.	204—207
(2) D. O. letter no. 8312/26—3/82, dated June 28, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U.P.	208—213
(3) G. O. no. 406/26—3-82-4(12)/82, dated February 19, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	214—215
7. <i>Monitoring of the progress of the Special Component Plan and submission of progress reports—</i>	
(1) G. O. no. 4488/26—1-1980, dated September 11, 1980 from Chief Secretary, Government of U. P.	216—218
(2) G. O. no. 8637/26—3-81-11(20)/81, dated November 30, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	219
(3) Order of Chief Secretary no. 1117/P.S./M.S.-80, dated October 23, 1980.	220
(4) D.O. letter no. 6326—26-3-82-11(16)/80, dated August 4, 1981 from Chief Secretary, Government of U.P.	221
(5) D.O. letter no. 4629/26—3-81 -11(16)/81, dated August 4, 1981 from Chief Secretary, Government of U. P.	222
(6) G. O. no. 130/2—5-7(2)/80, dated February 28, 1981 from Chief Secretary, Government of U. P.	223
(7) G. O. no. 8636/26—3-81-11(76)/81, dated November 25, 1981 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U.P.	224—225
(8) G. O. no. 5064/26—3-80-11(16)/80, dated October 7, 1980 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	226—239
8. <i>G.Os. regarding utilisation of subsidy and Margin Money Loan—</i>	
(1) G. O. no. 7585/26—3-82-11(44)/82, dated May 21, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	240—242
(2) G. O. no. 7625/26—3-82—11(46)/82, dated May 24, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	243

	<i>Page</i>
(3) G. O. no. 7164/26—3-82-11(42)/82, dated June 9, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	244—245
(4) G. O. no. 8259/26—3-82-11(45)/82, dated June 23, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	246
(5) D. O. letter no. 8439/26—3-82-5(23)/80, dated July 12, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	247—248
(6) G. O. no. 8651/26—3-82-11(44)/82, dated August 31, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	249—250
(7) G.O. no. A-30/82/4654, dated May 24, 1982 from Secretary, and Director, Institutional Finance Department, Government of U. P.	251
(8) G. O. no. 2915/26—3-81-11(57)/81, dated October 22, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	252
(9) U. O. no. 308/26—3-81, dated September 28, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Government of U. P.	253
(10) G. O. no. 1708/26—3-81-7(21)/80, dated July 27, 1981 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	254—255
(11) G. O. no. 1706/26—3-81-8/79, dated February 20, 1982 from Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	256—257
(12) G. O. no. 7465/26—3-82-5(23)/80, dated June 23, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	258
(13) G. O. no. 15334/26-3-82-11(105)/82 dated September 22, 1982 from the Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U, P.	259
9. <i>G. Os. regarding establishment of Additional District Development Officers (Harijan Welfare) A.D.Os. (Harijan Welfare) and V.L.Os. (Harijan Welfare)—</i>	
(1) G. O. no. 9075/26—3-81-11(84)/81, dated January 18, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	260—261
(2) G. O. no. 4346/26—3-82-11(84)/81, dated January 22, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	262—263
(3) G. O. no. 4964/26—3-82-11(84)/81, dated February 18, 1982 from Joint Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	264—265
(4) G. O. no. 5013/26—3-82-11(84)/81, dated February 15, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	266—280
(5) G. O. no. 5179/26—3-82-23/79, dated February 26, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	281
(6) G. O. no. 5538/26—3-82-11(26)/82, dated March 8, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Department, Government of U. P.	282—283
(7) G. O. no. 6206/26—3-82-11(84)/82, dated April 21, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare, Government of U. P.	284—286
(8) G. O. no. 5832/26—3-82-11(84)/81, dated July 31, 1982 from Special Secretary, Harijan and Social Welfare Department, Government of U. P.	287—289

CHAPTER I

SPECIAL COMPONENT PLAN FOR SCHEDULED CASTES 1982-83

INTRODUCTION :

Uttar Pradesh is not only the most populous State of India, but also contains the highest Scheduled Caste population among all the States. According to Census of 1971, the total population of this State was 8,83,41,144 which constitutes 16.12 per cent of the total population of the country. The Scheduled Caste population of U. P. was 1,85,48,916 *i.e.* about 21 per cent of the State's population but it was nearly 25 per cent of the total Scheduled Caste population of the country. Out of 886 Development Blocks in the State as many as 492 Blocks have 20 per cent or more Scheduled Caste population.

2. There are 66 Scheduled Castes in this State, 70 Denotified Tribes, 5 Scheduled Tribes and 58 other Backward Classes. As stated above the population of Scheduled Castes according to 1971 Census is 1,85,48,916, out of this, the workers account for 62,63,309 persons and the working force constitutes 33.8 per cent of the total Scheduled Caste population. The remaining 66.2 per cent (1,22,85,607) is the non-working population.

3. The majority of Scheduled Caste working population comprises of cultivators and agriculture labour which constitute 14.7 and 14.2 per cent respectively of the total working population. The remaining categories of Scheduled Caste workers constitute only 4.09 per cent of the total working population. Out of the seven categories only 2 per cent is under other services followed by manufacturing, processing, servicing, etc., which account for 1.7 per cent. The transport, storage and communication and trade and commerce account for 0.4 per cent each. Construction and livestock, forestry, fishing, etc. account for 0.2 per cent each and mining and quarrying accounts for only 3,141 persons (negligible).

4. If the working Scheduled Caste population is taken into consideration, the cultivators account for 43.4 per cent, agriculture labour 42.2 per cent, livestock, forestry etc., 0.6 per cent, mining and quarrying 0.1 per cent, household industry 2.6 per cent, other than household industry 2.3 per cent, construction 0.7 per cent, trade and commerce 1 per cent, transport and communication 1.1 per cent and other services 6 per cent. Thus among the working force of the Scheduled Caste population again cultivators and agriculture labour constitute 85.6 per cent followed by 6 per cent other services and the remaining 8.4 per cent are under other categories.

5. According to the estimates of 1981 census, the Scheduled Caste population is about 230 lakh and is comprised of about 46 lakhs families out of which at least 65 per cent *i. e.* 30 lakh families are living below the poverty line. Their proportion amongst poverty groups is much larger than other castes and they represent the lowest amongst the low income groups. There is a clear nexus between the economic plight of Scheduled Castes and the atrocities and social disabilities to which they are subjected. Therefore, a permanent solution of the backwardness of the Scheduled Castes must be based on their rapid allround development in general, and their economic development, in particular. This objective can be ensured only when the Scheduled Caste families and the areas of their habitation could be benefited through developmental measures taken by all departments commensurate with their size of population and backwardness. Since the Scheduled Caste population comprises a sizeable chunk of the total population an attempt to bring about substantial all round development in their living standards, incomes and availability of social and collective benefit must involve pooling of resources of all development departments towards furtherance of these objectives.

Objectives of Special Component Plan

The State Government have been paying special attention to the welfare and uplift of Scheduled Castes since independence but till late most of the outlay was spent on educational programmes. It has recently been realised that the real solution lies in intensive programmes of economic development of the Scheduled Castes through family oriented and area development approach and this will bring about an all round improvement in their socio-economic conditions. The State Government have been taking steps to ensure flow of benefits of general sector programmes to Scheduled Castes. Accordingly, various departments of the State Government have been preparing schemes for the welfare of these communities and have been revising their schemes to serve their best interests. The participation of different development departments in the development of the Scheduled Castes has been attempted through formulation of a Special Component Plan for the Scheduled Castes. It envisages the following objectives:

- 1) That all developmental departments earmark a specific outlay from their divisible plan schemes for the development of the Scheduled Castes and also fix corresponding physical targets for the benefit of the Scheduled Castes. These targets should be optimal considering the size of the plan and the needs of the target groups.

- (b) That at least 50 per cent of the Scheduled Caste families in the State are enabled to cross the poverty line in the Sixth Plan period through comprehensive and integrated family oriented programmes of economic development against 10 years perspective of similarly enabling all the Scheduled Caste families.
- (c) That the lag in the educational levels of the Scheduled Castes is removed in the Sixth Plan period.
- (d) That a significant and tangible improvement in their working and living conditions is brought about by removing the lag in various social services available to the Scheduled Caste families, and their habitation and bastis in the Sixth Plan period.
- (e) That an element of human resources development, consisting of their constructive and effective organisation and training to develop a social awareness and the capability for taking initiatives for, and management of, their own development is built into every developmental programme and scheme.
- (f) That occupational mobility of the Scheduled Castes should be specifically promoted.
- (g) That most vulnerable groups among Scheduled Castes i.e. sweepers and scavengers, nomadic, semi-nomadic communities, bonded labourers and women and children among Scheduled Castes are given special attention in the developmental efforts.

These general objectives have been elaborated into specific objectives setting out physical targets in each sector and the financial outlays required and the manner in which these outlays are to be effectively utilised to achieve the physical targets in order to formulate the Special Component Plan.

Methodology

In preparing the Special component Plan for 1982-83 and 1980-85 following methodology has been adopted :

(a) For economic development of Scheduled Castes, financial and physical targets under various sectors have been determined keeping in view the S.C.'s present levels of income their engagement in the different occupations, nature of their present profession and acquired skills and needs. Thus the sectors of highest priorities are Agricultural, Development, Animal Husbandry, Area Development, Small and Cottage Industries and Trade and Commerce. Among social needs Education Housing, Water Supply and Sanitation, Health care, Electrification are the sectors of priority. Since the S. C. cultivators (43.4 per cent) and agriculture labour (42.2 per cent) constitute 85.6 per cent of S.C. labour force, major attention has been given on integrated approach for the development of agriculture, horticulture, animal husbandry, agriculture and forest based rural and cottage industries.

(b) A list of such sectors whose outlays cannot be quantified separately for different classes of beneficiaries was prepared. Among such sectors or sub-sectors are Agriculture Research-cum-Education, L.S.G. (Sewerage), Marketing, Storage and Land Reforms, Ground Water Survey, Investment in Agricultural and Financial Institutions, Major and Medium Irrigation, Large and Medium size Industry, Sugar, Geology and Mining, Roads and Bridges, Tourism, Cultural Affairs, Documentation, Scientific Survey and Research, Medical and Public Health, Planning Commission, Economic and Statistics, Rural Banks, Printing and Stationery etc. The outlays in these sectors were treated as non-quantifiable. However, even in these Sectors an attempt has been made to shift such programmes which although not quantifiable but can be implemented in such a manner that the Scheduled Castes can be benefited. Concerned departments have been requested to lay special emphasis on areas where Scheduled Castes have a sizeable population. Among sector thus identified can be cited Public Works, Land Reforms and Medical and Public Health.

(c) As regards the remaining programmes an attempt has been made to identify scheme which can be directly beneficial to Scheduled Castes and after ascertaining the divisible portions of the outlays. optimal portions have been earmarked for them.

(d) Special emphasis has been laid on quantification in respect of programmes and schemes which are individual or family oriented.

(e) Efforts have been made to formulate schemes for Scheduled Castes category-wise. Since sweepers and scavengers, bonded labourers and nomadic and semi-nomadic communities among Scheduled Castes are most vulnerable groups, outlays in various schemes for them have also been made.

(f) In order to achieve full targets of financial quantification and to keep the accounts of such outlays properly, Uttar Pradesh has been one of the few States to create a specific head in the budget for showing provisions quantified from the general sector for the benefit of Scheduled Castes.

2. Quantification has been attempted mainly in schemes and programmes where division of benefits for the Scheduled Castes is possible. However, even for certain indivisible schemes strategy have been worked out to ensure that the benefit of sizeable outlays flows to the Scheduled Castes. For instance, in the case of construction of roads, opening of new dispensaries or schools, special attention is given to locate these schemes in areas having preponderance of Scheduled Caste population and in Harijan Villages and localities. There are 12 Blocks in the State which have more than 50 per cent Scheduled Caste population and 26 Blocks where the Scheduled Caste population ranges from 40-50 per cent of the total population. If any project and development scheme located in these blocks, their benefit will positively accrue to the Scheduled Castes. It is also proposed to take up schemes of integrated development, particularly economic and employment generating schemes in these areas.

3. The Special Component Plan for Scheduled Castes indicates specifically how many Scheduled Castes families in the State are to be benefited by various programmes through the provision of income generating assets during the year to enable them to cross the poverty line. In keeping with the objective of covering 50 per cent of the Scheduled Caste families during the Plan period, a target has been fixed up to enable 15 lakh Scheduled Caste families to cross the poverty line.

4. The administrative department/agency will now evaluate the incremental income and will see whether the inputs given to S.C. families are enabling them to cross the poverty line. In all blocks where integrated programmes of Harijan Welfare are being implemented and where survey of each family is being carried out a Vikas Pustika has been prescribed to have such details. The major thrust of the various programmes taken up in the Special Component Plan is towards economic betterment, provision of additional sources of income, provision of greater employment and provision of such amenities like housing, drinking water, health care, training etc. which will result in development of human resources and also bring about increase in their productivity.

5. Besides the Plan outlays, the State Government are taking various measures to raise institutional finance and cooperative credit for economic upliftment of the Scheduled Castes. Development Departments have been asked to make full use of the schemes of differential rate of interest for the Scheduled Castes particularly for economic schemes. Similarly, efforts are being made to ensure that the co-operative credit flows to the Scheduled Castes in the largest possible measure.

6. Detailed exercises with different development departments have been done for formulation, implementation and monitoring of the Special Component Plan Schemes. The recommendations made by the working group on the Development of Scheduled Castes for the Sixth Plan 1980—85 and guidelines issued by Government of India from time to time have also been kept in view. The various development departments have been requested to review their schemes from time to time with a view to explore the possibilities of enhancing the benefits accruing to the Scheduled Castes and also to amend their schemes if the amendment can achieve this result. They have also been asked to prepare new schemes with this objective.

7. U. P. was the second State in the country to decide that as far as possible all new development projects should be located in Harijan Bastis or in their proximity as the benefits of such projects have generally not reached the Scheduled Castes. This would also give them an opportunity of mingling with the main stream of life as persons of other communities would come to Harijan Bastis to take the benefits of these projects.

8. It was felt that a proper strategy for ensuring that the benefits intended for the target groups should reach in the largest possible manner should be devised. In 1980-81 the State Government launched a programme of integrated development project in selected blocks in which percentage of S. C. population is high. These projects have many special features with particular emphasis on formulation of viable economic development projects according to the needs and absorbing capacity of S. C. persons, and provision of technical, organisational and marketing support. At the same time provision for concurrent planning and implementation accurate monitoring and evaluation has been made. Above all these projects are aimed at establishing a base line through a well designed estimational and diagnostic survey of the socio-economic problems and the economic status of Scheduled Castes to establish a frame of reference for measuring the success of the project. There are about 492 blocks out of 886 blocks in U. P. in which percentage of S. C.s is above 20 per cent. So far 82 such blocks have already been taken under these projects in 1980-81 and 318 blocks would be taken up at the rate of 106 blocks per year in the remaining (next) three years of the Sixth Plan. Accordingly, 106 blocks in 1981-82 and 106 blocks in 1982-83 have been taken up.

Progress of Special Component Plan during 1980-81 and 1981-82

1. *Quantified outlays*—An amount of Rs. 119.08 crores had been under Special Component Plan 1980-81, against which Government of India had approved Rs. 61.19 crores for quantification. Out of the approved outlay of Rs.61.19 crores, an amount of Rs.55.04 crores was spent which is 89.94 per cent of the approved outlay. It is worth mentioning that the expenditure incurred on Scheduled Castes under Agriculture, I.R.D. Rural Housing, Forestry, Rural Electrification, Housing and Urban Development, Harijan Welfare, Social Welfare, Labour, Link Roads, Medical and Health is higher than the target fixed under these sectors/Schemes. Forest (soil conservation) and General Education are those sectors in which substantial expenditure on Scheduled Castes has been done whereas no target was fixed for these sectors.

Expenditure reports of Rs. 51.75 crores as against Rs. 95.85 crores quantified for the year 1981-82 have been received upto January 1982 which is 54 per cent of the target.

2. *Approach of enabling Scheduled Caste families to cross the poverty line*—In order to enable 15 lakh S.C. families to cross the poverty line in the Sixth Plan period, 3 lakh families on an average are to be covered every year. In the year 1980-81, economic development schemes were made available to 1,56,769 S.C. families to enable them to cross the poverty line. In order to cover up the backlog of 1980-81, a target of 4.50 lakh S.C. families had been fixed for 1981-82, In physical and financial terms, the progress in this regard is as below :

(Rupees in lakhs)

Year	Target	Families covered	Assistance disbursed		
			Total loan	Margin money	Subsidy
1980-81	.. 4,14,450	1,56,769	2193.65	198.78	579.37
1981-82	.. 4,50,000	1,33,114 (up to January, 1982)	2816.80	288.62	816.36

For 1982-83 a target of 4,50,000 S. C. families has been proposed to enable them to cross the poverty line including the backlog of 1980-81, 1981-82 if it persists. It is worth mentioning that the district level reporting officers were not fully aware of all the schemes under which report is to be sent. Now detailed instructions in this regard have been issued and it is hoped that upto March, 1982 the report would include all the beneficiary families who had been enabled to cross the poverty line.

Monitoring and Evaluation of Special Component Plan—

The review of progress of expenditure and the physical achievements under different schemes included in the Special Component Plan is being carried out every month at the State, divisional and district levels. At the State level the progress is being reviewed by the Secretaries of the concerned departments and Heads of the Departments and Harijan and Social Welfare Department and the Planning Department are reviewing the overall progress and apprising to the highest levels of the Government. The officers of these departments are also visiting the field to evaluate the implementation of Special Component Plan and to solve problems, if any, arise at the field level.

In the new 20-point programme of the Hon'ble Prime Minister the pace of implementation of Special Component Plan has been stressed. All the concerned departments have been requested that while monitoring the progress of 20 point Programme, they would inevitably monitor the progress of specific schemes/programmes for Scheduled Castes under each point. The Chief Minister is very particular in monitoring the progress of Special Component Plan regularly. The Chief Minister called a meeting of all the concerned Secretaries on February 3, 1982 and April 13, 1982 in this regard. The Chief Minister instructed the Secretaries to ensure full achievements of the targets of 1981-82 committed to Government of India. He made it clear that physical achievements would be taken into consideration while reviewing the progress. He also suggested that all the remaining Harijan Bastis in U. P. may be provided with drinking water sources within 1982-83 so that no Harijan Bastis in U.P. is left without any drinking water facility. The Chief Minister also reviews the progress of Special Component Plan every month while reviewing the progress of 20 point Programme. At the State level, a High Power Monitoring Committee has been appointed in November, 1981 under the Chairmanship of the State Minister, Harijan and Social Welfare to review the progress of the plan and take such decisions as may be considered necessary to accelerate pace of its implementation. The A.P.C., Secretary, Planning, Finance, Institutional Finance and Harijan and Social Welfare are members of the committee. First meeting of the

Committee was held on 26th December, 1981, wherein, besides reviewing the progress, it was decided that all efforts must be made to achieve targets by the close of the year 1981-82 and all the defaulting departments should be notified and warned to accelerate the progress and the failure of which will not be tolerated.

At the State level there is also an Implementation and Review Committee to watch the progress of implementation of the Special Component Plans formulated by different departments. The Chief Secretary also called a meeting of all concerned Secretaries on December 30, 1981 and the progress of each sector/department was reviewed. The meeting also explored the ways and means to ensure that the backlog for the previous months should be made up by the end of the current financial year. The departments have assured to achieve the targets.

Field Level Arrangements

The concerned departments fix divisional/district/block wise physical and financial targets for every year and issue necessary instructions to their field level officers from time to time, regarding implementation and monitoring of Special Component Plan. In order to monitor the progress at the divisional and district level, there is a monitoring committee in each division and district under the Chairmanship of Commissioner and District Magistrate respectively, which monitors the progress every month. At the divisional level all commissioners are instructed to appoint a divisional level co-ordinating officer also, who would apprise the commissioner regularly so that necessary steps may be taken by the commissioners immediately. At the district level also, all district magistrates have been instructed to appoint a senior development officer to establish linkages with the officers of departments at the district level and to ensure the proper implementation of Special Component Plan. An Additional District Development Officer (Harijan Welfare) in each district has been appointed in 1980-81 to co-ordinate with all the development departments to apprise the progress to the district level committee and to prepare monthly progress report of the district to be sent to Commissioners and Director, Harijan and Social Welfare through monthly D.O. letter. Instructions have been issued to all Divisional Commissioners and District Magistrates that while reviewing the progress every month, they would also have regular field visits personally to the houses of Scheduled Castes to evaluate programmes given to them and appraise the Government, if necessary.

In order to discuss the implementation of Special Component Plan, meetings of Addl. D.D.Os. (Harijan Welfare) are being organised after every 2-3 months at the State level. The State Minister, Harijan and Social Welfare also impress upon them to speed up the Plan. The State Minister also called meeting of all Additional District Development Officer (Harijan Welfare) Deputy/Assistant Directors, Harijan and Social Welfare and ADMs, DMs, of some districts in November, 1981 and again in Feb. 1982 to review the progress of special Component Plan at the field level with particular emphasis on the utilisation of S.C.A. funds.

Special Central Assistance

On the basis of Scheduled Caste population, its backwardness and state's effort for formulation and implementation of Special Component Plan, Government of India also provides Special Central Assistance (S.C.A.) as an additive to State Plan for Scheduled Castes. As per instructions issued by Government of India S.C.A., is being used on the implementation of such programme which enable S.C. families to generate additional and permanent source of their incomes. The targetted families are those living below the poverty line. The departments like Harijan and Social Welfare, Rural Development, Industries, Animal Husbandary, Agriculture, Co-operative Export Promotion, Area Development etc., have so far formulated schemes of economic development of Scheduled Castes out of S.C.A. funds. The availability of S.C.A. is indicated in the following table :

(Rupees in crores)

1979-80 (Provided)	1980-81 (Provided)	1981-82 (Provided)	1982-83 (Estimated)	1980-85 (Allocation)
.63	22.06	28.21	30.00	125.00

Some Special Schemes

In order to give a good thrust to the programme of enabling 50 per cent of S.C. families to cross the poverty line a Special Integrated Development Programme for Scheduled Caste families has been launched in selected blocks having a high percentage of S.C., population. In 1980-81, (82 blocks), 1981-82 and in 1982-83 (106 blocks) in all 294 such blocks have been selected in different districts. In these blocks a complete survey of S.C. families has been undertaken to identify all the S.C. families living below the poverty line and to formulate economic development Schemes for each such family which would enable them to cross the poverty line. Each family

would be issued a development pass book which would contain all the details of the present status of the family and the schemes which are proposed to be given to them. The development schemes would be given to them with objective of saturating all such families during the Sixth Plan period. In these blocks there are about 14 lakh S.C. families out of which about 10 lakhs are living below the poverty line. All the development departments have been asked to earmark maximum possible funds for development work in S.C. villages and bastis in these blocks. Each block has been given Rs. 5—7 lakhs to finance economic development schemes for S.C. families in that block. The Government have set up in each district a Inter Departmental Committee headed by District Magistrate and this committee has been authorised to formulate suitable schemes and to sanction funds allocated to the blocks. The B.D.O. of the concerned block is nominated as project officer of the projects. For quick and effective implementation of integrated projects the Government have also provided 2/3 village Development Officers (Harijan Welfare) and an A.D.O. (Harijan Welfare) in each such block.

One important scheme that has been found very useful in economic development of S.C. families is in that of community irrigation. In U.P. 43 % of the workers amongst the S.C.'s are land holders although their holdings are very small. They cannot afford to have their own sources of irrigation such as masonry well, pumping-set, etc. Hence chaks of land where majority of small land holders are S.C.s have been identified and community tube wells, pumping sets installed which would make available water at no profit no loss basis. These will generally be operated by the Zonal Development Corporations or other such bodies. Many Zonal Development Corporations have invested 50% of the cost of such project out of their own resources. Such schemes are being implemented in Lakhimpur, Sitapur, Hardoi, Lucknow and many other districts, A.P.C. has written to all divisions and districts to formulate and implement such schemes in large numbers. In the scheme of Lakhimpur Kheri alone 700 S.C. land holders will be benefited.

Another scheme being implemented in these 188 blocks is that about 6000 work-cum-sale shops are being constructed for the S.C. families. These will be allotted to such families of S.C. artisans who do not have any place of work and sale of manufactured commodities. These are being constructed at suitable places where rural/urban market is available. This scheme will improve their productivity and margin of profit and help them to come above the poverty line. Half of the cost of construction will be adjusted as subsidy and the remaining half will be recovered from them in suitable instalments. This will also improve their economic status and borrowing capacity as they will become owners of these work-cum-sale centres.

U. P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation is being strengthened every year. The Corporation made a great head way when its functions have been decentralised at the district level in October, 1980. Addl. D.D.O. (Harijan Welfare) is an ex-office District Manager of the Corporation at the district level and he is assisted with staff appointed by the Corporation. This arrangement resulted in stepping up the progress of distribution of Margin Money Loans considerably, as given below :

(Rupees in lakhs)

Year	Target	No. of beneficiaries	Amount of margin money loan disbursed
1979-80	..	125	5.19
1980-81	30,072	28,343	153.32
1981-82 (upto February.)	75,000	46,885	316.52

For recovery purposes, the corporation has appointed a recovery officer at the head-quarter to monitor the progress of recovery. At the field level district staff of the corporation is looking after the recovery work also. Now, the Board of Directors of the Corporation has approved a proposal regarding the appointments of one recovery assistant in each district.

Special Component Plan 1982-83

The Special Component Plan 1982-83 has been formulated in view of the perspectives laid down in the Sixth Five Year Special Component Plan and the guidelines issued by the Government of India from time to time. The quantification for Scheduled Castes in physical and financial terms for 1982-83 has been made in the continuing schemes and efforts have also been made to identify more schemes for quantification. The Government exhorted all out efforts on the part of various development departments to maximise the quantification on the basis of S.C. population in the State, its backwardness and nature of schemes. As a result, the amounts quantified for Scheduled Castes since 1979-80 have been stepped up considerably, as shown below :

(Rupees in crores)

	Annual Plan 1979-80 (Actual Expendi- ture)	Annual Plan 1980-81 (Actual Expendi- ture)	Annual Plan 1981-82 (Alloca- tion)	Annual Plan 1982-83 (Proposed)	Sixth Five Year Plan 1980-85 (Proposed)
A. Total Outlay	810.00	961.25	1075.00	1202.00	6200.00
B. Special Component Plan ..	23.24	55.04	95.85	121.31	626.43
C. Percentage of S.C.P. ..	2.86%	5.72%	8.83%	0.09	10.10%

The above table shows that keeping 1979-80 as base year of the index (100) the S.C.P. outlays has been raised to 521 in 1982-83 and S.C.P. outlays of 1982-83 are 26 per cent higher than those of 1981-82.

Implementation of Special Component Plan in decentralisation of Planning Set-up

In the Planning procedure, the Government have introduced new chapter by decentralising the Planning Set-up of the State. The Government have allocated about 1/4 of the State Plan outlays for District Sector for formulation of Schemes at the district level and the remaining 3/4 of the outlays would remain in the State sector. The Government have issued detailed instructions to all departments, Divisional Commissioner and District Magistrates so that in view of their population, backwardness and need, maximum benefit of outlays may reach the Scheduled Castes for their all round development.

CHAPTER II
ABSTRACT OF SPECIAL COMPONENT PLAN—1982-83

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development Department	Total (Excluding N.R.E.P.)	Special Component Plan
1	2	3	4
1 Agriculture Production :			
	(1) Agriculture Department	846.43	76.00
	(2) Fruit Utilization	225.00	31.00
	(3) Horticulture	178.58	7.00
	(4) Rural Development	124.72	..
	(5) Cane	192.53	7.08
	(6) L.S.G. (Sewerage)	115.35	..
	(7) Agriculture Reserach and Education	330.00	..
	(8) Marketing (including link Roads)	38.28	3.00
	(9) Storage and Warehousing	10.00	8.00
	Total Agriculture	2,060.89	137.08
2	Land Reforms :	1053.12	30.00
3 Minor Irrigation ;			
	(1) Private Minor Irrigation	921.65	75.00
	(2) Ground Water Survey	85.00	..
	(3) State Minor Irrigation	4397.37	415.00
	Total Minor Irrigation	5404.02	490.00
4 Soil Conservation ;			
	(1) Agriculture Department	775.22	45.00
	(2) Forest Department	435.00	120.00
	(3) Water Shed Management	100.00	..
	Total, Soil Conservation	1,310.22	165.00
5 Area Development :			
	(1) Area Development Department		
	(a) Div. Dev. Corporation	50.00	20.00
	(b) I.R.D.	5030.21	1668.20
	(c) D.P.A.P.	80.00
	(d) Command Area	300.00
	(e) H.A.D.A./I.G.A.D.A.		
	(2) Rural Development Department (planning at local)		
	(3) P.R.A.D./I.T.D.P.	50.00	..
	Total Area Development	5130.21	2068.20

1	2	3	4
6	Animal Husbandry	705.68	85.00
7	Dairying and Milk Supply	228.33	4.90
8	Fisheries	279.63	11.00
9	Forests	1526.77	165.00
10	Investment in Agricultural Financial Institutions ..	425.00	..
(i) Community Development :			
	(1) Panchayati Raj	88.47	10.50
	(2) Pradeshik Vikas Dal	22.98	3.00
	(3) Rural Engineering Service	220.00	..
	(4) Rural Development	248.97	..
	(5) Grant to Zila Parishads	16.00	5.00
	(6) Grant to Blocks for Dev. Works
	Total, Community Development ..	596.42	18.50
(ii) Co-operation ;			
	(1) Co-operative Department	961.55	60.00
	(2) Co-operative Audit Organisation	28.00	..
	Total, Co-operation ..	989.55	60.00
(iii) Irrigation and Power :			
	(1) Irrigation	15021.37	..
	(2) Flood Control	1120.00	..
	(3) Power	39272.85	700.00
	Total, Irrigation and Power ..	55414.22	700.00
(iv) Industries and Mining :			
	(1) Large and Medium Industries	3000.00	..
	(2) Sugar Industry	700.00	..
	(3) Village and Small Industries	1915.22	300.00
	(4) Geology and Mining	180.00	..
	Total, Industry and Mining ..	5795.22	300.00
(v) Transport and Communication ;			
	(1) Roads and Bridges	8899.13	950.00
	(2) Transport :		
	(a) Transport Corporation (Roadways)	1882.00	..
	(b) Non-Roadways	35.00	..
	(c) Rope Ways	30.00	..
	(3) Tourism	292.00	..
	Total, Transport and Communication ..	11138.13	950.00
(vi) Education ;			
	(1) General Education :		
	(i) Education Department	3374.64	730.00
	(ii) Sports Department	107.45	..
	(iii) Documentation Centre
	(iv) Cultural Affairs	36.00	..
	Total, General Education ..	3518.09	730.00

1	2	3	4
	(2) Technical Education	209.60	40.00
	(3) Scientific Service and Research	55.00	..
	(vii) Public Health Sanitation and Water Supply :		
	(1) Medical and Public Health	3163.87	343.18
	(2) Water Supply and Sanitation :		
	(a) L.S.G.	5134.19	1034.00
	(b) Rural Development	440.70	440.70
	Total, Water Supply and Sanitation	5574.89	1474.70
	(viii) Housing and Urban Development		
	1. Housing :		
	(1) Housing Department	1085.00	217.50
	2. House-sites for landless labourers and housing for Rural Poors :		
	(i) Revenue Department	2.07	1.60
	(ii) Rural Development	366.40	293.00
	3. Non-Plan Buildings :		
	(a) Judicial Department	205.00	..
	(b) Revenue Department	78.00	..
	(c) Estate Department	135.00	..
	(d) P.W.D.	75.00	..
	(e) Finance (Sales Tax)	50.00	..
	(f) Food and Civil Supply	10.00	..
	(g) Home Police	370.00	..
	(h) Home Jails	30.00	..
	(i) Excise	2.00	..
	(j) Civil Defence	2.00	..
	(k) Finance Department (Loan to Govt. Servants)	132.00	..
	(l) Karmik Vibhag	5.00	..
	(m) Finance (Stamp Registration)	1.00	..
	Total—Non-Plan Buildings	1095.00	..
	Total—Housing	2548.47	512.10
	4. Urban Development ;		
	(1) Housing	939.06	293.00
	(2) Nagar Palika
	Total, Urban Development	939.06	293.00
	(ix) Other Social Services :		
	1. Information and Publicity	37.14	..
	2. Labour and Labour Welfare :		
	(a) Labour Welfare	65.22	32.52
	(b) Employment Exchange	18.71	9.00
	(c) Craftsman Training	102.94	24.19
	Total, Labour	186.87	65.71
	3. Welfare of Backward Classes	1240.15	1040.00
	4. Social Welfare	269.18	22.00
	5. Nutrition		
	(a) Education Department	35.00	17.50
	(b) Rural Department	27.00	13.50
	on MNP	23.00	11.50
	(c) Social Welfare Department	39.44	20.00
	Total, Nutrition	124.44	62.50

1	2	3	4
5. National Rural Employment Programme ;			
(1) Horticulture	20.00	12.00
(2) Cane	100.00	60.00
(3) Marketing (including link roads)	54.15	32.00
(4) State Minor Irrigation	300.00	180.00
(5) Soil Conservation (Ag. Department)	150.00	90.00
(6) Forests	400.00	240.00
(7) Irrigation	1500.00	900.00
(8) Flood Control	300.00	180.00
(9) Roads and Bridges	500.00	300.00
(10) Education Department	100.00	60.00
(11) Unallotted funds	475.85	285.00
Total—N.R.E.P.		3900.00	2339.00
(x) 1. Economic Services :			
(1) P.R.A.D.	16.00	..
(2) Conusltancy/Surveys/Studies/Seminars	4.00	..
(3) U.P. Dev. System Corporation	2.00	..
(4) Karmik Vibhag (A.T.I. Naini Tal)	2.00	..
2. Planning Commission :			
(a) State Planning Commission	27.00	..
(b) State Planning Institute	39.00	..
(c) Evaluation and Training :			
(i) Evaluation Division	12.53	..
(ii) Training Division	10.17	..
(iii) Bureau of Public Enterprises	7.00	..
Total (c)		25.70	..
(d) Sectt. Administration	1.50	..
(e) Language Department	1.00	..
Total, Secretariat Economic Services		122.20	..
(xi) Other General Economic Services :			
(1) Economic and Statistics (including Computor)	455.00	..
(2) Opening of Rural Bank/Institutional Finance	5.00	..
(3) Metric Weights and Measures	4.00	..
(4) State Employees Welfare Scheme	2.00	..
(5) Printing and Stationery	110.00	..
Total—Other General Economic Services		576.00	..
Total—Economic Services		698.20	..
GRAND TOTAL		114522.37	12106.87
6. Loan Component for Scheduled Castes :			
1. Co-operative	8580.00	..
2. Commercial Banks	12000.00	..

CHAPTER III

DETAILS OF PROGRAMMES/SCHEMES OF DIFFERENT DEPARTMENTS

(1) Agriculture Production

AGRICULTURE DEPARTMENT

Crop Production :

According to the census of 1971 the Scheduled Caste population contributes 21% of the State's population. The majority of Scheduled Castes working population comprises of cultivators and agricultural labour, which works out to 14.75% and 14.2% respectively of the total working population. According to estimates of 1981 census 30 lakhs families of Scheduled Castes (65% of total Scheduled Caste families) are living below the poverty line. In order to ensure rapid economic development of the Scheduled Castes, formation of special component plan has been attempted through different development departments for bringing an allround improvement in their socio economic condition. An attempt has been made to identify those crop production and soil conservation schemes, which can be directly beneficial to Scheduled Castes and after ascertaining the divisible portion of the outlays, optimal portions have been earmarked for the purposes.

It has been a conscious endeavour to extend the benefit of planned development of the State to Scheduled Castes in ample measure.

Strategy:

The following strategy will be adopted in order to uplift the standard of living of this section of the population :

1. Arrangement for adequate and timely supply of agricultural inputs.
2. To intensify cropping intensity by adopting programmes of dry farming mixed farming and inter cropping.
3. Significant step up in the growth rates.
4. Progressive reduction in the incidence of poverty and unemployment.

The basic objective is to increase productivity and to generate maximum employment opportunities. In the Agriculture Plan Scheduled Castes have been proposed to be given a top priority.

Under New 20—Point Programme and with the introduction of decentralisation of planning from 1982-83, special emphasis has been laid on the development of Scheduled Castes in the State. It has been planned to increase the outlay under Crop Production Programme from Rs. 45.00 lakhs to Rs. 76.00 lakhs during 1982-83. Details of various schemes in which association of this class is sought for are given below :

(Rupees in lakhs)				
Serial no.	Name of the scheme	Total Outlay	Quantified Outlay	Nature of assistance
1	2	3	4	5
1	Multiplication and Distribution of improved seeds	243.77	30.00	Production Cost.
2	Subsidy on high Yielding varieties of Seeds under Seed Exchange Programme in the Tribal Block of the Hills.	3.60	3.60	Subsidy.
3	Composite Fertilizer Demonstration in Tribal Blocks of the Hills.	1.50	1.50	Subsidy
4	Intensive Cultivation Programme of Pulses crops	2.57	0.78	Subsidy
5	Centrally Sponsored Scheme of production of Pulses Crops.	22.05	3.00	Subsidy
6	Centrally Sponsored Scheme on Control of white Grubs on Groundnut Crops.	2.68	0.75	Subsidy
7	Strengthening of Plant Protection Services in the Hills.	13.10	2.70	Subsidy

1	2	3	4	5
8	Centrally Sponsored Scheme of Weed Control ..	5.95	1.80	Subsidy
9	Scheme for Development of Oilseeds in U. P. ..	10.53	3.00	Subsidy
10	Production of Oilseeds Soybean and Sunflower in the Hills.	2.20	0.65	Subsidy
11	Centrally Sponsored Scheme for Development of Soyabean in U. P.	4.36	0.60	Subsidy
12	Centrally Sponsored Scheme for Development of Sunflower in U. P.	1.01	0.10	Subsidy
13	Centrally Sponsored Scheme for Intensive Development of Oilseeds.	6.50	1.10	Subsidy
14	Scheme for Demonstration, Popularisation and Distribution of Improved Agricultural Implements in the Plains.	6.37
15	Extension, Demonstration, Development and Distribution of Improved Agricultural Implements in Barabanki.	1.75
16	Intensive Cotton Development Scheme ..	8.70	2.50	Subsidy
17	Rat Control Scheme	0.80	0.80	Subsidy
18	Establishment of Community Bio-Gas Plants ..	24.00	12.00	Subsidy
19	Intensive Jute Development Scheme ..	1.05	0.09	Subsidy
20	Intensive Pulses Development Scheme in Pulses Growing Areas.	0.36	0.06	Subsidy
21	Construction Pucca Kothi for Storage of Grains	3.00	0.90	Subsidy
22	Transport Subsidy on Fertilizers in Hills ..	9.00	2.70	Subsidy
23	Others	471.50
GRAND TOTAL ..		846.43	76.00	

(2) Horticulture and Fruit Utilization

Plain Areas—Keeping in view the National objectives of raising the living standard of the poorest section of the society, various schemes have been proposed in the Annual Plan of the Department of Horticulture and Fruit Utilization, U. P. (Plains) 1982-83 would directly benefit the target population.

The total outlay for district sector was Rs. 178.58 lakhs out of which a budgetary provision of Rs. 174.66 lakhs has been sanctioned in the budget for 1982-83. The Divisible amount and recurring cost of production is about Rs. 56.10 lakhs out of which Rs. 7.00 lakhs have been quantified for the benefit of the Scheduled Castes.

The scheme-wise quantification for the year 1982-83 with a short narrative of the schemes is as follows :

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Name of the Scheme	Object of the Scheme	Outlay	Divisible amount and recurring cost of production	Quantified amount
1	2	3	4	5	6
1	Improvement of existing gardens in the State.	Various improvements will be made in the gardens and nurseries in order to increase the production of improved varieties of fruit and ornamental plants, vegetable and spice seeds and seedlings and potato seed. The horticultural planting material and seeds will be supplied to all sorts of cultivators.	4.56	4.36	0.50

1	2	3	4	5	6
2	Intensive vegetable Cultivation near Delhi.	Under the scheme a nursery has been established at Jahidpur district Bulandshahr with a view to meet the requirement of vegetable seed and seedlings fruit and ornamental plants of the growers, which will be distributed to them through the extension staff posted in the scheme. With the scheme, vegetable production will be increased in the area which will be marketed in Delhi Market.	6.88	3.70	0.48
3	Establishment of vegetable experiment and training centres in the State.	Two vegetable experiment and training centres will be established at Basti and Saharanpur. Vegetable trials on various aspects of vegetable cultivation will be conducted, so that new techniques be evolved for increasing the production. Besides, quality vegetable seeds will be raised for distribution amongst the growers.	2.27	1.50	0.18
4	Establishment of Progeny orchards in the State.	Under the schemes one progeny orchard will be established in Varanasi district where various outstanding and Pedigreed varieties of fruit plants will be collected and propogated for planting as mother plants in various nurseries of the State. Besides plants will also be supplied to Orchardists and Nurserymen in the State.	1.00	0.95	0.11
5	Establishment of district and Block level nurseries in the State.	39 Nurseries wil be established at district and block level in districts—Pratapgarh, Sultanpur, Bahraich, Barabanki, Jaunpur, Jalon, Hamirpur, Gaziabad, Ballia, Varanasi, Kanpur, Fatehpur, Uanno, Lucknow, Sitapur, Azamgarh, Basti, Deoria, and Bijnaur. Where quality fruit and ornamental plants will be raised and supplied to growers.	35.57	31.43	4.00
6	Establishment of Kitchen and ornamenta Garden in the State.	In districts Lucknow and Kanpur, technical knowhow for Kitchen and ornamental gardens will be provided to the growers. Besides, planting material like vegetable and ornamental seeds and seedlings will also be supplied. Under this scheme Gardener's Training programme is also included and Rs. 0.05 lakh\$ for scheduled caste trainees, exclusively . caste	1.30	0.05	0.05

1	2	3	4	5	6
7	Vegetable and Spice development scheme in the State.	It is a new scheme proposed for 1982-83. In this scheme vegetable and spice seed multiplication farms will be established at Mirzapur, Ghazipur and Farrukhabad districts. Besides this subsidy on Ginger cultivation will also be provided to small and marginal farmers of Baruasagar area of Jhansi district .	6.57	4.92	0.60
8	Intensive Horticulture development in the State.	Under this scheme, 2 Horticultural Production Units will be established during 1982-83 at Saharanpur and Gorakhpur. districts. Barring this subsidy will be provided to small and marginal farms of Jaunpur district on planting material Subsidy will also be provided on citrus cultivation in Jhansi district.	7.20	7.15	0.84
9	Maintenance of orchards obtained under ceiling.	In this scheme 13 old orchards obtained under ceiling act, are being maintained and planting materials are also produced at each unit.	2.14	2.04	0.24
Total			67.49	56.10	7.00

Apart from above the department is engaged to formulate a scheme of cultivation of vegetables (as suggested by the Planning Commission at the time of discussion on S.C.P. 1981-82) in the areas where population of S. C.s. is high.

Hill Areas

In order to improve the economic condition of local people of hill areas, especially weaker section, various facilities of essential infrastructure, inputs, extension services and financial assistance are being extended for encouraging Scheduled Castes to develop horticulture vegetable and potato production and diversification of horticulture crops *viz.* turmeric, ginger and other spices.

Growers are being encouraged by the department through various incentives and making available genuine and true to type planting material and other facilities on subsidised cost, credit facilities on easy terms, technical supervision and guidance etc. For the benefit of Scheduled Caste families an amount of Rs. 240.61 lakhs has been quantified under Special Component Plan for the Sixth Plan (1980-85). An amount of Rs. 11.00 lakhs was spent during 1980-81 and the likely expenditure of 1981-82 is about Rs. 26.61 lakhs. For 1982-83, an outlay of Rs. 30.00 lakhs is proposed for the benefit of Scheduled Caste families. The details of important programmes are given below :

Subsidy on Transportation of Fruit Plants, Vegetable Seed/Seed Lings—Under the programme total cost of planting material from nurseries is subsidised by the department. An outlay of Rs. 1.24 lakhs is proposed for 1982-83 as against the likely expenditure of Rs. 0.98 lakh during 1981-82.

Subsidy on Control of Pests and Diseases of Horticulture Crops—In order to control pests and diseases of various horticulture crops, 50 per cent of the cost of pesticides is being subsidised to growers for encouraging plant protection measures. An outlay of Rs. 0.73 lakhs is proposed under this scheme for 1982-83.

Horticulture Training to Fruit Growers and Inservice Personnel—For technical guidance in various horticultural processes to growers, 3 day training camps at various places are organised in which Rs. 5.00 per day stipend is also provided to growers. Under this programme an outlay of Rs. 0.90 lakh is proposed for 1982-83.

Long-term Horticulture Loan—Growers are being encouraged to develop orchards by providing long-term horticulture loan on easy terms. Under this programme, loan of Rs. 2,500 per acre is provided of 5 per cent interest. After the full utilization of loan 1/6 of the principal

amount is also subsidised by the department. An outlay of Rs. 22.09 lakhs is proposed for 1982-83 under the above programme.

Long-term Loan for Mushroom Production—This programme is encouraged as cottage industry for which an amount of Rs. 10,000 is provided as loan on easy terms to growers for establishing mushroom unit. An amount of Rs. 3.00 lakhs is proposed for 1982-83 for above scheme.

Subsidy on Distribution of Horticulture Tools to Growers—Under this scheme 50 per cent cost of horticulture tools is subsidised by the department for encouraging the growers for adopting modern tools and Rs. 0.09 lakh has been quantified.

Certification of Vegetable Seed/Potato Seeds—Growers are being encouraged for growing quality seeds, viz. multiplication of vegetable and potato seeds on their own fields for which foundation seed is provided at 50 per cent. Besides 50 per cent cost of chemical fertilizers is also subsidised. An outlay of Rs. 0.95 lakh is proposed for 1982-83.

Besides the above, Scheduled Caste families are also being benefited from the following schemes—

	1982-83 Outlay (Lakhs Rs.)
1. Subsidy on transportation of fruit for export purposes	0.59
2. Package programme for apple plantation	0.10
3. Diversification of horticulture crops	1.10
4. Intensive vegetable cultivation in Scheduled Caste/Tribal areas	0.30

(3) Cane Development

The cane development programmes for the year 1982-83 have been proposed for stepping up per unit average yield of sugarcane and increasing overall production of sugarcane and sugar in the State. The targetted level of 672 L.M. tonnes from proposed cane area of 13.99 L. Hectares with an average yield of 48 tonnes per hectare and also 17 L. M. tonnes of sugar production is proposed to be achieved by implementing 11 continuing plan schemes and new programmes. Out of these 11 continuing plan schemes, specialised programmes under 6 continuing schemes have been proposed for the benefit of Scheduled Castes. Scheme-wise programmes are narrated as under :

(1) *Scheme for providing Cane Protection Appliances to Growers on subsidised rates*—For increasing production, timely control of various pests and diseases of sugarcane is necessary. To enable the growers to carry out timely control operations, distribution of suitable protection appliances to growers on subsidised rates is arranged. 33-1/3 of the cost is provided as subsidy.

(2) *Scheme for Controlling Sugarcane Pests through Ground and Aerial Operations*—Timely control over the incidence of various pests and diseases which damage sugarcane crop and reduces its yield and sugar content. As such, the department carries out timely control operations for reducing the impact of incidence of diseases and pests. For this purpose various pesticides are used. 25 per cent of the cost of these pesticides and other expenses is subsidised to cane growers. The rate of subsidy for Scheduled Castes is 33-1/3 per cent.

(3) *Scheme for Subsidising Expenditure on Transport of Seed Cane*—Replacement of wornout and degenerated sugarcane varieties from general cultivation is a just for increasing production and for this purpose nucleus seed material from sugarcane research stations seed multiplication farms and sugarcane breeding centre is necessary for laying foundation and primary seed nurseries at sugar factory Zones along with the transport of seed material raised in foundation primary and secondary nurseries inside the zone for general cultivation. Due to heavy transportation costs, the Government provides subsidy to growers. Whereas total transportation cost for seed material used for sowing of foundation and primary nurseries is subsidised, the rate of subsidy for small and marginal farmers up to a limit of 6-1/4 acres transporting seed material beyond 10 kms. from nurseries is Rs. 1.50 per quintal in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes the rate of subsidy is Rs. 2.00 per quintal.

(4) *Scheme for Production of Foundation Seed Cane*—For meeting the demand for general sowing of the sugarcane crop, foundation, primary and secondary nurseries are raised on growers field under supervision of the departmental staff. Nursery growers have to provide increased doses of fertilizers, adequate irrigation, and carry out timely control operations against spread of various pests and diseases. This involves heavier production costs. The Government provides subsidy to nursery growers. For foundation nurserie the rate of subsidy is Rs. 500 for primary nurseries Rs. 375 and for secondary nurseries Rs. 250.

(5) *Scheme for Intensive Cane Development Work around 16 Kms. radius of sugar factories*—For increasing sugarcane production, activities such as seed and soil treatment at the time of sowing and foliar spray of urea along with pesticides where necessary

on ratoon crop is carried out in 16 kms. radius of each sugar factory zone of this State 20 per cent of the cost of such treatment is subsidised by Government.

(6) *Scheme for Cane Development in Uttar Pradesh*—Under this scheme field demonstrations on growers field based on package of practices and improved cane cultivation are laid. The Government provides subsidy to the growers at the rate of Rs. 1,000 per hectare.

(4) Marketing (including Link Roads)

The Sixth Five-Year Plan, 1980—85 contemplates an expenditure of Rs. 700.00 lakhs out of which the flow to Special Component Plan would be Rs. 100.00 lakhs. This amount under Special Component Plan is proposed to be spent on brick pavement of Katcha link roads constructed under "Food for Work" Scheme by the Mandi Samitis. The works would be executed by the Rural Engineering Department.

During 1981-82, a sum of Rs. 20.00 lakhs has been quantified under Special Component Plan, against the outlay of Rs. 130.04 lakhs for brick pavement on link roads. A sum of Rs. 65.00 lakhs has already been transferred to R.E.S. Department and the remaining amount of Rs. 65.04 lakhs is also being released to the said department. Works are in progress. It is hoped that about 35 kms. of Katcha link roads would be paved with bricks under Special Component Plan.

The Annual Plan 1982-83 contemplates an outlay of Rs. 92.43 lakhs out of which a sum of Rs. 8.00 lakhs has been qualified under Special Component Plan. The amount under Special Component Plan would be utilised for brick pavement of 15 km. Katcha link roads in Harijan Bastis. These works would be executed by the Rural Engineering Service Department.

(5) Land Reforms

Financial assistance to Ceiling land allottees—It is a Centrally Sponsored Scheme meant for the benefit of the allottees of Ceiling Surplus land. The Scheme was introduced in 1977-78 and the quantification for Scheduled Castes could be made since 1981-82. Under this scheme the maximum limit of assistance to an allottee is Rs. 400 per acre and the expenditure is borne by the Central and State Government on 50 : 50 basis.

The total area declared surplus is 2,82,157 acres out of which 2,32,955 acres of land has already been allotted to 1,89,813 beneficiaries up to 31st January, 1982. Among this the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe beneficiaries is 1,40,085 whom an area of 1,38,176 acres of land has been allotted. It is anticipated that about 20,000 acres of land would become available during the remaining years of Sixth Plan.

Under this scheme the percentage of Scheduled Caste allottees ranges from 70 to 75. On this basis an amount of Rs. 30.00 lakhs has been quantified for Scheduled Castes out of the proposed outlay of Rs. 48.12 lakhs for 1982-83. District authorities are being instructed to monitor the progress of the allotment of land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes separately and to keep the amounts of assistance given to them accordingly.

(6) Private Minor Irrigation

The total outlay for the department during the year 1982-83 is Rs. 650.00 lakhs, out of which a sum of Rs. 75.00 lakhs has been quantified under Special Component Plan. The item-wise details are as follows :—

Serial no.	Name of items	(Rupees in lakhs)			
		Outlay		1982-83	
		Total	Hills	Quantified for Scheduled Castes	
				Total	Hill
1	Subsidy	271.00	30.00	39.15	4.65
2	Loan	70.00	60.00	10.40	10.40
3	Hydrant Construction	40.00	40.00	6.70	6.70
4	Tools and Plants	145.00	6.00	18.75	0.75
		526.00	136.00	75.00	22.50
5	Establishment	55.00	9.00
6	Office Expenditure	55.00	5.00
7	Training	7.00
8	Boring godown	7.00
	Total	650.00	150.00	75.00	22.50

Private Minor Irrigation provides timely and assured means of irrigation which are essential for increasing agricultural production. The following facilities are being provided to the Scheduled Castes farmer during 1982-83 under Special Component Plan :

- (1) *Subsidy*—(i) Subsidy is being provided to small and marginal farmers at the rate of 25 per cent and 33-1/3 per cent respectively for all minor irrigation works.
- (ii) Subsidy at a rate of 50 per cent of the cost upto Rs. 25,000 only is provided for. Tube-well construction by the Rig M/C in rocky area of Bundelkhand Division to all cultivators.
- (iii) Subsidy at a rate of 25 per cent of the cost maximum of Rs. 3,000 on pumping set and tube-wells in rocky area of Allahabad, Bundelkhand Division to all farmers.
- (iv) Subsidy of the rate of 50 per cent up to Rs. 5,000 is admissible on construction of new Blast well to all cultivators in rocky areas of Bundelkhand, Allahabad, Varanasi and Mirzapur districts. They are also helped by the department for deepening of their existing wells by blasting at a subsidised rate of Rs. 10 per hole.
- (v) Subsidy at 50 per cent of the cost up to Rs. 1,500 per acre is admissible on construction of Gul/Hauzes to all cultivators.
- (2) *Loan*—In hill areas loan at the rate of Rs. 3,000 per acre irrigated area is admissible at reasonable interest rates for construction of Minor Irrigation Works to all cultivators.
- (3) *Hydrant construction*—In hill areas Minor Irrigation Department is constructing Hydrants on priority basis in the areas having majority of scheduled castes holdings.
- (4) *Tools and Plants*—Minor Irrigation Department provides Boring sets, Rig Machines etc. for boring to all cultivators at reasonable rates fixed by department.

(7) Stage Minor Irrigation

The total outlay for the year 1982-83 is Rs. 20538 lakhs out of which Rs. 4397 lakhs is earmarked for State Minor Irrigation. The State Minor Irrigation Programme has three components, namely, State Tube-wells, Minor Lift Canals and other Minor Works. Benefits of all the programmes under the Major and Medium Sector, Flood Control Sector and Minor Irrigation Sector flow to the Scheduled Castes and holders, but it is not possible to quantify the benefits except under the State Tube-well Programmes. The irrigation department had earlier issued instructions that at least 10 per cent of the State Tube-wells should be sited in areas having majority of Scheduled Castes holdings. In view of the fact that there are more Scheduled Caste Cultivators than Scheduled Caste Agricultural Labourers in U. P., decision has been taken to increase the percentage of State Tube-wells to be sited in areas having majority of Scheduled Castes holdings from ten to fifteen per cent of the total tube-wells. Thus for the year 1982-83 Rs. 415 lakhs have been quantified for the benefit of Scheduled Caste cultivators.

(8) Soil Conservation

(AGRICULTURE DEPARTMENT)

During 1982-83 an amount of Rs. 45.00 lakhs has been proposed for Special Component plan for scheduled castes out of the outlays of Rs. 7125.22 lakhs, which works out to 5.8 per cent of the proposed outlay. This allocation is likely to benefit 6,000 farmers belonging to this category. The scheme-wise quantification is as under :—

		(Rupees in lakhs)	
Serial no.	Name of the Scheme	Proposed Outlay	Outlay quantified for S.C.P.
1	2	3	4
1	Scheme of Soil and Water Conservation in plain	382.82	17.50
2	Stablization of Ravines in U. P.	38.08	2.00
3	Centrally sponsored Scheme of Soil Conservation Works in R.V.P. Matatila (State Share).	13.31	1.50
4	Scheme of amendment of usar and alkaline land in U.P.	80.19	6.00
5	Centrally Sponsored Scheme of Integrated Watershed Management in Flood Prone Area of Gomti River.	50.00	4.00
6	Scheme of Soil and Water Management for the Welfare of Kabutara Scheduled Caste/Tribes.	4.00	4.00
7	Other Allied Schemes	101.82	..
Total for Plain		670.22	35.00

1	2	3	4
8	Scheme of Soil and Water Conservation in hills	92.00	9.00
9	Centrally Sponsored Scheme of Soil Conservation Works in R.V.P. Ramganga.	8.00	1.00
10	Other Allied Schemes	5.00	..
Total for Hills ..		105.00	10.00
GRAND TOTAL ..		775.22	45.00

The entire provision of Rs.45.00 lakhs has been made under the item "Works and Subsidy" and does not include any infrastructure cost. The earmarked amount shall be utilised for treating the eroded and depleted lands belonging exclusively to the scheduled castes farmers. The proposed provision shall ensure the treatment of 3,825 hectares problem land belonging to about 6,000 scheduled caste farmers.

(9) Area Development

The total State Plan Outlay for various programmes under Area Development Department for the year 1982-83 is as follows :

(Rupees in lakhs)

Name of Programme	Total Outlay	Divisible Amount	Amount quantified
1. <i>Command Area</i>			
Development Programme	1250.04	625.00	300.00
2. <i>I. R. D.—</i>			
(A) Plain	3243.00	2700.00	1350.00
(B) Hill	688.00	636.40	318.20
3. <i>D.P.A.P.</i>	365.00	149.00	80.00
4. <i>Mindliya Vikas Nigam</i>	50.00	20.00	20.00
Total ..	5596.04	4130.40	2068.20

At present the rate of subsidy in I.R.D.P., D.P.A.P. and C.A.D.P. is 25 per cent and 33-1/3 per cent of the cost of work apportionable to small farmers and marginal farmers/labourers respectively under I. R. D. and D. P. A. P. U. P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation also provides margin money loan @ 4 per cent in such a manner that the total subsidy and margin money loan does not exceed 50 per cent of the total cost to any beneficiary.

Families are sought to be benefited under the various programmes. An attempt has been made to derive the number of beneficiaries under O. F. D. in Command Area Development. In I. R. D. P. the approach is family oriented and there is no difficulty in identifying the beneficiaries.

In C. A. D. P., the area coverage under O. F. D. in 1982-83 will be 4.44 lakh hectares and the estimated number of beneficiaries would be 3 lakhs out of which 100,00 would be Scheduled Castes. I. R. D. P. has now been extended to all the 886 blocks and 5.30 lakhs families will be covered under this programme every year. During 1982-83 nearly 2,70,000 of these would be Scheduled Caste families.

The department has a good monitoring system and information about Scheduled Caste beneficiaries is also collected. During the year 1979-80 there were 5.04 lakhs beneficiaries under I.R.D.P. and 93,200 were of Scheduled Caste. During the year 1980-81 the total number of beneficiaries was 9.98 lakhs out of which 2.28 lakhs were of Scheduled Castes.

During 1981-82 upto January, 1982, 1,87,911 families have been benefited out of which 57,585 families belong to Scheduled Castes which comes to 30 per cent. Similarly under D.P. A.P. the number of beneficiaries during 1979-80 were 22,621 out of which 3,320 were Scheduled Caste beneficiaries. In the year 1980-81 the total number of beneficiaries were 30,000 out of which 5,291 were of Scheduled Castes.

In the Current Financial Year up to 31st January, 1982 a total of Rs.407.01 lakhs of the State Share has been spent on Scheduled Caste beneficiaries in the three projects and the total number of Scheduled Caste beneficiaries being 96,067.

Scheme-wise details of projected beneficiaries for 1982-83 are as under :

Name of Scheme	Total number of beneficiaries	Number of Scheduled Caste beneficiaries
1. C.A.D.P.	3,25,000	50,000
2. I.R.D.P.	5,30,000	2,70,000
3. D.P.A.P.	4,000	1,000
Total	8,59,000	3,21,000

(10) Animal Husbandry

An outlay of Rs. 20 crores have been earmarked for different Departmental Schemes under Sixth Five-Year Plan. Similarly an out lay of Rs. 720.68 lakhs was proposed for the year 1982-83 out of which the quantification under the Special Component Plan for different schemes is appropriated as 85 lakhs. The quantification includes of these schemes only which are divisible and are likely to provide direct benefit for the members of Scheduled Castes. Scheme-wise details are appended as under :

(Rupees In lakhs)

Serial no.	Name of Schemes	Sixth Plan Agreed State Plan Outlay	1980-85 Flow to Special Component Plan	Annual State Plan Outlay	Plan 1981-82 Flow to Special Component Plan	Proposed State Plan Outlay	Annual Flow to Special Component Plan	Plan 1982-83 percentage to total Outlay
1	Veterinary Education Training.	14.76	1.74	2.37	0.106	1.600	0.106	
2	Veterinary Science and Animal Husbandry.	315.70	21.51	52.20	9.105	254.400	26.440	
3	Investigation and Statistics.	37.27	..	5.68	..	19.917	..	
4	Cattle Development.	863.28	80.90	147.40	16.386	267.063	26.706	
5	Poultry Development.	138.11	23.16	20.37	4.396	33.700	8.447	
6	Sheep and Wool Development.	336.02	23.64	51.34	4.818	42.150	2.107	
7	Piggery Development.	33.10	32.86	5.35	4.290	57.580	18.916	
8	Other Live-stock Development.	182.51	8.26	25.69	0.899	22.780	2.278	
9	Fodder Development.	84.25	7.93	5.31	..	11.415	..	
	Total	2000.00	200.00	316.00	40.00	720.680	85.00	12%

(1) *Veterinary Educational Training*—To equip the field staff with the latest development technique in sheep husbandry it is absolutely necessary to impart training to the field staff and shephard so that sheep breeders may improve the sheep husbandry practices. Since the members of scheduled castes are engaged in sheep Husbandry in a limited number, out of 100 trainees, only 20 trainees are proposed for the year 1982-83 which account to 20 per cent.

(2) *Veterinary Science and Animal Health*—As per recommendation of National Commission on Agriculture, the standard of animal health needs to be improved. Therefore, under sixth five year plan opening of new Veterinary Hospitals/Stockman Centres, besides, provision of additional facilities to the existing institutions has been proposed to enhance the utility of such institutions. Under the programme provision of additional medicines propholax is measures to control the contagious diseases will assist to safeguard the health of animals. These schemes will proportionally benefit the members of scheduled castes. To extend the maximum benefit to the Scheduled Caste families opening of new institutions will also be under taken to the areas having majority of scheduled castes population.

During the year 40 new veterinary hospitals, 66 stockman centres are proposed out of which 6 veterinary hospitals, 4 stockman centres will be opened in the areas having majority of scheduled castes population.

(3) *Cattle Development*—To improve the indigenous breed of cattle and buffaloes, artificial insemination technique is being strengthened. In the areas, where artificial insemination facilities are not available, supply of stud bulls on contribution basis will provide the breeding facilities for the village herd though natural service. Under the expansion of breeding facilities, use of deep frozen in some selected areas will also be introduced to surmount the problems of liquid semen. In hilly areas, establishment of natural breeding centres is one of the main programme.

Since the state has adopted areas breeding to improve the lot of indigenous cattle, the members of weaker section are unable to maint ain such animals. With the result the expected production potential of such animals is different to exploit, therefore, to maintain optimum standard of health of the areas breed heifer subsidy on concentrate feeding is also being provided, from the age of 3 months to 28th months.

During the year 1982-83, 400 female cross-bred calves will be selected and provided with the proposed facilities out of which 100 families of scheduled castes will be selected to share the benefit of the scheme. 69 Natural breeding centres are proposed to be established of which 6 centres will go to areas having preponderance of scheduled castes.

Poultry Development—Poultry keeping is considered one of the important programme for the scheduled castes. Under this programmes, besides, other schemes of Poultry Development a special programme called Applied Nutrition has also been taken in 83 Development Blocks of the state out of which 15 blocks are located in the hills. Out of the total target proposed for the year 1982-83, 50 per cent benefit is being proposed for the members of Scheduled Castes. Interested, poultry-keepers having a primitive experience of poultry keeping will be selected and imparted training. All the poultry keepers taken under the programme will get poultry feed on subsidised rates in the hills so that the farmers may get the poultry feed on the same rates as are prevalent in the plains.

Sheep and Goat Development—The objective of the programme is to make the indigenous stock of sheep more economical under the programme improved breed of rams are introduced in the village flock to get the improved progeny. Since the animals are more prone to parasitus infestations to check the problem amongst the animals a regular reaching programmes has been proposed so that village flock of sheep could be maintained properly.

Goat keeping is much popular amongst scheduled caste families. It is one of the very good source of additional income by sales of milk and animals itself for slaughter purpose. Scheduled castes will be benefitted through different schemes. To improve the lot of indigenous animals, stud bucks of improved breed like Jamunapari/Berbari are distributed on contribution basis to the beneficiary besides, breeding facilities are also proposed by keeping bucks of improved breeds at Veterinary hospitals out of the different schemes. 50 per cent benefit in proposed to scheduled castes members. During 1982-83, 169 hospitals will get such facilities.

Piggery Development—Pig keeping is much prevalent amongst scheduled castes. To improve the breed of local pigs, quality stud bears are provided to the pig breeders on contribution basis Stud boars of while Yorkshire or other exotic breeds are alone located at veterinary hospital to extend the breeding facilities to the breeders.

Out of these programmes 100 per cent benefit will reach to the members of scheduled castes. During the year 210 stud boars are proposed to be distributed and 76 boars will be located at 38 Veterinary hospital for the breeding purposes.

Other programmes—This group includes the schemes which have been adopted as a subsidiary source to improve the Animal Husbandry practices. Control of menance of stray and wild animals will be included under these programmes.

(11) Dairy and Milk Supply

Introduction—Dairying is an effective economic supplement to Ariculture, specially for weaker sections of rural population. It ensures not only the availability of milk, but also generates additional employment and thus provides the means for economic and social uplift of the weaker section of rural population. Because of these encouraging characteristics, the State and Central Government have been assigning a very high priority to the dairy sector.

Dairy Development Programme in Uttar Pradesh is being built upon the foundation of a three-tier Co-operative structure comprising Primary Milk Producers, Co-operative Societies at the village level, Milk Producers Co-operative Unions at the district level and Pradeshik Co-operative Dairy Federation at the State Level.

Strategy—The following strategy for the Special Component Plan in Dairying Sector has been proposed during the year 1982-83 of Sixth Five-Year Plan :—

- (i) Strengthening of Co-operative Structure at village and district level.
- (ii) Organization of Primary Societies in rural areas for different activities like milk production, product manufacture, Fodder production, breeding works etc.
- (iii) Providing Technical Inputs like feeding, breeding and Health Coverage at the door steps of the milk producers.

1. DAIRY DEVELOPMENT PROGRAMMES

Aid to Dairy Co-operatives—An outlay of Rs. 30.00 lakhs been proposed for strengthening primary milk co-operatives. Rs. 3.00 lakhs has been proposed for Special Component Plan which is 10 per cent of the above proposed amount. The following programmes are proposed to be taken up during the year 1982-83.

Common Services—In order to collect milk hygenically and on quality basis, the society is to be provided with necessary equipments and financial assistance for carrying out the quality test. The societies are proposed to receive assistance @ Rs. 6,000 per society for equipment under common services and managerial subsidy @ Rs. 2,400 per annum for two years for carrying out quality tests.

Other items—Assistance @ Rs. 1,500 is also proposed for enabling societies to have dead stock like furniture and stationery etc. in the beginning.

Veterinary Inputs—Better maintenance of the Health of Milch animals and sound breeding are necessary for ensuring increased milk production per animal to ensure maximum yield from minimum cattle heads. As such Dairy Husbandry Inputs in the form of Health Cover and Artificial Insemination Services have their own importance under the Dairy Development Programme. It is estimated that 7 paise per litre of milk shall be the expenditure on these input. To meet this expenditure it is proposed to create a fund with the contributions from the State and the beneficiary institution. This basically a social service activity which is the basic responsibility of Welfare State.

Participation of the State in this fund shall be on slab basis, that is 5 paise per litre in the 1st year, 4 paise per litre in the IIrd Year and 3.5 paise per litre in the IIIrd Year and onwards. The balance each year shall be the contribution of the beneficiary institutions. Fund thus created shall be operated and managed by the State Milk Board.

Education and Training—Training has to be imparted to the Departmental field staff and officers for enabling them to avail refresher Courses and various techniques. Farmers and Milk Producers will be given training to adopt improved dairy animals practices and avail of prophylactic and medical cover for milch animals. An outlay of Rs. 0.70 lakhs has been proposed for the year 1982-83 for Special Component Plan.

Subsidised Milk Against UNICEF Assistance to Kanpur Milk Board—Under this scheme subsidised Milk on concessional rate is distributed among vulnerable group of population in Kanpur town, particularly to those families whose monthly income is below Rs. 250. The outlay proposed for this scheme is Rs. 1.00 lakh during the year 1982-83.

Establishment of the Milk Ton Plant in Kanpur Milk Board—A Milk Ton Plant has been set-up in premises of Kanpur Sahkari Milk Board to make available low price Milk to the family belonging to weaker section of the population. The outlay proposed is Rs. 0.20 lakhs under this scheme.

(12) Fisheries

The State has vast potential for under taking fish culture in rural areas. If these seasonal waters are covered into perennial ones, these can be profitably utilised for fish culture purposes. At present mostly Kewat and Machwas are employed in this profession. It is proposed to introduce persons of Scheduled Caste in this profitable vocation, so that it can raise their living standard and they can be easily trained in pisciculture.

It is proposed to take up the programme in 19 districts—(1) Budaun, (2) Meerut, (3) Allahabad, (4) Jaunpur, (5) Varanasi, (6) Ghazipur, (7) Ballia, (8) Deoria, (9) Azamgarh, (10) Basti, (11) Gorakhpur, (12) Gonda, (13) Pratapgarh, (14) Sultanpur, (15) Bara Banki, (16) Faizabad, (17) Lucknow, (18) Unnao and (19) Rae Bareilly. Where fisheries development agencies have already been established and work is being organised in a big way.

The following programme will be taken up through fish farmers development agency :

- (1) Survey of Gram Sabha Tanks and arranging long lease of them to persons of Scheduled Castes as well.
- (2) Providing credit support to persons of Scheduled Castes for the purposes of improvement of tanks and for provision of necessary inputs in the first year.
- (3) Giving financial help *i. e.* subsidy on bank loan improvement of tanks and inputs in the first year.
- (4) Training of selected beneficiaries of scheduled castes in modern techniques of fish culture.
- (5) Arranging supply of fingerlings as per demand.

Following facility will be ensured to the beneficiaries:—

- (1) Arrangement of loan from commercial banks @ Rs. 10,000 per hectare having a subsidy component of 25 per cent.
- (2) Arrangement of loan to the extent of Rs. 1,250 per hectare for the purpose of supply of inputs in the first year to scheduled castes having a 25 per cent subsidy component.
- (3) The trainees will be provided stipend during the training period of 10 days.
- (4) Supply of fingerlings at Government rates.

During the year 1980-81, 234 Gram Sabha Tanks were leased to scheduled castes. A sum of Rs. 52,618 was arranged as a loan from the commercial banks for improvement of tanks having a subsidy of Rs. 16,720 sanctioned by the Fish Farmers Development Agencies. Similarly, for the purpose of supply of inputs in the first year loan to the extent of Rs. 19,502 was arranged out of which Rs. 4,588 as subsidy was given by the agency. 173 scheduled caste beneficiaries were trained in modern fish culture techniques and 10.4 lakhs fingerlings were supplied for stocking their tanks.

During the year 1982-83 it is proposed to reclaim 1250 hectares of water area. 500 scheduled castes would be benefitted. In all about 12.50 lakhs fingerlings are proposed to be supplied.

It is estimated that from 1 hectare of water area there will be a production of 1,000 to 1,500 kg. fish valued Rs. 6,000 to Rs. 7,500 after deducting the expenditure the net income will be between Rs. 5,000 to Rs. 6,000 per year. The details of schemes by which scheduled castes will be benefitted are as under—

- (1) Subsidy for improvement of tanks @ Rs. 2,500 per hectare.
- (2) Subsidy for inputs @ Rs. 310 per hectare.
- (3) Stipend to the trainees and miscellaneous expenditure.

During 1982-83, out of an outlay of Rs. 279.63 lakhs an amount of Rs. 11.00 lakhs has been quantified for the benefit of Scheduled Castes.

(13) Forest

Forest Department has included most of the labour intensive plan schemes of forestry and Soil Conservation under Special Component Plan launched for the economic uplift of Scheduled Castes. These schemes are following :—

A—Forestry Sector :

- (1) Plantation of species of Economic and Industrial Importance.
- (2) Plantation of fast growing species;

- (3) Management of Roadside Avenues;
- (4) Social Forestry;
- (5) Fuelwood plantation in Rural Areas (from 1982-83) ; and
- (6) Amenities to forest labour and Taungya Cultivators.

Social forestry schemes are being totally implemented in plain region and rest schemes are being implemented both in Hill and Plain regions of the State.

(B) Soil Conservation—

- (1) Soil Conservation works in Civil and Soyam Forests.
- (2) S. C. works in catchment of Ramganga.
- (3) Integrated Soil, water and tree conservation in Himalayan region are being implemented in Hill region and two schemes having Reclamation.

Afforestation and Soil Conservation work in Matatila Dam Project are being implemented in Plain region.

Specific amount having been quantified under such schemes which flow towards Scheduled Castes as labour wages.

During 1980-81 a total amount of Rs. 128.62 lakhs. Forestry Sector Rs. 89.47 lakhs and Soil Conservation Sector Rs. 39.15 lakhs, had been incurred as wages to scheduled castes labourers.

Quantified under special component plan against which an expenditure of Rs. 129.86 lakhs. Forestry Sector Rs. 89.47 lakh and Soil Conservation Sector, Rs. 29.15 lakh, was incurred as wages to Scheduled Castes labourers, which generated 18.50 lakh mandays.

For 1981-82, for the benefits of scheduled castes an amount of Rs. 274.26 lakhs have been quantified under plan schemes, forestry sector Rs. 180.30 lakhs and Soil Conservation Rs. 93.96 lakh against Forestry Sector plan outlay of Rs. 1647.50 lakhs and Soil Conservation Sector Plan Outlay of Rs. 404.50 lakhs respectively which will generate about 39.10 lakh mandays. Physical targets have been given in the Statement S.C.P. II.

For annual plan 1982-83 in Forestry Sector an amount of Rs. 165.00 lakh against plan outlay (Forestry) of Rs. 1526.77 lakh and an amount of Rs. 120.00 lakh against plan outlay (Soil Conservation) of Rs. 435.00 lakhs have been quantified under Special Component Plan. In addition to this an amount of Rs. 240.00 lakhs have also been quantified under National Rural Employment Programme against an outlay of Rs. 400.00 lakhs (State share).

(14) Panchayat Raj

For improving rural sanitation and rural *abadi* sites, pavements of village roads (Kharanja) and drains are very important. The State Government provides in the form of grants-in-aids to Gaon Sabhas, having 51 per cent or more population of Scheduled Caste Community or in Basti where people of this community resides, on 50 per cent matching contribution basis up to Rs. 5,000 per Gaon Sabha. Under this programme Grant in aid will be provided to the Gaon Sabhas up to the limit of Rs. 5,000. The Gaon Sabha will also contribute equal amount in terms of cash or labour.

In a Gaon Sabha where Rs. 5,000 will be provided, total construction work worth Rs. 20,000 will be done. Thus 200 Gaon Sabhas will be benefitted in the year 1982-83 for which an amount of Rs. 10.50 lakhs has been quantified.

As this programme will be coordinated within the perview of National Rural Employment Programme, attempts will be made to achieve additionality in the targets and to achieve benefits to more Gaon Sabhas. The allocation of outlays under N.R.E.P. for this purpose is under consideration.

(15) Pradeshik Vikas Dal

Pradeshik Vikas Dal has been engaged in all round development of villages through various programmes. These programmes will be implemented in such a manner so as to provide maximum possible benefits to Scheduled Caste person. Such programmes are like distribution of uniforms to volunteers, vocational training, encouragement for rural sports, supply of uniforms

and other material to Yuvak Mangal Dal, training to Youths in swimming and promotion of Gymnasium. The details of schemes under which quantification for Scheduled Castes has been proposed for 1982-83 are as under :—

Serial no.	Name of Scheme	Quantified Outlay
		Rs.
1	Vocational training	22,900
2	Promotion of Yuvak Mangal Dal	55,000
3	Establishment of Gymnasium	1,73,963
4	Sports at Block levels	13,362
5	Social Service	27,275
6	Training in Swimming	7,500
	Total ..	3,00,000

(16) Co-operative

Co-operative play an important role in improving the economic condition of Scheduled Castes. However, the movement does not deal with any specific community in particular. This presents certain constraints in earmarking separate outlays for scheduled castes. However, the areas where the scheduled castes population is sparsely high, the benefits resulting from various programmes in the co-operative sector will percolate down to the scheduled castes in greater extent.

The objective of the Sixth Five-Year Plan is to bring 50 per cent of the Schedule Caste families above the poverty line. Accordingly, a programme has been chalked out to raise the membership of the Scheduled Caste persons in the primary co-operative societies and to provide them credit support to meet their production and consumption needs. During the Sixth Plan period 12.80 lakhs Scheduled Caste members are likely to be enrolled as members of the co-operative institutions, out of which 2.50 lakhs would be enrolled in 1982-83. Accordingly, an outlay of Rs.56 lakhs has been proposed as interest-free medium term loan for Scheduled Castes for purchase of shares in co-operative societies in the Sixth Plan. Besides, this an amount of Rs. 0.50 lakhs has been proposed to weaker sections of hill areas for purchase of shares. For 1982-83 an amount of Rs. 0.10 lakhs has been earmarked for this purpose.

In the Sixth Five-Year Plan emphasis is being laid to ensure that the economically weaker sections of the population are adequately catered to by the schemes of the co-operative department, specially with regard to distribution of credit. In order to achieve this objective quantification has been made while prescribing field targets for achievements, so that the interest of Scheduled Castes are secured.

Serial no.	Year	Total targets of loan distribution			Quantification made for scheduled caste members of the Co-operative Societies		
		S.T.	M.T.	L.T.	S.T.	M.T.	L.T.
1	1980-81	230.00	25.00	72.00	42.50	3.50	9.00
2	1981-82	250.00	30.00	78.00	50.00	6.00	15.00
3	1982-83	314.00	35.00	84.00	62.80	7.00	16.00
4	1983-84	345.00	40.00	90.00	69.00	8.00	18.00
5	1984-85	385.00	45.00	96.00	77.00	9.00	19.00

Various Co-operative Credit Institutions will have to be strengthened for the above mentioned purpose. It is therefore, proposed that an amount of Rs. 150 lakhs be invested in this share of Co-operative Credit Institutions. Outlay for 1982-83 would be Rs. 30 lakhs.

Marketing societies organised in those areas where S.C., population is high would mainly cater to the needs of this section. In order that these societies may function effectively, it is proposed to provide share-money and managerial subsidy to these marketing societies. Rs. 7 lakhs has also been proposed by way of contribution of Price-Fluctuation Fund created in these societies. It is also proposed to provide margin money to the marketing societies, so that they can supply minor irrigation equipments to the weaker sections. They would also be provided margin money assistance for handling of agricultural produce Rs. 2 lakhs has been earmarked during the Sixth Five-Year Plan for construction of godowns for marketing societies. Rs. 32.20 lakhs would be utilised for construction of rural godown under World Bank Scheme in the areas where LAMPS have been organised. It is also proposed to construct residences for the Secretaries of Primary Societies catering to the needs of the Scheduled Castes population. While chalking out this programme, it would be ensured that the societies organised in the area having majority of Scheduled Castes would mainly benefit the Scheduled Castes population.

Rupees one hundred and thirty-five lakhs has been earmarked as the state contribution for the construction of Cold Storages, so that adequate storage facilities are made available to the Scheduled Castes.

With a view to strengthen the Scheduled Caste people economically a phased programme of organisation of Rickshaw puller and labour societies is proposed with state assistance by way of participation in share capital and providing managerial subsidy. For Rickshaw puller societies a managerial subsidy @ Rs. 5,400 per society is proposed amounting to Rs. 1.35 lakhs during the Sixth Plan period, and Rs. 45,000 @ Rs. 5,000 per society as share participation for the same period is also earmarked. Similarly, for Labour Co-operatives it has been proposed that the State would contribute Rs. 10,000 per society to all the five societies as share participation and a contribution as managerial subsidy @ Rs. 5,000 per society for three years against staff and another managerial subsidy in a lump sum of Rs. 10,000 per society for the purchase of implements would also be made by state.

Details of Schemes under which quantification for Scheduled Castes has been proposed for 1982-83

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Items	Quantified Outlay for 1982-83
1	2	3
A—1	Interest free M.T. loan for S.C. for purchase of share	6.00
2	M. T. loan to weaker section for purchase of share in Hill	0.10
3	State participation in Co-operative Credit Institution	30.00
B—1	Managerial subsidy to marketing societies	0.20
2	Share participation in new Societies
3	Contribution to price fluctuation fund	1.40
4	Margin money to marketing Societies for irrigation implements	1.00
5	Margin money to marketing Societies for handling of agricultural produce	0.80
6	Contribution of godowns for marketing societies	0.40
7	Construction of rural godowns under World Bank Scheme	6.48
8	Construction of Sachiv residence under N.C.D.C. Scheme	5.04
C—1	Cold Storage to be constructed State contribution under the scheme	8.12
D—	Organisation of Rickshaw-puller Society—	
1	Managerial subsidy @ Rs. 5,400 per society	0.11
2	Share participation @ Rs. 5,000 per society	0.10
E—	Organisation of Labour Societies five—	
1	Share participation @ Rs. 10,000 per society	0.10
2	Managerial subsidy @ Rs. 5,000 per society for 3 years	0.05
3	Managerial subsidy @ Rs. 10,000 per society for purchase of implements	0.10
	Total	60.00

(17) Power

The total outlays for power for the year 1982-83 is Rs. 39,272.85 lakhs. Out of these outlays rural electrification component alone is quantifiable. There are following scheme under which quantification has been made—

- (A) Energisation of private tube-wells;
- (B) Electrification of Harijan Bastis;
- (C) Electrification of those villages in which population of Scheduled Castes is more than 51 per cent.

Following are some salient features about the schemes—

(1) Total number of villages in U. P.	1,12,561
(2) Total number of villages electrified in U. P. (up to 1980-81)	43,372
(3) Number of Scheduled Castes bastis (in electrified villages) which have been electrified (up to 1981-82).	18,808
(4) Number of electrified villages with out electricity in Scheduled Castes bastis (up to 1980-81).	2,884
(5) Number of Scheduled Castes Bastis proposed to be electrified in—		
(A) 1982-83 (tentative)	3,200
(B) 1980—85	15,450

To implement the above programmes an amount of Rs. 700.00 lakhs in 1982-83 has been earmarked for rural electrification for Scheduled Castes and energisation of private tube-wells.

Priority has been fixed by the administrative department to electrify those unelectrified Harijan Bastis which are in the electrify villages.

RURAL ELECTRIFICATION—*Electrification of Villages and Harijan Basties*
Progress

Period	Electrification of Villages							Electrification of Harijan Basties					
	Normal	REC	MNP	Other	Additive	Resources	Total Village Electrified						
	Addition	Cumulative	Addition	Cumulative	Addition	Cumulative	ARDC/SPA/Deposit	Addition	Cumulative	Addition	Cumulative		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Pre Plan	110	110	110	110	
2. First Plan (51-56)	310	420	310	420	
3. Second Plan (56-61)	662	1,082	662	1,082	
4. Third Plan (61-66)	4,773	5,855	4,773	5,855	
5. Third Annual Plan (1965-69).	7,071	12,926	7,071	12,926	
6. Fourth Plan (1969-74)	15,817	28,743	1,022	1,022	16,839	29,765	5,960	5,960	
7. 1974-75	315	29,088	608	1,710	1,033	30,798	351	6,311	
8. 1975-76	636	29,774	346	2,056	32	32	1,064	31,802	1,390	7,701	
9. 1976-77	210	30,014	696	2,752	300	332	1,236	33,098	1,304	9,005	
10. 1977-78	273	30,237	1,224	3,976	431	763	1,928	35,026	1,991	10,996	
11. 1978-79	242	30,529	591	4,567	439	1,202	1,272	36,298	1,457	12,453	
12. Fifth Plan 1974-79	1,736	30,529	3,555	1,557	1,202	1,202	6,533	36,293	6,493	12,453	
13. 1979-80	265	30,794	1,564	6,131	150	1,652	2,279	38,577	1,561	14,014	
14. 1980-81	1,458	32,252	1,204	7,335	648	2,300	485	485	3,795	42,372	2,263	16,277	

18. Industries

Village and Small Industries Sector—Under the village and small industries sector excluding Handloom an outlay of Rs. 11.46 crores has been envisaged during 1982-83 out of which the divisible amount is Rs. 631.40 lakhs. An amount of Rs.155.00 lakhs will flow to Special Component Plan. Under the village and small industries sector, the Handloom and Sericulture programme have more avenues for scheduled caste people under the Special Component Plan as such more flow of funds to Special Component Plan is likely to be made from this sector.

The main thrust of the programme relates to Leather, Shoe Making, Carpet weaving and other handicrafts industries in which there is a large percentage of scheduled castes artisans, who are traditionally employed in these industries. There are schemes of providing managerial assistance and share capital to Industrial Co-operatives of Harijans, construction of godown, marketing of shoes, assistance in procurement of Raw Materials, design development and common facility centres. Besides this there are training schemes in which Scheduled Caste person will be trained as artisans are fully capable of producing articles which meet the modern demands.

I—Industrial Estates

Some industrial estates are being set up in the areas, where there is large Harijans population. The outlays for such industrial estates will benefit the Scheduled Castes. For the current financial year 1981-82, the funds to the extent of Rs.35.00 lakhs are likely to be spent to develop industrial estates in the following places in predominantly S.C. population.

1. Bachhrawan (Rae Bareli).
2. Lalitpur.
3. Sitapur.
4. Jalaun.

For the industrial estates programme an outlay of Rs. 15 lakhs is envisaged for 1982-83. This amount is likely to be utilised for meeting the spill over expenditure of the aforesaid estates and no new estate is to be taken up during 1982-83. The department would ensure that maximum Scheduled Castes persons actually been allotted the industrial estates.

II. Small Scale Industries

(i) *U.P. Small Industries Corporation*—Under the hire purchase loan scheme, the machines are supplied to entrepreneurs on hire purchase basis. The entrepreneurs have to deposit earnest money amounting to 10% of the value of the machine purchased and the balance amount is arranged by the Corporation to be recovered in easy instalments from the entrepreneurs within a period of 7 years. An outlay of Rs.2 lakhs is quantified for Harijans out of total outlay for Rs. 12 lacs for hire purchase of machines.

(ii) *U.P. Leather Development Corporation*—The entire programmes of leather development are for scheduled castes scheduled tribes. The following programmes are proposed to be taken up during VIth Plan (1980-85) (a) Share Capital, (b) Design Centre, (c) Micro Servicing Centre, (d) Common facility centre/marketing complex, (e) Training centres, (f) Other schemes.

An outlay of Rs. 45.00 lacs is envisaged for 82-83 for above schemes. The entire amount of Rs. 45 lakhs has been quantified for Special Component Plan. The programmes of leather Corporation are also being implemented from a Special Central Assistance.

(iii) *Industrial Co-operatives*—The existing programmes of providing share capital loans, managerial grant, weaker section societies and apex organisation are proposed to be continued. An outlay of Rs. 4.00 lacs is envisaged for 1982-83 for Scheduled Castes, for share capital (Rs. 1.00 lac), managerial grant (Rs.0.60 lacs) and weaker section societies (Rs.2.40 lakhs)

(iv) *District Industries Centres*—Under the District Industries Centre programme, various assistance and facilities are being provided under one roof. For the establishment of industrial units, loans are provided at 10% rate of interest, rebate of 3½% is allowed on timely repayment of loan and interest. Thus the effective rate of interest is 6½%. The loans is also given for units established in Growth Centres.

In order to enthuse and assist the scheduled caste people, the following outlays have been earmarked for providing loans :

	(Rupees in lakhs)	
	Annual Plan Quantified (1982-83)	Amount for Harijans
D. I. C. Loan	112	10.00
Margin money Loan.		
Growth Centre Loan	88	10.00

(vi) *Entrepreneurial Development Programme*—Under this programme, Industrial campaigns and seminars are organised at the regional level. The entrepreneurs are identified in these seminars and campaigns and motivated and encouraged to set up their units. The State Govt. have also introduced a scheme for providing entrepreneurial development training to such selected entrepreneurs who intend to set up small units.

An outlay of Rs. 0.30 lakhs has been earmarked for scheduled caste for 1982-83 out of total outlay of Rs. 5 lacs.

(vii) *Other Hill Areas Schemes*—Some special Schemes have been taken up for the industrialization of Hill Areas. Some existing schemes like entrepreneurial development training centres are to be covered into production centres, raw material supply. Hill Wool Development, Spinning and Weaving Plants will be reorganised.

An outlay of Rs. 2.20 lacs has been quantified for 1982-83 out of total outlay of Rs. 25 lacs for these schemes.

III. Handicrafts

(i) *Carpet Training Centres*—Carpet industry of the state is highly labour intensive and entirely export oriented. This industry occupies prestigious place on the map of India, Export of carpets from the State accounts for nearly 90 % of the total export of the country. Over the year, the industry has been facing problems of non-availability of trained and skilled weavers in the carpet trade. To strengthen production base of the industry, State Government has launched scheme of carpet weaving training centres. In one training centre 50 trainees are trained by craftsmen and each trainee is paid stipend of Rs. 60 per month. The centre is run with the help of associates. After completion of one year's training, training centres are automatically converted into production units and are run by associates. All the trainees of that centre get full time employment.

Outlays earmarked for Scheduled Castes for Carpet Training Centres

(Rupees in lakhs)	
Annual Plan (1982-83)	Outlay quantified for Harijans
72.00	14.00

(ii) *Schemes through Brassware Corporation Training Centres in Art Metal Wares*—The metal art ware industry is mainly concentrated in Moradabad, Jalesar (Etah), Aligarh, Mirzapur and Varanasi. The industry is employing about 1 lac artisans including mainly scheduled castes and has excellent development potential because of its labour intensive nature and export potential. The State Government has taken up programmes for development of this industry and is also providing training to the artisans. The artisans who have obtained training are being provided financial assistance through banks and are also supplied improved tools through Brassware Corporation Training in art metal ware is to be expanded during Sixth Plan period. An outlay of Rs. 3.00 lacs is quantified for 1982-83 out of Rs. 40 lacs earmarked for the Corporation. Under this outlay of Rs. 3 lacs, an outlay of Rs. 2 lacs is for Pital Basti and Rs. 1 lac for other promotional programmes.

(iii) *Assistance to Artisan Societies*—Under this programme share capital loans and managerial grant is provided for organising handicrafts co-operative societies. Out of total outlay of Rs. 2 lacs, an outlay of Rs.0.50 lac is envisaged for Scheduled Castes.

(iv) *Hill Schemes—Scheme for economic uplift of Janjati (included in the list of S.Cs.)*—A programme of economic uplift of people belonging to Janjati who are included in the list of Scheduled Castes, in hill areas has been given top priority and the scheme for providing maximum employment opportunity to the tribal people has been envisaged, by development of woollen industry in Janjati Block.

People are encouraged to take up manufacture of woollens either at the departmental centres or at their own houses.

An outlay of Rs.3.00 lacs is envisaged for 82-83 for a number of schemes under Special Component Plan.

IV—Khadi and Village Industries Programmes

An outlay of Rs.9 lacs is quantified for Special Component Plan out of total outlay of Rs. 45 lacs envisaged for 1982-83.

V. State Share for centrally financed Schemes

It is proposed to include 25% share for two centrally financed schemes given below included in 1982-83 annual plan and which will be continued in VI plan period i.e. by 1983-84.

(a) *Sports Goods Complex Meerut*—These are large number of artisans engaged in sports goods industry in Meerut. Considerable percentage of these artisans belong to scheduled castes and weaker section. The project for their assistance include construction of a workshop and residential complex along with common facility and marketing and quality control facilities.

This scheme is expected to cost about Rs. 2 crores. The State share (which has been discussed with Spl. Secy. Harijan and Social Welfare deptt.) will be 25 per cent i.e. Rs.50 lacs. This is proposed to be phased out as under :

						(Rupees in lakhs)
1982-83	29.00
1983-84	21.00
						50.00

(b) *Carpet Training Centres*—At present carpet training centres are being implemented through Associate Entrepreneur. Here the labour benefit goes to such Associate Entrepreneur and they do not keep Scheduled Caste trainees. It is therefore proposed to open special training centres for scheduled caste artisans in the areas of concentration of such workers. For this scheme also, it is proposed that the State Share should be 25%. The cost of opening 20 centres is estimated to be Rs. 32 lacs. The State share will be Rs. 8 lacs. Each centre will train 50 trainees per year. Thus 1000 scheduled caste candidates will be benefited each year.

Thus for above schemes, the state share will be Rs. 29+8=37 lakhs.

Apart from above, the Uttar Pradesh Financial Corporation is keenly involved to find out ways and means to maximise their effort for the benefit of the scheduled castes. At present, the Corporation provides relaxations for Scheduled Castes in process fee., legal fee, commitment levy, interest on margin money loan up to Rs. 25,000 and on normal loan. The corporation entertains the applications of scheduled castes on priority basis. In the composite loan scheme of the corporation, in which there is provision of loan up to Rs. 25,000 the Scheduled Caste beneficiaries happen to be about 20 per cent at present. The Corporation has proposal to link up its composite loan scheme with margin money loan scheme of U. P. Scheduled Caste Finance and development Corporation. This linkage would certainly increase the scope of benefit of composite loan scheme in favour of Scheduled Castes.

HANDLOOM AND SERICULTURE

Under Handloom Sector about 15 lakhs weavers are engaged to weaving and other supporting activities. Out of these about 10 per cent of weavers population come under Scheduled Castes and their Concentration areas are Bundelkhand Eastern and Western regions of the State Generally Scheduled Caste weavers work on the looms owned by master weavers/middlemen, as they do not have their own looms and other production facilities. They were exploited by the master weavers and do not get due share of their efforts.

With a view to provide gainful employment opportunities to them and also to raise their level of income it has been proposed to launch a special integrated programme for promotion of Handloom weaving in the clusters of Scheduled Castes Weavers.

For the Sixth Five Year Plan (1980-85) an outlay of Rs. 6,000 lakhs has been earmarked (including Rs. 1,000 lacs for cooperative Spg., Mills) for the schemes of Handloom and Sericulture. As against this Rs. 4,710.50 lakhs has been found divisible and Rs. 9,02.75 lakhs has been quantified for the special component schemes. The brief details of these Schemes is narrated below :

1. *Share Capital Loan to Weavers Co-operative Societies*—This scheme aims at strengthening the Capital structure of the societies by providing share capital loan to make them viable. The Scheduled Caste weavers cooperative Socys., are encouraged to take the benefit of this scheme. During the year 1980-81 Rs. 10.00 lakhs were provided to 87 Societies and in the year 1981-82 Rs. 21.77 lakhs has been disbursed to 212 societies. An outlay of Rs. 20.00 lakhs has been proposed for 1982-83.

2. *Workshed assistance to the Co-operative Societies*—With a view to provide appropriate space and environment to the members of weavers co-operative societies, it has been proposed

to provide an assistance of Rs. 60,000 per society for the construction of workshed. During the year 1980-81 Rs. 0.40 lakhs was provided. In 1981-82 Rs. 0.60 lakhs will be utilised by the end of March 82. An outlay of Rs. 1.20 lacs has been proposed for the year 1982-83

3. *Training Programme by UPICA*—At present UPICA is running a training centre at Kanpur. The intake capacity of textiles societies is limited to 30 trainees. Out of which 6 seats are reserved for SC/ST. During the year 1980-81, 3 trainees were trained. In 1981-82, 6 trainees have been trained. An outlay of Rs. 0.10 lakhs has been proposed for the year 1982-83 and 6 trainees are proposed to be trained.

4. *Managerial Assistance*—Generally the Weavers of cooperative societies are illiterate and they face great difficulty in the maintenance of the account of society. For the purpose of smooth functioning and appropriate maintenance of accounts of weavers societies, a grant of Rs. 5400 per society for one year is given towards salary of a trained Secretary/Manager of the Society. During the year 1980-81 Rs. 0.72 lakh was provided to 10 Societies. During the year 1981-82 Rs. 0.72 lakhs has been provided to 16 societies. An outlay of Rs.1.00 lacs has been proposed for the year 1982-83.

5. *Training programme by Handloom Corporation*—For the purpose of providing training to SC/ST artisans and weavers, a training-cum-production centre is running at Nautanwa (Gorakhpur). The duration of training is 3 months and stipend is provided to the trainees during cutting training period. During the year 1980-81 65 trainees were trained. Rs. 1.25 lakhs has been utilised in 1981-82. An outlay of Rs.2.00 lakhs has been proposed and 100 trainees have been proposed to be trained for the year 1982-83.

6. *Reserve Bank of India Interest Subsidy*—Under the scheme, working capital is provided by District Cooperative Banks at concessional rates of interest. U.P. Co-operative Bank and District Co-operative Banks get an interest subsidy @ 3% from the Government to meet their expenditure. During the year 1980-81 Rs. 0.94 lacs was made available to the banks. This year 1981-82 Rs. 0.94 lakh is likely to be utilised for the same purpose. An outlay of Rs. 2.00 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

7. *Reserve Bank of India Guarantee*—The working capital assistance in terms of cash credit limits is sanctioned by the District Co-operative Banks to the societies, Government has to give 90% guarantee for loan to be given by District Cooperative Banks. The scheme provides funds for meeting losses arising due to non recovery against the guarantee issued by Government. In 1981-82, Rs. 0.10 lakhs will be utilised. An outlay of Rs.0.20 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

8. *Modernisation of Handlooms*—To maintain the quality of Handloom goods and also for better productivity, an assistance is provided to the members of weavers societies. In 1981-82 Rs. 0.67 lacs will be utilised by members of weavers societies. An outlay of Rs. 1.00 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

9. *Assistance for establishment of Dye Houses*—For the purpose of providing the dyeing facilities to the SC/ST members of weavers societies, an assistance Rs. 37,500 per Dye House is provided to the Society by the Government. Assistance under this scheme to the extent Rs.0.75 lakhs has been provided in the year 1981-82 for two Dye Houses. An outlay of Rs.0.75 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

10. *Construction of Weavers Colonies*—In order to resolve the residential and workshop problem of weavers it is proposed to give them a loan of Rs.7500 by the Bank and a grant of Rs. 1500 per house by the State Government. In the year 1981-82 Rs.0.75 lakhs was proposed to be utilised for one Society but the scheme has been postponed which will be taken up next year.

An outlay of Rs.0.75 lakhs has been proposed for the year 1982-83 for a society.

11. *Institutional Finance to H. L. Weavers through Handloom Corporation*—The weavers working outside cooperative fold have not been getting due attention and they are not getting financial assistance from Banks. For providing the required financial assistance to such weavers, this scheme has been proposed to be implemented through Handloom Corporation. An Outlay of Rs. 5.00 lacs has been proposed for 1982-83.

12. *Bunker Haat*—For enabling the Weavers to sell their goods safely and without any damage from Sun, rains and storms, a new scheme for constructing Bunker Haats at appropriate places of Bunker Concentration has been proposed to be taken up in 1982-83. Although no clear demarcation of quantification is possible under the scheme, members of the SC/ST community will derive benefit under this scheme.

13. *Weavers Tours*—Most of the population of weavers are untrained and busy in the business with traditional technique, from the point of view of standard quality of their production State Government has started this programme for the weavers so that they learn the new techniques prevalent in other States/areas by undertaking extensive tours. The weavers of S. C. community will also get benefit for which an outlay of Rs. 0.10 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

14. *Incentives to Handloom Weavers for export*—In order to enlarge the export activities and to withstand competition of established exporters from Tamil Nadu and Maharashtra, it is proposed to provide an incentive of 5% on the export of Handloom goods. This measure would encourage progressive weavers co-operative societies to enter export market. Outlay of Rs.0.50 lacs has been proposed for the year 1982-83.

15. *Production of Polyester/Blended Fabrics*—The production of polyester/Blended fabrics provides higher wages to Handloom Weavers, which helps to raise their living standard. Under this scheme a subsidy @ Rs. 1.50 paise per square meter is allowed to the weavers on the production of Polyester/Blended fabrics. An outlay of Rs.0.10 lakhs has been proposed for the year 1982-83, for giving as subsidy to the weavers of SC/ST community.

16. *Rebate in Sale of Handloom cloth*—For the clearance of Handloom cloth produced by the weavers, Government has undertaken to provide rebate @ 5% and 20% on the sale of Handloom Cloth through various Exhibitions and fairs held by the Government from time to time. The weavers of SC/ST community are likely to be benefited under this Scheme. An outlay of Rs. 6.00 lakhs has been proposed for the year 1982-83 also.

17. *Organisation of Bunker Seminar*—In order to make a consciousness in the weavers community a programme has been launched as Bunker Seminar. Through these seminars the weavers learn latest techniques and designs etc. and are encouraged to better production. In the year 1981-82 Rs. 0.20 was utilised and Rs. 0.25 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

18. *Intensive Handloom Development Project*—Looking to the difficulties of individual weavers, U.P. Handloom Corporation has launched this scheme and 6 projects are already working. Two such projects have been sanctioned in 1981-82 and two more projects will be introduced in 1982-83. The weavers of SC community will be benefited under this scheme.

An outlay for Rs. 20.00 lakhs has been quantified for this purpose.

19. *Printing Training Centre at MAU*—This Centre is providing training in textile printing to the weavers, so that they are able to settle in the trade after getting training and earn their livelihood.

20. *Fairs and Exhibitions*—For the clearance of old stock of the production of the societies, Government has been organising fairs and exhibitions through out the country. The benefit of this scheme also goes to the weavers of SC/ST community. During the year 1981-82 Rs. 0.10 lacs was provided to the weavers. An outlay of Rs. 0.20 lakhs has been proposed for the year 1982-83.

21. *Share Capital participation in UPICA*—UPICA, which is the Apex body of co-operative societies of the State is provided assistance by way of share contribution by the Government, UPICA offers various facilities i.e. marketing, financial etc., to the member societies. Out of the above contribution of the Societies of SC/ST participation also get these facilities.

22. *Share Capital Participation in U.P. Handloom Corporation*—U. P. Government is contributing to the share capital of the U. P. Handloom Corporation for effective implementation of the programmes being undertaken by the Corporation. Through various activities of the Corporation the members of weavers section SC/ST also receive benefit.

23. *Establishment of SPG., Mills in Co-operative Sector*—For providing raw materials (Yarns) to the weavers Seven spinning mills are being promoted in the Co-operative Sector, one such spinning Mills is also being promoted at Sitapur which happens to be a predominantly SC inhabited area. An outlay of Rs. 25 lakhs has been quantified for this purpose.

Sericulture—Sericulture is an important cottage industry of the State. It provides part time subsidiary occupation to the rearers and landless labourers particularly to SC/ST. At present sericulture development programme is being implemented in 32 Districts of the State. Under the Scheme expansion of adequate staff, establishment of Chawki Rearing Centres, improvements in rearing appliances and organisation of Sericulture Co-operative Societies have been proposed. Expansion and revision of Tarai Project for the benefits of rearers have also been proposed under this scheme. During 1980-81 an expenditure of Rs. 21.75 lacs was made for the benefits of SC farmers and landless rearers.

Tassar—Under this scheme crops will be raised for having silk worms of improved race. In hill districts the land holdings is small and area is industrially backward. A detailed programme has been proposed for establishment of garinages extension centres etc. for the development of tassar culture in Mirzapur. Tassar development project has been started from 1980-81. A Similar Tassar Development project has also been proposed this year in Bundelkhand for the uplift of this region. During the year 1980-81 expenditure amounting to Rs.0.75 lakh was incurred and 2.00 (in numbers) lakhs Tassar cocoon was produced. This year (81-82) an expenditure of Rs. 45.60 lakhs has been incurred. An outlay of Rs. 52.30 lakhs has been proposed for 1982-83.

Centrally assisted Scheme under Special Component Plan—Government of India, has decided to improve the condition of handloom weavers of SC. For this purpose separate scheme of Industrial type co-operative societies and establishment of service-cum-marketing centre for the facility of weavers of SC has been introduced in a 81-82. An expenditure of Rs.22.30 lakhs for 10 Industrial Type Co-operative Societies and 2 Service-cum-marketing centres has been envisaged for the year 1981-82. An outlay of Rs.75.90 lakhs has been proposed for 30 Industrial Type Co-operative Societies and 8 Service-cum-marketing Centres for SC for the year 1982-83.

(19) Public Works Department

(Construction of Roads)

Outlays for the construction of roads are not generally quantifiable. As per Government of India's instructions expenditure involved in the cost of those link roads which connect Harijan Bastis/Villages having more than 51% of S.C. population qualifies to be included in the Special Component Plan.

In 1980-81 only 82 development blocks were specified under Special Component Plan and Rs. 916 crores out of total plan outlay or Rs.85 crores was utilized on the developmental works of roads and bridges in these blocks against an allocation of Rs.674.75 lakhs by these development works benefit has flown to Scheduled Caste population.

In 1981-82 an amount of Rs.8.50 crores out of total plan outlay of Rs.84 crores has been specified for development works of roads and bridges in 188 specified development blocks. By these works benefit has flown to the Scheduled Caste population. In 1981-82 an expenditure of Rs. 1346.00 lakhs has been incurred and 544 Kms. roads have been constructed in the selected blocks.

In 1982-83 an amount of Rs. 9.50 crores out of total outlay of Rs.88.99 crores (excluding of NREP) has been specified for development of works of roads and bridges in specified development of 188 blocks. An amount of Rs. 3 crores has been specified out of Rs. 5.0 crores allocated under N.R.E.P. and will also be utilized during 1982-83.

Out of Rs. 9.50 crores outlay fixed it is proposed to be incurred and expenditure of Rs. 1.50 crores hills and Rs. 8.00 crores in plains. Under National target of minimum need programme all the villages of population 1500 and above and half the villages of population between 1000 and 1499 are to be connected with all Weather roads up to 1990. It is planned to achieve this national target of M.N.P. with respect to specified blocks under special component plan a head of this target date.

The programme of construction of roads is being implemented in whole of the State. Further, there are as many as 492 blocks in the State having more than 20 per cent of S.C. population and, therefore, there is a greater scope for utilization of quantified funds in such blocks. The department has been advised to have an exercise to identify S.C. Bastis/Villages in which S.C. population is more than 51% and also to mobilise resources towards them within the existing plan of the department.

(20) Education

One of the objectives which the Special Component Plan envisages is that the lag in the educational level of the Scheduled Castes is removed in the Sixth Plan period various steps have been proposed in the 1982-83 plan for opening of new primary and middle schools, equipping the existing schools in S.C. bastis/areas having more than 51 per cent of S.C. population, providing ancillary services, free text books, stationery uniform, scholarship, grants-in-aid to schools. Efforts are also being made to encourage these castes to take full advantage of the educational facilities offered. In non-formal and adult education, major share of benefit would go to Scheduled Castes and other backward communities. So far 9690 adult education, centres have so far been opened in 44 districts of U.P. in which there are 2,62,790 participants. Out of these S.C. participants are 84,082 which comes to 32 per cent.

During 1982-83, out of the total outlay of Rs.3474.64 lakhs the amount quantified is Rs. 730.00 lakhs (including Hills). Details of schemes are as follows :

(Rupees in thousands)

Serial no.	Name of the Scheme	1982-83 Outlay			Spl. Component Plan		
		Plains	Hills	Total	Plains	Hills	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grant for the Construction of Jr. Basic Schools buildings in rural and urban areas which have no buildings (60101001).	33929	2000	35929	13572	800	14372
2	Grant for the construction of buildings for Sr. Basic Schools in rural and urban areas(60101005).	17681	2300	19981	7072	920	7992
3	Grant for the opening of mixed Jr. basic Schools in rural areas (60101006).	16871	10397	27268	6748	4159	10907
4	Grant for the opening of mixed Jr. basic schools in urban areas. (60101007).	3614	1774	5388	1446	709	2155
5	Grant for the improvement of Sc. Teaching and supply of Sc. equipment to Jr. basic schools (60101008).	882	450	1332	353	180	533
6	Incentive grant in the form of free textbooks to girls and boys of weaker communities in order to promote and sustain enrolment in rural areas (60101009).	756	75	831	378	38	416
7	Grant for opening Sr. basic schools for boys and girls in rural areas. (60101010).	14063	9149	23213	5625	3660	9285
8	Grant for opening of part-time classes for children belonging to the age group 6-14 in rural and urban areas (60101011).	16387	..	16387	9557	..	9557
9	Grant for stipends and non-recurring financial assistance to pre-matric scheduled tribe boys/girls studying in classes I—V and VI—VIII (60101014).	171	38	209	171	38	209
10	Grant for stipend and non-recurring financial assistance to pre-matric scheduled caste boys/girls (60101015)	1206	20	1226	1206	20	1226
11	Grant for stipends and non-recurring financial assistance to the children of backward communities reading at pre-matric stage. (60101016).	195	20	215	195	20	215
12	Grant for establishing book-bank in Senior basic schools for free supply of text books (60101022).	1247	240	1487	623	120	743
13	Grant for equipment and teaching material to senior basic schools (60101024).	608	250	858	243	100	343
14	Grant for equipment and teaching material to Junior basic schools (60101025).	1553	250	1803	621	100	721
15	Provision for supply of uniform to children of weaker sections (60101026).	1043	500	1543	521	250	771

Director, Systems Unit,
National Council of Educational
Planning and Administration
17-B, Connaught Place, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Establishment of Government model schools in Tehri and border districts. (60101030).	..	2717	2717	..	1087	1087	
17	Grant for the maintenance and repairs of existing primary schools buildings in rural and urban areas. (60101031).	..	1000	1000	..	400	400	
18	Grant for appointment of additional teachers in senior basic schools of rural and urban areas to bring down the teacher pupil ratio (60101033).	..	8164	8164	..	3266	3266	
19	Grant for supply and upkeep of science equipment for the improvement of science teaching in senior basic schools. (60101034).	557	300	857	223	120	343	
20	Upgrading of Government senior basic schools to high school standard and opening of new Government high schools. (60102003).	3584	10446	14030	717	2089	2806	
21	Upgrading of Government high school to inter standard. (60102004).	2238	9085	11323	448	1817	2265	
22	Opening of additional sections and introduction of new subjects in Government higher secondary schools (60102005).	1100	1500	2600	220	300	520	
23	Strengthening of Government higher secondary schools. (60102007).	2000	750	2750	400	150	550	
24	Extension of rural functional literacy scheme with state resources. (60105001)	4136	500	4636	2068	250	2318	
Total		..	123821	61925	185746	52407	20593	73000

(21) Technical Education

An outlay of Rs. 209.6 lakhs has been proposed under this sector for 1982-83. Out of this, the benefit of Rs. 40.00 lakhs has been quantified for Scheduled Castes by way of ensuring reservation of 18 per cent of seats in Engineering Polytechnic Colleges under the control of Technical Education Department. The expenditure incurred on the education of Scheduled Castes is included in the Special Component Plan of the department.

(22) Medical and Health

Consistent efforts are being made under the various plans to look after the medical and Health needs of the Scheduled Caste population through the infrastructure established in the Rural and Urban areas of the State. The Medical and Health services are of such nature that they cannot be reserved for any particular community or group of persons. Care is, however, taken in the matter of location of Health Services in predominantly Scheduled Caste areas. There are in all 492 Blocks which have higher concentration of Scheduled Castes in the States. Efforts have been made to strengthen Health care infrastructure in these blocks. During the annual plan 1980-81, two allopathic, four Ayurvedic/Unani and four Homeopathic dispensaries in the blocks predominantly inhabited by Scheduled Caste population were established and two Allopathic, ten Ayurvedic/Unani and nineteen Homoeopathic dispensaries are likely to be established during 1981-82. Construction of eight Primary Health Centres has also been sanctioned under the plan during 1981-82. It is proposed that one new P. H. C., two Allopathic dispensaries, 5 Ayurvedic/Unani Dispensaries, 15 Homoeopathic dispensaries and 81 Subsidiary Health Centres would be established during the financial year 1982-83. Programme relating to Rural Malaria is also being run in these Blocks. Proposals for construction of buildings of 2 P.H. C.'s, 15 sub-Centres has been included in S. C. P. 1982-83. As per Government of India's instructions, the above Centres would be opened in the areas having majority of Scheduled Castes population.

Proposed outlay of 1982-83 under S. C. P. is Rs. 425.80 lakhs out of which Rs. 343.18 lakhs is in the State Sector while Rs. 85.00 lakhs (which, however, is not to be counted in (S. C. P.) under partially centrally sponsored scheme.

(23) Water Supply and Sanitation*L. S. G. Department:*

In the Sixth Five-Year Plan 1980—85 a sum of Rs. 65.00 crores has been earmarked for the Special Component Plan, with this outlay 18,500 Harijan Basties of 18,500 villages will be covered with piped water supply facilities and 28.75 lakhs Harijan population will be benefited and about 1,00,000 Dry Latrines will be converted in sanitary latrines in Urban areas of the State.

During the year 1980-81 a sum of Rs. 10.00 crores were spent under Special Component Plan with this expenditure 4.00 lakhs Harijan population of 1,546 villages and 25 Urban towns has been covered with water supply.

In the second financial year 1981-82 of Sixth Plan Rs. 12 crores has been proposed for Scheduled Castes under Special Component Plan. With this outlay about 4 lakhs Harijan population of 2,700 villages and 20 towns will be provided with piped water supply.

During the financial year 1982-83 Rs. 10.34 crores has been proposed for Scheduled Castes under Special Component Plan. With this outlay 3 lakhs Harijan population of 1,500 villages and 20 towns will be benefited with water supply.

Expenditure on water supply and sewerage is being proportionated as per population of the Scheduled Castes. and the total expenditure on low cost sanitation is booked to the Special Component Plan.

Physical and financial progress upto January 1982 is enclosed. Apart from above the following scheme would also be implemented, however, the outlay therein has not been included for Special Component Plan.

Low Cost Sanitary Latrine Programme:

1. The existing system of manual collection and transportation of the night-soil is not only inhuman and unaesthetic but is also a serious sanitation problem. It is necessary that the existing system of dry pit type latrines is replaced at the earliest with the sanitary type of water-flushed latrines and proper sewerage system introduced in cities.

2. During the year 1968, under the Gandhi Centenary Programme the State Government had started a scheme under which houses having dry-pit type latrines were to be provided with sanitary flush latrines to be connected with the sewers. Under this programme 75 per cent of the cost was given as loan and 25 per cent as grant to the Local Body which in turn gave it to the Beneficiaries. By the year 1972, 15,000 dry pit type latrines were converted into flush latrines under this programme in the State. The programme got further inputs in the year 1972 which was the 25th anniversary year of the Independence. In towns where sewerage system did not exist, P.R.A.I. type latrines with pit connection were proposed. Since then the Government have been stressing the importance of the programme and is providing funds every year for conversion of dry latrines into flush latrines. The amount spent so far during various plan year under this programme is as below :—

IV Plan	Rs. 28.00 lakhs
V Plan	Rs. 70.95 lakhs
Annual Plan (1978-79)	Rs. 10.00 lakhs
Annual Plan (1979-80)	Rs. 50.00 lakhs

3. Due to increase in the cost of labour and material the cost of converting dry latrines into flush latrines and connecting it with the pit now works out to Rs. 800 approximately. Some designs for cheaper water-pour-flush latrines have also been evolved. To assess the suitability of the design, 20 towns in different regions of this state as per list enclosed have been selected on the basis of their topographical, climatical and other relevant reasons of suitability.

4. (a) During the International Water Supply and Sanitation Decade, it is also proposed to cover eighty per cent of the urban population either with sewerage or other suitable low-cost sanitation arrangements. Twenty-five per cent of the rural population have also been proposed to be provided with low-cost sanitary toilets. It is proposed that all class I towns including those where construction of sewerage systems is already in progress be provided with underground sewerage system during the decade. The total number of such towns in the state is 78, with a population of 5.1 million (1971 census) of which only a fraction have been provided with sanitary toilets so far. It is assessed that to achieve the target of eighty per cent coverage of the population the number of latrines required to be converted would be 6.8 lakhs and the cost involved about Rs. 54 crores.

(b) Besides the aforesaid towns, underground sewerage system is not likely to be provided in 566 towns during the decade. The total population of these towns (1971 census) is 7.8 million. It is assessed that about five per cent of the population residing in these towns

have sanitary toilets. For the remaining population, 12 lakhs dry-pit latrines will need to be converted into water-pour-flush latrines. The cost of such conversion will be about Rs. 96 crores.

(c) The total rural population of the State is 96 million for providing Low Cost sanitary toilets to twenty-five per cent of the population, 30 lakhs latrines will have to be constructed taking a family to comprise of 5 persons. Cost of all such latrines will be Rs. 180 crores, @Rs. 600 per latrine.

(d) The overall cost, as indicated above, for achieving the Decade objective is thus Rs. 350 crores. It is anticipated that once the acceptability of the design is established the programme will pick up by itself and considerable investment, through individual beneficiaries, would be attracted. However, to help the economically weaker sections of the society, it is proposed that 40 lakhs latrines may be converted, under the State programme, wherein 25 per cent subsidy be given. This subsidy will be provided by the State so as to motivate the people for converting their dry pit type latrines and also to lessen the financial burden on the economically weaker section of the society.

5. The Sixth-Five Year Plan provides for Rs. 7.0 crores only for conversion of latrines, of which Rs. 5 crores is for towns where sewerage system exists and the balance Rs. 2 crores is for towns where sewerage system is not likely to be introduced in the near future but where piped water supply facility exists. A provision of Rs. 32.00 lakhs has been made for 1982-83 under this scheme. This provision is too meagre in comparison to the overall requirement of funds. External assistance against this programme will therefore be necessary if adequate fund cannot be allocated by increasing the plan provisions.

6. A detailed survey of 2 towns of this State was conducted by the Technology Advisory Group of U.N.D.P. Global Project under Low Cost Water Supply and Sanitation programme. To start with, the State Government has decided to take up two towns of Budaun and Bara Banki for making them Scavenging free. The total cost of the projects for these two towns comes to about Rs. 100.00 lakhs. The projects have been submitted to Government of India in the Ministry of Home Affairs for sanction of 50 per cent grant-in-aid.

7. Availability of cement and steel which at present are scarce, would need to be assured along with the funds. In case the material constraints is taken care of and adequate funds are given in time, it will be possible to achieve the targets within the stipulated period and this will be a great achievement which will improve the quality of life for so many.

List of Towns selected by the State Government for installation of Hand Flush Latrines

Serial no.	Name of Towns	District
1	2	3
1	Ballia	Ballia
2	Ghazipur	Ghazipur
3	Maunathbhanjan	Azamgarh
4	Bara Banki	Bara Banki
5	Balrampur	Gonda
6	Srinagar	Pauri-Garhwal
7	Pauri	Pauri-Garhwal
8	Almora	Almora
9	Narendra Nagar	Tehri-Garhwal
10	Deoband	Saharanpur
11	Baraut	Meerut
12	Sikandra Rao	Aligarh
13	Fatehabad	Agra
14	Kannauj	Farrukhabad
15	Kalpi	Jalaun
16	Mahoba	Hamirpur
17	Najibabad	Bijnor
18	Badaun	Badaun
19	Lakhimpurkheri	Lakhimpur Kheri
20	Khairabad	Sitapur.

Rural Development Department—Drinking water scheme of Rural Development Department aims at providing Drinking water facility to all localities of Harijans in the rural areas of the State. This scheme was introduced for the first time in the year 1971-72 and was included under minimum needs programme in the Fifth Five-Year Plan. Under this scheme drinking water wells and hand pumps are constructed in the rural areas of the plain districts and Diggis in the hill districts. This scheme is meant only for scheduled castes and the whole outlay under this scheme has been included under Special Component Plan.

In the Sixth Five-Year Plan, out of proposed outlay of Rs. 1650 lakhs, 16,016 wells, 10,000 hand-pumps and 2,500 Diggis are proposed for construction to provide Drinking water facility in the Rural Harijan Basties. The financial and physical achievements of 1980-81 are as under :

Year	Outlay for plains (Rs. in lakhs)	Wells constructed	Outlay for Hills (Rs. in lakhs)	Diggis constructed	Total outlay	Total expenditure (Rs. in lakhs)
1980-81	150.00	4864 140 Hp.	50.00	264	200.00	200.00

In the year 1981-82 against the outlay of Rs. 190.00 lakhs, a sum of Rs. 185.00 lakhs has been sanctioned by the Government from which 1,552 wells, 2,000 Hand-pumps and 500 Diggis have been proposed for construction and the targets will be achieved by the end of financial year. Under this scheme an over all target to construct 5,593 wells, 1,179 diggiss and 3,530 hand-pumps was fixed in 1981-82 out of the amount of 1981-82 and unutilised amount of previous years. Out of this target 2,595 wells, 349 diggiss and 250 hand-pumps had been constructed upto February, 1982.

For the year 1982-83 an outlay of Rs. 440.70 lakhs has been proposed for the construction of wells and Diggis and proposed target is 4,271 wells and 160 Diggis.

In the year 1977 a survey was made by Rural Development Department which revealed that 29,061 drinking water wells and 2,802 diggiss in the hills were required to make provisions of at least one water well/diggis for every Harijan abadi. Since 1971-72 to November, 1981, 40,590 wells, 3,748 hand-pumps and 1,673 diggiss have been constructed and thus the target fixed in 1971-72 has been achieved. Now a survey is again being carried out to find out whether there is need of any more well/diggiss in Harijan basti which are already covered. The department has been advised to cover all the Harijan bastis with drinking water source by the end of 1982-83.

(24) Housing and Urban Development

1. As per the policy of the Government 50 per cent of the houses constructed under Slum Clearance Scheme and 20 per cent under other housing scheme, viz. Weaker Section, Low Income Group and Middle Income Group Housing Schemes, are reserved for Scheduled Castes. Previously no separate budget allocations were made in this sector for Scheduled Castes. Since 1979-80 separate budget allocation are made under various housing scheme, at the above ratio and targets are fixed accordingly.

2. The State Government has provided a sum of Rs. 483.30 lakhs in 1981-82 out of which Rs. 139.32 lakhs have been spent upto February 28, 1982. So far the physical achievements are concerned the target for 1981-82 is 472 houses against which 289 houses have been completed upto February, 1982.

(25) Rural Housing

(Allotment of House Sites to the Rural Landless Workers—Revenue Department)

The State Government started a scheme in the year 1972 to provide house sites of 100—150 sq. yards to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, village artisans, landless workers and members of other weaker sections of the society residing in rural areas, who have no house of their own or have insufficient space for their residence. For this purpose usually Gaon Sabha land is allotted but where no such land is available, private land is acquired and distributed and the cost is borne by the Government.

2. According to the last report, upto July, 1982 (since inception of the scheme) out of 15,22,652 eligible families, 14,79,521 have been allotted house sites, including 12,00,969 members of Scheduled Castes, 5,695 of Scheduled Tribes and 2,72,857 of other sections. 14,73,913 allottees have been given possession of the house sites. Against the target of allotment of 8,000

house sites, 89,247 house sites were allotted in 1980-81 through a special drive. The target for 1981-82 was allotment of 90,000 house sites (tentatively revised to 1,00,000 house sites) against which 88,515 house sites had been allotted to Scheduled Castes. It is proposed to allot 10,000 house sites during annual plan 1982-83. The target of allotment of 50,000 house sites was proposed for the entire Sixth Plan 1980—85 which has already been achieved. Revision of the target is however under consideration.

3. A fresh survey is being conducted throughout the State to prepare up-to-date list of persons eligible for allotment of house sites and a time bound programme is in progress for survey and allotment with the result that the achievement has exceeded the target. It is also being ensured that eligible families are properly allotted house sites and possession is given.

4. The scheme has been included in District Sector in 1982-83 and an amount of Rs. 2.07 lakhs has been provided, out of which Rs. 1.00 lakh has been earmarked for Hills. An amount of Rs. 1.60 lakhs (*i.e.* 80 per cent) has been quantified for Scheduled Castes.

Development of House sites

The programme of development of house sites was also included in the Fifth Plan. The work of development was previously done by the Rural Engineering Service under the supervision of Rural Development Department and later on the work was entrusted to the Harijan Evam Nirval Varg Avas Nigam. An amount of Rs. 110.05 lakhs placed at their disposal during the period 1975—78 has to be spent during the Sixth Plan during which period 20,000 house sites are proposed to be developed. A target of development of 5,000 house sites has been proposed for 1981-82 and the same target of development of 5,000 house sites is for 1982-83 also.

(26) Rural Housing—Construction of Houses

Rural Development Department:

Under the housing scheme for the rural poor it is proposed to construct 56,000 houses during the Sixth Plan period (1980—85), with an approved outlay of Rs. 12.00 crores. Under the scheme persons who permanently live in rural areas and are members of scheduled castes/scheduled tribes and other backward classes, agricultural labour, marginal agriculturist of other castes, who are landless or have irrigated land not exceeding 0.40 hectare or 1.0 hectare unirrigated land and any member of their family have no other source of income, are benefited. 75 per cent of the total cost of the house or Rs. 2,000 in plains and Rs. 3,000 in hills whichever is less, is being given in the form of building material to the beneficiary. A sum of Rs. 150 per house is also given for the development of the site.

During 1982-83 it is proposed to construct 18,000 rural houses with an expenditure of Rs. 366.40 lakhs. The programme does not require mobilization of institutional finance. The scheme attaches high priority to the members of Scheduled Castes such 80 per cent of the approved outlay has been quantified for that community. Out of Rs. 1,200 lakhs total outlay for the Sixth Plan Rs. 1,200 lakhs have been earmarked under Special Component Plan. Similarly, Rs. 293.00 lakhs out of Rs. 366.40 lakhs have been quantified in the annual plan of 1982-83 for the construction of 13,500 houses for Scheduled Castes.

The implementation of this scheme was started in right earnest in the last quarter of 1979-80 in which 802 houses were constructed for Scheduled Castes. During 1980-81, 17,140 houses and during 1981-82, 17,475 houses as against the target of 13,000 houses have been constructed for Scheduled Castes out of the 20,848 houses constructed under this scheme. Since the inception of the scheme 35,150 houses have been constructed for Scheduled Castes upto July, 1982.

(27) Labour Welfare

(Rehabilitation of Bonded Labourers)

The outlay for the Sixth Five-Year Plan of the Labour Commissioner's Organisation has been fixed by the State Planning Commission at Rs. 180.00 lakhs out of which Rs. 60.00 lakhs have been earmarked for the scheme of plain areas and Rs. 120.00 lakhs for the schemes of hill areas. Major portion of the outlay is to be utilised for the rehabilitation of bonded labourers and an amount of Rs. 115.80 lakhs (Rs. 5.80 lakhs for plain areas and Rs. 110.00 lakhs for hill areas) has been set apart for that purpose. The scheme for rehabilitating the bonded labourers is centrally sponsored and matching grant is expected from the Government of India but during the plan period a sum of Rs. 10.00 lakhs has been received in the year 1980-81 and though schemes for rehabilitation of 3,558 bonded labour for which Central assistance of Rs. 71.17 lakhs was required, have been approved by the Government of India for 1981-82, only Rs. 34.34 lakhs have been released in 1981-82 as Central share for this scheme in the hill areas.

There is no scheme in the Labour Department making exclusive provision for assistance to the members of the scheduled castes, benefits flowing from the various schemes of the department cover the working class as a whole through which they reach the scheduled castes as well.

However in the scheme for the rehabilitation of bonded labourers major beneficiaries belong to scheduled castes and on the basis of actual identification quantification has been made.

In the years 1978-79, 1979-80 and 1980-81 the break up of the over all plan in Tribal sub-plan and Special Component Plan was based on arbitrary assumption that all bonded labourers of Dehradun were tribal and all bonded labourers of Uttar Kashi and Tehri-Garhwal were scheduled castes. This year the plans have been revised in accordance with the instructions contained in Sri P.S. Krishnan, Joint Secretary (S.C.B.C.D.)'s D.O. No. BC-11014/51/81-SCBCD-III, dated January, 1982 addressed to the Secretary, Social and Harijan Welfare Department, Government of Uttar Pradesh on the basis of actual identifications of bonded labourers, with the result that the size of the tribal sub-plan has been substantially reduced and that of the Special Component has gone up accordingly.

Hill Areas—Under the Sixth Five Year Plan an outlay of Rs. 77.82 lakhs has been quantified for rehabilitation programme of the members of the scheduled castes. During the year 1981-82, 1373 bonded labourers of Dehradun, Uttar Kashi and Tehri-Garhwal districts belonging to scheduled castes are to be rehabilitated at an expense of Rs. 27.46 lakhs from State Funds against over all State's share of Rs. 34.34 lakhs and an amount of Rs. 29.60 lakhs has been quantified for the year 1982-83 out of a total provision of Rs. 37.00 lakhs by the State Government for the rehabilitation of bonded labourers and 1480 bonded labourers belong to scheduled castes are proposed to be rehabilitated. It may, however, be noted that since the State Government had in previous years sanctioned grants much in excess of their share, a substantial part of which was not utilised and is being carried over for 1982-83, the actual achievements and its special component are likely to be far in excess of the figure given above. This excess has not been quantified earlier.

Plain Areas—Out of total outlay of Rs. 13.00 lakhs for 1981-82 for Plain Areas an amount of Rs. 2.33 lakhs has been quantified for the rehabilitation of bonded labourers. Out of this an amount of Rs. 1.50 lakhs will be utilised for the rehabilitation of bonded labourers and Rs. 0.83 lakhs will be spent on administrative expenses. Since all the bonded labourers identified in the plain areas belong to scheduled castes the entire amount has been quantified under special component plan.

In 1982-83 against an outlay of Rs. 20.22 lakhs, an amount of Rs. 2.92 lakhs has been quantified under special component plan, out of which Rs. 1.82 lakhs will be utilised for the rehabilitation of 91 bonded labourers and Rs. 1.10 lakhs is administrative expenditure.

(28) Training and Employment

Craftman Training—For the year 1982-83, State Plan outlay of Rs. 102.94 lakhs has been provided for Craftsmen Training out of which Rs. 24.19 lakhs has been quantified under Special Component Plan.

Under Craftsmen Training, there is no scheme specifically for the benefit of Scheduled Castes, but 20 per cent of the sanctioned seats in different Industrial Training Institute are reserved for Scheduled Castes and, therefore, as agreed upon 20 per cent of the total expenditure is quantified under Special Component Plan considering the share of Scheduled Castes 20 per cent in each and every scheme of craftsmen training. The department would ensure that seats reserved for Scheduled Castes are fulfilled.

Coaching-cum-Guidance Centres—There are 6 Coaching-cum-Guidance Centres in U. P. at present. First centre was opened in Dehra Dun in the year 1976-77, Agra and Varanasi Centres were opened in 1978-79 and Jhansi and Azamgarh centres were opened in 1980-81. During the year 1981-82 a Centre has been sanctioned for the Gorakhpur District in the last week of March, 1982. The admission of trainees is likely to be completed in near future.

2. In the above Centres the trainees are imparted coaching and training in Hindi typing, Hindi Stenography, General Hindi, General English, General Knowledge, Secretarial Practice and technique of interview so that their employability increases and they are able to complete in examination conducted for group-3 vacancies. They are given vocational guidance also about world of work. There is also facility that an ex-trainee can keep his speed upto date even after passing the test from the Centre.

3. Thus the reservation quota can be filled easily. They can also earn their livelihood by purchasing a typewriter after obtaining loan from Bank and start typing work at market place or open a private commercial college in any town where such facilities are meagre.

4. There are two sessions of six months duration in a year. First session starts from 1st January upto 30th June and 2nd from 1st July to 31st December.

5. *Staff*—There is one Assistant Employment Officer (Training), three instructors (on each for language, stenography and Secretarial practice). One L.D.C. and one peon for each Centre.

	Name of Coaching Centre				
	Dehra Dun	Agra	Varanasi	Azamgarh	Jhansi
1. Number of trainees admitted—					
1. January to June, 1981 ..	38	60	30	30	30
2. July to December, 1981 ..	34	60	30	30	30
2. Number of trainees trained—					
1. January to June, 1981 ..	24	49	25	20	25
2. July to December, 1981 ..	27	40	23	20	30
3. Number of ex-trainees employed ..	24	55	49	5	12
4. Number of ex-trainees submitted by Employment Exchanges.	171	281	270	96	130
5. Contract with Employers ..	101	31	83	37	31

Under this scheme, an amount of Rs.9.00 lakhs has been quantified out of an allocation Rs. 18.71 lakhs for 1982-83.

Particulars of the work performed by the Special Employment Exchange for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Duddhi in Mirzapur District

A special Employment Exchange was set-up on September 1, 1979 to provide Employment assistance to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates in Duddhi in Mirzapur District. Due to non-availability of a suitable house in Duddhi, this office has started working in Robertsganj. Now the house has been available in Duddhi and this special Employment Exchange is functioning in Duddhi itself.

The scheduled caste and scheduled tribe candidates belonging to Duddhi Tehsil of Mirzapur District are registered with this Exchange. The records of registration are being maintained and submissions are made on the proforma as prescribed in the National Employment Service Manual.

The details of registration and placement made by this exchanges are appended below :

	Registra- tion	Place- ment
From January 1981 to December, 1981	544	101

N. B.—The Special Employment Exchange Duddhi apart from its routine work prepared 200 Employment Index cards of general candidates of Duddhi area other than S.C., Scheduled Tribe and sent them to Town Employment Exchange, Robertsganj, Mirzapur for registration. Thus these candidates had not to go to Robertsganj for registration.

(29) Harijan Welfare

The various schemes undertaken by the department broadly fall into the following three groups—

- (1) Education ;
- (2) Economic Development and ;
- (3) Health, Housing and other schemes.

(1) *Education*—This scheme includes scholarship in pre-matric classes, reimbursement of fees, hostel facilities, ashram Type Schools, prize award to Ist Divisioners in high school and onward final examination, non-recurring assistance for purchase of book and appliances, expansion of departmentally aided schools, libraries and hostels, book bank and coaching and allied services. In order to promote the educational level, to check the dropouts and to avoid the wastage

in repetition, Coaching to the students in classes X and XII has been proposed. It has been felt that the low literacy rate specially among the girls is due to the economic backwardness where by they are compelled to engage their children in employment from a very early age. Therefore, as an impetus to affected families opportunity cost @ Rs. 15 per month has been suggested.

(2) *Economic Development*—This programme includes subsidy for trained graduates, share capital to U. P. Schedule Castes Finance and Development Corporation, grant for Agricultural Development, grant for development of cottage industries, interest subsidy on Bank Loan for construction of shops and purchase of agricultural land. The major programme of economic development have been entrusted to U. P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation.

Role of U. P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd.—In order to achieve the national objective announced by the Hon'ble Prime Minister to pull up at least 50 per cent of scheduled caste families out of poverty line by the end of Sixth Plan, a new scheme with the name and style of margin money loan and subsidy scheme was started on October 2, 1980, as a part of the Special Component Plan for Harijan Kalyan. This scheme of Margin Money Loan has also been linked with the important programmes like I.R.D., D.P.A.P. etc. to encourage financial institutions for lending to Scheduled Castes. For successful implementation of this scheme a district office of the Corporation headed by a Government officer designated as Additional District Development Officer (Harijan Kalyan) who is *ex officio* District Manager of the Corporation has been set-up in each district. Necessary staff of the Corporation under the District Manager has also been posted. This officer has been delegated powers to sanction and disburse margin money loan and grant in schemes/projects.

Under the present scheme the Corporation provides margin money loan subject to the maximum limit of Rs. 5,000 or 25 per cent of the cost, whichever is less from its share capital and subsidy is given to the beneficiary to the extent of Rs. 3,000 or 25 per cent/33-1/3 per cent whichever is less. At least 50 per cent of the cost of every project is to be provided by the financing institution or bank as loan. The margin money loan at 4 per cent rate of interest and subsidy are made available only to scheduled castes families living below poverty line.

The non-recurring cost and total cost of the such schemes should not exceed Rs. 12,000 and Rs. 20,000 respectively.

Under the margin money loan and grant scheme of the Corporation the target for bringing up 2 lakhs scheduled caste families above the poverty line has been fixed by the end of the Sixth Five-Year Plan. During the year 1980-81, 30,011 families were benefited with an amount of Rs. 2.73 crores in the form of margin money loan and grants which included Rs. 1.53 crores as margin money loan and Rs. 1.20 crores as subsidy. During the year 1981-82 the target for directly benefiting 36,576 scheduled caste persons with an amount of Rs. 7.32 crores by way of margin money loan and grant directly besides Rs. 4.00 crores as margin money loan and 45,000 IRD beneficiaries has been fixed. Against this in the current financial year (up to January 1982) 39,683 Scheduled Caste persons have been benefited with margin money loan of Rs. 258.66 lakhs and subsidy of Rs. 254.84 lakhs.

During 1982-83 the target for providing both margin money loan and grant assistance to 40,000 families and only margin money loan assistance to 45,000 IRD beneficiaries has been fixed as under :

(Rupees in crores)

Serial no.		Number	M.M. loan	Grant	Total
1	Corporation's direct beneficiaries	.. 40,000	4.35	4.15	8.50
2	IRD beneficiaries	.. 45,000	4.00	..	4.00
	Total	.. 85,000	8.35	4.15	12.50

Thus the total assistance in the form of margin money loans and grants will amount to Rs. 12.50 crores during the year 1982-83.

(3) *Health-Housing and other schemes*—These schemes aim at providing better residential accommodation, free legal assistance, all round developments of Kols and Mushars, P.M.T. Coaching, pre-examination Training Centres for admission in Engineering Classes and Judiciary

Services and Monitoring, Research, Survey and Evaluation Cell. The Major Programme under this head is to provide facility to Scheduled Castes people for construction of houses. Harijan Evam Nirbal Varg Awas Nigam has been entrusted with this programme.

An outlay of Rs. 1040.00 lakhs has been quantified for Scheduled Castes out of an outlay of Rs. 1240.15 lakhs proposed for this sector for 1982-83. The details of schemes and amount quantified therein are as follow :

Serial no.	Name of the Schemes	Outlay 1982-83
1	2	3
<i>I—Education</i>		
1	Establishment of Ashram Type School at Tripak, district Chamoli	8.25
2	Establishment of Hostel for Boys	158.90
3	(1) Grant of Scholarship and NRA to the students studying Science, Agriculture and other Technical Subject.	252.26
	(2) Increase in rates of Scholarships	7.00
4	Grant of Scholarship in Class IV and V students who obtained highest marks in their classes.	94.90
5	Grant of NRA to the students reading in Pre-matric Classes for purchase of books and other appliances.	25.10
6	Re-imbursment of fee to non-Government Educational Institutions but recognised.	38.42
7	N.R.A. to the students who are studying in Medical, Engineering and other Technical subjects for purchase of books and other appliances in Post-matric Classes.	12.00
8	Expansion and improvement of Hostels, Libraries and Schools aided by the Department.	21.64
9	Stipend to Meritorious students	3.50
10	Special Award of Prizes to the students who secured First Division Post-matric Classes.	2.06
11	Special Award of Prizes to the students who secured First Division in High School Final Examination.	6.84
12	Hostel for Girls—50 per cent	3.00
13	Establishment of Book Bank—50 per cent	3.00
14	Coaching and Allied Services—	
	(1) Allahabad Pre-Examination Training Centre	1.25
	(2) Lucknow Pre-Examination Training Centre	
15	Grant of Scholarship to the students in Pre-matric Classes whose parents are engaged in unclean profession.	2.50
16	(1) Establishment of Ashram Type Schools for deprived group among scheduled castes such as sweepers, Mushars, Kols, Sahariayas, Bonded Labourers and Landless Labourers	3.77
	(2) Construction of Ashram Type School Building	26.30
17	Increase in maintenance charges of the students of A.T.S.	7.91
18	Opportunity cost to scheduled caste families	5.75
19	Coaching to the students studying in classes X and XII	19.78
	Sub-Total	704.13
<i>II—Economic Development</i>		
20	Subsidy for Graduates trained in Medicine Law and Engineering etc. for establishment of their profession.	3.00
21	Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd. (Share Capital)	1.00
22	Agriculture and Horticulture	19.90

1	2	3
23	Small Scale Cottage Industries	30.00
24	Expansion and improvement in existing Technical Training Centres and Poly-technic run by the department and common facility centres.	1.14
25	Discretionary grant for treatment and Marriage	2.50
26	Pre-examination Training Centres—	
	(1) For admission in Engineering Classes	1.25
	(2) For Judiciary Services	3.00
27	Subsidy for purchase of Agriculture Land to Landless labourers	12.89
28	Construction of shops	35.45
	Sub-Total	110.13
<i>III—Health Housing and other schemes</i>		
29	Subsidy for construction of Houses	82.10
30	Expansion/repairs of houses	9.85
31	T. A. for attending interviewes	0.20
32	Strengthening of Administrative Set-up	37.59
33	Development of Kols	10.85
34	P.M.T. Coaching	1.50
35	I.T.D.P. (7 Blocks), Mirzapur	4.20
36	Scheme under Civil Right Protection Act— Establishment of Monitoring, Research, Survey and Evaluation Cell	3.07
37	Free Legal Aid	..
38	Development of House-sites	..
39	Publicity-cum-Teaching Programme	..
40	Atrocities	..
	Sub-Total	149.36
	Total	963.62
<i>IV—Welfare of Denotified Tribes who are included in the list of Scheduled Castes—</i>		
<i>(I) Education</i>		
1	Grant of stipend and NRA to the students of classes IX and X studying Agriculture, Science and Technical Subjects.	3.63
2	Establishment of Ashram Type Schools for Saheriyas	6.67
3	Establishment of Hostels through Voluntary Agencies	2.00
4	Establishment/Construction of Hostels through the department	1.00
5	Increase in maintenance charges of the students of A.T.S.	16.50
	Sub-Total	29.80
<i>(II) Economic Development</i>		
6	Subsidy for development of Agriculture/Horticulture	2.56
7	Subsidy for Development of Small Scale Cottage Industries	5.76
8	Rehabilitation of Denotified Tribes	6.00
9	Economic Development of Denotified Tribes who are included in the list of Scheduled Castes.	6.00
10	Economic Development of Non-Scheduled Tribes	7.00
11	Allround Development of Mushars	11.26
	Sub-Total	38.58
<i>(III) Health, Housing and Other Schemes</i>		
12	Subsidy for construction of houses	6.00
13	Subsidy for expansion/repair of houses	2.00
	Sub-Total	8.00
	Total	76.38
	GRAND TOTAL	1040.00

(30) Social Welfare

The schemes under the Social Welfare Sector aim at increasing self-reliance among the socially and economically weaker section of the society. The weaker section comprise of a sizeable number of Scheduled Caste. The benefits also accrue to them in almost all schemes of social welfare.

The schemes of Shishu Sadan for orphans and foundlings, Model Children Home for destitute boys and girls, Ashram Type Schools for destitute girls and grant in aid to poor destitute women/widows cover a large number of beneficiaries of Scheduled Castes, creches in Sweeper Colonies and urban slums cater to the Scheduled Caste children cent per cent. The Integrated Child Development Service have been taken up only in such blocks where the population of the Scheduled Castes is in good proportion. It is through this scheme that a package of services is being delivered to the children and women. These services include medical check-up and immunisation of children and women. Besides supplementary nutrition is being provided for 300 days in a year.

The scheme-wise quantification of benefits is given in the table below :

Serial no.	Name of Schemes	Outlay for 1982-83	Quantified outlay for Scheduled Castes
1	2	3	4
1	Direction and Administration (exclusively for Scheduled Castes)	3.00	0.90
2	Creches for younger children (0 to 6 years) in Sweeper's Colonies	5.50	1.60
3	Integrated Child Development Services	44.00	13.20
4	Opening of 50 Shishu Shala (0 to 6 years) in rural areas	1.00	0.30
5	Opening of 25 creches in Urban Slums and Rural Areas	1.00	0.30
6	International Year for Children	4.00	1.20
7	Rationalization of enhanced cost of maintenance of inmates	15.00	4.50
Total		..	22.00

(31) Nutrition

The nutrition programme is being run by three departments, *i. e.* Social Welfare, Education and Rural Development. This programme is to help the economically weaker families to produce and consume balanced food, particularly for children, expectant and lactating mothers. Out of the total outlays in this sector 50 per cent will be for benefit of Scheduled Castes. This will give a good support to building up the human resource material for their balanced development. Quantification of outlays of the above departments are shown below :—

(Rupees in lakhs)

Department	Total Outlay (1982-83)	Quantified Outlay
(a) Education Department	35.00	17.50
(b) Rural Development—		
(1) M.N.P.	27.00	13.50
(2) Non-M.N.P.	23.00	11.50
(c) Social Welfare Department	39.44	20.00
Total	124.44	62.50

(32) National Rural Employment Programme

The National Rural Employment Programme is basically a programme geared to employment generation in rural areas, with the aim of creating durable assets. In order to give boost to rural economy in addition to Social Forestry and Afforestation Programme on a massive scale, priorities under N.R.E.P. for 1982-83 are proposed to be on creation of drinking water facilities in rural areas, construction of tanks, deepening of ponds for expanding fisheries programmes, preparation of land sites construction of feeder and other irrigation channels, improvement of village sanitation and drainage systems, community, bio-gas plants, completion of rural link roads, etc.

On the basis of Scheduled Castes population in the State and the extent of their backwardness and the priorities laid down in this programme, the Scheduled Castes population would largely be benefitted under this programme. The construction work is proposed to be taken up in Harijan bastis localities areas where the percentage of Scheduled Castes is more than 51. For the utilisation of quantified outlays the emphasis would be given to maximise benefits by way of employment generation and creation of capital assets for Scheduled Castes. A. P. C. has issued detailed instructions in this regard.

The concerned department have been advised to work out a clear cut methodology for the utilisation of the earmarked quantification and issue necessary instructions to their field officers and to make them available physical targets.

This is a Centrally Sponsored Programme and the amount quantified is 30.7 per cent of the total funds available (including central share) for 1982-83. Thus out of the proposed outlay of Rs. 3900.00 lakhs for 1982-83 in State Sector an amount of Rs. 2339.00 lakhs has been earmarked for the benefit of Scheduled Castes under this programme. The department-wise allocation of S.C.P. outlays is as follow :

(Rupees in lakhs)							
Serial no.	Name of Department					Total Outlay	Quantified Outlay
1	Horticulture	20.00	12.00
2	Cane	100.00	60.00
3	Marketing (including link roads)			54.15	32.00
4	State Minor Irrigation		300.00	180.00
5	Soil Conservation (Agriculture Department)		150.00	90.00
6	Forest		400.00	240.00
7	Irrigation		1500.00	900.00
8	Flood Control		300.00	180.00
9	Roads and Bridges		500.00	300.00
10	Education Department		100.00	60.00
11	Unallotted funds		475.85	285.00
Total ..						3900.00	2339.00

(33) Grant to Zila Parishad

Under this scheme an amount of Rs. 5.00 lakhs out of Rs. 16.00 lakhs has been quantified for the benefit of the Scheduled Castes for 1982-83. The quantified amount would be allotted to the Zila Parishads of hill area for the construction of mule roads and culverts where Scheduled Caste population is high.

CHAPTER IV
DETAILS OF SCHEMES FOR WHICH SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE IS
PROPOSED TO BE USED DURING 1982-83

Government of India agreed to provide Special Central assistance as an additive to the State Government efforts for preparation and implementation of the Special Component Plan. Government of India have laid down certain basis about the release of the Special Central Assistance to the States. As per instructions issued by Government of India, various development departments of this State have prepared schemes of economic development of Scheduled Castes in their sectors. The main thrust of the Programmes is to adopt existing economic development schemes for the benefit of the Scheduled Castes beneficiaries. Out of the identified families the Scheduled Caste families will be picked up on priority basis for the schemes. It is expected that Rs. 27 crores or more would be made available to the State Government as Special Central Assistance in 1982-83. Accordingly, in order to avoid delay in release funds to various schemes budget provision of Rs. 25 crores has been made for 1982-83. Following scheme have been proposed for 1982-83 for which S.C.A. would be utilized.

1. *Schemes for Integrated Development of Scheduled Castes in the Selected Blocks*—There are 492 blocks in this State, which have more than 20 per cent Scheduled Caste population. There are 38 blocks in 12 districts which have more than 40 per cent S.C. population.

It was felt that a proper strategy for ensuring that the benefits intended for the target groups should reach the largest possible members should be devised. In 1980-81 the State Government launched a programme of Integrated Development projects in selected blocks in which percentage of S.C. population is high. In 1980-81 82 blocks had been selected under the scheme and the blocks having more than 40 per cent of S.C. population and the blocks having the highest percentage of S.C. population in the districts were also been included. In 1981-82, 106 such blocks have also been covered under this scheme. It is proposed to cover 400 such blocks by the end of sixth Five Year Plan and 106 blocks in 1982-83 and 106 blocks in 1984-85 would be Covered.

These projects have many particular emphasis on formulation of viable economic development projects according to the needs and absorbing capacity of Scheduled Caste families and provision of technical, organisational and marketing support. At the same time provision for concurrent planning and implementation, accurate monitoring and evaluation has been made.

In order to give a good thrust to the programme of enabling 50 per cent of S.C. families to cross the poverty line in the Sixth Plan period, a complete survey in the selected blocks has been undertaken to identify all the S.C. families living below the poverty line, and to formulate economic development schemes for each such family to enable to cross poverty line. Each family would be issued a Development Pass book which would contain all the details of the present status of the family and the schemes which are proposed to be given to them. The Pass book would also contain the schemes/assistance given and space for note of the progress and evaluation of the scheme.

The departments concerned with the Special Component Plan have been advised to utilise their maximum quantified outlays in these selected blocks so that an integrated development of Scheduled Caste families/localities may be made. In addition to this Rs.5/7 lakhs per block per year is being given out of S.C.A. Funds for the implementation of economic development programmes. The detailed guidelines for the utilisation of funds have been given to district administration and the District Committee under the Chairmanship of the District Magistrate has been authorised to formulate viable schemes and to sanction funds. Emphasis has been given to take up such schemes as would benefit a large number of S.C. families like community minor irrigation programmes, production-cum-marketing centres, for the village artisans and petty commercial entrepreneurs. New schemes can be formulated by the District Committee on the basis of local needs and situation.

An amount of Rs. 11.55 crores has been earmarked for the implementation of this scheme.

2. *Local Level Planning (Antyodaya)*—This scheme has been drawn upon similar lines as the scheme relating to Antyodaya which was being implemented by the Rural Development Department and additive funds have been provided to cover Scheduled Caste families on priority basis. So far 5,15,427 families of weaker sections have been identified out of which 2,26,644 belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. More than 1/3 of the identified families have already been covered under the normal scheme. The objective is to cover the balance of Scheduled Caste families on priority basis. For this assistance at the rate of 5 crores in each year of the Sixth Plan has been provided. In the year 1982-83 also a sum of Rs. 5 crores is being provided for this scheme. up to July, 1982 24,442 families have already been benefited under this scheme.

3. *Agriculture Production*—Under this scheme subsidy would be made available to small and marginal Scheduled Caste farmers for agriculture inputs, improved seeds, fertilizers and agriculture implements. The rate of subsidy would be 25 per cent for small farmers and 33 1/3 per cent for marginal farmers and the remaining amount from banks and other financial institutions. An amount of Rs.100 lakhs has been earmarked under this scheme in 1982-83.

4. *Horticulture*—Additionality of Special Central Assistance to horticulture envisaged establishment of nurseries and fanning horticultural programmes in the areas where scheduled caste population is high. The objective of this scheme is to increase production of fruit vegetables, potato etc. by small scheduled caste farmers. Funds under Special Central Assistance would be utilised for providing subsidies in purchasing raw material and for establishment of necessary field staff. A sum of Rs. 40.00 lakhs have been estimated to meet the recurring expenditure on the programmes of 1981-82 and on the extension of programmes during 1982-83.

5. *Co-operation*—Under this scheme interest free loans from Rs. 40 to Rs. 100 would be made available to Scheduled Caste persons to purchase shares of Co-operative Societies for obtaining medium term loan from them. Funds would be placed at the disposal of U. P. Co-operative Bank Ltd., and U. P. Land Development Bank which will operate the amounts as revolving fund. A sum of Rs. 25 lakhs has been earmarked for this scheme in 1982-83.

6. *Handloom and Textile*—Under Handloom sector about 1,50,000 Scheduled Caste weavers are engaged in weaving and other supporting activities. Concentration areas are Bundelkhand, Eastern and Western regions of the State. Generally Scheduled Caste Weavers work on the looms owned by master weavers/middlemen, as they do not have their own looms and other production facilities. They are exploited by the master weavers and do not get share of their efforts with a view to provide gainful employment opportunities to them and also to launch a special integrated programme for promotion of handloom weaving in clusters of Scheduled Caste weavers. The programme has two parts and relates to organisation of production and the other relates to supply of inputs and marketing of finished products. In the first part industrial type weavers co-operative societies will be provided facilities such as land and buildings. Looms, dye house, loans for purchase of shares etc. In each centre a work shed will be constructed to instal 25 looms and other equipments. Besides facilities for winding warping, dyeing etc. will also be created in the centre. The annual productions of handloom cloth will be about 75,000 metres. The project will provide employment to about 150 Scheduled Caste persons per society. The production in the society will be organised in accordance with the demand of Apex-Organisation, U.P. Industrial Co-operative Association Ltd. which will also indicate details of items and other particulars. In the second part keeping in view that the proposed industrial type society run on sound commercial line, institutional arrangements are proposed to be made for facilities of raw material and marketing of the products by U.P.I.C.A. The apex organisation will adopt the Industrial type co-operative society of and extend all the production of marketing facilities through their mini-service-cum-marketing centres and for subsidy for the management of societies and for purchasing of looms at the rate of 33 1/2 per cent of the cost of looms. A provision of Rs.50.00 lakhs has been made for this scheme in 1982-83.

7. *Animal Husbandry*—Some of the new livestock development programmes were initiated with Central Assistance in 1980-81. The programmes would be continued and extended in 1982-83 with total outlay of Rs.110.00 lakhs as per details given in the Table below :

(Rupees in lakhs)

Schemes	Physical Target (units)	Outlay 1982-83
1	2	3
1 Mini-Dairy	950	47.39
2 Extension of Training Facilities and strengthening of Training Centres, Bakshi-Ka-Talab	..	10.10
3 Assistance to Flayers Cooperative Societies	10	1.00
4 Poultry Development	1772	4.22
5 Pig Development	1360	24.48
5 Goat Development	1485	11.66
Strengthening of Administrative Set-up	5.00
Strengthening of Carcass Utilisation Centre, Jhansi	6.15
Total	110.00

8. *Strengthening of organisation for implementing and monitoring the progress of special component Plan*—Since the physical and financial targets for all round development of Scheduled Castes have been enlarged manifold, necessity of strengthening of district level staff has been experienced in 1980-81 and successive years of the Sixth Plan. Hence, Government, have decided to appoint Additional District Development Officer (Harijan Welfare) in each district of the State who would also be *ex officio* District Manager of the Scheduled Castes Finance and Development Corporation. These officers who are members of the development team of the districts are being assisted by necessary staff of U. P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation. Since the Corporation has no source of income at present Government have decided to provide grant to meet the expenditure on the newly created staff. Apart from this two officers in Harijan and Social Welfare Department and one officer in Planning Department assisted by some staff have been appointed to look after the work regarding implementation and monitoring of Special Component Plan. A provision of Rs. 20.00 lakhs has been made for the expenditure of above staff.

9. *Supplement of the programmes of U.P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation*—The Corporation provides subsidies ranging from 25 per cent to 33-1/3 per cent to Scheduled Castes. The Corporation also provides margin money loans out of its share capital. Share capital of the Corporation in the last two years has been increased more than ten times since 1978-79 and this will be utilised to cover the margin money loan requirement of the ambitious programme of economic development of the Scheduled Castes. This would require a matching provision of subsidy for the scheme. Therefore, Rs. 420.00 lakhs have been earmarked for placing at the disposal of the Corporation in 1982-83 for the distribution of subsidies.

10. *Establishment of Adult Education Centres*—An amount of Rs. 5.00 lakhs is estimated to meet recurring expenditures on the 300 adult education centres established in Malihabad and Kakori blocks of Lucknow District. These centres are being run from 1980-81. These centres are primarily designed to give an economic development and viability orientation to the Scheduled Caste families who are given an economic development scheme.

11. *Schemes to be run by U.P. Leather Development Corporation*—The U. P. Leather Development Corporation has formulated following two schemes for 1981-82:

1. Provision of machines on hire purchase system.
2. Shoe Last Bank

The details of Schemes are as follows:

1. *Provision of machines on hire-purchase system*—In Uttar Pradesh about 90 per cent leather workers comprised of Scheduled Castes. The workers engaged in leather works adopt techniques of production from their heritages, which is too old to compete the production of modern techniques. Thus such production seeks a low price. It is therefore inevitable that the production techniques of leather works may be modernised.

The Corporation will establish centres for providing modern tools and machines in those areas where Scheduled Castes leather workers are highly concentrated. The centres will study the demand of the concerned area and will provide necessary equipment for Scheduled Caste workers. The cost of equipments per unit is estimated at Rs. 15,000. The Corporation is to establish one Centre at Agra in the first phase in 1981-82 which would cater to the needs of 100 units and would benefit 700 S.C. workers. In the next phases, the centres will be established in Kanpur, Faizabad, Shaharanpur, Moradabad and Bareilly, respectively.

2. *Shoe Last Bank*—The Scheduled Caste Leather workers are generally financially poor and they are unable to arrange the necessary equipments for the production of shoes. The wooden shoe frames are necessary for an accurate fitting and for standardised production of shoes. The shoe frames always change with the fashion also but due to scarce shoe frames, the leather workers do not get the appropriate price of the shoes.

The Corporation proposes a scheme for establishing shoe Last Bank in those important towns, where Scheduled Caste leather workers are highly concentrated. The shoe frames would be distributed to the units without charging any fee. The frames would be taken back on the completion of a particular shoe purchase order. The Corporation would establish such Shoe Last Bank at Agra, Kanpur, Faizabad, Jagdishpur (Sultanpur) and Shaharanpur in the first phase.

An amount of Rs. 25.00 lakhs has been earmarked for the above scheme.

Other Schemes

Apart from above, following schemes are under consideration of the Government for which an amount of about Rs. 500 lakhs has been proposed :

Serial no.	Name of Scheme	Agency/Department
1	Integrated schemes for economic development of S.C. families engaged in carcass utilisation / flaying tanning and shoe making.	U. P. Leather Development and Marketing Corporation/Export promotion Department.
2	Rehabilitation of Scheduled Castes bonded labourers.	Scheduled Tribes projects Authority, Dehradun/Labour Department.
3	Economic development of S.C. Carpet weavers.	Directorate of Industries/Industries Department.
4	Schemes of economic development of S.C. families engaged in leather works.	Directorate of Industries / Industries Department.

The Corporation has also been asked to formulate integrated development schemes for rural/urban S.C. families engaged in Leather industry for which a provision of Rs.50 lakhs has been made.

Sum up of the Schemes for which Special Central assistance is proposed to be used during 1982-83
(Rupees in lakhs)

Serial no.	Name of Scheme	Provision
1	Schemes for integrated development of scheduled Castes in selected blocks	1055.00
2	Local Level Planning (Antyodaya) for Scheduled Castes	500.00
3	Agriculture Production	100.00
4	Horticulture	40.00
5	Cooperation	25.00
6	Handloom and Textiles	50.00
7	Animal Husbandry	11.00
8	Strengthening of Administrative set-up of the Department	20.00
9	Supplement to the programmes of U.P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation.	420.00
10	Establishment of Adult Education Centres	5.00
11	Schemes run by U. P. Leather Development Corporation	75.00
12	Other schemes	500.00
	Total	3000.00

APPENDIX I

Statement showing effort based programme directed towards income-level of various categories of Scheduled Castes families for enabling them to cross the poverty line under Special Component Plan for Scheduled Castes 1982-83.

Sl. no.	Categories of Scheduled Caste Families	Present Income	No. of families	Coverage of Scheduled Caste Families under various programmes	Likely additional income	Resultant income
1	2	3	4	5	6	7
		Rs.			Rs.	Rs.
1	Agriculture labour.	2,400	160000	(i) Agriculture Horticulture (14,000). 10,000—Allotment of land and comprehensive development agricultural implements, seeds, fertilizers, pesticides, training. 4,000—(Whom land had been allotted in the past) development of seeds, land, fertilizers pesticides, irrigation, training carts (500) marketing facilities. (ii) Animal Husbandry (57500). A—50,000 supply of Cows/ buffaloes (including veterinary services, breeding facilities, education and training). B—2000 Goat units(including veterinary services, breeding and education). C—500-Sheep units .. D—4600 Poultry units .. E—400-Fisheries (including lease of land grants, loans for inputs training etc.). (iii) Industries .. 1000—Sericulture development. 2000—Carpet basket mat rope making. 5000—Toddy tapping, lac, and liquor making. 22000—Manufacturing of domestic articles trade and commerce (supply of loan grants training facilities, etc.)	2,000 2,200 1,200 1,200 1,500 1,500 2,500 89,000 1,200 1,200 1,200 3,000	4,400 4,600 4,600 3,600 3,900 3,900 4,900 3,600 3,600 3,600 5,400
2	Cultivators	2,700	170000	A—Agriculture (i) 121000(Agricultural inputs irrigation, seeds, fertilizers, pesticides, training and marketing facilities). (ii) 15000—Horticulture supply of plants, seeds and training). (iii) 5000—Carts B—Animal Husbandry (i) 25500—Supply of milch animals). (ii) 500—Sheep units (iii) 1000—Poultry units (All these programmes are consolidated).	1,500 1,600 1,200 1,200 1,500 1,500	4,200 4,300 3,900 3,900 4,200 4,200

1	2	3	4	5	6	7
		Rs.		C—Industries 5000—Carpet, basket, mat and rope making and other domestic articles.	Rs. 1,400	Rs. 4,100
				3000—Toddy tapping, lac and liquor making	2,000	4,700
3	Leather workers	2,700	12000	7000—Leather in industry urban areas (consolidated).	2,000	4,700
				4000—Leather industry in rural areas consolidated	1,800	4,500
				1000—Dairy/other programmes excluding leather.	1,200	3,900
4	Sweepers and Scavengers.	2,500	10000	2950—Supply of milch cattles (cows, buffaloes and goats).	1,200	3,700
				2500—Piggery units ..	1,200	3,700
				50—Sheep units ..	1,500	4,000
				2500—Poultry units ..	1,500	4,000
				500—Fisheries ..	1,000	4,500
				1000—Tanning and shoe making.	1,800	4,300
				400—Carpet, basket mat and rope making carpentry.	1,500	4,000
				100—Iron, smithy and metal work.	2,000	4,500
5	Bonded labour	1,500	3000	(i) 100—allotment of land and its comprehensive development, agricultural inputs.	2,000	4,500
				(ii) 1700—Dairy programmes	2,500	4,000
				(iii) 500—Poultry units ..	2,500	4,000
				(iv) 50—Sheep units ..	2,500	4,000
				(v) 10—Handloom industry (loans, grants, training marketing).	2,500	4,000
				(vi) 40—Carpet, basket, mat-rope making, (loans, grants, training).	2,200	3,700
				(vii) 100—Toddy tapping lac and liquor making.	2,000	3,500
				(viii) 500—Manufacturing of various domestic articles consolidated).	2,500	4,000
6	Weavers	3,000	16000	150,00—Handlooms (loans, grants for establishment of looms, training and marketing facilities).	2,000	5,000
				1000—Carpet, making (loan, grants, training and marketing facilities).	1,800	4,800
7	Other groups, (Traders toddy, tappers, tari and liquor makers basket, mat and rope makers, dyers and printers, metal workers and lac bangle makers carpenters iron smith etc.)	1,800	79000	3000—Tanning and Shoe making (consolidated).	2,000	3,800
				4,000—Dying and Printing..	2,000	3,800
				4,000—Toddy tapping, lac and liquor making.	2,000	3,800
				1,500—Iron smithy and metal work (consolidated).	1,800	3,600
				10,000—Manufacturing of various articles (consolidated).	2,000	3,800
				46,500—Loan and grants for trading and selling various goods and articles.	3,000	4,800

Total number of families to be covered under 1982-83 is 4,50,000.

APPENDIX II

Scheme for Sweepers and Scavengers

There were 35,529 families of sweepers and scavengers according to 1961 census in U.P. Since then no survey has been done about them. However, at present their number is estimated as 56,000. Since sweepers and scavengers comprise of the most vulnerable groups of scheduled castes, special attention has been given to their economic and social uplift in the Special Component Plan. In the Sixth Five Year Plan about 40,000 families are proposed to be benefitted through various schemes. In order to enable them to cross the poverty line and to make them economically better off, the outlays for sweepers and scavengers for 1982-83 under various heads of development/department are given below :

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Programmes	Outlays 1982-83
I. Outlays on programmes for economic development :		
1.	Harijan and Social Welfare Department	10.00
2.	Animal Husbandry	25.00
3.	Village and Small Industries	5.00
4.	I.R.D.	50.00
	Total ..	90.00
II. Outlays on programmes for Housing :		
(a) Urban Housing (Housing Department)—		
1.	Slum Clearance Scheme	5.00
2.	Environmental Improvement of Slums	150.00
(b) Housing Scheme for economically Weaker Sections—		
1.	Rural Development Department	10.00
2.	Harijan and Social Welfare Department	1.00
3.	Hill Development Department	1.00
	Total ..	167.00
III. Outlays on other programmes for Education :		
1.	Harijan and Social Welfare Department	60.00
2.	Eudcation Department	50.00
3.	Technical Education	2.00
	Total ..	112.00
IV. Outlays on other programmes Public Health, sanitation and water supply :		
1.	Medical and Public Health.. .. .	10.00
2.	Water Supply and Sanitation	
	(a) Piped water supply (L.S.G. Department)	24.00
	(b) Conversion of dry latrines	32.00
	TOTAL ..	66.00
	GRAND TOTAL ..	335.00

APPENDIX III

Particulars of Schemes for Bonded labourers

An integrated rehabilitation plan for the identified and released bonded labourers is being implemented by the State Government since 1976-77. As per last report, the present position of identified bonded labourers is given below :

Serial no.	Name of district	Total identified bonded labourers	Scheduled castes bonded labourers
1	Dehra Dun	3391	3220
2	Uttar Kashi	3381	2203
3	Tehri Garhwal	1383	1005
4	Allahabad (Shankergarh)	128	128
5	Banda (Manikpur)	252	252
Total		8436	6808

8055 bonded labourers were identified in Hill areas out of which number of scheduled castes, scheduled tribes and others was 6428, 1553, and 74 respectively. All identified bonded labourers of Shankergarh block of Allahabad and Manikpur block of Banda were of Scheduled Castes. Among identified bonded labourers of Shankergarh 18 bonded labourers are resident of Madhya Pradesh and 5 bonded labourers do not require to be rehabilitated. U.P. Development Systems Corporation, which carried out the survey in Shankergarh and Manikpur blocks, estimated 8976 and 3116 bonded labourers in those blocks respectively.

The rehabilitation assistance per identified family estimated as Rs. 10,000. The identification and rehabilitation programme is being implemented by the Labour Department which provides assistance at the rate of Rs.4,000 per family of which 50 per cent i.e. Rs.2,000 is the Central Assistance. The gap between the assistance needed and the assistance provided by the Labour Department and families left out by labour department in 1982-83 requires quantification of outlays of other development departments for rehabilitation of the bonded labourers. During 1982-83 Labour Department has made up a programme to rehabilitate 1571 S.C. Bonded labourers.

The outlays on various programmes of above bonded labourers in 1982-83 are given below :

Programmes	(Rupees in lakhs)
Programmes	Outlays
1. Outlays in programmes for economic development (3,000 families) ..	10.00
2. Outlays on programmes for housing	30.00
3. Outlays on programme for education	2.00
4. State share of outlays under Centrally sponsored scheme of Total bonded labourers (State share).	32.52
Total	74.52

APPENDIX IV

Particulars of Denotified Communities (Nomadic and Semi-Nomadic) of Scheduled Castes and Schemes for them

In the State of Uttar Pradesh there are 39 nomadic and 31 semi-nomadic (or settled) communities recognised by the Government as Denotified Tribes. Among these communities, there are 13 Nomadic Communities and 17 semi-nomadic (or settled) communities who are also listed as scheduled castes. Details of the occupation of these communities are not available and they are being collected from districts.

So far, except programmes for economic development the various schemes proposed under the Sixth Plan are for the Denotified Communities as a whole and no separate outlays have been made for nomadic and semi-nomadic communities. There are 7,65,887 denotified families of scheduled castes. During 1980—85, 50 per cent of these families would be benefited under various schemes in the Special Component Plan and these families would get their share as per their percentage among Scheduled Castes families. Efforts are also being made to prepare specific schemes for them suited to their environment and background. So far following specific outlays for these communities under various heads of development are proposed during 1982-83:

(Rupees in lakhs)

Name of Scheme	Outlay for 1982-83
I. Education—	
(a) Harijan and Social Welfare Department—	
(1) Grant of Stipend and NRA to the Students of Classes IX and X studying in Agriculture/Science and other Technical subjects.	3.63
(2) Establishment of A.T.S. for Sahariyas	6.67
(3) Establishment of Hostels through the voluntary agencies ..	2.00
(4) Establishment/Construction of Hostels through Department ..	1.00
(5) Increase in maintenance charges of the students of A.T.S. ..	16.50
(b) Education Department	50.00
(I) Sub-Total ..	79.80
II. Economic Development—	
(a) Harijan and Social Welfare Department—	
(6) Subsidy for Development of Agriculture/Horticulture ..	9.56
(7) Subsidy for Development of Small Scale Cottage Industries ..	5.76
(8) Rehabilitation of Denotified Tribes	6.00
(9) Economic Development of Denotified Tribes who are included in the list of Scheduled Castes.	6.00
(10) All round Development of Mushars	11.26
(b) I.R.D.	300.00
(c) Industry Department	30.00
(II) Sub-Total ..	368.58

(Rupees in lakhs)

Name of Scheme				Outlay for 1982-83
III. Health, Housing and other scheme—				
(a) Harijan and Social Welfare Department—				
(11) Subsidy for Constructions of houses	6.00
(12) Subsidy of expension/repair of houses	2.00
(b) Rural Development Department	30.00
				<hr/>
		(III) Sub-Total	..	66.38
				<hr/>
		GRAND TOTAL (I, II and III)	..	514.76

Out of 7,68,885 denotified families of Scheduled Castes about 70 per cent *i. e.* 5.36 lakh families are estimated to be below the poverty line. A target has been fixed to enable 50 per cent *i. e.* about 2.70 lakhs of such families to cross the poverty line in the Sixth Plan period. During 1982-83 about 54,000 families would be given financial assistance to enable them to cross the poverty line.

APPENDIX V

STATEMENT—SCP-1

Draft Annual Plan 1982-83

State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980-85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of total Outlay	Actual State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of total Outlay	Anticipated State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of total Outlay	Proposed State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of total Outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Agriculture Production													
<i>Agriculture Department</i>													
1	Multiplication and Distribution of Improved Seeds.	826.00	110.00	13.3	150.00	12.12	8.1	169.54	30.00	17.7	243.77	38.08	15.6
2	Subsidy on High Yielding Varieties of Seeds under Seed Exchange Programme in the Tribal blocks of the Hills.	10.00	10.00	100.0	2.00	1.83	91.5	3.60	3.60	100.0	3.60	3.60	100.0
3	Composite Fertilizer Demonstration in Tribal blocks of the Hills.	5.00	5.00	100.0	1.00	1.00	100.0	1.50	1.50	100.0	1.50	1.50	100.0
4	Intensive Cultivation Programme of Pulses in hills.	12.94	2.50	19.3	2.01	0.10	4.9	2.18	0.45	20.6	2.57	0.78	30.4
5	Centrally Sponsored Scheme of production of pulses crops.	103.87	0.80	8.5	17.37	0.22	1.3	31.28	0.18	0.6	22.05	3.00	13.6
6	Centrally Sponsored Scheme on control of White Groups on Groundnut crops.	64.76	8.00	12.3	15.00	0.04	0.3	..	1.80	..	2.68	0.75	28.0
7	Strengthening of Plants Protection Service in the Hills.	54.15	5.50	10.2	9.43	0.80	8.5	10.31	1.30	12.6	13.10	2.70	20.6

8	Centrally Sponsored Scheme on wood control	115.46	2.70	2.3	21.00	0.25	1.2	21.78	0.80	3.7	5.95	1.80	30.3	
9	Scheme for Development of Oilseeds in U.P.	16.40	3.30	26.1	3.28	0.14	4.3	2.96	0.66	22.3	10.53	3.00	28.5	
10	Production of Oilseeds, Soyabean and Sunflower in the Hills.	11.00	2.00	18.2	2.20	1.50	0.40	26.7	2.20	0.66	30.0	
11	Centrally Sponsored Scheme for development of Soyabean in U. P.	25.46	2.60	10.2	4.73	0.43	9.1	3.55	0.57	16.1	4.36	0.60	13.8	
12	Centrally Sponsored Scheme for Development of Sunflower in U. P.	4.93	0.70	14.2	0.97	0.10	10.3	0.77	0.12	15.6	1.01	0.10	9.9	
13	Centrally Sponsored Scheme for Intensive development of Oilseeds.	35.42	1.00	2.8	15.02	0.85	5.7	3.87	0.23	5.9	6.58	1.10	16.7	
14	Scheme of demonstration, population and distribution of improved Agriculture Implements in the Plains.	31.14	0.20	0.6	4.63	0.02	0.4	5.59	0.06	1.1	6.37	
15	Extension, Demonstration, Development and Distribution of Improved Agriculture Implements in Barabanki.	9.90	0.16	1.6	1.66	2.00	0.04	2.0	1.75	
16	Intensive Cotton Development Scheme	8.07	2.50	28.7	
17	Rat Control Scheme	0.80	0.08	10.0	
18	Establishment of Community Bic-Gas Plants	24.00	12.00	50.0	
19	Intensive Jute Development Scheme	1.05	0.09	8.6	
20	Intensive Pulses Development Scheme in Pulses Growing Areas.	0.36	0.06	16.7	
21	Construction of Pucca kothi for Storage of Grains.	3.00	0.90	30.0	
22	Transport Subsidy on Fertilizers in Hills	9.00	2.70	30.0	
23	Others	..	1623.57	183.32	259.25	476.50	..	
Total		..	2950.00	164.36	5.57	433.62	17.90	4.13	519.68	41.71	7.50	851.43	76.00	8.93

APPENDIX V

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan, 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed		
					State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(2) Horticulture and Fruit Utilisation													
<i>Plains</i>													
1	Improvement of existing Gardens in the State	30.00	1.500	4.56	0.50	..
2	Intensive vegetable cultivation near Delhi	30.00	0.400	..	3.250	0.040	20%	3.850	0.100	..	6.88	0.48	..
3	Establishment of vegetable experiment and Training Centres in the State.	10.00	0.150	..	3.000	0.040	20%	2.000	0.020	..	2.27	0.18	..
4	Establishment of Progeny Orchards in the State	12.00	1.200	..	3.000	0.060	20%	4.000	0.300	..	1.00	0.11	..
5	Establishment of District and Block level nurseries in the State.	50.00	5.000	..	0.500	0.177	20%	8.000	0.200	..	35.57	4.00	..
6	Establishment of Kitchen and ornamental gardens in the State.	6.00	0.200	..	1.250	0.050	..	1.250	0.050	..	1.30	0.05	..
7	Vegetable and spice development scheme in the State.	27.05	0.500	6.57	0.60	..
8	Intensive horticultural development in the State	28.53	1.000	7.20	0.84	..
9	Maintenance of orchards obtained under Ceiling Act.	10.00	0.500	..	1.850	0.100	20%	2.000	0.100	..	2.14	0.24	..
Total		203.58	10.450	..	20.850	0.467	..	21.100	0.770	..	67.49	7.00	..

1	Subsidy on Transportation of Fruit Plants, vegetable seeds/seedlings.	N. A.	8.90	..	N. A.	0.49	..	N. A.	0.98	..	N. A.	1.24	..
2	Subsidy on control of pest and diseases of horticulture crops.	N. A.	5.60	..	N. A.	0.31	..	N. A.	0.63	..	N. A.	0.73	..
3	Horticulture Training to fruit growers and inservice personnel.	N. A.	8.40	..	N. A.	0.48	..	N. A.	0.97	..	N. A.	0.90	..
4	Distribution of long-term Horticulture loan	N. A.	167.01	..	N. A.	7.72	..	N. A.	18.00	..	N. A.	22.00	..
5	Long-term loan for Mushroom growers ..	N. A.	24.00	..	N. A.	N. A.	2.00	..	N. A.	3.00	..
6	Subsidy on transportation of fruit for export purposes.	N. A.	4.80	..	N. A.	0.26	..	N. A.	0.53	..	N. A.	0.59	..
7	Subsidy on distribution of Horticulture tools to growers.	N. A.	0.64	..	N. A.	0.02	..	N. A.	0.05	..	N. A.	0.09	..
8	Package programme walnut production ..	N. A.	2.40	..	N. A.	0.63	..	N. A.	1.27	..	N. A.
9	Package programme Apple Plantation ..	N. A.	1.60	..	N. A.	0.08	..	N. A.	0.16	..	N. A.	0.10	..
10	Certification of potato and vegetable seed ..	N. A.	6.00	..	N. A.	0.35	..	N. A.	0.70	..	N. A.	0.95	..
11	Diversification of Horticulture crops ..	N. A.	8.80	..	N. A.	0.62	..	N. A.	1.04	..	N. A.	1.10	..
12	Encouragement on intensification of vegetable production in scheduled caste/tribal blocks of hill areas.	N. A.	2.40	..	N. A.	0.14	..	N. A.	0.28	..	N. A.	0.30	..
Total ..			246.61	11.00	26.61	31.00	..

(3) Cane Development

1	Scheme for providing Cane Protection appliances to growers on subsidised rate.	7.50	2.30	30.67	1.25	0.45	16.00	1.25	0.40	32.00	1.91	9.40	20.94
2	Scheme for controlling sugarcane pests through ground and aerial operation.	12.00	1.20	10.00	1.25	0.30	24.00	0.75	0.30	40.00

APPENDIX V

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980-85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed		
					State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay	State Plan Outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Scheme for subsidising expenditure on transport of seed cane.	13.00	3.32	25.54	0.30	0.10	33.33	2.50	0.78	31.20	2.34	0.78	33.33
4	Scheme for production of foundation seed cane	111.50	9.00	8.07	15.43	1.80	11.67	19.30	1.80	9.33	28.84	1.80	6.24
5	Scheme for intensive cane development work around 16 Kms. radius of sugar factories.	119.00	4.00	3.36	13.91	1.50	10.78	20.38	0.30	1.47	49.38	0.30	0.61
6	Scheme for Cane Development in Uttar Pradesh	284.00	17.50	6.16	52.30	3.30	6.31	54.25	3.50	6.45	57.04	3.50	6.14
	Total	.. 547.00	37.32	6.82	83.19	7.15	8.59	98.93	7.08	7.16	140.26	7.08	5.05
	(4) Marketing (including link roads)	.. 700.00	100.00	14.28	135.00	150.00	20.00	13.33	92.43	8.00	8.65
2	Land Reforms Financial Assistance to allottees of Ceiling land.	130.00	90.00	75	50.00	36.00	75	20.00	14.00	75	48.12	30.00	75
3	Minor Irrigation												
	(1) Private Minor Irrigation	.. 3325.00	1000.00	30.07	578.59	88.53	15.3	552.00	120.00	21.73	921.65	75.00	8.1
	(2) State Minor Irrigation	.. 26400	2360	8.94	2478	280	11.3	4504	480	0.65	4397.37	415	9.43

4. Soil Conservation*Agriculture Department*

1	Soil and Water Conservation in Plain	..	1532.17	58.35	3.8	323.54	37.40	3.7	351.59	15.28	4.3	382.82	17.50	4.6
2	Stabilization of Ravines in U.P.	..	350.00	19.35	5.5	70.00	4.14	4.3	70.00	4.38	6.2	20.08	2.00	5.3
3	Amendment of Usar/Alkaline Land	..	530.00	76.95	14.05	139.00	..	10.7	49.29	14.53	29.2	80.19	6.00	7.5
4	Centrally Sponsored R.V.P, Matatila	..	65.00	7.05	10.09	10.00	1.62	15.0	10.00	1.08	10.00	13.31	1.50	11.0
5	Centrally Sponsored Integrated Watershed Management in Flood Pone Gomti River.	..	137.00	15.00	11.00	0.01	0.01	50.00	4.00	8.0
6	Soil and Water Management for the Welfare of Kabutara Scheduled Caste/Tribes.	4.00	4.00	100.0
7	Other Schemes	..	391.93	1.20	0.3	52.45	53.11	101.82
8	Soil and Water Conservation in Hills	..	658.00	34.05	5.0	140.00	2.40	0.8	163.00	9.25	6.0	92.00	9.00	9.8
9	Centrally Sponsored R.V.P. Ramganga	..	37.00	3.00	8.1	8.00	1.00	12.5
10	Other Schemes	..	55.00	1.20	..	7.00	5.00
Total		..	3756.00	216.15	5.7	742.00	45.62	6.2	707.00	44.02	6.5	775.22	45.00	5.8

(2) Forest Department**5. Area Development**

1	Integrated Rural Development (I.R.D.)	..	9100.00	4550.00	50	1480.87	212.29	15	2600.00	1225.00	47.1	3931.00	1668.20	41
2	Command Area Development (C.A.D.)	..	9400.00	2634.00	28	1093.87	97.50	8	1166.00	300.00	25.7	1250.00	300.00	24
3	Drought Prone Area Programme (D.P.A.P.)	..	1750.00	385.00	22	381.90	72.10	19	350.00	75.00	21.4	365.00	80.00	22
4	Mandliya Vikas Nigam	..	500.00	50.00	20.00	40	50.00	20.00	40

6. Animal Husbandry

1	Veterinary Education and Training	..	14.760	1.740	..	1.820	0.520	..	2.370	0.106	..	1.600	0.106	..
2	Veterinary Science and Animal Health	..	315.700	21.510	..	26.040	1.900	..	52.200	9.105	..	246.400	26.440	..

APPENDIX V

STATEMENT SEP.—1

Draft Annual Plan 1982-83

State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980-85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Anticipated State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Proposed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Investigation and Statistics	37.27	4.600	5.680	19.917
4	Cattle Development	863.280	80.900	..	151.550	16.977	..	147.490	16.386	..	267.068	26.706	..
5	Poultry Development	38.110	23.160	..	21.370	2.600	..	20.370	4.396	..	33.250	8.447	..
6	Sheep and Wool Development	336.020	23.640	..	65.970	1.980	..	51.340	4.818	..	42.150	2.107	..
7	Piggery Development	33.100	32.860	..	3.780	3.760	..	5.350	4.290	..	57.560	18.916	..
8	Other Livestock Development	182.510	8.260	..	27.860	2.156	..	25.690	0.899	..	22.780	2.278	..
9	Fodder Development	84.250	7.930	..	2.010	5.310	11.415
7. Dairy and Milk Supply													
	(1) Aid to Dairy Co-operatives	250.00	25.00	..	1.06	20.68	2.07	..	20.00	3.00	..
	(2) Education and Training	30.00	5.00	..	1.85	6.17	0.62	..	7.00	0.70	..
	(3) Grant-in-aid to Kanpur Milk Board for subsidised Milk against UNICEF assistance.	45.00	4.50	10.00	1.00	..	10.00	1.00	..
	(4) Milk Tone Project	10.00	1.00	..	5.30	2.00	0.20	..	2.00	0.20	..

8 Fisheries	670.00	34.70	5.7	50.00	2.57	5	60	3.30	5.5	279.63	11.00	4
9 Forest	8000.00	909.00	11.4	1168.23	129.86	11.12	1647.50	180.30	110.9	1526.7	165.00	10.8
10 Community Development—												
(1) Panchayat Raj	150.00	15.35	10	28.51	1.90		30.00	3.00	10	88.47	10.00	8.8
(2) Pradeshik Vikas Dal	45.00	10.29	22.86	40.00	8	2.27	28.3	22.98	3.00	13
(3) Grant to Zila Parishad	400.00	80.00	20	22	34.00	12.00	35.2	16.00	5.00	31
II. Co-operation												
(1) Credit Co-operatives	1765.12	206.50	11.69	907.70	0.10	0.01	206.98	31.30	15.12	317.45	26.10	..
(2) Marketing Co-operatives	1060.41	76.40	7.20	284.74	203.19	15.23	7.52	179.88	15.32	..
(3) Processing Co-operatives	1891.21	135.00	7.13	302.13	420.57	18.00	4.18	211.38	8.12	..
(4) Consumer Co-operatives	435.94	54.51	167.50	64.80
(5) Others—												
(a) Education , Training and Extension	250.00	21.48	70.52	56.21
(b) Farming Co-operatives	62.11	0.54	6.67	0.63
(c) Labour Co-operatives	42.11	1.78	4.15	6.33	10.34	2.25	3.41	16.60	0.25	..
(d) Rickshaw Pullers Co-operatives	10.19	1.80	17.66	0.47	0.11	23.40	1.62	0.21	12.96	2.15	0.21	..
(e) Supply of inputs	3.00
(f) S. F. D. A. (Staff)	2.50	0.59	0.48	0.60
(g) Drug Development	17.80	0.24	4.64	0.24
(h) Fruit Marketing	21.75	0.75	8.03
(i) Tribal Development	22.40	1.05	5.90	1.06
(j) Staff for Tribal Development	1.90
(k) Staff at General Administration	32.06

APPENDIX V
Draft Annual Plan 1982-83

STATEMENT SEP.—1

State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total Plan	Actual State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Anticipated State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Proposed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. Irrigation and Power													
	Rural Electrification	25248.00	5264.00	..	3198	121.99	38	3000	641	21.37	3500	700	20
IV. Industries													
<i>Village and Rural Industries</i>													
1	Industrial Estate	600.00	110.00	18.	140.00	14.87	10.5	52.00	35.00	67.3	135.00	15.00	11.1
2	<i>Small Scale Industries—</i>												
	(a) U. P. Small Industries Corporation	210.00	14.00	6.00	80.00	0.50	0.6	5.00	0.50	10	12.00	2.00	16.6
	(b) U. P. Leather Corporation	200.00	200.00	100	20.00	21.07	105.35	33.00	33.00	100	45.00	45.00	100
	(c) Industrial Co-operative (New Textile)	50.00	20.00	40	5.00	0.347	6.9	7.50	2.25	30	15.40	4.00	25.9
	(d) Assistance to SSIS	125.00	25.00	20	15.00
3	<i>District Industries Centres—</i>												
	(a) DIC loan and Margin money loan	1330.00	120.00	9	242.01	16.11	6.7	112.00	10.00	8.9	112.00	10.00	8.9
	(b) Growth Centres Loan	595.00	100.00	17.9	127.00	39.16	30.8	86.00	14.00	16.2	88.00	10.00	11.3
	(c) Entrepreneurial Development Programme	30.00	5.00	16.6	2.04	4.00	0.30	7.5	5.00	0.30	6
	(d) Other Hill Areas Scheme	..	15.00	..	14.66	10.00	1.35	13.5	25.00	2.20	8.8

4 Handicrafts

(a) Carpet Training Centres	748.00	150.00	20.00	90.00	13.26	14.7	50.00	8.00	16	72.00	14.00	19.4
(b) Brassware Corporation (Improved Tools)	310.00	20.00	6.4	65.00	5.00	0.50	10	40.00	3.00	7.5
(c) Assistance to Handicraft Co-operative Societies.	20.00	4.00	20	..	0.47	..	2.00	0.50	25	2.00	0.50	25
(d) Hill Area Schemes	227.00	6.00	2.6	40.00	21.30	1.00	4.7	35.00	3.00	8.5
Khadi and Village Industries	1200.00	30.00	2.5	40.00	44.75	111.9	7.50	0.50	6.6	45.00	9.00	20
State share for Sport Goods Complex Scheme/ Carpet Training Centres.	37.00	..
Total	5645.00	819.00	14.00	890.71	150.537	16.9	395.30	106.90	155.00	..

Handloom

(1) Share Capital Loan to H. L. Co-operative Societies.	200.00	50.00	25	35.20	10.00	28.4	35.20	21.77	52.5	50.20	20.00	29.9
(2) Workshop Assistance to the Co-operative Societies.	18.00	3.00	16.7	2.40	0.40	16.7	3.00	0.60	20	3.60	1.00	27.7
(3) Training Programme by UPICA	5.00	0.50	10	0.60	0.10	16.7	0.60	0.11	16.7	0.60	0.10	16.7
(4) Managerial Assistance to H. L. Co-operative Societies.	25.00	5.00	20	5.40	0.72	13.3	5.11	0.72	13.7	10.18	1.00	9.8
(5) Training Programme by H. L. Corporation	15.00	15.00	100	1.25	1.25	100	2.00	2.00	100
(6) R.B.I. Interest	25.00	5.50	22	3.94	0.94	23.6	4.00	0.94	23.5	5.00	2.00	40
(7) R.B.I. Guarantee	65.00	11.00	6.7	1.00	0.10	10	1.00	0.20	20
(8) Modernisation of Handlooms	50.00	10.00	20	5.00	5.20	0.67	12.9	5.25	1.00	10
(9) Assistance for Dye Houses to H. L. Co-operative Societies.	18.75	3.75	20	3.75	3.75	0.75	20	6.00	0.75	12.5
(10) Construction of Weavers Colonies	11.25	3.75	33.3	2.25	0.75	33.3

APPENDIX V
Draft Annual Plan 1982-83

STATEMENT—SEP-1

State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Anticipated State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Proposed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(11)	Institutional Finance through H. L. Corporation.	140.00	40.00	28.6	15.00	5.00	33.3
(12)	Assistance for Bunkar Huts	10.00	5.00	50	5.00
(13)	Weavers Tours	2.50	0.50	20	0.50	0.50	0.10	20
(14)	Incentives to H. L. Weavers for Export	25.00	7.50	30	2.00	0.50	25
(15)	Production of Polyester/Blended Fabrics	85.00	50.00	58.8	0.50	1.00	0.10	10
(16)	Rebate on Sale of Handloom Cloth	240.00	24.00	20	30.00	5.00	17	40.00	6.00	15
(17)	Organisation of Bunker Seminars	6.00	0.75	12	1.40	0.20	25	1.45	0.25	17
(18)	Intensive Handloom Project	1294.00	122.00	9	157.00	15.00	9	150.00	20.00	19
(19)	Printing Training Centre at Mau	20.00	5.00	25	9.84	1.00	10	5.00	1.00	20
(20)	Fair and Exhibitions	25.00	5.00	10	2.50	0.10	4	3.00	0.20	6
(21)	Share Capital Participation in UPICA	100.00	20.0	5	15.00	1.50	10	20.00	2.00	10
(22)	Share Capital Participation in U.P., H.L., Corporation.	255.00	25.00	9	45.00	4.50	10	45.00	4.50	10
(23)	Establishment of Spinning Mills in Co-operative Sector.	1000.00	100.00	10	250.00	25.00	10
	Total, Handloom	.. 3585.50	502.25	57.29	2.16	..	319.92	54.20	..	618.03	92.70

Sericulture Schemes

(1) Sericulture Development Scheme	768.33	292.00
(2) Tassar Development Scheme	..	356.67	108.00	82.92	22.50	..	84.06	45.60	54	145.00	52.30	36
Total, Sericulture	1125.00	400.00	..	82.92	22.50	..	84.06	45.60	..	145.00	52.30	..
GRAND TOTAL—(H.L.+Sericulture)	4710.50	902.25	..	140.21	24.66	..	403.98	99.80	..	763.03	145.00	..
V. Roads and Bridges	41500	4500	10.8	9024	916	10.2	8400	850	10.1	8599	950	10.7
VI. Education												
<i>Education Department</i>												
(1) Grant for the construction of Junior Basic Schools buildings in rural and urban areas which have no buildings.	600.00	240.00	..	103.99	71.90	..	102.00	40.80	..	359.29	143.72	..
(2) Grant for the construction of buildings for Senior Basic Schools in rural and urban areas.	250.00	100.00	..	62.40	15.28	..	69.20	27.68	..	199.81	79.92	..
(3) Grant for the opening of mixed Junior Basic Schools in rural areas.	8263.54	1073.40	..	137.82	58.76	..	253.00	110.72	..	279.60	402.87	..
(4) Grant for the opening of mixed Junior Basic Schools in urban areas.	6.00	53.88	19.52	..
(5) Grant for the Improvement of Sc. Teaching and supply of S.C. equipment to Junior Basic Schools.	96.00	19.49	..	24.50	0.97	..	8.00	0.97	..	13.82	5.33	..
(6) Incentive grant in the form of free text-books to girls and boys of weaker communities in order to promote and sustain enrolment in rural areas.	15.00	6.00	..	9.18	4.54	..	1.50	0.30	..	8.31	4.16	..
(7) Grant for opening Senior Basic Schools for boys and girls in rural areas.	1284.00	406.80	..	203.93	82.66	..	292.00	139.59	..	232.12	92.85	..
(8) Grant for opening of part-time classes for children belonging to the age-group 6—14 in rural and urban areas.	597.00	179.10	..	94.06	18.93	..	103.66	31.20	..	179.71	95.57	..

APPENDIX V
Draft Annual Plan 1982-83
State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

STATEMENT—SEP-1

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed		
					State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(9)	Grant for stipend and non-recurring financial assistance to pre-matric scheduled tribe boys/girls studying in classes I-V and VI-VII.	33.18	33.18	...	4.61	3.89	...	5.39	5.39	...	2.09	2.09	...
(10)	Grant stipends and non-recurring financial assistance to pre-matric Scheduled Caste Boys/Girls.	16.61	16.61	...	2.31	2.31	...	2.69	2.69	...	12.26	12.26	...
(11)	Grant for stipends and non-recurring financial assistance to the children of backward communities reading at pre-matric stage	16.61	16.61	...	2.30	2.30	...	2.69	2.69	...	2.15	2.15	...
(12)	Grant for establishing bookbanks in senior basic schools for free supply of text books.	47.50	23.75	...	10.00	4.87	...	13.50	6.75	...	14.87	7.43	...
(13)	Grant for equipment and teaching material to senior basic schools.	26.25	5.25	...	5.25	1.13	...	6.50	0.58	...	8.58	3.43	...
(14)	Grant for equipment and teaching material to Junior Basic Schools.	115.00	24.00	...	10.25	2.50	...	17.50	1.50	...	18.03	7.21	...
(15)	Provision for supply of uniform to children of weaker sections.	75.00	45.00	...	10.00	8.75	...	15.00	15.00	...	15.43	7.71	...
(16)	Provision for teaching Sc. in Government Higher Secondary Schools and construction of Sc. laboratories.	62.77	2.83	...

(16) Establishment of Government model schools in Tehri and border districts.	100.00	20.00	--	22.60	0.89	--	20.00	4.00	--	27.17	10.87	--
(17) Grant for the maintenance and repairs of existing primary school buildings in rural and urban areas.	69.70	13.94	--	69.70	13.94	--	--	--	--	10.00	4.00	--
(18) Grant for appointment of additional teachers in senior basic schools of rural and urban areas to bring down the teacher pupil ratio.	317.00	63.40	..	63.40	76.63	30.46	..	81.64	32.66	..
(19) Grant for supply and upkeep of science equipment for the improvement of science teaching in senior basic schools.	8.57	3.43	..
(20) Upgrading of Government Senior Basic schools to High School standard and opening of new Government High Schools.	468.31	140.00	..	74.50	4.66	..	98.58	32.90	..	142.30	28.06	..
(21) Upgrading of Government High School to Inter standard.	390.00	110.00	..	46.58	17.65	..	62.34	20.98	..	113.20	22.65	..
(22) Opening of additional sections and introduction of new subjects in Government Higher Secondary Schools.	32.12	5.20	..
(23) Strengthening of Government Higher Secondary Schools.	160.00	32.00	..	44.50	8.44	..	37.00	7.00	..	27.50	5.50	..
(24) Extension of Rural Functional Literacy Scheme with state resources.	175.54	70.00	..	38.33	1.78	..	40.78	16.40	..	46.36	23.18	..
(25) Grant for stipend and non-recurring assistance to the children of denotified communities.	16.22	16.22	..	2.32	2.32	..	2.68	2.68
(26) Maintenance grant to non-Government recognised Senior Basic Schools.	705.00	141.00	..	119.80	16.77	..	158.60	31.72
(27) Grant for the construction of additional class-rooms in Senior Basic Schools.	50.00	10.00

APPENDIX V
Draft Annual Plan 1982-83
State Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan 1982-83			
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed			
					State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(28)	Grant for the construction of additional class rooms in Junior Basic Schools.	50.00	10.00
(29)	Construction of buildings of the Government Higher Secondary Schools.	330.59	32.06	97.86	19.56
(30)	Provision for Science Laboratories and equipment in aided Higher Secondary Schools.	60.00	12.00	..	21.24	0.54	..	12.05	2.41
(31)	Strengthening of the office of the district Basic Education Office of the district.	61.25	3.25	..	11.78	2.28
(32)	Grant-in-aid to unaided Higher Secondary Schools.	886.19	174.08	206.67	41.00
(33)	Provision of petty works	..	51.80	12.00	..	15.36	3.00	..	15.36	3.00
(2)	TECHNICAL EDUCATION	..	1000.00	200.00	20	165.29	27.62	17	173.00	28.634	17	209.60	40.00	18
VII. Medical Health , Sanitation and Water Supply														
<i>(1) Medical and Public Health</i>														
<i>Minimum Needs Programme—</i>														
1	Construction of P. H. C. Buildings	..	800.00	170.00	20	160.20	7.50	68	200.00	3.00	1.5
2	Establishment of New P. H. Cs.	..	266.00	40.00	15.00	50.00	1.25	2.5

3	Establishment of subsidiary Health Centres	703.37	160.00	22.70	80.00	15.00	17.7	225.00	137.31	61.02
4	Construction of sub-centres	..	60.00	18.42	3.00	16.2	300.00	46.47	32
<i>Hospitals and Dispensaries</i>													
5	Establishment of Allopathic Dispensary	10.00	2.00	20.00	4.71	0.50	19.1	9.40	1.80	19	11.00	3.10	28.1
<i>I.S.M. and Homoeopathy</i>													
6	Establishment of Ayurvedic/Unani Dispensary	140.00	50.00	35.00	13.07	0.50	3.8	20.00	4.00	20.00	23.00	7.35	31.1
7	Construction of Ayurvedic/Unani Dispensary	94.00	15.00	16.00	10.00	2.00	20.00	7.00
8	Establishment of Homoeopathic Dispensaries	82.00	10.50	13.00	2.50	0.10	3.4	16.40	2.00	12.1	20.91	9.70	46.3
9	Construction of Homoeopathic Dispensaries	9.00	2.00	20.00	0.50
<i>Control of Communicable Diseases</i>													
10	National Malaria Eradication Programme (Rural)	2062.00	400.00	19.3	387.51	75.00	19.3	410.80	80.00	20	481.05	85.00	17.6
<i>(2) Water Supply and Sanitation</i>													
<i>(a) L.S.G. Department</i>													
	Piped Water Supply	28250.00	5800.00	20.5	5191.15	1000.00	20.00	5620.00	1200.00	21.3	5102.19	1034.00	20.2
<i>(b) Rural Development Department</i>													
		1650.00	1650.00	100	200.00	200.00	100	190.00	190.00	100	440.70	440.70	100
VIII Housing and Urban Development													
<i>(1) Housing</i>													
1 Subsidised Housing Schemes													
	<i>(a) By P.W.D.</i>	150.00	30.00	20	10.00	2.00	20	20.00	4.00	20	34.00	6.80	20
	<i>(b) By Industrialists</i>	150.00	30.00	20	10.33	2.07	20	30.00	6.00	20	30.00	6.00	20
	<i>(c) By Local Body</i>	250.00	50.00	20	49.75	9.95	25	60.00	12.00	20	60.00	12.00	20
2	Low Income Group Housing Scheme	880.00	176.00	20	155.00	31.00	20	175.00	35.00	20	175.00	35.00	20
3	Middle Income Group Housing Scheme	560.00	112.00	20	56.00	11.25	20	120.00	24.00	20	120.00	24.00	20

APPENDIX V
Draft Annual Plan 1982-83
State Plan Outlay under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan(1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan (1981-82)			Annual Plan (1982-83)			
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed			
					State Plan outlay	Flow of Special component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Land Acquisition and Development	1340.00	268.00	20	560.00	112.0	20	565.00	113.00	20	565.00	113.00	20	
5	Slum Clearance Scheme	20.00	10.00	50	5.00	2.50	50	1.00	0.50	50	
6	Seed Capital	750.00	150.00	20	80.00	16.0	20	100.00	20.00	20	100.00	20.00	20	
	<i>(2) Urban Development</i>													
1	Nagar Vikas Yojna	95.00	19.00	20	38.12	7.62	20	10.00	2.00	20	10.00	2.00	20	
2	Town and Regional Planning	60.00	9.00	15.00	25.00	
3	Slum Improvement	1000.00	500.00	50	200.00	114.80	57	200.00	100.00	50	220.00	110.00	50	
4	Integrated Development of Small and Medium Towns.	800.00	160.00	20	166.55	33.31	20	150.00	30.00	20	120.00	24.00	20	
5	Kanpur Urban Development	4000.00	918.00	20	674.00	134.80	20	690.00	157.00	20	
6	Research and Development	5.00	
7	Regional Centre for Urban and Environmental Studies Lucknow University.	40.00	13.00	10.00	
	<i>(3) Rural-Housing</i>													
	(a) Revenue Department (House sites)	..	75.00	60.00	20	11.00	88	80	15.00	8.00	6.50	2.07	1.60	80
	(b) Rural Development (Construction of houses)	1725.00	1380.00	80	289.00	337.00	116.6	284.00	250.00	86.5	336.40	293.00	80	

(IX) Other Social Services**(1) Labour and Labour Welfare****(a) Labour Welfare—**

Hills

120.00 77.82 64.85 14.53 5.00 34 39.80 27.46 69 45.00 29.60 66

Plains

60.00 11.91 19.85 10.47 3.35 32 13.00 2.33 18 20.22 2.92 14

Total ..

180.00 98.73 49.85 25.00 8.35 33 52.80 29.79 56 65.22 32.52 50

(b) Employment Exchange

20.00 6.65 33.25 2.22 0.75 33.8 2.974 1.27 42.6 18.71 9.00 46

(c) Craftsman Training

400.00 80.00 20 60.00 6.71 11 80.5 12.00 15 102.94 24.19 24

(2) Welfare of Backward Classes**Education—****(1) Establishment of Ashram Type School at Thripak, district Chamoli.**

4.00 4.00 .. 0.70 0.70 .. 0.75 0.75 .. 8.25 8.25 ..

(2) Establishment of Hostel for Boys ..

200.00 200.00 .. 29.00 29.00 .. 27.50 27.50 .. 158.90 158.90 ..

(3) Grant of Scholarship and NRA to the students studying Science, Agriculture and other Technical Subjects.

500.00 500.00 .. 94.66 94.66 .. 100.50 100.50 .. 252.26 252.26 ..

(4) Increase in rates of Scholarship ..

30.00 30.00 7.00 7.00 .. 7.00 7.00 ..

(5) Grant of Scholarship in Class IV and V students who obtained highest marks in their classes.

450.00 450.00 .. 70.82 70.82 .. 90.00 90.00 .. 94.90 94.90 ..

(6) Grant of NRA to the students reading in pre-matric classes for purchase of books and other appliances.

125.00 125.00 .. 25.00 25.00 .. 25.00 25.00 .. 25.10 25.10 ..

(7) Reimbursement of fee to non-Government Educational Institution but recognised.

100.00 100.00 .. 19.80 19.80 .. 19.80 19.80 .. 38.42 38.42 ..

(8) NRA to the students who are studying in Medical, Engineering and other Technical subjects for purchase of books and other appliances in Post-matric Classes.

60.00 60.00 .. 12.71 12.71 .. 12.00 12.00 .. 12.00 12.00 ..

APPENDIX V

Draft Annual Plan 1982-83

State Plan Outlay under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan 1980-81			Annual Plan 1981-82			Annual Plan (1982-83)			
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed			
					State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(9)	Expansion and improvement of Hostels, Libraries and Schools aided by the department.	40.00	40.00	..	33.39	33.39	..	9.00	9.00	..	21.64	21.64	..	
(10)	Stipend to meritorious students	..	18.00	18.00	..	0.55	0.55	..	3.50	3.50	..	3.50	3.50	..
(11)	Special Award of Prizes to the students who secured First Division post-matric classes.	10.00	10.00	..	4.22	4.22	..	2.00	2.00	..	2.06	2.06	..	
(12)	Special Award of Prizes to the students who secured First Division in High School Final Examination.	7.00	7.00	..	1.15	1.15	..	1.10	1.10	..	6.84	6.84	..	
(13)	Hostel for Girls—50 per cent	..	15.00	15.00	..	12.00	12.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..
(14)	Establishment of Book Bank—50 per cent	16.00	16.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	
(15)	Coaching and Allied Services—													
	1. Allahabad pre-examination Training Centre.	7.50	7.50	..	3.43	3.43	..	1.25	1.25	..	1.25	1.25	..	
	2. Lucknow pre-examination Training Centre.													
(16)	Grant of Scholarship to the students in pre-matric classes whose parents are engaged in unclean profession.	13.50	13.50	..	2.18	2.18	..	2.50	2.50	..	2.50	2.50	..	

(17) Establishment of ATS for deprived group among Scheduled Castes, such as Sweepers, Mushars, Kols, Sahariyas, Bonded Labourers and Landless Labourers. Construction of Ashram Type School.	
(18) Increase in maintenance charges for the students of Ashram type school.	11.00	11.00	3.90	3.90	..	7.91	7.91	..	
(19) Opportunity Cost to Scheduled Caste families.	30.00	30.00	--	--	--	--	8.70	8.70	..	5.75	5.75	..	
(20) Coaching to the student studying in classes X and XII.	30.00	30.00	8.00	8.00	..	19.78	19.78	..	
<i>Economic Development</i>													
(21) Subsidy for graduates trained in Medicine, Law and Engineering etc. for establishment of their profession.	15.00	15.00	..	3.00	3.00	--	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	
(22) Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd. (Share Capital).	60.00	60.00	..	147.00	147.00	--	1.00	1.00	..	1.00	1.00	..	
(23) Agriculture and Horticulture	..	100.00	100.00	..	18.50	18.50	..	18.00	18.00	..	19.90	19.90	..
(24) Small Scale Cottage Industries	..	153.00	153.00	..	33.50	33.50	..	30.00	30.00	..	30.00	30.00	..
(25) Expansion and improvement in existing Technical Training Centres and Polytechnics run by the department and common facility centres.	10.00	10.00	..	5.23	5.23	--	0.02	0.02	..	1.14	1.14	..	
(25-A) Discretionary Grant for treatment and marriage.	--	--	..	2.50	2.50	..	
(26) Pre-examination Training Centres—													
1. For admission in Engineering Classes	5.00	5.00	..	0.55	0.55	1.25	1.25	..	
2. For Judiciary Services	..	9.00	9.00	..	0.47	0.47	..	1.70	1.70	..	3.00	3.00	..
(27) Subsidy for purchase of Agriculture Land to landless labourers.	45.00	45.00	..	10.70	10.70	..	8.50	8.50	..	12.89	12.89	..	

APPENDIX V

Draft Annual Plan 1982-83

State Plan Outlay under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan (1980-81)			Annual (Plan 1 81-82)			Annual Plan (1982-83)		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed		
					State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(28)	Construction of Shops	25.00	25.00	..	4.50	4.50	..	4.80	4.80	..	35.45	35.45	..
	<i>Mealth, Housing and other schemes</i>												
(29)	Subsidy for construction of houses	150.00	150.00	..	10.00	10.00	..	31.00	31.00	..	82.10	82.10	..
(30)	Expansion/repair of houses	15.00	15.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	9.85	9.85	..
(31)	T.A. for attending interviews	1.00	1.00	..	0.20	0.20	..	0.20	0.20	..	0.20	0.20	..
(32)	Strengthening of Administrative Set-up	150.00	150.00	..	32.02	32.02	..	34.25	34.25	..	37.59	37.59	..
(33)	Development of Kols	50.00	50.00	..	7.43	7.43	..	10.00	10.00	..	10.85	10.85	..
(34)	P.M.T. Coaching	8.00	8.00	..	1.50	1.50	..	1.50	1.50	..	1.50	1.50	..
(35)	I.T.D.P. (7 Blocks) Mirzapur	20.00	20.00	4.00	4.00	..	4.20	4.20	..
(36)	Scheme under Civil Right Protection Act. Establishment of Monitoring, Research Survey and Evaluation Cell	15.00	15.00	..	5.59	5.59	..	3.00	3.00	..	3.07	3.07	..
(37)	Free Legal Aid	17.00	17.00	..	2.26	2.26	..	2.50	2.50
(38)	Development of House-sites	50.00	50.00

(39) Publicity -cum-Teaching Programme	5.00	5.00	0.50	0.50	
(40) Atrocities	11.74	11.74	
<i>Welfare of Denotified Tribes</i>													
<i>I—Education</i>													
(41) Grant of Stipend and NRA to the students of Classes IX and X studying Agriculture, Science and Technical Subject.	8.00	8.00	1.50	1.50	..	1.70	1.70	..	3.63	3.63	
(42) Establishment of A.T.S. for Sahariyas	10.00	10.00	1.42	1.42	..	2.00	2.00	..	6.67	6.67	
(43) Establishment of Hostel through Voluntry Agenlies	10.00	10.00	..	1.63	1.63	..	2.00	2.00	..	2.00	2.00	..	
(44) Establishment/Construction of Hostels through the Department.	6.60	6.60	1.00	1.00	..	1.00	1.00	..	
(45) Increase in rate maintenance charges of Ashram type school, students.	62.40	62.40	16.50	16.50	..	16.50	16.50	..	
<i>II—Economic Development</i>													
(46) Subsidy for Development of Agriculture/ Horticulture.	15.00	15.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	2.56	2.56	..	
(47) Subsidy for Development of Small Scale Cottage Industries.	30.00	30.00	..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..	5.76	5.76	..	
(48) Rehabilitation of Denotified Tribes	30.00	30.00	..	6.00	6.00	..	6.00	6.00	..	6.00	6.00	..	
(49) Economic Development of Denotified Tribes who are included in the list of Scheduled Castes.	30.00	30.00	..	6.00	6.00	..	6.00	6.00	..	6.00	6.00	..	
(50) Economic Development of non-Scheduled Tribes.	40.00	40.00	..	7.00	7.00	..	7.00	7.00	..	7.00	7.00	..	
(51) All round Development of Mushars	..	40.00	40.00	..	7.20	7.20	..	7.20	7.20	..	11.26	11.26	..

APPENDIX V

Draft Annual Plan 1982-83

Statement Plan Outlays under Special Component Plan for Scheduled Castes

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development	Sixth Plan (1980—85)			Annual Plan (1980-81)			Annual Plan (1981-82)			Annual Plan (1982-83)		
		Agreed State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	Actual Expenditure			Anticipated Expenditure			Proposed		
					State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay	State Plan outlay	Flow of Special Component Plan	Percentage of the total outlay
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

III—Health, Housing and other Schemes

(52)	Subsidy for construction of houses	21.00	21.00	..	4.00	4.00	..	6.00	6.00	..	6.00	6.00	..
(53)	Subsidy for expansion/repair of houses	9.00	9.00	..	2.00	2.00	..	2.00	2.00	..	2.00	2.00	..

(B) Social Welfare

1	Direction and Administration	10.00	3.20	20	0.97	0.15	20	3.00	0.60	20	3.00	0.90	30
2	Creches for children (0. to 6 years) in sweepers colony.	25.50	5.10	20	3.91	0.78	20	5.00	1.00	20	5.50	1.60	30
3	I.C.D.S. Projects	211.55	42.31	20	37.75	7.55	20	38.05	7.60	20	44.00	13.20	30
4	Opening of 50 Shishu Shalas (0 to 6 years) in rural areas.	5.10	1.02	20	0.90	0.18	20	0.90	0.18	20	1.00	0.30	30
5	Opening of 25 creches in urban slum and rural areas.	5.20	1.04	20	0.41	0.08	20	0.90	0.18	20	1.00	0.30	30

6	International year for children	..	32.40	6.48	20	4.00	0.80	20%	4.00	0.80	20	4.00	1.20	30
7	Rationalization of enhanced cost of maintenance		54.75	10.96	20	14.61	2.92	20%	10.00	2.00	20	15.00	4.50	30
	(4) Nutrition													
	(a) Education Department	..	313.00	107.00	51.1	26.54	N. A.	..	60.00	30.00	50	35.00	17.50	50
	(b) Rural Development Department—													
	(1) M.N.P.	..	215.00	129.00	51.4	41.09	2.3	5.6	40.00	24.00	60	27.00	13.50	50
	(2) Non-M.N.P.	..	117.00	58.50	50.0	26.31	7.11	27	26.00	13.00	50	23.00	11.50	50
	(c) Social Welfare Department	..	355.00	177.50	50	46.00	23.00	50	55.00	27.50	50	39.44	20.00	51
	(5) N.R.E.P.	..	10000.00	7500.00	75	1000.00	750.00	75	3900.00	2339.00	60
	GRAND TOTAL	..	*6200.00	62643.74	10.10	*96.125	5504.80	5.72	*1085.00	9585.038	8.91	*1202.00	12106.87	10.9

*This figure represent the sum up of all those outlays also under which quantification for Scheduled Castes has not been made.

APPENDIX VI

STATEMENT—SCP-2

DRAFT ANNUAL PLAN 1982-83
UNDER SPECIAL COMPONENT PLAN
Physical-Achievements/Targets

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980—85 Physical target	1980-81 Achieve- ment	1981-82 Achieve- ment up to February, 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
I. Agriculture Production						
<i>(1) Agriculture Department</i>						
	Crop Production	.. Beneficiaries	4,00,000	2,03,859	2,42,351	3,00,000
<i>(2) Horticulture and fruit utilisation</i>						
<i>Plain—</i>						
	1. Distribution of Potato seeds	No.	960
	2. Distribution of vegetable seeds	No.	2,600
	3. Distribution of fruit plants	.. No.	12,000
Total ..						15,560
<i>Hills—</i>						
	1. Establishment of Orchard families to be benefitted.	No.	6,000	105	1,200	1,200
	2. Families to be benefitted under vegetable cultivation.	No.	1,200	285	240	240
	3. Potato cultivation families to be benefitted.	No.	1,000	55	200	200
Total ..						1,640
<i>Cane Development</i>						
1. Distribution of cane protection Appliances—						
	A. Dustors	.. Nos.	728	110	168	150
	B. Sprayers	.. Nos.	733	150	168	150
	2. Quantity of seed material to be transported for which subsidy will be paid.	Qntls.	1,16,000	..	40,000	40,000
3. <i>Layout of Seed Nurseries—</i>						
	(a) Foundation	.. Hect.	160	22.84	22	22
	(b) Primary	.. Do.	800	85.94	100	100
	(c) Secondary	.. Do.	1,360	715	525	525
Total ..						647
4. <i>Area to be treated</i>						
	(a) Seed/Soil treatment	.. Hect.	6,000	2,000	1,000	1,000
	(b) Rateen Spray	.. Do.	6,000	..	1,500	1,500

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February, 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
5.	<i>Layout of Demonstration</i>	.. No.	3,460	660	700	700
	(b) Area	.. Hect.	1,730	330	350	350
	<i>Marketing</i>					
	(including Link roads)	In Km.	190	..	35	15
	Pavement on link road	15,000	10,000	20,000
	Land Reforms Financial Assistance to allottees of ceiling land.	land to 16,500 beneficiaries.	land to 10,000 beneficiaries.	land to 20,000 beneficiaries.
	<i>Minor Irrigation</i>					
	(1) Private Minor Irrigation
	(2) State Minor Irrigation	Tube-wells	945	95	188	180
	<i>Soil Conservation</i>					
	<i>(i) Agriculture Department</i>					
1.	Soil and Water Conservation in Plain.	No. of families.	10,000	3,365	2,528	3,000
2.	Stabilization of Ravines in U. P.	Ditto.	800	170	131	800
3.	Reclamation of usar/alkaline in U.P.	Ditto.	4,000	..	1,341	1,200
	Centrally Sponsored R. V. P., Matatila.	Ditto.	200	110	29	100
5.	Centrally Sponsored Soil and Water Management in Flood prone River Gomti.	Ditto.	1,000	300
	Total, Plain	.. Ditto.	16,000	3,615	4,029	4,800
6.	Soil and Water Conservation in hills.	Ditto.	3,500	1,724	2,336	1,000
7.	Centrally Sponsored R.V.P., Ramganga	.. Ditto.	500	200
	Total, Hill Ditto.	4,000	1,724	2,336	1,200
	GRAND TOTAL Ditto.	20,000	5,369	4,365	6,000

Serigl no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Forest Department					
1	Soil conservation in civil and soyam forests.	Hect.	650
2	Works in catchment of Ramganga	Hect.	150
3	Integrated Soil, water and tree conservation in Himalayan Region.	Hect.	700
5	Area Development—					
	(1) I.R.D.	Families	13,00,000	2,28,000	1,80,000	27,000
	(2) C.A.D.A.	Do.	1,50,000	N. A.	50,000	50,000
	(3) D.P.A.P.	Do.	5,000	700	1,000	1,000
	(4) Mandliya Vikas Nigam	..	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
6	Animal Husbandry					
	1. Veterinary Education and Training.	Do.	80 families.	6	20	20
	2. Veterinary Science and Animal Health.	Do.	3.150 lakhs	0.629 lakhs	0.629 lakhs	0.650 lakhs
	3. Cattle Development	Do.	1.842 lakhs	0.236 lakhs	0.240 lakhs	0.250 lakhs
	4. Poultry Development	Do.	0.050 lakhs	0.080 lakhs	0.080 lakhs	0.090 lakhs
	5. Sheep and Wool Development	Do.	0.665 lakhs	0.014 lakhs	0.014 lakhs	0.15 lakhs
	6. Piggery Development	Do.	0.14 lakhs	0.030 lakhs	0.030 lakhs	0.35 lakhs
	7. Other Livestock Development	Do.	0.006 lakhs	0.002 lakhs	0.001 lakhs	0.002 lakhs
	8. Fodder Development	Hect.	0.370 Hect.	0.023 Hect.	0.065 Hect.	0.070 Hect.
7	Dairy and Milk Supply		Not Available.			
8	Fisheries					
	(1) Beneficiaries to be trained	No.	2,350	173	250	500
	(2) Water area to be reclaimed	Hect.	1,175	15	125	250
	(3) Supply of fingerlings	(Lacs)	58.75	10.41	6.25	12.50
9	Forest					
	(1) Plantation of species of economic and industrial importance.	Hect.	220
	(2) Plantation of fast growing species.	Hect.	180
	(3) Management of Road side Avenues.	Roads Km.	24
	(4) Fuelwood plantation in Rural areas.	Hect.	80
	(5) Amenities to forest labour and Taungya Cultivators.	Hutments	3

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
10	Community Development					
	(1) Panchayat Raj —					
	Rural Environmental Sanitation—Construction of Village pavements and drains through peoples participation.	Gaon Sabhas	269	..	60	200
	(2) Pradeshik Vikas Dal		N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
	(3) Grant to Zila Parishad		N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
	II. Co-operation					
	(1) Labour Societies	No.	5	..	1	1
	(2) Rickshaw-puller Societies	No.	5	1	1	1
	(3) Cold Storage	No.	15	..	2	..
	(4) Co-operative Credit	No. (in lakhs)	20	8	12	15
	(5) Co-operative Consumer	Do.	11	4	4.5	6
	(6) Membership	Do.	5	1	1	1
	III. Power					
	(a) Electrification of Harijan Bastis.	Harijgn Bastis.	15,450	2,263	2,200	2,700
	(b) Energisation of Private Tube-wells.	Tube-wells	9,211	635	871	706
	(c) Electrification of Harijan Bastis in which S.C. population is more that 51 per cent.	Villages	75	16	19	15
	IV. Village and Rural Industries					
	(1) Industrial Estates	Industrial Estates.	Establishment of Industrial Estates in the area where Harijans population is high.	Establishment of Industrial Estates in the area where Harijans population is high.	(i) Bachhrawgn (Rae Bareli). (ii) Lalitpur. (iii) Sitapur. (iv) Jalaun.	
	(2) Small Scale Industries					
	(i) Industrial Co-operative (Non-Textiles)
	(ii) Assistance given to Societies—					
	(a) Managerial Assistance	.. No.	86	2	25	25

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
	(b) Grant for construction of workshop/godowns.	No.	7	..	2	2
	(c) Share Capital Loan	No.	36	4	25	25
	(iii) Establishment of New Societies.	No.	35	10	10	10
	(3) District Industries Centres					
	(a) D.I.C. Loan and Margin Money Loan.	Persons	1,000	190	290	200
	(b) Growth Centre Loan	Do.	1,400	330	230	230
	(4) Handicrafts					
	(a) Carpet Training Centres	Do.	3,000	..	600	600
	(5) Handloom and Textiles					
	(1) Share Capital Loan to Weavers Co-operative Societies.	No.	450	87	212	180
	(2) Workshed Assistance to Co-opertaiive Societies.	No.	5	1	1	1
	(3) Training Programme by U.P.I.C.A. Trainees to be trained.	No.	25	3	6	6
	(4) Managerial Assistance to H. L. Co-operaivie Societies.	No.	90	10	15	20
	(5) Training Programme by H. L. Corporation for SC/ S.T.	No.	750	65	100	100
	(6) R.B.I. Interest subsidy to be given.
	(7) R.B.I. Guarantee
	(8) Modernisation of Handlooms	No.	2,000	..	134	200
	(9) Assistance to Societies for construction of Dye Houses.	No.	10	..	2	Scheme dropped by the Planning Commission.
	(10) Construction of Weavers Colonies.	No.	5	1
	(11) Institutional Finance to H.L. Weavers through H. L. Corporation.	No.	2,000	500

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement up to February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
(12)	Assistance for Bunkar Haats	No.	4
(13)	Weaver's Tours	No.	10	2
(14)	Incentive to H.L. Weavers for Export value of H.L. Goods be exported.	Rs. in lakhs	190.00	10.00
(15)	Production to Polyester Blended Fabrics.	No target fixed.				
(16)	Rebate on Sale of H.L. Cloth	Rs in lakhs	24.00	6.00
(17)	Organisation of Bunker Seminars.	No.	5	1
(18)	Incentive H. L. Development Projects.	No.	1	1
(19)	Printing Training Centre at Mau (Azamgarh) trainees to be trained.	No.	10	..	2	2
(20)	Fairs and Exhibitions to be held.	No.	15 (for whole State)	..	Not possible to demarcate.	..
(21)	Share Capital Assistance in U.P.I.C.A.	Rs. in lakhs	20.00	..	1.50	2.00
(22)	Share Capital Assistance in U. P. Handloom Corporation.	Rs. in lakhs	25.00	..	4.50	4.50
(23)	Establishment of Spinning Mills in Co-operative Sector.	No.	1	1
(24)	Sericulture Development Schemes production of Mulberry Silk.	In lacs Kg.	12.80	0.96	2.20	4.80
(25)	Tassar Development Scheme	In lacs Kg.	24.00	0.16	2.40	8.00
V. Roads Villages having population						
1	0-999	..	827	N. A.	N. A.	767 (1980-83)
2	1000-1499	..	147	N. A.	N. A.	141 (1980-83)
3	1500 and above	..	169	N. A.	N. A.	131 (1980-83)

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement up to February 1982	1981-82 Achievement	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
VI. Education						
<i>(1) Education Department</i>						
<i>Enrolment Classes I-V—</i>						
	(a) Total	('000)	2325	1623	1712	1801
	(b) Girls	('000)	792	377	407	437
<i>Enrolment Classes VI-VIII—</i>						
	(a) Total	('000)	627	411	461	511
	(b) Girls	('000)	193	63	93	123
<i>(2) Technical Education</i>						
1	Degree Level Intake	Nos.]	384	201	194	210
2	Diploma Level Intake	Nos.]	1,620	1,485	1,548	1,585
3	Certificate Level Intake	Nos.]	198	186	155	155
VII. Public/Health Sanitation and Water Supply						
<i>(1) Medical and Public Health Minimum Need Programme</i>						
1	Construction of P.H.C. Buildings	Centres]	30	..	3	8
2	Establishment of New P.H.Cs.	Centres]	20	..	4	1
3	Establishment of Subsidiary Health Centres.	Centres	100	..	15	81
4	Construction of Sub-Centres	Sub-Centres	100	..	20	150 New +10 contd.
<i>Hospitals and Dispensaries</i>						
5	Establishment of Allopathic Dispensaries.	Dispensaries	10	22	2	2+6 contd.
<i>I.M.S. and Homeopathies</i>						
6	Establishment of Ayurvedic/Unani Dispensaries.	..	50	40	10	5+14 contd.
7	Construction of Ayurvedic/Unani Dispensaries.	..	5	..	1	..
8	Establishment of Homeopathic Dispensaries.	..	44	4	19	15+23 contd.
9	Construction of Homeopathic Dispensaries.

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
(2) Water supply and Sanitation						
(a) L.S.G. Department						
(1)	Piped Water Supply	Population in thousand	2749.95	400.00	405.40	300.00
(2)	Conversion of dry latrines	No. of flush latrines.	70,000	8,460	9,000	3,200
(b) Rural Development Department.						
		Wells	16,016	4,864	1,550	4,271
		Diggis	2,500	264	500	160
		Hand pumps	10,000	140	2,000	..
VII. Housing and Urban Development						
(1) Housing						
1	Subsidised Industrial Housing Scheme.	No. of houses.	1,650	119	200	284
2	Low Income Group Scheme.	No. of houses.	1,000	54	160	160
3	Middle Income Group Scheme	Ditto.	400	40	72	72
4	Slum clearance Scheme	Ditto.	200	19	40	8
(2) Urban Development						
1	Slum Improvement Scheme	Persons benefited.	3,35,000	55,000	67,500	67,500
2	Kanpur Urban Development Project—					
	(i) Sites and Services	..	3,000	..	600	600
	(ii) Slum Upgradation	..	4,000	..	600	1,200
3	Allotment of house sites to landless rural workers (Revenue Department).	(a) Allotment	50,000	89,247	1,00,000	10,000
		(b) Development.	20,000	N. A.	N. A.	5,000
4	Construction of Rural Houses (Rural Development Department).	..	44,800	N. A.	13,000	13,500
IX. Other Social Services						
(1) Labour and Labour Welfare						
(a) Labour Welfare and (Rehabilitation of Bonded Labourers)—						
	Hills	Persons	4,710	125	1,373	1,480
	Plains	Persons	424	..	75	91

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
<i>(b) Employment Exchange</i>						
1	Coaching-cum-Guidance Centre for S.C.	Nos.	6	2	1	16
2	Special Employment Exchange at Duddhi, Mirzapur.	Do.	1
<i>(c) Craftsman training—</i>						
1	Number of ITIs.	Nos. (cumulative)	67	67	68	68
2	Intake Capacity	Nos. (cumulative)	27,120	26,944	27,184	27,312
<i>(2) Welfare of Backward Classes</i>						
I. Education						
1	Establishment of A.T.S. at Thripak-Chamoli.	Ashram Type School.
2	Establishment of Hostel for Boys	Hostel	57	2	13	17
3	Grant of scholarship and NRA to the students studying Science Agriculture and other Technical Subjects in pre-matric Classes.	Students	3,33,333	63,160	66,670	1,68,174
4-A	Increase in rates of Scholarship					
4	Grant of scholarship in Classes IV and V.	Students	7,50,000	1,80,033	1,50,000	18,98,000
5	Grant of NRA. to the students reading in pre-matric Classes for purchase of books and other appliances.	Do.	83,340	11,525	16,730	16,730
6	Reimbursement of fees to non-Government Educational Institutions but recognised.	Do.	1,00,000	19,800	19,800	38,420
7	NRA. in post-matric classes for purchase of books and other appliances to the students who are studying in Medical Engineering and other Technical Subjects.	Do.	12,000	2,559	2,400	2,400
8	Expansion and improvement of Hostels, Schools and Libraries run by the department.	Institutions		Not fixed.		
9	Stipend to meritorious students	Students	360	11	70	70

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
10	Special Award of Prizes to the students who secured First Division in post-matric Final Examination.	Do.	2,500	1,055	500	500
11	Special Award of Prizes to in High School to the students who secured First Division in High School Examination.	Do.	1,750	288	275	1,710
12	Hostel for girls	Hostels	3	Hostels 2	Main-tenance.	Main-tenance.
13	Establishment of Book Banks	Set of Books		Not fixed.		
14	Coaching and Allied Services—					
	(1) Allahabad pre-Examination Training Centre.	} Trainees	40	N. A.	N. A.	40
	(2) Lucknow pre-Examination Training Centre.					
15	Grant of Scholarship to the students whose parents are engaged in unclean profession.	Students	9,000	1,453	1,667	1,667
16	Establishment of A.T.S. for De-preived Group among Scheduled Castes.	A.T.S.		Not fixed.		
17	Increase in maintenance charged of the students of A.T.S.	Students		Not fixed.		
18	Opportunity cost to Scheduled Castes families.	Families	15,000	..	4,350	3,195
19	Coaching to the students studying in classes X and XII.	Coaching Centre.		Not fixed.		
II. Economic Development						
1	Subsidy for Graduates trained in Medicine, Law and Engineering etc. for establishing their professions.	Persons	300	60	60	60
2	Scheduled Caste Finance and Development Corporation (Share Capital).	Families	2,00,000	30,011	60,000	85,000
3	Agriculture and Horticulture	Families	10,000	1,850	1,800	1,990
4	Small Scale Cottage Industries	Do.	5,100	1,000	1,000	1,000
5	Expansion/Improvement in existing T.T.C. and Polytechnic run by the Department.	Institution Maintenance				

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7
6 Pre-exam. Trg. Centre—						
	(1) For Admission in Engg. Classes.	Centre		Maintenance		
	(2) For Judiciary Services	Do.		Do.		
7	Subsidy for purchase of Agricultural Land to landless.	Families	900	214	170	258
8	Interest Subsidy on Bank loan for Construction of Shops.	Persons	250	45	48	354
III. Health Housing and other Schemes						
1	Subsidy for construction of Houses	Families.				
2	Expansion repair of houses	Do.		Not available.		
3	T.A. for attending interviews	Persons		Not available.		
4	Strengthening of Administrative setup.	Staff		Maintenance		
5	Development of Kols.	Ashram type School.		Maintenance		
6	P.M.T. Coaching	Centre		Maintenance		
7	I.T.D.P. (Mirzapur)	..		Not fixed		
8	Scheme under Civil Right Protection Act. Estt. of Monitoring, Research, Survey and Evaluation Cell.	Cell		Maintenance		
9	Free Legal Aid	.. Families		N.A.	N.A.	
10	Development of House Sites.	House Sites.	25,000	NA.	5,000	5,000
11	Publicity-cum-teaching programme to the people to avail the maximum advantage of the Schemes.	N.A.
(B) Welfare of denotified Tribes (included in the list of S. Cs.)						
I- Education :						
1	Grant of Stipend and NRA to the Students of Classes IX and X studying, Agriculture, Science, and other Tech. Subjects.	Students	5,334	1,000	1,133	2,420

Serial no.	Item/Scheme	Unit (No. of families)	Five-Year Plan 1980-85 Physical Target	1980-81 Achievement	1981-82-1982-83 Achievement upto February 1982	1982-83 Proposed Target
1	2	3	4	5	6	7

II—Economic Development

2	Subsidy for Development of Agriculture/Horticulture.	Families	1,500	300	300	956
3	Subsidy for Development Small Scale Cottage Industries.	„	1,000	100	100	192
4	Rehabilitation of Denotified Tribes.	„	600	120	120	120

III. Health Housing and other Schemes

5	Subsidy for construction of houses	Houses	..	2,066	2,120	3,500
---	------------------------------------	--------	----	-------	-------	-------

(3) *Social Welfare :*

1	Direction and Administration	.. No. of persons.	54	5	10	15
2	Creches for younger children (0 to 6 years) in sweeper colony.	„	125	25	25	25
3	I.C.D.S. Project	.. No. of persons.	92,000	12,000	36,940	83,135
4	Opening of 50 Sheshu Shala (0 to 6 years) in rural area.	„	1,250	250	250	300
5	Opening of 25 creches in urban slum and rural area.	„	125	25	25	25
6	International year for children	„	3,400	25	1,250	1,500
7	Rationalization of entrance cost of maintenance.	„	11,000	700	1,500	2,000

(4) *Nutrition :*

(a) Education Deptt.

N.A.

(b) Rural Rev. Reptt.

N.A.

(c) Social Welfare Department.

Women/
Children

2,92,000 26,000 60,000 83,135

(5) N.R.E.P.

Being fixed.

PRIME MINISTER

No. 281-PMO-80

New Delhi,

March 12, 1980

DEAR C.P.N.,

I AM writing to convey to you the deep concern of the Government of India about the problems of the Scheduled Castes, and the high priority that we attach to the task of their rapid Socio-economic development.

I am writing separately about the measures to be taken to deal with the atrocities of crimes on Scheduled Castes, which have been occurring in large numbers and have sharply increased in the last 3 years. There is a clear nexus between the economic plight of the Scheduled Castes and the atrocities and Social disabilities to which they are subjected. For example, many of these crimes are intended to terrorise and cow down the Scheduled Castes when they seek fair wages for Agricultural labour or try to cultivate the lands legally allotted to them. A permanent solution to this situation must be based on the rapid economic development of the Scheduled Castes.

The proportion of Scheduled Castes in the poverty population of India is much larger than their proportion of 15 per cent in the total population. They are characterised by below-the-poverty-line economic status, poor asset ownership, general dependence on agricultural labour subsistence farming, share-cropping, leather work and other types of low-income occupations preponderance among bonded labourers, and subjection to social and civil disabilities.

In my inaugural address to the conference of State Ministers in charge of Backward Classes Welfare in April, 1975, I had emphasised the responsibility of the different Departments in executing programmes relevant to the Scheduled Castes. That conference recognised the needs of the Scheduled Castes and recommended that each Department should identify programmes relevant to the Scheduled Castes in each sector and quantify the benefits that should be made available to them. I understand that most State Govts. have formulated Special Component Plans for Scheduled Castes as part of their State Plans.

The Special Component Plan, already prepared by the State Government, have not only to be improved quantitatively and qualitatively but should also be implemented satisfactorily. Satisfactory implementation will require not only attention to programmes but also a clear cut personnel policy consisting *inter alia* of orientation of officers of Departments/concerned with development towards the needs of the Scheduled Castes and their careful selection, training and continuity of tenure. The objective of the various development programmes in the Social Component Plan should be to enable Scheduled Castes families in the State to cross the poverty line within a short and specified period, if possible at least half of them in this Plan period itself. For this purpose, it is particularly important to take note of the developmental needs of the Scheduled Castes in each occupational category, identify the available opportunities suitable for them, formulate appropriate developmental programmes in the light of the above and build these programmes and corresponding outlays into the Special Component Plan. In this context, an illustrative list of possible programmes in important sectors for different occupational categories of the Scheduled Castes is enclosed. It is important that the programmes and outlays in the Special Component Plan do not represent small token provisions, but should be adequate to cater to a substantial proportion of the number of Scheduled Castes families in the relevant occupational categories.

The Scheduled Castes Development Corporations, which is another important instrument for the development of Scheduled Castes, should be activated and made effective in the field. Close linkages should be established between the sectoral programmes in the Special Component Plans and the Scheduled Castes Development Corporation's activities. There are also a number of other programmes for the Scheduled Castes, which are wholly or partly funded by the Central Government. The State must take full advantages of them by preparing programmes and providing matching funds wherever prescribed.

Your will hear in greater detail from the Ministry of Home Affairs and the Planning Commission. You should see that the task of the development of the Scheduled Castes receives the highest priority from your State Government and gets the benefit of your personal attention and guidance. Please keep me informed of the action taken and the progress from time to time. A Conference with focus on the progress of the economic development of the Scheduled Castes may be held some time later.

Yours Sincerely,
INDIRA GANDHI,

Shri C. P. N. Singh,
Governor of Uttar Pradesh,
LUCKNOW.

Illustrative list of programmes for the development of Scheduled Castes especially economic development, in the Special Component Plans.

I. For the Scheduled Castes agricultural labourers, who comprise 52 per cent of all Scheduled Castes Workers *in the country*.

(i) Animal Husbandry programmes including dairying in a viable package, With linkages with operation Field II and other Livestock programmes, fodder; veterinary services etc;

(ii) Similar schemes for poultry, pigery, goat rearing, sheep breeding etc., in a viable package.

(iii) Sericulture, again in a viable package specially formulated to meet the needs of the Scheduled Castes agricultural labourers.

All these programmes for agricultural labourers should be taken up on a sufficiently large scale so as to enable at least half the Scheduled Castes families to cross the poverty line within the Plan period.

II. *For Scheduled Castes cultivators who constitute 28 per cent of all Scheduled Castes workers in the country.*

The Scheduled Castes cultivators are mostly share-croppers, tenants, marginal and small farmers. They generally have land holdings of low quality and inferior cropping patterns and inadequate inputs. The following programmes require to be taken up for them.

(i) The comprehensive development of all land holdings of Scheduled Castes in the State with the provisions of irrigation facilities wherever surface or around water resources are available. In order that this makes a significant impact the programme has to be taken up on a substantial scale through a systematic listing of all Scheduled Castes holdings. Necessary inputs like credit, electricity, pumps etc. should also be suitably linked.

(ii) Specific and significant coverage of the Scheduled Caste cultivators in all the agricultural production programmes. This will involve provision of inputs like short-term credit, seeds, fertilizers etc. every season and service like marketing assistance, storage etc.

(III). *Programmes for other categories including fishermen, artisans etc.*

In certain parts of the country Scheduled Castes are generally in specific occupational groups in large numbers. Thus for example fishermen in the Eastern region and weavers in the Western are wholly or mostly from the Scheduled Castes. Almost all leather workers all over the country and producers of many handicraft production in various parts of the country are also of the Scheduled Castes. It is necessary to take a total view of their problems in each category, formulate suitable programmes and implement them effectively. These would include :

(1) Special comprehensive projects wherever there is a large number of Scheduled castes be they fishermen, Weavers, Leather workers or other artisans like basket and mat makers, cane and bamboo workers etc.

(ii) Specific programmes for the improvement of the skills of the Scheduled Castes in Cottage and Village Industries.

(iii) Provision of raw material banks/linkages, training in appropriate technology to create/upgrade skills, common facilities and work places, market linkages; assistance, subsidies etc.

(iv) *Programmes for those engaged in so called 'unclean occupations' like cleaning of dry latrines*—Though their proportion among Scheduled Castes is small, this category needs attention on account of the human aspects of their working conditions. They have to be trained and rehabilitated in alternative occupations, simultaneously with a programme for converting dry latrines into water-borne latrines. Meanwhile, their working and living conditions should be improved.

(v) *Education: reducing the literacy gap of the Scheduled Castes and drop-out rate*—Though considerable progress has been made in the educational development of the Scheduled Castes, there is still a wide literacy gap between the Scheduled Castes and

the rest of the population and the drop-out rate is higher among them. These problems are particularly acute among those Scheduled Castes who are agricultural labourers, subsistence farmers and artisans. Programmes for bridging the literacy gap of the Scheduled Castes require to be brought into the plan and seriously implemented. Higher enrolment and lower drop-out rates through a scheme of payment of opportunity cost to the Scheduled Castes families who depend on the labour of their boys and girls to contribute to even subsistence level income : Special emphasis on the education of girls, making adult education programme more meaningful and relevant to the Scheduled Castes especially by providing informational inputs pertaining to economic development opportunities and facilities, location a good number of adult Education Centres and new School in the Scheduled Castes mohallas/localities as an instrument of social integration.

D. O. No. 11814(1)/9/81-SC & BCD-II

HOME MINISTER INDIA

New Delhi,

April 13, 1981

DEAR SHRI V. P. SINGH,

I am writing regarding the work being done in the State Government with regard to Scheduled Castes Development. I am particularly happy to know that in the last 8 to 10 months there has been noticeable progress in reaching the benefits of development to the Scheduled Castes. The Special Component Plan prepared by the Government of Uttar Pradesh for 1980—85 and 1981-82 was discussed recently at Delhi. I understand that while there have been problems, the Special Component Plan for Scheduled Castes is now being given the Priority it should get. There is of course, always scope for improvement and I am certain that the Government of Uttar Pradesh will continue to make the fullest efforts.

2. I am told that the Uttar Pradesh Harijan Kalyan Nigam which was relatively dormant in the past, and which had confined its activities to the distribution of grants, has now been galvanised into an effective instrument. Problems of institutional finance will always be there, but I am told that tie-up arrangements with Commercial Banks in Uttar Pradesh have recently been fairly successful. Further, linkages with the I.R.D. Programme S.F.D.A. etc. are also important and will in fact lead to an integrated and co-ordinated approach in the field. I am glad a beginning has been made in this direction as well.

3. We are indeed happy that Uttar Pradesh has been able to show perceptible progress with regard to the development of Scheduled Castes. The sense of direction you have given and the dedication of your officers have undoubtedly made it possible for Uttar Pradesh to begin this kind of break through. The Personnel policies emphasised by the Prime Minister in her demi-official letter No. 281—PMO-80, dated 12th March, 1980 (copy enclosed) are of critical importance and accordingly I do hope, now that the programmes are beginning to take off, you will ensure that there is continuity of tenure in respect of the officers dealing with Scheduled Castes development. In some other States where the programme was beginning to make some headway, there have been several set backs because officers dealing with this work were shifted time and again.

With kind regards.

Yours sincerely,

ZAIL SINGH.

SHRI V. P. SINGH,

*Chief Minister of Uttar Pradesh,
Lucknow.*

P. S. KRISHNAN
Joint Secretary (SCBCD),
Tele no. : 381652

D. O. No. BC. 11014/51/81-SCBCD. III
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, dated the January, 1982

DEAR SHRI RAM KRISHAN,

As you are aware the Special Component Plan 1982-83 discussions are to be held shortly by the Planning Commission. They would be intimating the date of the discussion separately. The series is expected to commence from the 3rd week of January and all States are expected to be completed by the 3rd week of February. As usual, the Ministry of Home Affairs will also be associated with the Planning Commission in the discussions. The draft Special Component Plan 1982-83 document prepared by the State Government has also been received. This is being examined and detailed comments would be sent separately. I am writing now to invite your attention to certain important points which may kindly be kept in mind while preparing the final Special Component Plan 1982-83 after the State Plan and Sectoral Outlays for 1982-83 are finalised, and brought out in the Special Component Plan document for 1982-83 and those for future years.

2. We would urge you to ensure that the final Special Component Plan document contains *inter alia* the following particulars :

(i) Scheme-wise details both for the statements SCP-I and SCP-II are required to be furnished; it would not be sufficient to give merely sector-wise particulars.

(ii) In the draft document some information regarding the implementation of the Special Component Plan (in physical and financial terms) has been given; however, these have been shown as provisional. We expect that final figures of performance for 1981-82 must be available with the State Government now; these are necessary and may be shown in the Special Component Plan 1982-83.

(iii) Full particulars of the utilisation of the Special Central Assistance released to the State Government so far this would include the token allocation of 1979-80, and the allocations for 1980-81 and 1981-82.

(iv) Details of the proposed utilisation of the Special Central Assistance during 1982-83. While finalising this you would no doubt keep in view the need for ensuring that the Special Central Assistance has the greatest possible impact on income generating programmes for poverty line crossing, as is the intention of this supplemental additionality. This requires careful planning of the utilisation of the Special Central Assistance and exclusively for income-generating economic development Schemes—both for the five year period and for the annual period; Keeping in view the Prime Minister's target of enabling 50 per cent of the Scheduled Castes families to cross the poverty line. Shri Makwana's D. O. letter no. B.C. 11014/70/81-SCBCD-III, dated December 28, 1981 regarding optimal and Cost-effective utilisation of the Special Central Assistance in conjunction with State Sectoral Special Component Plans and other sources of funds will have also to be kept in view and *ad hoc* distributions of the Special Central Assistance eschewed. The Plan for utilisation of Special Central Assistance and the proposed utilisation of Special Central Assistance of 1979-80 (token), 1980-81 and 1981-82 of 1982-83 on the above lines have to be brought out clearly in the Special Component Plan document for 1982-83.

(v) Full particulars of the coverage of families for 1982-83 may be shown in the Special Component Plan document. This will enable us to decide and intimate to State Government the major of the Special Central Assistance that will be available to the State at the beginning of the financial year 1982-83 itself.

(vi) Particulars of achievements in terms of families enabled to cross the poverty line during the years 1980-81 and during 1981-82. These figures for 1980-81 are essential for releasing the last instalment of the Special Central Assistance for 1981-82. Similarly these figures for 1981-82 are essential for deciding early in financial year part of the Special Central Assistance which is based on this effort based criterion.

(vii) Particulars in respect of the Specially Vulnerable groups namely 'scavengers and sweepers', bonded labourers, and Nomadic, semi-Nomadic and Denotified communities among the Scheduled Castes. My letter no. BC-11014/45-81—SCBCD-III, dated June 15, 1981 is already available with you and contains the format in which we require this information. This information is the basis for releasing part of the Special Central Assistance based on this effort based criterion.

(viii) The provision of facilities/services to the Scheduled Castes basties and habitations is an important aspect of the strategy for the development of Scheduled Castes. Full details of the magnitude and dimensions of the total problem in the State in respect of drinking water, street lighting, link roads, sanitation etc. require to be shown in the Special Component Plan document, so that the physical targets and financial outlays may represent systematic and measurable efforts to meet and solve each of these problems and needs in its totality. These data have to be come out clearly in Special Component Plan document of 1982-83.

3. Scheme-wise comments on the Special Component Plan 1981-82, which was discussed in the Planning Commission earlier this year are available with the State Government, both in the minutes and in the agenda papers circulated before the meeting. It is requested that these be specifically noted and taken into account in respect of the different schemes of the Special Component Plan 1982-83. We have had instances of the schemes being reproduced in the past without taking into account the earlier discussions at Delhi or in the State. We presume you would have circulated, to the different departments, the scheme-wise comments on the Special Component Plan 1981-82, with instructions to keep them in view.

4. For your facility I am also enclosing a note (Annexure I) on the criteria for the quantifications of funds for inclusion in the Special Component Plan. States are well aware of them and have been generally following them. However, there may be some Departments/Officers in some States who may still be a little unfamiliar. The enclosed note, we hope, would clarify any doubts, if such doubts still remain.

5. Now that the Special Component Plan has become part of the regular Plan exercises of the State, we are anxious that these are effectively implemented. If there are at all any shortfalls in achievement either in physical or financial terms in the Special Component Plans 1980-81 and 1981-82 we would urge you to see that these are made up by suitable provisions in the Special Component Plan 1982-83.

6. This brings another important aspect which has to be fully and specifically covered in the Special Component Plan document 1982-83. This pertains to the arrangements and systems for effective implementation and precise and concurrent minortiring and taking of timely remedial measures so as to preclude financial or physical shortfalls. Annexure II lists out some important points in this regard which should be covered in the write up of the Special Component Plan. The report of the Working Group on the Development of Scheduled Castes in the Sixth Plan 1980—85 (copies of which are already available with the State Government) may also be referred to.

7. We would also like to emphasise that it is extremely important that the Special Component Plan document should contain all these details; otherwise it becomes difficult for Government of India to release the Special Central Assistance. Absence of these details will also make it difficult for the State to formulate an optimal and meaningful Special Component Plan, geared towards meeting the economic developmental and other developmental needs of the scheduled Castes, to effectively implement the Plan, and precisely and to concurrently monitor it and take timely remedial measures wherever necessary to preclude financial or physical shortfalls. If the full details are not available at the beginning of the financial year, it is possible that the State Government may miss out on the allocations of Special Central Assistance. The Special Central Assistance likely to be released to State in 1982-83 is Rs. 2731.00 lakhs. As you know and as has been reiterated on a number of occasions, this is to be used only for income generating economic development schemes.

8. We would request you to let us have the final Special Component Plan document well in time for the meeting in the Planning Commission.

SHRI RAM KRISHAN,

Secretary

*Social Welfare Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.*

Yours sincerely,

P. S. KRISHNAN.

ANNEXURE I

Criteria for the quantification of funds into the Special Component Plan

The following criteria are the criteria for quantification of funds from the General Sector and their inclusion in the Special Component Plan :

(a) In family/individual-oriented scheme, the beneficiaries can be individually identified. In such programme a percentage of outlays is included in the Special Component Plan corresponding to the planned percentage of Scheduled Castes among the programme beneficiaries.

(b) There are some programmes which are likely to benefit the Scheduled Caste bastis as a whole. These include drinking water supply, street lighting, link roads (to/from bastis) and so on. In such schemes, the cost of providing the facility in/to the bastis (not to the whole village) is included in the Special Component Plan.

(c) Where any services/facilities such as primary schools, panchayat ghars, drinking water wells etc. intended for the entire village, are located in the Scheduled Caste Basti, the entire cost is included in the Special Component Plan, State Governments of Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh etc. have issued orders that in future all new community facilities proposed to be provided in a village should be located in the Scheduled Caste bastis. This serves the objective of promoting social integration while removing the scope for discrimination against members of the Scheduled Castes and meeting the needs of the Scheduled Castes as well as of the rest of the village.

(d) There are certain schemes like minor irrigation which benefit a group of individuals. In such cases the entire outlay is quantified in the Special Component Plan, if 51 per cent or more of the command area is comprised within the holdings of Scheduled Castes. Another example is environmental improvement of slums with 51 per cent or more of Scheduled Castes population. Further more, outlays for a assisting co-operation and other such institutions are also included in the Special Component Plan provided at least 51 per cent of the membership of such societies/institutions is from among the Scheduled Castes and benefits will go the Scheduled Caste in no less proportion. In such cases, where the relevant Scheduled Caste proportion is less than 51 per cent, inclusion in to SCP is not made. It has also to be noted that where benefits clearly flow and can be made to flow to individuals, the criteria at (a) above will apply and not at (d), for example where assistance of Rs. 1,000 per hectare is given for assigned lands, and 51 per cent or more of the beneficiaries of this programme are all the Scheduled Castes, it will not be correct to include cent per cent total expenditure under this programme in the Special Component Plan.

(e) The State Government make provision in the State Plans for contributing to the share capital of State Loans Development Banks, State Co-operative Banks, Co-operative Marketing Organisations etc. Such organisations are thereby enabled to raise resources from financial institutions for further lending to their members. A percentage of outlays for share capital contributions for such institutions corresponding to the planned percentage of lending by such institutions to their Scheduled Castes members, is also quantified in the Special Component Plan.

(f) Wages are not included in the Special Component Plan.

(g) In the matter of general infrastructure located outside the Scheduled Castes basti, like schools, roads, hospitals, etc., a rational arithmetical proportion of the total outlay on the basis of the percentage of the Scheduled Casts. in the area or among the users, is not computed and included in the Special Component Plan.

ANNEXURE II

Some important points regarding Implementation, Monitoring and Remedial Measures to be included in the Special Component Plan document :—

- (a) Arrangements and systems for distribution of family coverage and other physical as well as financial targets among the different sectoral departments, Heads of departments, district level, block level, and other field level officers and set-ups under each department with clear guidelines for implementation and fixing of responsibilities for implementation.
- (b) Communication to the District Magistrates and B.D.Os. of the targets and guidelines referred to at (a) above so as to facilitate district level and Block Level co-ordination by District Magistrates/Collectors/Deputy Commissioners and B.D.Os. respectively.
- (c) Essential strengthening, especially at district/field level for ensuring satisfaction implementation, monitoring and timely remedial measures.
- (d) Implementation, review and Monitoring Committees at State level, departmental level, district level and other field levels.
- (e) Arrangements and systems for ensuring that receipt of data of monitoring are not delayed.
- (f) Identification of areas of co-ordination required between the main department implementing a programme and other departments which have also got a role in that programme, and arrangements and systems for such co-ordination.
- (g) Arrangements and systems for tie-ups between the various concerned departments, the Scheduled Castes Development Corporation and Banks and other financial institutions.
- (h) Even where a programme is to be implemented by a single department, especially where they pertain to activities involving production and income generation, various internal tie-ups will be required to ensure that all necessary backup services and linkages are available to the beneficiary families/groups and clusters of families. Arrangements and systems to provide this have also to be covered.
- (i) Arrangements and systems to ensure that a scheme does not merely remain as a static paper scheme but becomes a dynamic programme bringing out the number of families to be covered, the details of the schemes for each, where the families will be how they will be located, how the inputs will be arranged how they will be organised, etc. and the time and action scheduled for each stage and items of action.
- (j) Arrangements to ensure cluster, saturation and team approach.
- (k) Whether the State has listed villages in the descending order of the Scheduled Castes population in the villages so that economic as well as other schemes could be concentrated on villages with the largest number of Scheduled Castes families/population and thus maximum number of population/families can be covered with the same effort. Any other type of rational ordering of villages or groups of villages adopted by the State has also to be brought out in the Special Component Plan document.

संख्या भा 0 स 0 35/26-3--80-4(29)-80

प्रेषक,

राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

- (1) समस्त विभागों के सचिव/विशेष सचिव,
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 1980 ।

विषय- - हरिजन बस्तियों में सरकारी संस्थाओं के खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देश ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

शासन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करने के लिये दृढ़ संकल्पित है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याणार्थ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जनजीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के लाभ का पर्याप्त अंश अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तक पहुंचे। आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के अधिकांश भागों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग गांवों तथा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं जो प्रायः प्रतिष्ठित भाग से अलग समझे जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं का अभाव भी रहता है इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्तर, आत्म सम्मान तथा मनोबल ऊंचा करने तथा उनकी विकास क्षमताओं को प्रबल करने के दृष्टिकोण से शासन ने यह निर्णय लिया है कि समस्त सार्वजनिक सेवाओं का पर्याप्त लाभ अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में समान रूप से पहुंचाया जाय।

2- अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में नये खोले जाने वाले सरकारी कार्यालय/संस्थायें जैसे सहकारी समितियां, सरकारी भवन कार्यालय, बालबाड़ी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जन वितरण योजना के अन्तर्गत सस्ते मूल्य की दुकानें आवासीय कालोनी आदि, जहां तक सामान्यतः संभव हो, हरिजन बस्तियों में खोले जाय। यदि हरिजन बस्तियों में स्थानाभाव हो तो निकटतम स्थान पर व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी सेवायें जैसे-पेयजल, सीवेज, विद्युत आदि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ हरिजन क्षेत्रों को अवश्य पहुंचाया जाय।

3- जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के बीच में समानता की मनोवैज्ञानिक धारणा उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह अपेक्षित है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी हरिजनों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में उनसे वार्ता करने और उनके लिये चलाई जा रही समस्त योजनाओं से उन्हें अवगत कराने तथा यथासंभव उनकी सहायता करने के लिये समय-समय पर हरिजन बस्तियों में स्वयं भ्रमण करें। ऐसे भ्रमणों के अधिकारियों की भ्रमण डायरी में अंकित किया जाय तथा नियमित रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जाय।

4- अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णयों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्त समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा उन्हें वह भी अवगत करा दें कि इन आदेशों का उल्लंघन अथवा इनमें किसी प्रकार की ढिलाई शासन द्वारा गम्भीरता से देखी जायगी।

भवदीय,
राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव ।

संख्या भा० स० 35(1)/26-3--80-4(29)-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1--श्री पी० एस० कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली को उनके अर्ध शा० पत्रांक बी० सी० 17020/7-80 एस० सी० एण्ड बी० सी० डी०, दिनांक 19 मई, 1980 के संदर्भ में ।
- 2--उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, महानगर, लखनऊ ।
- 3--प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, 912 सेक्टर-सी महानगर, लखनऊ ।
- 4--प्रबन्ध निदेशक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि०, 24-प्रेमनगर, लखनऊ ।
- 5--प्रबन्धक निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 119/231, खन्धारी बाजार, माता हिंगलाक देवी मार्ग, लखनऊ ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव

राम कृष्ण
सचिव ।

अर्ध शा 0 पत्र सं 0 8171/26-3-81-11(50)/81
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 1981

प्रिय महोदय,

कृपया श्री जे 0 एल 0 वजाज, तत्कालीन सचिव, नियोजन (राज्य योजना आयोग) के अर्ध शा 0 पत्र संख्या-3353-35-(रा 0 यो 0 आ 0) दिनांक 19 सितम्बर, 1981 की ओर ध्यान देने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के संबंध में जिलों में उत्पन्न शंकाओं के निराकरण हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

2--मुझे उक्त पत्र के प्रस्तर 6 तथा 7, जो विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली में अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भूमिका के सम्बन्ध में है, की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों में राज्य योजना आयोग की सहमति से आवश्यक संशोधन करते हुए जिला स्तर पर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की संरचना के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका तैयार कर ली गई है । यह मार्गदर्शिका आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

3--यह सत्य है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका को प्रेषित किये जाने में कतिपय विलम्ब हो गया है तथापि कृपया शासन को जिलायोजना भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिला योजना मार्गदर्शिका के अनुसार तैयार की गई है और उसमें अनुसूचित जातियों के लिये अपेक्षित प्राविधान कर लिया गया है । उपरोक्त मार्गनिर्देशिका पर अनाधारित जिला योजनाओं को शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने में कठिनाई होगी ।

4--जैसा मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-4 में कहा गया है, अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न विकास सेक्टरों में मात्राकरण की कार्यवाही वर्ष 1981-82 के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (जिसकी प्रतियां आपके पास उपलब्ध हैं) के आधार पर की जानी है ।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

भवदीय;

राम कृष्ण ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2--समस्त विकास विभागों के सचिव/विशेष सचिव ।

3--समस्त विकास विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों को जिला सेक्टर की योजनाओं में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये परिव्यय मात्राकृत करने के सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें । समय सारणी के अनुसार जिला योजना की तैयारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके, अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश तथा सूचना जिलों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें । जिला योजनाओं का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनमें अनुसूचित जातियों के लिये मात्राकरण कर लिया गया है ।

4--समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त ।

5--समस्त मुख्य/जिला विकास अधिकारी ।

6--समस्त अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी ।

7--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे संगंधित विकास विभागों से संपर्क स्थापित करके यह सुनिश्चित करें कि जिला योजना में अनुसूचित जातियों के लिये मार्गदर्शिका के अनुसार मात्राकरण का समावेश हो गया है ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की मुझसे अपेक्षा की गई है।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

डा० जे० पी० सिंह,
सचिव, नियोजन,

(राज्य योजना आयोग) उ० प्र० शासन, लखनऊ।

जिला सेक्टर की योजनाओं में अनुसूचित जातियों की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भूमिका

नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण में जिला योजनाओं को तैयार करने हेतु मूलभूत सिद्धान्तों में सर्वप्रथम सिद्धान्त यह है "विकास सामाजिक न्याय के साथ हो" इस सिद्धान्त को मानते हुए जिला योजनाओं के विकास कार्यक्रम को तैयार करते समय यह देखा जाना आवश्यक है कि उन कार्यक्रमों से रोजगार एवं विकास के अवसर विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिये दिये जा रहे हैं। प्रदेश के पिछड़े हुए वर्गों में अनुसूचित जातियों का सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन सामान्यतया अधिक है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से पंचम पंचवर्षीय योजना तक इन जातियों के विकास में मुख्यतः शैक्षिक योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। वस्तुतः अनुसूचित जातियों के सामाजिक पिछड़ेपन का आधार भी उनका आर्थिक पिछड़ापन ही है अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उनके सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनका आर्थिक विकास मुख्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2—छठी पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये जो वरीयता निर्धारित की गई है वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सामान्य नीति सिद्धान्त के साथ-साथ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा उनके पिछड़ेपन पर आधारित है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिये सर्वोच्च वरीयता कृषि, पशुपालन, लघु तथा कुटीर उद्योग और क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों पर दी गई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आवश्यकताओं में शिक्षा, आवास, जल संपूर्ति एवं स्वच्छता, चिकित्सा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण सड़कों में वरीयता दी गई है। अतः सामान्य सेक्टरों की जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली विकास योजनाओं को तैयार करते समय यह ध्यान रखना है कि विभिन्न विकास विभाग अपनी विकास योजनाओं में जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा उनके पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में जिला योजना तैयार की जाय। जिला योजनाओं को तैयार करते समय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है:—

(1) जिले में गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जातियों के कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों को प्रत्येक वर्ष आर्थिक विकास की योजनायें इस प्रकार उपलब्ध कराई जाय कि वे अपनी आय में स्थायी रूप से वृद्धि करते हुए गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक अर्थात् वर्ष 1984-85 तक शैक्षिक स्तरों पर अनुसूचित जातियों में विद्यमान अन्तर को समाप्त कर दिया जाय।

(3) अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक पिछड़े वर्गों जैसे-अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों, नोमेडिक/सिमी नोमेडिक जातियों, बंधुवा मजदूरों तथा महिलाओं एवं बच्चों के विकास प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जाय और यह ध्यान रखा जाय कि जिला सेक्टर में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिये विभिन्न विकास सेक्टरों के अन्तर्गत जो धनराशि मात्राकृत की जाय उसमें कम से कम 10 प्रतिशत मात्राकरण उपरोक्त वर्गों के लिये आवश्यक निर्धारित हो।

3—जिला सेक्टर की योजनाओं में समस्त योजनायें विभागीय प्रकृति की होंगी अर्थात् उनका लाभ व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष के लिये होगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वही धनराशि दिखाई जा सकती है, जिसका लाभ अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों एवं बस्तियों को पहुंचे।

4—विभागीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये धनराशियों का मात्राकरण वर्ष 1981-82 में किये गये मात्राकरण के आधार पर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जिलों में कहीं कहीं अब भी इस प्रकार की भ्रान्ति है कि विकास योजनाओं के परिचय को प्रदेश के अनुसूचित जातियों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मात्राकृत करने से वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। वस्तुतः ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये चलाया जा रहा है। अतएव योजनाओं से अनुसूचित जातियों के लिये लक्ष्यों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के साथ-साथ उनकी पिछड़ेपन और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना है। वर्ष 1981-82 के प्लान से स्पष्ट होगा कि कुछ योजनायें जैसे-ग्रामीण हरिजनो के लिये पेयजल योजना, दाइयों का प्रशिक्षण आदि ऐसी योजनायें भी हैं जो शतप्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये हैं। इसके अतिरिक्त आई० आर० डी० की योजना में जो 50 प्रतिशत का मात्राकरण है, ग्रामीण आवास योजना तथा आवास स्थल के आवंटन में 80 प्रतिशत मात्राकरण किया गया है। जैसा ऊपर कहा गया है छठी पंचवर्षीय योजना के पूर्व की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये लक्ष्य निर्धारित न होने के कारण योजनाओं का लाभांश उन्हें बहुत कम मिला है। इसके कारण व विकास की गति में काफी पिछड़ गये हैं। अतः अनुसूचित जातियों के विकास स्तर को सामान्य विकास के स्तर के समकक्ष बाने के

लिये यह आवश्यक है कि विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ अनसूचित जातियों तक पहुंचे अर्थात् जिला योजना तैयार करते समय अनसूचित जातियों के लिये विभिन्न योजनाओं में अधिकाधिक परिव्यय उनके लिये निर्धारित किया जाय। जिला योजना में विभिन्न विकास सेक्टरों के अन्तर्गत जो परिव्यय दर्शाया जाय उसके समक्ष अनसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत परिव्यय अलग कालम में दिखाया जाय।

5—जहाँ तक सार्वजनिक या सामुदायिक लाभ की योजनाओं को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सम्मिलित किये जाने का सम्बन्ध है, किसी भी ऐसी विकास योजना तथा उसके अन्तर्गत होने वाले व्यय को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है जिससे या तो अधिकांश हरिजन लाभान्वित होत हैं अथवा इस योजना से हरिजन बाहुल्य क्षेत्र/हरिजन बस्तियां लाभान्वित होती है। उदाहरण के लिये स्कूल, अस्पताल, सीवेज, विद्युत पाइप लाइन और जल सम्पूर्ति आदि ऐसी योजनायें हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा है किन्तु उपरोक्त योजनाओं की यदि हरिजन बस्तियों में स्थापित किया जाता है तो हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित क्षेत्र पर होने वाले संपूर्ण व्यय को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सम्मिलित किया जा सकता है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या भा 0 स 0 35/26-3-80-4(29)/80, दिनांक 26 जुलाई 1980 के अनुसार शासन का निर्णय जिलों में मौजूद है कि भविष्य में नये खोले जाने वाले सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं जैसे सहकारी समिति सरकारी भवन कार्यालय, विद्यालय, बालवाड़ी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जन वितरण योजनाओं के अन्तर्गत सस्ते मूल्य की दुकानें, आवासीय कालोनी, आदि जहाँ तक संभव हो हरिजन बस्तियों में खोली जाय और हरिजन बस्तियों में यदि स्थानाभाव हो तो निकटतम स्थानों पर व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त अन्य जन उपयोगी सेवा जैसे-पेयजल, सीवेज, विद्युत, सड़क आदि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में अवश्य पहुंचाया जाय। अतः जिला योजनाओं को तैयार करते समय शासन के उपरोक्त निर्णय को भी ध्यान में रखना होगा।

6—जिला योजनाओं की तैयार करने और उनके कार्यान्वयन करने के लिये क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिये इसकी विस्तृत एवं उपयोगी विवेचना भारत सरकार के कार्यकारी दल की रिपोर्ट, जिसकी प्रति जिलों में मौजूद है, में दी गई जिसे विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा।

प्रेषक

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 10 मई, 1982

विषय :—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1982-83

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1982-83 की पुस्तिका प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान माननीय प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अंग है और राज्य सरकार इसके कुशल त्वरित, एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये शीघ्र वरीयता देती है। अतः आप द्वारा कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त प्लान में अनुसूचित जातियों के विभिन्न वर्गों के विकासार्थ विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति आपके सतत प्रशासनिक नियंत्रण और दायित्व के साथ की जाए।

3—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन का अन्तर्निहित मूल उद्देश्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले 4,50,000 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक विकास की योजनाओं इस प्रकार दी जाए कि वे स्थायी रूप से आय में वृद्धि करते हुए गरीबी की रेखा को पार कर सकें। इन परिवारों का जिलेवार लक्ष्य आपको अलग से प्रेषित किया जा रहा है।

4—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं में माताकृत की गई धनराशियों का मण्डलवार/जिलेवार यथा सम्भव विकास खण्ड वार वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की फाट आपको संबंधित मण्डल/जिला/विकास खण्ड स्तरीय विभाग के अधिकारियों तथा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु विभागों से अनुरोध किया जा चुका है। कृपया विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी आदेश दे दें कि यदि उन्हें उपरोक्त फाट की सूचना न प्राप्त हुई हो तो वह उसे अपने विभागाध्यक्ष से तुरन्त प्राप्त कर लें। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की विशेष कन्द्रीय सहायता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति संबंधी जानकारी आपको यथासमय प्राप्त होती रहेगी।

5—कृपया उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रगति का अनुश्रवण आप द्वारा मण्डल/जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति में मासिक रूप से सुनिश्चित किया जाय। अनुश्रवण करते समय यदि किसी विभाग की सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा इस महत्वपूर्ण योजना की कार्यान्वयन में उसकी उदासीनता दृष्टिगोचर होती है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-7247(1)/26-3-82-11(54)-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1982-83 की प्रति सहित, समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उ० प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या बी 1-8303/दस-76
लखनऊ, 14 दिसम्बर, 1976

सचिवालय के समस्त अनुभाग

यह निर्णय लिया गया है कि जनरल सेक्टर प्रोग्राम में सम्मिलित प्राविधानों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ योजना का 1977-78 के बजट में पृथक रूप में पृथक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाय, इस सम्बन्ध में 30 नवम्बर, 1976 को हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गयी थी जिसकी कार्यवृत्त हरिजन सहायक अनुभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु अलग से भेज दी है। प्रत्येक विभाग को चाहिये कि वे जनरल सेक्टर प्रोग्राम की उन योजनाओं को परिगणित (क्वान्टिफाई) कर ले जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यान्वित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथक प्राविधानों को निर्दिष्ट (ईयर मार्क) करके बजट में तदनुसार पृथक रूप से दिखाया जाय।

2—बजट में उक्त प्राविधानों को अलग से दिखाने के सम्बन्ध में महालेखाकार के परामर्श से निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष 1977-78 के बजट में जिन अनुदानों के अन्तर्गत इस प्रकार की योजनायें हों, उन्हें उन अनुदानों से ही निम्नलिखित नये लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत पृथक रूप से वर्गीकृत किया जायेगा :—

राजस्व व्यय—

“288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—

ग—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—

- (1) अनुसूचित जातियों का कल्याण
- (2) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण।”

इन लघु शीर्षकों के नीचे विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त पृथक उपशीर्षक खोल दिये जायें।
पूँजीगत व्यय—

“488—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय—

ग—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—

- (1) अनुसूचित जातियों का कल्याण
- (2) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण।”

इन शीर्षकों के नीचे विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त पृथक व्योरेवार शीर्षक खोल लिये जायें।

ऋण एवं अग्रिम—

“688—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण—

क—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—

- (1) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ऋण
- (2) अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये ऋण।”

इन उप-शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त व्योरेवार शीर्षक खोल दिये जायें।

3—कृपया यह निश्चित कर लें कि आगामी वर्ष 1977-78 के बजट अनुमान तथा व्यय की नई मदों के प्रस्ताव उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार तैयार करके विलम्बतम 18 दिसम्बर, 1976 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें उपयुक्त प्रकार के प्राविधानों को प्रदर्शित करने में यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया इस सम्बन्ध में हरिजन सहायक अनुभाग से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित किया जाय।

4—1977-78 के बजट कार्य के समय से पूरा करने हेतु यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय और बजट अनुमान वित्त विभाग को तत्काल भेज दिये जायें। जो अनुदान प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं, उनमें भी आवश्यक संशोधन तुरन्त कर लिया गया।

सुशील कुमार गोयल,
उप सचिव।

संख्या बी-1-84309(1)/दस-76, तद्दिनांक
प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
सुशील कुमार गोयल,
उप सचिव।

राज कुमार दर,
वित्त सचिव ।

अर्ध शा 0 पत्रांक यू 0 ओ 0 बी 0-1-259/दस-1981

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
उत्तर प्रदेश शासन,
दिनांक लखनऊ, 23 जून, 1981

विषय—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का बजट/विभागीय आयोजनागत बजट 1981-82 के प्राविधान से सुदृढ़ लिंक स्थापित करना ।

प्रिय महोदय,

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 तथा वार्षिक योजना, 1981-82 में “अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न विकास विभाग द्वारा आयोजनागत योजनाओं में धनराशियों का माताकृत की गयी है । अनुसूचित जातियों के लिये उपरोक्त मात्रा” मात्रा करण की कार्यवाही विगत दो वर्षों से विधिवत् रूप से की जा रही है तथापि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की संरचना तथा उसके कार्यान्वयन को सार्थक बनाने के दिशा में यह आवश्यक है कि माताकृत की गयी धनराशियों को संबंधित विभाग के आय-व्ययक के समुचित पृथक लेखा-शीर्षक में दर्शाया जाय । भारत सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लगातार बल दे रही है ।

2—अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ माताकृत की गयी धनराशियों को वर्ष 1977-78 तथा इसके बाद के वर्षों के आय-व्ययक में पृथक

1—वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 का अशासकीय पत्र सं 0 बी 0-1-8309/दस-76, लेखाशीर्षक में दर्शाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 ।

2—वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 का पत्र संख्या [बी-1-3932/दस-12(2)-1980 निरन्तर निर्देश दिये जाते रहे दिनांक 29 सितम्बर, 1980 ।

3—हरिजन एवं सभाज कल्याण का अर्ध 0 शा 0 पत्र संख्या 5248/26-3-80-11(12) के पार्श्वीकृत पत्र उल्लेखनीय हैं । यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि तीन चार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी

अनेक विभागों द्वारा उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है ।

1—आपकी सुविधा के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1981-82 के लिये प्रस्तावित माताकृत धनराशियां विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत दर्शायी गई माताकृत धनराशियों का विवरण संलग्न है । संलग्न विवरणपत्र से स्पष्ट है कि काफी बड़ी धनराशि का माताकरण चालू वित्तीय वर्ष के बजट में नहीं किया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि जनरल सेक्टर की जिन योजनाओं की धनराशियों की वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में माताकृत करके पृथक लेखा-शीर्षक (288/488/688) के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है ऐसी धनराशियों की वह अंश जो केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ ही व्यय किया जाना है वह व्यय लेखा शीर्षक “288/488/688” जैसी भी स्थिति हो, के नामे डाला जाय किन्तु इसके पूर्व आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित अनुदानों में कार्यात्मक मुख्य शीर्षकों के अधीन किये गये प्राविधान से पुनर्विनियोग द्वारा कर ली जाय ।

4—इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रशासनिक विभागों द्वारा उनसे सम्बन्धित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये पृथक रूप से धनराशियों के माताकृत कराने पर कार्यवाही तुरन्त नहीं की जाती है और नवम्बर/दिसम्बर, 1981 तक पुनरीक्षित बजट तैयार करते समय तदनुसार अधिकांश धनराशि (70 से 75 प्रतिशत तक) का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उनके प्लान परिव्यय में कटौती या ‘फीज’ करने पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि केन्द्रीय सहायता इस महत्वपूर्ण योजना के लिये उपयोग न किया जाना प्रदेश के लिये वित्तीय हानि का श्रोत नहीं बनाया जा सकता है ।

भवदीय,
राज कुमार दर,

1—सम्बन्धित विभागों के सचिव/विशेष सचिव ।

2—सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष ।

3—प्रतिलिपि नियोजन सचिव को इस आशय से प्रेषित कि पैरा 4 में प्रस्तावित कार्यवाही की सुनिश्चित कराने की कृपा करें ।

संख्या 7370/26-3-82-11(24)-81

प्रेषक

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 12 मई, 1982

विषय—गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के परिवारों का जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष 1982-83

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदेश के 4,50,000 अनुसूचित जातियों के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जिलेवार फाँट इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2—अनुरोध है कि आप अपने जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित करने का कष्ट करें । कृपया जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्यों की फाँट विकास खण्ड स्तर/विभिन्न एजेंसियों के लिए निर्धारित कर दी जाय और उसकी पूर्ति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाय ।

3—उपरोक्त के सम्बन्ध में आपका ध्यान शासनादेश संख्या 5532/26-3-82-11(24)/81, दिनांक 17 मार्च, 82 की और आकृष्ट किया जाता है । इस पत्र के द्वारा कतिपय ऐसी योजनाओं की जानकारी आपको दी गई जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों का आर्थिक विकास किया जा रहा है । उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में शासन को प्राप्त मासिक प्रमति आख्याओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि जिले के कतिपय रिपोर्टिंग अधिकारियों को अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन परिवारों की रिपोर्ट उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में भेजी जानी है । कतिपय जिलों ने खाद, बीज जैसी अस्थायी योजनाओं में दिये गये अनुदान के लाभार्थियों, अल्पकालीन सहकारिता ऋण के लाभार्थियों, भूमि संरक्षण के लाभार्थियों को ही नहीं बल्कि उन्होंने ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये लाभार्थी और ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को भी प्रगति रिपोर्ट में शामिल कर लिया । अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रगति रिपोर्ट भेजने के पूर्व निम्नलिखित बातों की जांच कर ली जाए:—

(1) रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा में नीचे निवास करने वाले उन परिवारों की सूचना दी जायगी जिन्हें ऐसी आर्थिक योजना दी गई है कि उनकी आय में स्थाई रूप की पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है ।

(2) यदि एक परिवार को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आर्थिक विकास की सुविधा दी जाती है तो ऐसे परिवारों की दोहरी गणना नहीं की जायगी ।

(3) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के जिला प्रबन्धक द्वारा ऐसे परिवारों जिन्हें आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत केवल मार्जिन मनी ऋण दिया गया, को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जायगा और ऐसे परिवारों की गणना आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत केवल मार्जिनमनी ऋण दिया गया को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जायगा और ऐसे परिवारों की गणना आई० आर० डी० के लाभार्थियों में ही होगी । जिला प्रबन्धक द्वारा केवल उन्हीं परिवारों की सूचना दर्शायी जायगी जिन्हें निगम द्वारा पूरी योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई ।

(4) खाद, बीज, पौध, छोटे-छोटे यंत्र द्वारा लाभान्वित परिवारों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जायगा ।

(5) सीलिंग अथवा गांव सभा की उपजाऊ भूमि के आवंटी लाभार्थियों में शामिल किये जायेंगे । परन्तु यदि किसी परिवार को सीलिंग अथवा गांव सभा की ऊसर/बंजर भूमि आवंटित की गई है तो उसे प्रगति रिपोर्ट में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक आवंटित भूमि का विकास एवं उसके लिए इनपुट्स की व्यवस्था न करा दी गई हो क्योंकि केवल गैर उपजाऊ भूमि आवंटित कर देने से ही परिवार गरीबी रेखा को पार नहीं कर सकता ।

(6) सहकारी ऋण के लाभार्थियों में अल्पकालीन ऋण के लाभार्थी शामिल नहीं होंगे और वे लाभार्थी भी शामिल नहीं होंगे जिन्हें आई० आर० डी० अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से सहकारी ऋण वितरित किया गया क्योंकि ऐसे लाभार्थी संबंधित एजेंसियों के अन्तर्गत दर्शायी गई रिपोर्ट में शामिल होंगे ।

(7) प्रगति रिपोर्ट में उन्हीं परिवारों को दर्शाया जायगा जिन्हें पर्याप्त रूप में इतनी आर्थिक सहायता दी गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे निश्चित रूप से गरीबी की रेखा को पार कर लेंगे ।

4--कृपया रिपोर्ट में सभी सम्बन्धित विभागों की सूचना दी जाय ताकि जिले में हुई उपलब्धि और प्रेषित की गई सूचना में कोई गैप न रहे ।

5--भारत सरकार द्वारा उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हेतु उन्हें रिपोर्ट प्रत्येक माह की 9 तारीख तक उपलब्ध करायी जानी है । अतः शासन को यह रिपोर्ट विलम्बतम प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए ।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव ।

पू 0 सं 0-7370(1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) स्पेशल कम्पोजेंट प्लान से सम्बन्धित विभागों के सचिव/विशेष सचिव ।
- (2) सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लि०, महानगर, लखनऊ ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 54 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (6) समस्त उप विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना), उ० प्र० ।
- (7) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उ० प्र० ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पू 0 सं 0-7370(2)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:--

- (1) श्री पी० एस० कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
- (2) श्री एच० एस० सक्सेना, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, भारत सरकार, महानगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

शासनादेश संख्या-7370/26-3-82-11(24)/81 दिनांक 6 मई, 1982 का संलग्नक

क्रम- संख्या	जनपद का नाम	लक्ष्य 1982-83	क्रम- संख्या	जनपद का नाम	लक्ष्य 1982-83
1	देहरादून	.. 1,800	2	नैनीताल	.. 3,500
3	अल्मोड़ा	.. 3,500	4	पौड़ी-गढ़वाल	.. 1,500
5	देहरी-गढ़वाल	.. 1,500	6	चमोली	.. 1,500
7	उत्तरकाशी	.. 1,000	8	पिथौरागढ़	.. 1,700
9	झांसी	.. 8,000	10	जालौन	.. 6,000
11	हमीरपुर	.. 6,500	12	बांदा	.. 7,000
13	कानपुर (शहर)	.. 9,000	14	कानपुर (देहात)	.. 6,000
15	फतेहपुर	.. 6,000	16	लखनऊ	.. 8,000
17	उन्नाव	.. 9,500	18	रायबरेली	.. 12,000
19	सीतापुर	.. 14,000	20	हरदोई	.. 14,000
21	खीरी	.. 10,000	22	बाराबंकी	.. 12,000
23	देवरिया	.. 11,000	24	आजमगढ़	.. 15,000
25	जौनपुर	.. 11,000	26	गाजीपुर	.. 7,000
27	बलिया	.. 6,000	28	बस्ती	.. 14,000
29	बहराइच	.. 7,000	30	इलाहाबाद	.. 16,000
31	फैजाबाद	.. 12,000	32	गोरखपुर	.. 15,000
33	गोण्डा	.. 8,500	34	मिर्जापुर	.. 12,500
35	प्रतापगढ़	.. 6,000	36	सुल्तानपुर	.. 10,000
37	वाराणसी	.. 12,000	38	सहारनपुर	.. 11,500
39	मुजफ्फरगंज	.. 7,000	40	मेरठ	.. 15,000
41	बुलन्दशहर	.. 11,000	42	अलीगढ़	.. 11,000
43	मथुरा	.. 6,000	44	आगरा	.. 11,000
45	मैनपुरी	.. 6,000	46	एटा	.. 6,000
47	बरेली	.. 5,500	48	बिजनौर	.. 7,000
49	बदायूं	.. 6,000	50	मुरादाबाद	.. 9,000
51	रामपुर	.. 3,000	52	शाहजहाँपुर	.. 5,000
53	पीलीभीत	.. 2,000	54	फर्रुखाबाद	.. 6,000
55	इटावा	.. 8,000	56	गाजियाबाद	.. 3,000
57	ललितपुर	.. 4,000			
	योग..	4,50,000			

संख्या 8807/26-3-82-11(24)/81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 1982

विषय :—गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के परिवारों का जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष 1982-83

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 7370/26-3-82-11(24)/81 दिनांक 12 मई, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के परिवारों के वर्ष 1982-83 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके सापेक्ष माह अप्रैल, तथा मई, 1982 की प्रगति संतोषजनक नहीं है। शासन द्वारा यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के कुछ माहों में अपेक्षित गति से व्यय नहीं किया जाता और ज्यों-ज्यों वित्तीय वर्ष समाप्त पर आता है, व्यय में तेजी लायी जाती है। यह प्रथा ठीक नहीं है। समयबद्ध तरीके से वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्य भार अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे लाभार्थियों को भी बठिनाई होती है और प्रार्थना-पत्रों का पर्याप्त परीक्षण भी नहीं हो पाता जिसके कारण वित्तीय अनियमितताओं की भी सम्भावनायें होती हैं। यही स्थिति बैंकों के समक्ष भी आती है।

2-- अतः एतद्द्वारा वर्ष 1982-83 में आप के जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार प्रत्येक त्रैमास के लिए निर्धारित किया जाता है। जिला स्तर पर इन लक्ष्यों का विभागवार त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण आप द्वारा कर दिया जाए। यदि किसी मास अथवा त्रैमास में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि न हो पाये तो विशेष की प्रतिपूर्ति अगले मास/त्रैमास में कर ली जाये।

3--अनुरोध है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन तथा उसकी प्रगति के अनुश्रवण हेतु गठित जिला अन्तर्विभागीय समिति की बैठकों में आपके जिले के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का अनुश्रवण करना ठीक करें और यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित समय में ही कर ली जाए।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8807(1)/26-3-82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित विभागों के सचिव/विशेष सचिव।
- (2) संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, महानगर, लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 54 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (6) समस्त उप विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/परि-योजना, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8807(2)/26-3-82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

- (1) श्री पी०एस० कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली।
- (2) श्री एच०एस० सक्सेना, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, भारत सरकार, महानगर, लखनऊ।

आज्ञा से
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

शासनदेश संख्या-8807/26-3-82-11(24)/81 दिनांक जुलाई, 1982 का संलग्नक 1

क्रम- संख्या	मण्डल/जनपद का नाम	प्रथम त्रैमास का लक्ष्य	द्वितीय त्रैमास का लक्ष्य	तृतीय त्रैमास का लक्ष्य	चतुर्थ त्रैमास का लक्ष्य	पूरे वर्ष का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
आगरा मण्डल						
1	आगरा ..	2,200	3,300	3,300	2,200	11,000
2	अलीगढ़ ..	2,200	3,300	3,300	2,200	11,000
3	एटा ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
4	मैनपुरी ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
5	मथुरा ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
योग-आगरा मण्डल		8,000	12,000	12,000	8,000	40,000
इलाहाबाद मण्डल						
6	इलाहाबाद ..	3,200	4,800	4,800	3,200	16,000
7	इटावा ..	1,600	2,400	2,400	1,600	8,000
8	फर्रुखाबाद ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
9	फतेहपुर ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
10	कानपुर (देहात) ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
11	कानपुर (शहर) ..	1,800	2,700	2,700	1,800	9,000
योग-इलाहाबाद मण्डल		10,200	15,300	15,300	10,200	51,000
फैजाबाद मण्डल						
12	बहराइच ..	1,400	2,100	2,100	1,400	7,000
13	बाराबंकी ..	2,400	3,600	3,600	2,400	12,000
14	फैजाबाद ..	2,400	3,600	3,600	2,400	12,000
15	गोण्डा ..	1,700	2,550	2,550	1,700	8,500
16	प्रतापगढ़ ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
17	सुल्तानपुर ..	2,000	3,000	3,000	2,000	10,000
योग-फैजाबाद मण्डल		11,100	16,650	16,650	11,100	55,500
गढ़वाल मण्डल						
18	चमोली ..	300	450	450	300	1,500
19	पौड़ी-गढ़वाल ..	300	450	450	00	1,500
20	टेहरी-गढ़वाल ..	300	450	450	300	1,500
21	उत्तरकाशी ..	200	300	300	200	1,000
22	देहरादून ..	360	540	540	360	1,800
योग-गढ़वाल मण्डल		1,460	2,190	2,190	1,460	7,300
गोरखपुर मण्डल						
23	आजमगढ़ ..	3,000	4,500	4,500	3,000	15,000
24	बस्ती ..	2,800	4,200	4,200	2,800	14,000
25	देवरिया ..	2,200	3,300	3,300	2,200	11,000
26	गोरखपुर ..	3,000	4,500	4,500	3,000	15,000
योग-गोरखपुर मण्डल		11,000	16,500	16,500	11,000	55,000

1	2	3	4	5	6	7
मुरादाबाद मण्डल						
27	बिजनौर ..	1,400	2,100	2,100	1,400	7,000
28	रामपुर ..	600	900	900	600	3,000
29	मुरादाबाद ..	1,800	2,700	2,700	1,800	9,000
योग--मुरादाबाद मण्डल ..		3,800	5,700	5,700	3,800	19,000
झांसी मण्डल						
30	बांदा ..	1,400	2,100	2,100	1,400	7,000
31	हमीरपुर ..	1,300	1,950	1,950	1,300	6,500
32	जालौन ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
33	झांसी ..	1,600	2,400	2,400	1,600	8,000
34	ललितपुर ..	800	1,200	1,200	800	4,000
योग--झांसी मण्डल ..		6,300	9,450	9,450	6,300	31,500
कुमायूं मण्डल						
35	अल्मोड़ा ..	700	1,050	1,050	700	3,500
36	नैनीताल ..	700	1,050	1,050	700	3,500
37	पिथौरागढ़ ..	340	510	510	340	1,700
योग-- कुमायूं मण्डल ..		1,740	2,610	2,610	1,740	8,700
लखनऊ मंडल						
38	हरदोई ..	2,800	4,200	4,200	2,800	14,000
39	खीरी ..	2,000	3,000	3,000	2,000	10,000
40	लखनऊ ..	1,600	2,400	2,400	1,600	8,000
41	रायबरेली ..	2,400	3,600	3,600	2,400	12,000
42	उन्नाव ..	1,900	2,850	2,850	1,900	9,500
43	सीतापुर ..	2,800	4,200	4,200	2,800	14,000
योग--लखनऊ मण्डल ..		13,500	20,250	20,250	13,500	67,500
मेरठ मण्डल						
44	बुलन्दशहर ..	2,200	3,300	3,300	2,200	11,000
45	मेरठ ..	3,000	4,500	4,500	3,000	15,000
46	मुजफ्फरनगर ..	1,400	2,100	2,100	1,400	7,000
47	सहारनपुर ..	2,300	3,450	3,450	2,300	11,500
48	गाजियाबाद ..	600	900	900	600	3,000
योग--मेरठ मण्डल ..		9,500	14,250	14,250	9,500	47,500
बरेली मंडल						
49	बरेली ..	1,100	1,650	1,650	1,100	5,500
50	बदायूं ..	1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
51	पीलीभीत ..	400	600	600	400	2,000
52	महाजहांपुर ..	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
योग--बरेली मण्डल ..		7,700	5,550	5,550	3,700	18,500

1	2	3	4	5	6	7
वारणसी मण्डल						
53	बलिया	.. 1,200	1,800	1,800	1,200	6,000
54	मिर्जापुर	.. 2,500	3,750	3,750	2,500	12,500
55	गाजीपुर	.. 1,400	2,100	2,100	1,400	7,000
56	जौनपुर	.. 2,200	3,300	3,300	2,200	11,000
57	वाराणसी	.. 2,400	3,600	3,600	2,400	12,000
योग--वाराणसी मण्डल		9,700	14,550	14,550	9,700	48,500
महायोग		90,000	1,35,000	1,35,000	90,000	4,50,000

संख्या-8807/26-3-82-11(24)/81

प्रषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 1982

विषय:—गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष 1982-83 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1982-83 में गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के परिवारों के आपके जिले के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जायं । अतः एतद्द्वारा वर्ष 1982-83 में आपके जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों को संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार प्रत्येक माह के लिए निर्धारित किया जाता है ।

2—कृपया जिला स्तर पर उपरोक्त मासिक लक्ष्यों के अनुरूप विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण आप द्वारा कर लिया जाय तथा जिला समन्वय समिति की बैठकों में इन लक्ष्यों की समयबद्ध तरीके से शतप्रतिशत शर्त सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष रूप से अनुश्रवण किया जाये ।

भवदीय, ||

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ 0 सं 0-8807(1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित विभागों के सचिव/विशेष सचिव ।
- (2) सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, महानगर, लखनऊ ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 54 माल एवेन्यू, आवास विकास कालोनी, लखनऊ ।
- (6) समस्त उप विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/ (परियोजना), उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०), उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ 0 सं 0-8807(2)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

- (1) श्री पी० एस० कृष्णन्, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
- (2) श्री एच० एस० सक्सेना, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, भारत सरकार, महानगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

शासनादेश संख्या 8807/26-3-82-11(24)/81 दिनांक 16-8-1982 का संलग्नक

क्र० सं०	मण्डल/जनपद का नाम	अप्रैल, 82	मई, 82	जून, 82	जुलाई, 82	अगस्त, 82	सितम्बर, 82	अक्टूबर, 82	नवम्बर, 82	दिसम्बर, 82	जनवरी, 83	फरवरी, 83	मार्च, 83	पूरे वर्ष का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>आगरा मण्डल</u>														
1	आगरा	700	750	750	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	750	750	700	11,000
2	अलीगढ़	700	750	750	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	750	750	700	11,000
3	एटा	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
4	मैनपुरी	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
5	मथुरा	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
	योग, आगरा मण्डल	2,600	2,700	2,700	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,700	2,700	2,600	40,000
<u>इलाहाबाद मण्डल</u>														
6	इलाहाबाद	1,000	1,100	1,100	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,100	1,100	1,000	16,000
7	इटावा	500	550	550	800	800	800	800	800	800	550	550	500	8,000
8	फर्रुखाबाद	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
9	फतेहपुर	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
10	कानपुर (देहात)	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
11	कानपुर (शहर)	600	600	600	900	900	900	900	900	900	600	600	600	9,000
	योग, इलाहाबाद मण्डल	3,300	3,450	3,450	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	3,450	3,450	3,300	51,000

फैजाबाद मण्डल

12	बहराइच	400	500	500	700	700	700	700	700	700	500	500	400	7,000
13	बाराबंकी	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	800	800	800	12,000
14	फैजाबाद	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	800	800	800	12,000
15	गोण्डा	500	600	600	800	875	875	875	875	800	600	600	500	8,500
16	प्रतापगढ़	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
17	सुल्तानपुर	600	700	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	700	700	600	10,000
योग, फैजाबाद मण्डल				..	3,500	3,800	3,800	5,500	5,575	5,575	5,575	5,575	5,500	3,800	3,800	3,500	55,500

गढ़वाल मण्डल

18	चमोली	100	100	100	150	150	150	150	150	150	100	100	100	1,500
19	पौड़ी-गढ़वाल	100	100	100	150	150	150	150	150	150	100	100	100	1,500
20	टेहरी-गढ़वाल	100	100	100	150	150	150	150	150	150	100	100	100	1,500
21	उत्तरकाशी	60	70	70	100	100	100	100	100	100	70	70	60	1,000
22	देहरादून	120	120	120	180	180	180	180	180	180	120	120	120	1,800
योग, गढ़वाल, मण्डल				..	480	490	490	730	730	730	730	730	730	490	490	480	7,300

11

गोरखपुर मण्डल

23	आजमगढ़	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	15,000
24	बस्ती	900	950	950	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	950	950	900	14,000
25	देवरिया	700	750	750	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	750	750	700	11,000
26	गोरखपुर	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	15,000
योग, गोरखपुर मण्डल				..	3,600	3,700	3,700	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	3,700	3,700	3,600	55,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
मुरादाबाद मण्डल																	
27	बिजनौर	400	500	500	700	700	700	700	700	500	500	400	7,000	
28	रामपुर	200	200	200	300	300	300	300	300	200	200	200	3,000	
29	मुरादाबाद	600	600	600	900	900	900	900	900	600	600	600	9,000	
योग, मुरादाबाद मण्डल				..	1,200	1,300	1,300	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,300	1,300	1,200	19,000	
झांसी मण्डल																	
30	बांदा	400	500	500	700	700	700	700	700	500	500	400	7,000	
31	हमीरपुर	400	450	450	650	650	650	650	660	560	450	450	400	6,500
32	जालौन	400	400	400	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000	
33	झांसी	500	550	550	800	800	800	800	800	550	550	500	8,000	
34	ललितपुर	200	300	300	400	400	400	400	400	300	300	200	4,000	
योग, झांसी मण्डल				..	1,900	2,200	2,200	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	2,200	2,200	1,900	31,500
कुमाऊं मण्डल																	
35	अल्मोड़ा	200	250	250	350	350	350	350	350	250	250	200	3,500	
36	नैनीताल	200	250	250	350	350	350	350	350	250	250	200	3,500	
37	पिथौरागढ़	100	120	120	170	170	170	170	170	120	120	100	1,700	
योग, कुमाऊं मण्डल				..	500	620	620	870	870	870	870	870	870	620	620	500	8,700
लखनऊ मण्डल																	
38	हरदोई	900	950	950	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	950	950	900	14,000	
39	खीरी	600	700	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	700	700	600	10,000	
40	लखनऊ	500	550	550	800	800	800	800	800	550	550	500	8,000	
41	रायबरेली	800	800	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	800	800	12,000	
42	उन्नाव	600	650	650	950	950	950	950	950	650	650	600	9,600	
43	सीतापुर	900	950	950	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	950	950	900	14,000	
योग, लखनऊ मण्डल				..	4,300	4,600	4,600	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	4,600	4,600	4,300	67,500	

मेरठ मण्डल

44	बुलन्दशहर	700	750	750	1100	1100	1,100	1,100	1,100	1,100	750	750	700	11,000
45	मेरठ	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	15,000
46	मुजफ्फरनगर	400	500	500	700	700	700	700	700	700	500	500	400	7,000
47	सहारनपुर	700	800	800	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	800	800	700	11,500
48	गाजियाबाद	200	200	200	300	300	300	300	300	300	200	200	200	3,000
योग, मेरठ मण्डल				..	3,000	3,250	3,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	3,250	3,250	3,000	47,500

बरेली मण्डल

49	बरेली	300	400	400	550	550	550	550	550	550	400	400	300	5,500
50	बदायूं	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
51	पीलीभीत	100	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	100	2,000
52	शाहजहांपुर	300	350	350	500	500	500	500	500	500	350	350	300	5,000
योग, बरेली मण्डल				..	1,100	1,300	1,300	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,300	1,300	1,100	18,500

वाराणसी मण्डल

53	बलिया	400	400	400	600	600	600	600	600	600	400	400	400	6,000
54	मिर्जापुर	800	850	850	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	850	850	800	12,500
55	गाजीपुर	400	500	500	700	700	700	700	700	700	500	500	400	7,000
56	जौनपुर	700	750	750	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	750	750	700	11,000
57	वाराणसी	800	800	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	800	800	12,000
योग, वाराणसी मण्डल				..	3,100	3,300	3,300	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	3,300	3,300	3,100	48,500

महायोग				..	28,580	30,110	30,110	44,950	45,025	45,025	45,025	45,025	45,025	44,950	30,710	30,710	28,580	4,50,000
--------	--	--	--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

संख्या 5532 / 26-3-82-11(24)-81

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 17 मार्च, 1982

विषय—गरीबी को रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से लाभान्वित किए गए अनुसूचित जाति के परिवारों की प्रगति रिपोर्ट ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1981-82 के लिये जिलेवार लक्ष्य शासनादेश संख्या 5971 / 26-3-81-11 (24)/81 दिनांक 21 जुलाई, 1981 द्वारा निर्धारित है। आपके जिले में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों, जिन्हें विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने हेतु आर्थिक विकास की योजनायें पर्याप्त मात्रा में दी गईं, उनके सम्बन्ध में मासिक विशिष्ट रिपोर्ट शासनादेश संख्या 4951 / 26-3-81-11 (2)/81 दिनांक 8 मई, 1981 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा शासन को प्रेषित की जाती है। जिलों से प्राप्त उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट के विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि बहुधा रिपोर्ट या तो अपूर्ण होती है अथवा उसमें ऐसे लाभार्थियों की सूचना सम्मिलित कर दी जाती है जिन्हें किंचित सहायता प्राप्त हुई जो उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं उठा सकता। उदाहरणार्थ कतिपय रिपोर्ट ऐसा प्राप्त हुई जिनमें केवल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के ही लाभार्थी दर्शाये गये जबकि कुछ रिपोर्टों में ऐसे लाभार्थी सम्मिलित कर दिए गए जिन्हें खाद, बीज जैसी वस्तुओं के क्रय हेतु सहायता दी गई अथवा जिन्हें विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरी प्रदान की गई।

2--अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विशिष्ट रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के उन लाभार्थी परिवारों को सम्मिलित किया जावेगा जिन्हें विभिन्न विकास विभागों की योजना / योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में तथा ठोस कार्यक्रम दिए गए ताकि वे "स्थायी रूप से अपनी आय में वृद्धि करते हुए गरीबी की रेखा को पार करने के लिए सक्षम हो सकें। विभिन्न जिलों के प्राप्त संदर्भों के अनुसार यह बात भी शासन की जानकारी में आयी है कि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि किन-किन योजनाओं के लाभार्थी परिवार रिपोर्ट में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस संबंध में मुझे यह अवगत कराना है कि अधिकांश योजनायें ऐसी हैं जो परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजनाओं में कुछ योजनायें विभागीय बजट से और कुछ योजनायें विभागों द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की विशेष केन्द्रीय सहायता से चलायी जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए यह योजनायें निम्नांकित हैं :—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	संबंधित विभाग/एजेसी	योजना का क्षेत्र
1	2	3	4
1	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	ग्राम्य विकास विभाग/क्षेत्रीय विकास विभाग एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण ।	सम्पूर्ण प्रदेश
2	अन्त्योदय (विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)	पंचायतराज विभाग जिला परिषद्,	सम्पूर्ण प्रदेश
3	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा अनुदान/माजिन मनी ऋण योजना ।	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग/ जिला प्रबन्धक उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० ।	सम्पूर्ण प्रदेश
4	पशुपालन योजनायें (विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)	पशुधन विभाग/जिला पशुधन अधिकारी ।	सम्पूर्ण प्रदेश
5	उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनायें	उद्योग विभाग/जिला उद्योग केन्द्र/ अन्य संस्थायें ।	सम्पूर्ण प्रदेश

क्रम-संख्या	योजना का नाम	संबंधित विभाग/एजेंसी	योजना का क्षेत्र
1	2	3	4
6	हथकरघा समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण/अनुदान (विभागीय बजट तथा विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)।	उद्योग विभाग/उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन।	सम्पूर्ण प्रदेश
7	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये ऋण/अनुदान (विभागीय बजट तथा विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)।	उद्योग विभाग/उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थायें।	सम्पूर्ण प्रदेश
8	उ० प्र० लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन द्वारा संचालित आर्थिक सहायता की योजनायें (विभागीय बजट तथा विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)।	निर्यात प्रोत्साहन विभाग/उ० प्र० कारपोरेशन से लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, आगरा।	कारपोरेशन से संबंधित क्षेत्र।
9	कृषि विकास हेतु अनुसूचित जाति के ऋषियों को ऋषि निवेशों हेतु अनुदान (विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)।	कृषि विभाग/जिला कृषि अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश
10	हरिजन बाहुल्य वाले विशेष समन्वित परियोजनाओं के लिये चयनित विकास खण्डों में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई अतिरिक्त धनराशि द्वारा कार्यान्वित योजनायें (जैसे सेवा एवं विपणन केन्द्रों की स्थापना, सामूहिक लघु सिंचाई कार्यक्रम, कृषि योग्य भूमि का आवंटन आदि)।	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग/अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०)	प्रदेश के 188 विकास खण्ड
11	राजकीय लघु सिंचाई योजना (नलकूपों की स्थापना से अनुसूचित जाति के लाभार्थी)।	सिंचाई विभाग	सम्पूर्ण प्रदेश
12	पर्वतीय क्षेत्र विकास अभिकरण (हाडा) द्वारा संचालित योजनायें।	पर्वतीय विकास विभाग	पर्वतीय जिले
13	अनुसूचित जाति के कृषकों के लिये पौधशालाओं की स्थापना (विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित)।	उद्यान एवं फल उपयोग/जिला उद्यान अधिकारी।	बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, बदायूं, मुजफ्फरनगर, ललितपुर, आजमगढ़, वाराणसी, फतहपुर, कानपुर, हमीरपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, लखीमपुर तथा गोरखपुर।
14	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन	श्रम विभाग/परियोजना निदेशक, जन-जाति प्रायोजना प्राधिकरण, देहरादून।	देहरादून, उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, इलाहाबाद, (शंकरगढ़) तथा बाँदा (मानिकपुर)।
15	कृषि हेतु गांव सभा भूमि सीलिंग भूमि का आवंटन कृषि विकास हेतु सीलिंग भू-आवंटियों को अनुदान।	राजस्व विभाग/तहसीलदार	सम्पूर्ण प्रदेश

क्रम-संख्या	योजना का नाम	संबंधित विभाग/एजेंसी	योजना का क्षेत्र
1	2	3	4
16	मछली विकास हेतु, अनुसूचित जाति के लोगों को तालाबों के पट्टों का निष्पादन ।	.. मत्स्य विकास विभाग	सम्पूर्ण प्रदेश
17	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा जनजातियों, जो अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं, के लिये संचालित योजनायें । अन्य ऋण वितरण योजनायें	.. हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग/मिर्जापुर इलाहाबाद, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम, लखनऊ ।	7 ललितपुर, झांसी, बांदा ।
18	उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक द्वारा आर्थिक विकास हेतु संचालित मध्यकालीन तथा दीर्घ कालीन ऋण योजनाएं	.. सहकारिता विभाग/जिला सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक	सम्पूर्ण प्रदेश
19	व्यवसायिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को सीधे दिये गये ऋण जिनमें शासकीय एजेंसी का कोई अंश सम्मिलित नहीं है ।	.. व्यवसायिक बैंक	सम्पूर्ण प्रदेश

3—मुझे यह भी कहना है कि भविष्य में शासनादेश संख्या 4951/26-3-81-11(2)/81 दिनांक 8 मई 1981, द्वारा अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित की जाया करे। कृपया रिपोर्ट प्रेषित करने के पूर्व निम्नांकित बातों को ध्यान में अवश्य रखा जाए :—

(1) उपरोक्त संदर्भित सभी योजनाओं (जो आपके जिले में संचालित हैं) के अनुसूचित जाति के "समस्त लाभार्थी परिवार" सम्मिलित कर लिये गये हैं और प्रत्येक योजना के लाभार्थी की संख्या पूर्ण है ।

(2) जिन परिवारों को रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है उनकी योजनावार संख्या भी प्रगति रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाए ।

(3) फरवरी, 1982 तथा उसके बाद उपरोक्तानुसार मासिक प्रगति भेजी जाए तथा तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 की सम्पूर्ण प्रगति 15-4-82 तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

4—कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 5532(1)/26-3-82-11(24)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 2—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, महानगर, लखनऊ ।
- 3—प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम, 54 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- 4—समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास/परि-योजना) उत्तर प्रदेश ।
- 5—निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 6—समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र० ।
- 7—समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उ० प्र० ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

सख्या 5532(1)/26-3-82-11(24)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को इस अनुरोध के माथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त शासनादेश के पैरा-2 में उल्लिखित अपन विभाग की योजनाओं के संबंध में फील्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि संबंधित योजनाओं में लाभान्वित किए गए अनुसूचित जाति के परिवारों, जिन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने हेतु सहायता दी गई, की मासिक सूचना अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को उपलब्ध करा दिया करें:—

- 1—सचिव, ग्राम्य विकास/निदेशक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश ।
- 2—विशेष सचिव, पशुधन/निदेशक, पशुधन, उत्तर प्रदेश ।
- 3—सचिव, उद्योग/प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० लेदर डेवलपमेंट कारपोरेशन सचिव उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ।
- 4—कृषि सचिव/निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश ।
- 5—सचिव सिंचाई, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 6—सचिव, पर्वतीय विकास ।
- 7—सचिव, उद्यान एवं फल उद्योग/निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानो क्षेत्र) तथा पर्वतीय क्षेत्र ।
- 8—श्रम सचिव, परियोजना निदेशक, जनजाति प्रायोजना प्राधिकरण, देहरादून ।
- 9—सचिव, राजस्व/सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10—विशेष सचिव, सहकारिता/निबन्धक, सहकारी समितियां ।
- 11—सचिव, उद्योग/निदेशक, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर/निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पत्रांक-8131/26-3-82-11(2)/81

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

राम कृष्ण,

विधान भवन, लखनऊ,

सचिव ।

दिनांक 25 जून, 1982 ।

प्रिय महोदय,

स्पेशल कम्पोजेन्ट प्लान 1981-82 के अन्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किए गए अनुसूचित जातियों के परिवार तथा सधन आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए चयनित किए गए विकास खण्डों को आवंटित की गई धनराशि के उपयोग की प्रगति समीक्षा निम्नलिखित है :

गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से लाभान्वित किए गए अनुसूचित जाति के परिवारः—

अनुसूचित जाति के जो परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के लिए आर्थिक सहायता द्वारा लाभान्वित किए जाते हैं उनकी मासिक प्रगति रिपोर्ट शासनादेश संख्या 4951/26-3-82-11(2)/81, दिनांक 8 मई, 1981 द्वारा निर्धारित 8 सूत्रीय प्रपत्र में शासन को प्राप्त होती है और इस प्रपत्र में कालम संख्या 4 में दर्शाए गए परिवारों को ही उपलब्धि में सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश के जनपदों में वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई उसका जिलेवार विवरण संलग्नक (1) में दिया गया है। इस विवरण के अनुसार वर्ष 1981-82 में लक्षित 4,50,000 परिवारों के विरुद्ध 3,89,027 परिवारों को लाभान्वित किया गया जो लक्ष्य का 86.47 प्रतिशत है, जिलेवार प्रगति निम्न प्रकार :

नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, झांसी, बांदा, सीतापुर, खीरी, बाराबंकी, देवरिया, गाजीपुर, फैजाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, गोण्डा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत तथा फर्रुखाबाद जिलों में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि सूचित की गई है। जिन जिलों में 50 प्रतिशत से कम किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि सूचित की गई है उनमें हमीरपुर, बलिया, बस्ती, मिर्जापुर, रामपुर, शाहजहांपुर तथा इटावा जिले शामिल हैं। इन जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे वर्ष 1981-82 की प्रगति समीक्षा करते हुए यह देख लें कि किन विभागों की प्रगति कम है और कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि गत वर्ष की कमी को इस वर्ष अवश्य पूरा कर लिया जाए और जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है उन्हें अपने स्तर से सचेत भी कर दिया जाय।

पौड़ी गढ़वाल, जालौन, फतेहपुर, हरदोई, बुलन्दशहर तथा ललितपुर जिले ऐसे हैं जहां 25 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य की पूर्ति की गई। इस संबंध में संबंधित जिलों के जिला अधिकारी कृपया शासन को अपनी आख्या यथा शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि अपर जिलाविकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट में प्रगति वास्तविक प्रगति से कम सूचित की गई हो तो इस संबंध में उनका भी मार्ग दर्शन आवश्यक है।

शासनादेश संख्या 5532/26-3-82-11(24)/81 दिनांक 17-3-82 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन परिवारों को लाभान्वित किया गया उनकी वित्तीय प्रगति के साथ विभागवार प्रगति भी संलग्न की जाया करे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सूचना पूर्ण है और तथ्यों पर आधारित है। अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भी यह निर्देश दिए गए थे कि वे आपके अनुमोदन के उपरान्त आपके माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया करें ताकि आपके स्तर पर उसका समुचित विश्लेषण कर लिया जाए। शासन को अनेक जिलों से अब भी प्रगति रिपोर्ट अपर जिला विकास अधिकारी के स्तर से प्राप्त हो रही है जो उचित नहीं है। कृपया अपने स्तर से अपर जिला विकास अधिकारी को निर्देशित कर दें कि आपके माध्यम से ही रिपोर्ट भेजी जाया करे।

शासन द्वारा स्पष्ट आदेशों और निरन्तर स्मरण पत्रों के बावजूद देवरिया, मुशदाबाद, हमीरपुर, जालौन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लखनऊ, उन्नाव, अलीगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, पीलीभीत, गाजीपुर तथा जौनपुर जिलों से विभागावार लाभान्वित किए गए परिवारों की सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे ऐसा आभास मिलता है कि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। कृपया इन जिलों के जिलाधिकारी इस संबंध में अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का स्पष्टीकरण प्राप्त करके शासन को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करें।

विभागावार प्रगति समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनेक जिलों द्वारा अच्छी प्रगति दर्शाने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थी की सूचना रिपोर्ट में दर्शा दी गई है जिन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अपेक्षित सहायता नहीं दी गई। शासन के स्पष्ट आदेशों तथा समय-समय पर अपर जिला विकास अधिकारियों की आयोजित बैठकों में स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद अनेक जिलों द्वारा असंगत रिपोर्ट भेजी गयी। उदाहरण के तौर पर ललितपुर जिले की रिपोर्ट में नौकरी में आरक्षण के फलस्वरूप रोजगार में लगे व्यक्तियों की रिपोर्ट भेजी गई। इसी प्रकार पशुपालन विभाग की रिपोर्ट में 343 परिवारों की रिपोर्ट की गई जो संदिग्ध मालूम पड़ती है क्योंकि पशुपालन विभाग की वर्तमान योजनाओं में आर्थिक विकास की योजना के अन्तर्गत इतने लाभार्थी नहीं हो सकते। फतेहपुर जिले की रिपोर्ट में बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन दिखाया गया जबकि फतेहपुर जिले में कोई बंधुआ मजदूर आइडेंटीफाइड नहीं किया गया। रामपुर की रिपोर्ट में अल्पकालीन सहकारी ऋण के लाभार्थी ही नहीं बल्कि निर्बल वर्ग आवास योजना के लाभार्थी भी शामिल कर दिए गए। बलिया जिले की रिपोर्ट में 3,398 परिवार राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई भूमि द्वारा दर्शाए गए किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इन परिवारों को कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में (कम से कम एक एकड़) दी गई और उसके लिए इनपुट्स भी दिए गए। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे परिवारों को प्रगति में शामिल नहीं किया जा सकता। नैनीताल जिले की रिपोर्ट में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की सूचना दी गई है। एटा जिले की रिपोर्ट में सामान्य प्रबंधक द्वारा 43 लाभार्थी की सूचना दी गई किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह सामान्य प्रबंधक किस विभाग का है। आगरा जिले की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम द्वारा 1590 लाभार्थियों की रिपोर्ट की गई जो सही नहीं प्रतीत होती। हरदोई की रिपोर्ट असंतोषजनक तो है ही साथ ही इस रिपोर्ट में प्रादेशिक विकास दल के अन्तर्गत खेलकूद, और युवक विचार गोष्ठी के लाभार्थियों को ही नहीं बल्कि छात्रवृत्ति विद्युतीकरण, आवास योजना के लाभार्थी भी रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। आजमगढ़ की प्रगति में उद्यान विभाग के 995 लाभार्थी भी शामिल कर दिए गए हैं जबकि इस विभाग द्वारा आर्थिक विकास के लिए इतनी सहायता नहीं दी जाती कि परिवार गरीबी की रेखा को पार कर सके। कानपुर (देहात) वाराणसी, मिर्जापुर इत्यादि जिलों की रिपोर्ट में भी उद्यान विभाग के लाभार्थियों की सूचना दी गई। बाराबंकी जिले की रिपोर्ट में भी गृह निर्माण योजना के लाभार्थियों की सूचना दी गई। इसी प्रकार कतिपय जिलों ने चयनित विकास खण्डों में निर्मित एवं सेवाविपणन केन्द्रों की योजना में लाभार्थियों को दिखा दिया जबकि वास्तव में किसी भी व्यक्ति को सह केन्द्र आवंटित नहीं किए गए। अनेक जिलों द्वारा भूमि संरक्षण के लाभार्थियों की भी सूचना दी गई जो समीचीन नहीं है। उपरोक्त जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे शासन को भविष्य में रिपोर्ट प्रेषित करते समय यह देख लें कि उपरोक्त त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

विभागीय रिपोर्ट के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट में सम्बन्धित सभी योजनाओं की रिपोर्ट अधिकांशतः सम्मिलित नहीं की गई अन्यथा जिले की प्रगति और अच्छी प्रदर्शित की जा सकती थी। अतः जिलाधिकारी कृपया भविष्य में रिपोर्ट भेजने के पूर्व यह विशेष रूप से देख लें कि उसमें यथा सम्भव सभी विभागों की रिपोर्ट सम्मिलित कर ली गई है अथवा नहीं। जिन विभागों की रिपोर्ट अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को उपलब्ध नहीं कराई जाती उसके लिये कृपया समय-समय पर संबन्धित विभागों को सचेत करने का कष्ट करें और यदि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के स्तर से भी सूचनाएँ एकत्र करने में ढिलाई बरती जाती है तो उसके लिये उन्हें भी सचेत किया जाय। इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट करना है कि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का मौलिक दायित्व यह है कि वह स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित सभी विभागों की प्रगति पर निगरानी रखे, उनसे निरन्तर समन्वय स्थापित रखे और उनके द्वारा किये गये कार्यों अथवा उनके द्वारा प्रदर्शित शिथिलता की निःसंकोच जानकारी आपको उपलब्ध करायें। अतः आप द्वारा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के कार्यों की समीक्षा करते समय यह अनिवार्य रूप से देखा जाए कि उन्होंने उपरोक्त दायित्व का परिपालन कितनी कुशलता, दायित्व और तत्परता से किया है।

अन्त में यह अनुरोध करना है कि प्रश्नगत मासिक रिपोर्ट को भेजने से पूर्व यह देख लिया जाय कि उसमें उन्हीं परिवारों की सूचना दी गई है जो गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं और उन्हें इतनी आर्थिक सहायता दे दी गई है कि गरीबी की रेखा को निश्चित रूप से पार कर जायेंगे ।

प्रधान मंत्री जी द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा प्रत्येक मास की 15 तारीख को की जाती है जिसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्ध शा0 पत्र सं0 7634/26-3-82-11(43)/82 दिनांक 31 मई, 1982 की ओर आकर्षित किया जाता है । मार्च, 82 की प्रगति रिपोर्ट अब भी शासन को फतेहपुर तथा बुलन्दशहर जिलों से प्राप्त नहीं हुई है अतः इन जिलों के ऊपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का स्पष्टीकरण अपना आख्या तथा संस्तुति के साथ शासन को तुरन्त प्रेषित करने का कष्ट करें ।

2--अनुसूचित जाति के सघन कार्यक्रम के चयनित विकास खण्डों को आवंटित धनराशि का 1981-82 में

उपयोग :

प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को कम समय में अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 1981-82 तक प्रदेश के 188 विकास खण्डों में 1525.98 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गई थी और वर्ष 1981-82 में (वर्ष 1980-81 के व्यय को घटा कर) 1437.87 लाख रु0 की धनराशि व्यय के लिए शेष थी । इस धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं और इस धनराशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किये जाने पर शासन विशेष बल देता रहा है । 1980-81 की शोचनीय प्रगति को देखते हुए वर्ष 1981-82 में कतिपय योजनायें जैसे : सामूहिक लघु सिंचाई योजना, सेवा एवं विपणन केन्द्रों के निर्माण की योजना तथा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने की योजना भी जिलों को इस आशय से भेजी गई थी कि धन के उपयोग में त्वरित कार्यवाही की जा सके । उपरोक्त प्रयासों के बावजूद वर्ष 1981-82 में हुई व्यय की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती । जिलों से उपरोक्त व्यय का जो विवरण प्राप्त हुआ है उसका जिलेवार विवरण संलग्नक 2 में दृष्टव्य है ।

इस विवरण को देखने से ज्ञात होगा कि अलीगढ़, बुलन्दशहर तथा शाहजहांपुर जिलों में शासन को मार्च, 82 तक कोई सूचना नहीं भेजी । अतः इन जिलों के जिलाधिकारी कृपया अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का स्पष्टीकरण एवं अपनी आख्या शासन को तुरन्त भेजें । जिन जिलों की व्यय की प्रगति 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम है उनमें विजनौर, अल्मोड़ा, हरदोई, मेरठ, बलिया, जौनपुर, फैजाबाद तथा पौड़ी गढ़वाल, शामिल है । जिन जिलों की प्रगति 25 प्रतिशत से भी कम है उनमें बांदा, उन्नाव, सहारनपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर तथा हमीरपुर जिले शामिल हैं । इन जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस असंतोषजनक प्रगति के सम्बन्ध में अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का स्पष्टीकरण शासन को तुरन्त भेजने का कष्ट करें ।

जिलेवार प्रगति के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि कुछ जिलों में योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु धनराशि सम्बन्धित एजेंसी (आर0 ई0 एस0) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, सिंचाई विभाग, मण्डलीय विकास निगम आदि को हस्तांतरित कर दी है उसे व्यय में दिखा दिया गया है और यह रिपोर्ट वास्तविक व्यय की नहीं है । अतः कृपया अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को सचेत कर दें कि भविष्य में वास्तविक व्यय की रिपोर्ट ही शासन को भेजी जाये । गोरखपुर तथा लखीमपुर खीरी जिलों की रिपोर्ट में वर्ष 1981-82 में व्यय की गई धनराशि उक्त वर्ष में उपलब्ध धनराशि से अधिक दर्शायी गयी है ।

शासन द्वारा निरन्तर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि चयनित विकास खण्डों में सामूहिक लघु सिंचाई की योजनायें अधिकाधिक चलाई जायें क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को स्थायी रूप से गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से उनके लिए स्थायी असेट तैयार होता है । यह देखा गया है कि यदि किसी परिवार के पास एक एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि है तो उसे सिंचित करके परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा सकता है तथा परिवार के पास एक एकड़ से कम भूमि हो तो उसकी भूमि सिंचित करके और उसे अन्य छोटी आर्थिक विकास की योजना देकर गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा सकता है । शासन को प्राप्त सूचनानुसार मथुरा, उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, सहारनपुर, हमीरपुर, बांदा, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती,

वाराणसी, रामपुर, बलिया, गाजीपुर, बहराइच, गोण्डा, सुल्तानपुर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, इटावा, कानपुर (शहर), तथा कानपुर (देहात) फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद, जिलों में कोई भी सिंचाई योजना नहीं तैयार की गई। अतः इन जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे इनमें व्यक्तिगत रुचि लेकर अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को निर्देशित कर दें कि वे सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन की सम्भावनाओं का पता लगाकर कम से कम 2-3 योजनाएँ अवश्य चलायें। योजनाओं को तैयार करने में ऐसे क्षेत्रों को प्राइडेंटीफाई कर लिया जाय जहाँ अनुसूचित जाति के 75 प्रतिशत से अधिक लघु/सीमान्त कृषकों के खेत हों और गैर अनुसूचित जातियों के उन लोगों के खेत हों जो लघु/सीमान्त कृषकों की श्रेणी में आते हों। उपरोक्त योजना इस वर्ष अवश्य प्रारम्भ कर दी जायें।

शासन द्वारा सेवा एवं विपणन केन्द्रों की स्थापना पर भी विशेष बल दिया जाता रहा है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार एटा, मैनपुरी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जालौन, बांदा, ललितपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोण्डा, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, इटावा, (कानपुर शहर, व देहात) फतेहपुर, तथा फर्रुखाबाद जनपदों में सेवा एवं विपणन केन्द्रों की निर्माण की प्रगति या तो अत्यन्त धीमी है अथवा इन जिलों में अभी तक कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में आप द्वारा विशेष अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है।

अनुरोध है कि आपके जिले के सम्बन्ध में उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है कि आपके प्रशासनिक नेतृत्व में भविष्य में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की अपेक्षित गति मिलेगी।

सद्भावना सहित,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
राम कृष्ण,

संख्या-8131(1)/26-3-82-11 (2)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
- (3) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
राम कृष्ण,
सचिव।

संख्या-8131(2)/26-3-82-11(2), 81 तद्दिनांक

प्रिय महोदय

उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ।

श्री भूरे लाल,
सचिव।

मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन।
डी० जे० पी० सिंह
सचिव नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,
राम कृष्ण,

संलग्नक-1

अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सेवा के नीचे निवास करने वाले परिवार जिन्हें 1981-82 के माह मार्च, 1982 तक आर्थिक उत्थान हेतु योजनाएँ दी गईं।

क्रम- संख्या	जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्ध	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	देहरादून	1,800	1,369	76
2	नैनीताल	3,500	3,750	107.1
3	अल्मोड़ा	3,500	5,835	166.7
4	पौड़ी गढ़वाल	1,500	204	13.6
5	टिहरी गढ़वाल	1,500	1,955	130.3
6	चमोली	1,500	3,731	248.7
7	उत्तरकाशी	1,000	1,971	197.1
8	पिथौरागढ़	1,700	2,458	144.5
9	झांसी	8,000	9,374	117.1
10	जालौन	6,000	756	12.6
11	हमीरपुर	6,500	1,770	27.2
12	बांदा	7,000	8,209	117.2
13	कानपुर (शहर)	9,000	7,081	78.6
14	कानपुर (देहात)	6,000	5,840	97.3
15	फतेहपुर	6,000	730	12.1
			(फरवरी 82)	
16	लखनऊ	8,000	7,263	90.7
17	उन्नाव	9,500	5,235	55.1
18	रायबरेली	12,000	5,645	47
19	सीतापुर	14,000	14,008	100.05
20	हरदोई	14,000	2,153	15.35
21	खीरी	10,000	14,628	146.2
22	बाराबंकी	12,000	12,144	101.2
23	देवरिया	11,000	11,713	106.4
24	आजमगढ़	15,000	14,072	93.8
25	जौनपुर	11,000	8,842	80.3
26	गाजीपुर	7,000	7,623	108.9
27	बलिया	6,000	1,963	32.7
28	बस्ती	14,000	4,340	31
29	बहराइच	7,000	4,027	57.5
30	इलाहाबाद	16,000	8,445	52.7
31	फैजाबाद	12,000	12,391	103.2
32	गोरखपुर	15,000	28,125	187.5
33	गोण्डा	8,500	17,733	208.6
34	मिर्जापुर	12,500	4,050	32.4
35	प्रतापगढ़	6,000	11,019	183.6
36	सुल्तानपुर	10,000	10,593	105.9
37	वाराणसी	12,000	8,677	72.3
38	सहारनपुर	11,000	12,114	110.1
39	मुजफ्फरनगर	7,000	4,730	67.5
40	मेरठ	15,000	15,824	105.4
41	बुलन्दशहर	11,000	1,078	9.8
			(फरवरी 82)	

1	2		3	4	5
42	अलीगढ़	..	11,000	7,134	64.8
43	मथुरा	..	6,000	6,710	111.8
44	अगिरा	..	11,000	13,262	120.5
45	मैनपुरी	..	6,000	3,307	55.1
46	एटा	..	6,000	3,222	53.7
47	बरेली	..	5,500	3,460	62.9
48	बिजनौर	..	7,000	8,097	115.6
49	बदायूं	..	6,000	4,199	69.9
50	मुरादाबाद	..	9,000	12,446	138.2
51	रामपुर	..	3,000	1,288	42.9
52	शाहजहांपुर	..	5,000	2,452	49
53	पीलीभीत	..	2,000	6,793	339.6
54	फर्रुखाबाद	..	6,000	10,037	167.2
55	इटावा	..	8,000	3,205	40
56	गाजियाबाद	..	3,000	2,459	81.9
57	ललितपुर	..	4,000	558	13.9
	योग	..	4,50,000	3,89,027	86.4

स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में 31 मार्च, 1982 तक हुआ व्यय विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	वर्ष 1980-81 में व्यय हुआ धन	1-4-81 अवशेष को अवशेष धनराशि	वर्ष 1981-82 में आवंटित धनराशि	वर्ष 1981-82 में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 1981-82 में कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	0.10	4.89	15.00	19.89	19.89
2	अलीगढ़
3	एटा	0.02	4.97	10.00	14.97	8.43
4	मैनपुरी	..	5.00	10.00	15.00	13.13
5	मथुरा	0.07	4.92	10.00	14.92	8.63
	योग	0.19	19.78	45.00	64.78	50.08
6	इलाहाबाद	0.50	20.50	46.00	66.50	54.78
7	इटावा	0.03	6.96	27.00	33.96	18.31
8	फर्रुखाबाद	0.79	4.20	10.00	14.20	14.20
9	फतेहपुर	0.09	4.91	15.00	19.91	19.91
10	कानपुर (शहर)
11	कानपुर (देहात)	1.62	3.37	10.00	13.37	12.66
	योग	3.03	39.94	108.00	147.23	119.86
12	बहराइच	5.00	4.92	10.00	14.92	14.97
13	बाराबंकी	1.34	3.66	30.00	33.66	31.18
14	फैजाबाद	1.05	3.94	25.00	28.94	10.94
15	गोण्डा	0.24	4.75	10.00	14.75	10.31
16	प्रतापगढ़	0.08	4.91	15.00	19.91	13.49
17	सुल्तानपुर	0.04	4.95	15.00	19.95	13.50
	योग	7.75	27.13	105.00	132.13	94.39
18	चमोली	0.03	4.96	5.00	9.96	8.60
19	पीड़ी गढ़वाल	0.01	4.98	5.00	9.98	2.52
20	टिहरी गढ़वाल	0.65	4.34	5.00	9.34	7.41
21	उत्तरकाशी	4.21	0.78	5.00	5.78	5.68
22	देहरादून	1.53	3.46	5.00	8.46	8.46
	योग	6.43	18.52	25.00	43.52	32.77
23	आजमगढ़	0.06	4.93	30.00	34.93	22.60
24	बस्ती	0.76	4.23	15.00	19.23	13.02
25	देवरिया	2.20	2.80	10.00	12.80	12.80
26	गोरखपुर	1.94	3.05	15.00	18.05	21.77
	योग	4.96	15.01	70.00	85.01	70.19
27	बिजनौर	1.04	3.95	25.00	28.95	9.28
28	रामपुर	1.50	3.49	10.27	13.76	11.96
29	मुरादाबाद	0.30	4.70	10.00	14.70	14.86
	योग	2.84	12.14	45.27	57.41	36.10

कुल व्यय का विवरण 1981-82

पेट्रोल	छपाई एवं स्टेशनरी	अनुदान	माजिन मनी ऋण	दुकानों पर	कृषि योग्य भूमि पर	सिंचाई योजनाओं पर	अन्य योजनाओं पर	अन्य	प्रतिशत
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0.02	0.04	0.01	0.01	12.50	2.00	5.00	..	0.29	100
..
0.03	0.12	0.06	0.03	4.00	..	4.13	..	0.03	56.4
0.02	0.04	7.22	0.90	4.90	..	0.03	87.5
0.02	0.13	..	0.41	8.00	0.06	57.8
0.09	0.33	0.07	0.45	31.72	2.90	14.03	..	0.41	..
0.07	0.07	4.74	..	42.71	..	7.07	..	0.10	82.3
0.05	0.34	0.65	..	15.00	2.22	0.04	53.9
0.02	0.19	0.51	..	13.39	0.07	100
0.91	19.00	100
..
0.03	0.21	1.87	..	7.77	2.70	0.07	94.6
1.08	0.81	7.77	..	97.87	4.92	7.07	..	0.28	..
0.01	0.07	..	0.91	11.30	2.67	100.3
0.03	0.29	0.23	0.23	17.60	4.78	7.87	..	0.13	92.6
0.08	1.49	0.34	0.19	1.31	1.63	3.53	1.37	0.96	37.8
0.09	0.05	0.07	0.07	10.10	69.8
0.02	0.09	0.37	..	13.00	67.7
0.02	0.15	13.20	0.13	67.6
1.69	2.14	1.01	1.40	66.5	9.08	11.40	1.37	1.22	..
0.08	0.09	8.50	86.3
0.02	0.15	1.93	..	0.37	0.04	25.2
0.03	0.05	3.51	..	3.50	0.25	0.05	79.3
..	0.06	1.50	..	2.08	1.99	0.03	98.2
0.02	0.05	2.69	..	3.60	2.00	0.09	100
0.078	0.40	18.13	..	9.55	4.24	0.05	..	0.16	..
0.01	0.31	3.04	..	18.00	1.21	64.7
0.01	0.08	1.32	..	11.49	0.10	67.7
0.02	0.24	2.54	..	10.00	100
0.02	0.25	7.57	..	10.47	2.82	..	0.50	0.12	120.6
0.06	0.88	14.47	..	49.96	4.03	..	0.50	0.32	..
0.05	0.19	8.95	0.09	32
0.04	0.18	1.60	0.93	7.00	1.75	0.21	..	0.22	86.9
0.30	0.33	7.15	5.01	2.00	0.07	101
0.39	0.7	8.75	5.94	17.95	1.75	0.21	..	0.38	..

क्रम सं०	जिले का नाम	वर्ष 1980-81 में व्यय हुआ धन	1-4-81 को अक्षेप धनराशि	वर्ष 1981-82 में आवंटित धनराशि	वर्ष 1981-82 में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 1981-82 में कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
30	बांदा ..	0.12	6.87	17.00	23.87	5.77
31	हमीरपुर ..	0.04	4.95	20.00	24.95	3.61
32	जालौन ..	1.11	3.88	20.00	23.88	16.57
33	झांसी ..	0.47	4.52	10.00	14.52	14.32
34	ललितपुर ..	0.66	4.33	10.00	14.33	13.84
	योग ..	2.4	24.55	77.00	101.55	54.09
35	अल्मोड़ा ..	0.61	4.38	5.00	9.38	4.32
36	नैनीताल ..	0.84	4.16	5.00	9.16	9.15
37	पिथौरागढ़ ..	1.20	3.79	5.00	8.79	5.44
	योग ..	2.65	12.33	15.00	27.33	18.91
38	हरदोई	50.09	66.00	116.09	35.68
39	खीरी ..	7.00	..	32.00	32.00	36.53
40	लखनऊ	35.00	45.00	80.00	47.35
41	रायबरेली ..	0.05	6.95	32.00	38.95	29.86
42	उन्नाव ..	0.51	20.48	46.00	66.48	8.68
43	सीतापुर ..	12.89	15.10	53.00	68.10	53.00
	योग ..	20.45	127.62	274.00	401.62	211.1
44	बुलन्दशहर
45	मेरठ ..	5.00	..	15.00	15.00	4.85
46	मुजफ्फरनगर ..	0.64	4.35	10.00	14.35	11.48
47	सहारनपुर ..	0.13	4.86	25.00	29.86	3.52
48	गाजियाबाद ..	1.05	3.94	10.00	14.28	0.07
	योग ..	6.82	13.15	60.00	73.49	19.92
49	बरेली ..	0.19	4.80	14.80	18.80	11.35
50	बदायूं ..	1.79	3.20	10.00	13.20	12.74
51	पीलीभीत ..	0.12	4.84	10.00	14.84	14.64
52	शाहजहांपुर
	योग ..	2.1	12.84	34.80	46.84	38.73
53	बलिया ..	1.02	3.97	10.00	13.97	3.59
54	मिर्जापुर ..	0.37	62.62	68.00	130.62	120.82
55	गाजीपुर ..	0.15	4.84	10.00	14.84	2.27
56	जौनपुर ..	0.50	4.49	10.00	14.49	5.32
57	वाराणसी ..	0.06	6.93	17.00	23.93	14.82
	योग ..	2.1	82.85	115.00	197.85	146.92
	महायोग ..	61.72	405.86	974.07	1378.76	893.06

कुल व्यय का विवरण 1981-82

पेट्रोल	छपाई एवं स्टेशनरी	अनुदान	मार्जिन मनी ऋण	दुकानों पर	कृषि योग्य भूमि पर	सिंचाई योजनाओं पर	अन्य योजनाओं पर	अन्य	प्रतिशत
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0.06	0.37	5.25	0.08	24.1
0.02	0.16	2.89	..	0.47	0.05	..	14.46
0.01	0.16	7.39	7.45	1.54	0.004	69.3
0.01	0.02	0.73	0.73	1.00	..	11.72	..	0.08	98.6
0.009	0.03	0.40	0.27	2.34	..	10.50	0.25	0.02	96.5
0.1	0.74	8.52	8.45	13.02	..	22.69	0.30	0.18	
0.06	0.14	0.17	..	2.00	..	1.32	0.62	..	46
0.01	0.10	3.35	..	5.00	..	0.58	0.06	0.04	99.8
..	0.01	1.53	..	0.89	0.95	2.04	61.8
0.07	0.25	5.05	..	7.89	0.95	3.94	0.68	0.04	..
0.12	2.83	0.03	1.94	9.84	20.00	0.10	0.73	0.03	30.7
0.08	0.15	7.07	2.48	21.60	..	4.78	..	0.35	114.1
0.10	0.48	4.38	12.08	17.09	..	4.07	0.05	9.07	59.1
0.04	0.26	8.60	8.32	10.60	1.95	0.09	76.6
0.12	..	0.25	0.30	8.00	13
0.10	1.19	9.52	..	18.10	7.95	15.96	..	0.15	77.8
0.56	4.91	29.85	25.12	85.23	29.9	24.91	0.78	9.69	..
..	
0.02	0.19	0.61	..	3.98	0.04	32.3
0.02	0.13	0.10	0.11	2.93	0.20	11.78
0.04	0.10	6.12	5.03	80
..	0.06	0.006	0.4
0.08	0.48	0.71	0.11	13.03	5.03	0.246	
0.05	0.32	10.75	0.06	0.16	60.3
0.03	0.08	1.38	..	10.00	0.45	0.60	..	0.16	96.5
0.07	0.33	0.37	..	10.68	0.38	2.67	..	0.11	98.6
..	
0.15	0.73	1.75	..	31.43	0.89	3.27	..	0.43	
0.01	0.38	1.63	1.50	0.05	25.6
0.15	0.55	0.16	0.21	24.54	16.00	39.00	39.42	0.77	92.4
0.04	0.36	0.36	..	1.40	0.03	0.06	15.2
0.03	0.25	0.30	0.31	4.50	0.04	36.7
0.02	0.16	2.91	..	8.50	3.20	0.02	61.9
0.25	1.70	5.36	0.52	38.94	19.20	39.00	39.45	0.94	74.2
3.06	14.07	101.34	41.99	463.10	82.89	126.57	43.08	14.29	64.7

राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव ।

पत्रांक 7634/26-3-82-11(43)/82

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन ।
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 1982

प्रिय महोदय,

माननीय प्रधान मंत्री जी के नये 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 7 में अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने पर बल दिया गया है। अनुसूचित जातियों के विकासार्थ चलाये जा रहे स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान का अन्तर्निहित मूल उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक विकास की विभिन्न योजनायें उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाना है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के आगामी माह की 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी तथा केन्द्रीय मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। प्रस्तुत की जाने वाली उपरोक्त रिपोर्ट में सूत्र संख्या 7 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों की सूचना शासन द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराई जानी है जिन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश में आर्थिक योजनायें उपलब्ध कराई गई हों। उपरोक्त सूचना शासन द्वारा भारत सरकार को अगले माह की 7 तारीख तक उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

2--उपरोक्त रिपोर्ट शासन के आदेश संख्या 5532/26-3-82-11(24)/81 के अनुसार आपसे अपेक्षित है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह अपरिहार्य है कि आप द्वारा शासन को वांछित रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक प्राप्त हो जायें। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3--वांछित रिपोर्ट में जिन परिवारों की सूचना अंकित की जानी है उसके संबंध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 1982 तथा शासन संख्या 7370/26-3-82-11(24)/82 दिनांक 12 मई, 1982 द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भेजने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट निर्देशों के अनुरूप है। रिपोर्ट में यथासम्भव जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की पूर्ण सूचना दी जाये और चूंकि ऐसे परिवारों में आई 0 आर 0 डी 0 योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या सर्वाधिक होगी, अतः इस योजना की प्रगति का समावेश करने हेतु विशेष ध्यान रखा जाए।

4--कृपया इसे अत्यावश्यक समझें और दायित्व पूर्ण ढंग से वांछित मासिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की 5 तारीख तक शासन की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला।

पृष्ठांक संख्या 7634 (1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूँ कि आई 0 आर 0 डी 0 योजना से संबंधित जिले के अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को निर्धारित समय से भीतर आई 0 आर 0 डी 0 योजना के अन्तर्गत जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों की प्रगति उपलब्ध करा दें।

श्री पी 0 सी 0 श्रीवास्तव,
सचिव,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला।

राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव ।

पत्रांक 8928/26-3-82-11(54)/82

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग--3,
विधान भवन

प्रिय महोदय,

लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 1982 ।

अनुसूचित जातियों के विकासार्थ संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास की प्रगति शासन को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

क्रम-सं०	मद	मद	उपलब्धि (व्यय)
1	आयोजनागत परिव्यय में विभिन्न विभागों द्वारा मादाकृत धनराशि ।	121.34 करोड़ रु०	3.76 करोड़ रु०
2	विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पोषित योजनायें . .	34.50 करोड़ रु०	2.28 करोड़ रु०
3	अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य ।	4.50 लाख परिवार	0.13 लाख परिवार

2--प्रधान मंत्री जी के नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र सं०-7 में अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की सफलता में विशेष हचि रखती हैं। क्योंकि इस प्रदेश में पूरे देश की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का एक चौथाई भाग निवास करता है। किन्तु प्रथम त्रैमास की उपरोक्त उपलब्धियां नितांत असंतोषजनक हैं। शासन के समझ में यह बात भी आयी है कि जिला स्तर से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की उपरोक्त मदों में प्रगति नियमित समय के भीतर प्राप्त नहीं हो रही है।

3--इस संबंध में मैं आपका ध्यान उपरोक्त मद सं०-3 की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का अन्तर्निहित मूल उद्देश्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अनुसूचित जाति के 4.50 लाख परिवारों को विभिन्न आर्थिक विकास की योजनाओं द्वारा गरीबी की रेखा के ऊपर ले आया जाए। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक प्रगति समीक्षा में प्रधान मंत्री जी उपरोक्त लक्षित परिवारों के संबंध में विशेष रूप से अनुश्रवण करती हैं। इस हेतु भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उपलब्ध करायी जानी है। अतः यह अपरिहार्य है कि प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्राप्त हो जाए। इस संबंध में मैं आपसे अपने अर्थ शा० प० सं०-7634 / 26-3-82-11 (43)/82 दिनांक 31 मई, 1982 द्वारा निवेदन कर चुका हूँ। जिला स्तर पर यह रिपोर्ट अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा तैयार करके जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जानी है। अतः आप जिला स्तरीय विकास विभागों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बना दें कि वे अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से लाभान्वित किए गए परिवारों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 3 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दें। शासन को रिपोर्ट 5 तारीख तक प्राप्त हो जाना आवश्यक है। अतः रिपोर्ट रेडियोग्राम/टेलीक्स/टेलीप्रिन्टर अथवा विशेष पत्रवाहक द्वारा भिजवायी जाए।

4--गरीबी की रेखा के ऊपर उठावे के उद्देश्य से लाभार्थियों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रथम त्रैमास में लाभान्वित किए गए 13,242 परिवारों में से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत केवल 3,920 अनुसूचित जाति के परिवार ही लाभान्वित हुए हैं। अतः यह आवश्यक है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जाए और उसमें शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के 50 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसकी पूर्ण सफलता के लिए आपका दायित्व है। अतः अनुरोध है कि जिला/मण्डल स्तरीय समन्वय समिति की मासिक बैठकों में आप द्वारा उपरोक्त तीनों मदों के संबंध में प्रगति का कठोर अनुश्रवण किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष के शेष माहों में पिछली क्रमी को पूरा करने के लिए समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करके शतप्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। यदि इसमें किसी अधिकारी द्वारा उदासीनता दिखाई जाती है तो उसके प्रति कठोर रुख का प्रदर्शन किया जाए।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला ।

पृष्ठांक संख्या 8928(1) / 26-3-82, तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कर रहा हूँ कि आप अपने स्तर से विभागीय सभी अधिकारियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाने और नियमित रूप से प्रगति उपलब्ध कराने हेतु अवश्य निर्देश देने का कष्ट करें।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित विभागों के सचिव।
संबंधित विभागाध्यक्ष।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला ।

संख्या 9688 / 26-3-82-11(24)/81

श्रेष्ठक,

रामकृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर जिला विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण)
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 1982

विषय:—गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से लाभान्वित किए गए अनुसूचित जाति के परिवारों के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन तथा भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर प्रत्येक माह अनुसूचित जाति के उन परिवारों के संबंध में प्रगति समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है, जिन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के लिए उपरोक्त लाभान्वित परिवारों की रिपोर्ट भारत सरकार को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भेजी जानी है। अतः यह अपरिहार्य है कि आपके द्वारा अपने जिलाधिकारी के माध्यम से मासिक प्रगति रिपोर्ट पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में शासन को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाए। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के जिलाधिकारियों को सम्बोधित अर्ध शा0प0सं0 7634/26-3-82-11(43)/82, दिनांक 31 मई, 1982 तथा संख्या 8928/26-3-82-11(54)/82, दिनांक 31 जुलाई, 1982 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इन पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

2—उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट को जिले के विकास विभागों के अधिकारियों से प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्राप्त करने तथा उसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता के विरुद्ध आप को सजग किया जाता है।

3—मुझे यह भी कहना है कि आप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सभी विभागों की प्रगति का समावेश सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट में आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों को न शामिल किया जाना गम्भीर दृष्टि से देखा जाएगा। प्रगति रिपोर्ट में विभागवार लाभार्थियों का विवरण अनिवार्यतः दिया जाए।

4—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की मासिक प्रगति समीक्षा हेतु जिला समन्वय समिति की बैठकों में उपरोक्त प्रगति की अनिवार्य समीक्षा रूप से समीक्षा की जाएगी।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 9688 (1)/26-3-82-11(24)/81: तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2—समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।

राम कृष्ण,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
लखनऊ, दिनांक 10 मई, 1982 ।

प्रिय महोदय,

अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकासके लक्ष्य को त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा यह नीति अपनाई गई है कि विभिन्न विकास विभागों द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत माताकृत किये गये वित्तीय साधनों को यथासम्भव उन क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाय जहाँ अनुसूचित जातियों की सृजन संख्या अधिक है। इस दृष्टिकोण की ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक 294 विकास खण्डों में जिनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अधिक है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु चयनित किये गये हैं। इन विकास खण्डों की सूची आपके उपयोगार्थ संलग्न है।

2--आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के विभागाध्यक्ष तथा फील्ड स्तरीय अधिकारियों को यह आदेश जारी करने का कष्ट करें कि आपके विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये माताकृत की गई धनराशियों को यथासम्भव उपरोक्त 294 विकास खण्डों में व्यय किया जाय। ऐसा करने से लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकेगा, योजनाओं के मूल्यांकन करने में आसानी होगी और क्षेत्र विशेष में किये गये कार्य स्पष्टतः दृष्टि-गोचर होंगे। इसके अतिरिक्त चयन किये गये विकास खण्डों में अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न योजनाओं का पैकेज मिलने से उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

3--कृपया निर्गत आदेशों की प्रति इस विभाग को भी यथाशीघ्र प्रेषित कराने का कष्ट करें।

4--यह पत्र नियोजन विभाग की सहमति से प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,
राम कृष्ण ।

संलग्नक :

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित
विभागों के सचिव

प० सं०-7427(1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित विभागाध्यक्ष, उ० प्र०।
- 2--समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र०।
- 3--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4--समस्त उप विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना), उत्तर प्रदेश।
- 5--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश।
- 6--प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के सघनित कार्यक्रम हेतु चयनित
विकास खण्ड

क्रम- संख्या	जिला	विकास खण्ड	क्रम- संख्या	जिला	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
1	देहरादून	1--सहसपुर 1982-83	2	टेहरी गढ़वाल	1--जौनपुर 1982-83
		2--डोईवाला 1980-81			2--जखाली 1980-81
3	गढ़वाल	1--पौड़ी 1982-83	4	उत्तर काशी	1--पुरौल 1982-83
		2--दुगड्डा 1980-81			2--टूडा 1980-81
5	चमोली	1--चमौली 1982-83	6	नैनीताल	1--राम नगर 1982-83
		2--अगस्त मुनि 1980-81			2--खटीमा 1980-81
7	अल्मोड़ा	1--ताकुला 1982-83	8	पिथौरागढ़	1--गंगोली हाट 1982-83
		2--ताड़ी खेत 1980-81			2--धारचुला 1980-81
9	बरेली	1--रामनगर 1981-82	10	शाहजहांपुर	1--पुवायां 1981-82
		2--भुता (कुआडांडा) 1982-83			2--भावलखेड़ा 1982-83
		3--अलिमपुर जाफराबाद 1980-81			3--बन्डा 1980-81
11	बदायूं	1--अम्बियापुर 1981-82	12	पीलीभीत	1--पूरतपुर 1981-82
		2--बिसौली 1982-83			2--विलसन्डा 1982-83
		3--जगत			3--मरोरी

1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
13	मुरादाबाद	1--अमरोहा 1981-82	14	बिजनौर	1--कीरतपुर 1981-82
		2--बनियाखेड़ा 1982-83			2--कोतवाली
		3--जोया			3--नजीबाबाद
		4--सम्भल			4--मोहम्मदपुर देवमल
					5--धामपुर 1982-83
		1980-81			6--नूरपुर 1980-81
15	रामपुर	1--शाहाबाद 1981-82	16	सहारनपुर	1--बलियाखेड़ी 1981-82
		2--मिलक 1982-83			2--देवबन्द
		3--सूअर			3--मुजफ्फराबाद
					4--नारसन
					5--पुंवारका 1982-83
		1980-81			6--रामपुर मनि- हारन
					7--नागल
					8--ननौता
					9--बहादुराबाद 1980-81
17	मुजफ्फरनगर	1--पुरकाजी 1981-82	18	मेरठ	1--मेरठ 1981-82
		2--खतौली 1982-83			2--हस्तिनापुर
		3--जानसठ			3--रजपुरा 1982-83
		4--थानाभवन			4--दौराला
		5--चरथावल			5--मवाना
		1980-81			1980-81
19	गाजियाबाद	1--भोजपुर 1981-82	20	बुलन्दशहर	1--खुर्जा 1981-82
		2--हापुड़ 1982-83			2--जेवर
		3--लोनी			3--बुलन्दशहर
					4--सिकन्दराबाद

1	2	3	4	5	6
					1982-83
					5—पहासू
					6—अनूपशहर
		1980-81			1980-81
21 अलीगढ़	..	1—लोधा	22 मथुरा	..	1—फरह
		1981-82			1981-82
		2—धनीपुर			2—मथुरा
		3—हाथरस			
		1982-83			1982-83
		4—सिकन्दराराऊ			3—बल्देव
		5—सासनी			1980-81
		6—जवां			
		7—खर	23 मैनपुरी		1—किसनी
		8—गंगीरी			1981-82
		9—टप्पल			
		1980-81			2—बेवर
					1982-83
					3—शिकोहाबाद
24 आगरा	..	1—कोटला			4—मदनपुर
		1981-82			1980-81
		2—टूण्डला	25 इलाहाबाद		1—कनैली
		3—खदौली			2—मेजा
		1982-82			3—शंकरगढ़
		4—बरोली ग्रहीर			
		1980-81			1981-82
					4—चायल
26 एटा	..	1—जलेसर			5—कोरांव
		1981-82			6—नेवादा
					7—सिराथू
					8—बहादुरपुर
					1982-83
		2—सिद्धपुरा			9—मूरतगंज
		1982-83			10—सरसवां
					11—जसरा
		3—सोरों			

1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
27	फर्रुखाबाद	1-कन्नौज 1981-82	28	इटावा	1-महेवा 1981-82
		2-उमरदा 1982-83			2-बसरेहर
		3-कमालगंज 1980-81			3-भाग्यनगर
					4-अजीतमल
					5-औरैया 1982-83
29	कानपुर (देहात)	1-बिल्हौर 1981-82			6-जसवंतनगर
		2-घाटमपुर 1982-83			
		3-पतारा 1980-81	30	फतेहपुर	1-बहवा 1981-82
31	ललितपुर ,	1-मडावरा 1981-82			2-हसवा
		2-बिरधा 1982-83			3-विजयपुर 1982-83
		3-जखीरा 1980-81			4-धाता
					1980-81
33	जालौन	1-कोंच 1981-82	32	झांसी	1-मऊरानीपुर 1981-82
		2-कदौरा			2-गुरुसराय 1982-83
		3-नदीगांव			3-बंगरा
		4-डकीर 1982-83			
		5-जालौन 1980-81			1980-81
34	बांदा	1-मानिकपुर 1981-82	35	हमीरपुर	1-पनवाड़ी 1981-82
		2-बिसन्डा			2-कबरई
		3-महुआ 1982-83			3-मोदहा
		4-नरैनी			4-चरखारी 1982-83
		5-बबरू			5-राठ

1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
36	लखनऊ	1-माल 2-गोसाईगंज 3-मोहनलाल गंज 4-मलीहाबाद 5-सरोजनीनगर 1981-82 6-बख्शीका तालाब 7-काकोरी 1982-83 8-चिनहट 1980-81	37	उत्ताव	1-अौरास 2-हसनगंज 3-मियांगंज 1981-82 4-असोहा 5-बिछिया 6-सिकन्दरपुर करत 7-सिकन्दरपुर सरौसी 8-नवाबगंज 1982-83
38	रायबरेली	1-बछरावां 1981-82 2-डीह 3-हरचन्दपुर 4-महा राजगंज 5-सिहपुर 6-राही 1982-83 7-डलमऊ 8-नसीराबाद 9-सलोन 10-सरैनी 11-सतांव 12-ऊंचाहार 13-तिलोई 1980-81	39	सीतापुर	1-मिसरिख 2-कसमन्डा 3-गोदलामऊ 4-मछरेहटा 1981-82 5-बिसवां 6-हरगांव 7-परसेंडी 8-पहला 9-सिधौली 1982-83 10-पिसावां 11-महोली 12-एलिया 13-लहरपुर 14-खैराबाद 15-बेहटा 16-रेउसा 17-सकरन
40	हरदोई	1-अहरौली 2-सुरसा 3-टडियावां 4-हरियावां 5-बेहंदर 6-बावन 7-कछौना 8-कोथावां 1981-82 9-पिहानी 10-टोडरपुर 1982-83 11-सण्डीला 12-भरावन 13-बिलग्राम 14-शाहाबाद			

1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
41	खीरी	1--बांकेगंज 1981-82	42	गोण्डा	1--छिपिया 1981-82
		2--बिजुआ			2--बलरामपुर 1982-83
		3--लखीमपुर			3--हरैया मतधरवा 1980-81
		4--मोहम्मदा	43	फैजाबाद	1--टाण्डा 1981-82
		5--मितौली			2--अकबरपुर 3--जलालपुर 4--सोहावल 5--रामनगर 1982-83
		6--पसगवां 1982-83			6--मसौथा 7--अमानीगंज 8--जहांगीरगंज 9--बसखारी 1980-81
		7--बेहजम			1--जामो 1981-82
		8--कुम्भी (गोला)			2--जगदीशपुर 3--कादीपुर 1982-83
		9--निघासन 1980-81	45	सुल्तानपुर	4--अखण्डनगर 1980-81
44	बहराइच	1--गिलीला 1981-82			
		2--चितौरा 1982-83			
		3--प्रयागपुर 1980-81			
46	प्रतापगढ़	1--वावागंज 1981-82	47	बाराबंकी	1--सिद्धौर 1981-82
		2--बिहार (बाघराय)			2--बनीकोडर 3--दरियाबाद 4--हैदरगढ़ 5--त्रिवेदीगंज 6--निदुरा 1982-83
		3--रामपुर खास 1982-83			7--फतेहपुर 8--देवा 9--रुदौली 10--पूरेडलई
		4--कृण्डा 1980-81			
48	गोरखपुर	1--बेलघाट 1981-82			
		2--गगहा			
		3--उरुवा 1982-83			
		4--चरगांव			
		5--बांसगांव			
		6--सजनी			

1	2	3	4	5	6
		1980-81			1980-81
49	देवरिया	1-खड्डा 1981-82	50	बस्ती	1-हैसर 1981-82
		2-पडरौना 1982-83			2-खलीलाबाद 3-नाथनगर 1982-83
		3-दुघई			4-बस्ती सदर 1980-81
		1980-81	52	वाराणसी	1-नौगढ़ 1981-82
51	आजमगढ़	1-लालगंज 1981-82			2-भदोही 3-सकलडीह 1982-83
		2-बिलरियागंज			4-औराई 1980-81
		3-मेहनगर	53	जौनपुर	1-केराकत 1981-82
		4-रानीपुर			2-शाहगंज 1982-83
		5-तरवा			3-मछली शहर 1980-81
		6-ठेकना 1982-83			
		7-आजमतगढ़	55	गाजीपुर	1-मरदह 1981-82
		8-फतेहपुर मडांव			2-सैदपुर 1982-83
		9-सठियांव			3-सादात 1980-81
		10-मोहम्मदाबाद			
		1980-81	56	बलिया	1-रसड़ा 1981-82
54	मिर्जापुर	1-लालगंज			2-नगरा 1982-83
		2-हलिया			3-सीयर 1980-81
		3-मडिहान			
		4-धोरावल			
		5-नगवां			
		6-चोपन			
		7-म्योरपुर			
		8-दुद्धी			
		9-बभनी 1981-82			
		10-राजगढ़ 1982-83			
		11-रात्रटर्सगंज			

चयनित विकास खण्डों का वार्षिक विभाजन

1980-81	..	82
1981-82	..	106
1982-83	..	106

कुल योग .. 294

संख्या-5009/26-3-80-11(1)-80

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

दिनांक, लखनऊ, 24 अक्टूबर, 1980

विषय—प्रदेश के हरिजन बाहुल्य वाले विकास खण्डों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिये समन्वित परियोजनाओं का कार्यान्वयन—वर्ष 1980-81 हेतु धन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जातियों के विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान का कार्य सघनीकृत रूप से प्रारम्भ किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न विकास विभागों द्वारा आयोजनागत परिव्यय में मात्नाकरण के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन एवं उसकी प्रगति के अनुश्रवण की संक्षिप्त रूप रेखा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 4488/26,1, 1980, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 द्वारा निदिष्ट कर दी गयी है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को सुनियोजित रूप से कार्यान्वित करने तथा भौतिक लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के उन 12 जिलों के 38 विकास खण्डों में जहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या 40 प्रतिशत के आस पास अथवा इससे अधिक है तथा प्रदेश के शेष 44 जिलों के एक-एक विकास खण्डों में जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत बाहुल्य है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये मलिहाबाद विकास खंड (लखनऊ) की अग्रगामी परियोजना की भाँति समन्वित परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायें। तदनुसार राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष में उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹ 6,86,00,000 (केवल छः करोड़ छियासी लाख रुपये) की धनराशि की निम्न विभाजन के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

	₹ 0
1—38 विकास खण्डों (संलग्न सूची-1) के लिये ₹ 7,00,000 प्रति विकास खण्ड की दर से	2,66,00,000
2—44 विकास खण्डों (संलग्न सूची-2) के लिये ₹ 5,00,000 प्रति विकास खण्ड की दर से	2,20,00,000
3—अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (आर्थिक विकास की स्कीमों में अनुदान तथा माजिन मनी ऋण)	2,00,00,000
योग	6,86,00,000

2—उपरोक्त समस्त 82 विकास खण्डों के लिये समन्वित परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा धन के उपयोग हेतु निम्नलिखित बिन्दु निदिष्ट किये जाते हैं—

लाभार्थियों का सर्वेक्षण—इन परियोजनाओं में मुख्यतया अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये विभिन्न व्यवसाय में आर्थिक विकास की योजनाएँ निर्धारित करनी होंगी। यह योजनाएँ फैमिली ओरियन्टेड होंगी तथा सेचुरेशन एप्रोच के साथ कार्यान्वित की जायेंगी। इसके लिये विकास खण्ड के सम्पूर्ण ग्रामों में परिवारों का सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा।

प्रारम्भ में प्रत्येक विकास खण्ड में तीन-तीन ग्रामों का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कर लिये जानें हेतु मुख्य सचिव, के उपरोक्त आदेश द्वारा निदिष्ट किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य ग्रामों में सर्वेक्षण भी शीघ्र पूरा कर लिया जाय। सुविधा के लिये प्रश्नावली तथा विकास पुस्तिकाओं का प्रयास भी अलग से प्रेषित किया जा चुका है।

परिवार सर्वेक्षण के लिये यह उचित होगा कि गांव/क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले पढ़े-लिखे युवक/युवतियों को 3-4 दिन का प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर देकर उचित दैनिक पारिश्रमिक पर आई0 आर0 डी0 योजना के प्राविधानों के अनुसार लगाया जाय ताकि समुदाय विशेष को परियोजना के निर्माण में भागीदार बनाया जा सके। परिवार सर्वेक्षण के लिये ग्राम सेवक, लेखपाल और पंचायत सेवक द्वारा भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाय तथा ग्राम सेवक, सहायक खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस कार्य का पर्यवेक्षण किया जाय।

कार्यान्वयन—उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं विभिन्न क्षेत्रों हेतु योजनाओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अन्तर विभागीय समिति और विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा उसकी टीम द्वारा सनिश्चित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी परियोजना अधिकारी कहलायेंगे।

परियोजनाओं के लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभान्वित करने तथा योजना के अनुभव के आधार पर अधिक प्रभावशाली एवं व्यावहारिक बनाने के दृष्टिकोण से परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण, योजना बनाने तथा उनके कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य साथ-साथ किया जाय ।

(1) उक्त परियोजनाओं में मुख्यतः ऐसी आर्थिक योजनाएँ ली जाय जो फैमिली ओरियेंटेड हों तथा उनसे लाभार्थियों को आय का स्तर शीघ्रता से गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जा सके । अतः फैमिली ओरियेंटेड योजनाओं को इस प्रकार बनाया जाय कि परिवारों को हर प्रकार की आर्थिक कल्याणकारी सेवा का लाभ मिल सके । उदाहरणार्थ यदि किसी परिवार को कृषि योजनाओं के लिये चुना जाता है तो उसे उत्तम बीज, खाद्य, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा कार्यक्रम इत्यादि सभी सेवाओं से लाभान्वित किया जाय । यदि किसी परिवार को दुधारू पशु की योजना दी जाती है तो साथ ही साथ चारे तथा आहार की व्यवस्था, पशु चिकित्सा तथा बीमा और दूध की उचित बिक्री की व्यवस्था करना आवश्यक है । विभिन्न परिवारों के लाभार्थियों को किन-किन योजनाओं के लिये किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की जाय ताकि वे इसे वर्ष के अन्त तक गरीबी की रेखा पार कर सकें तथा विभिन्न विभागों से फील्ड स्तर पर समन्वय किस प्रकार किया जायेगा, यह सारा कार्य जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति तथा खंड विकास अधिकारियों और उनकी टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

(2) चूंकि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को सघन रूप से आर्थिक विकास के लिये, ऋण और अनुदान दिया जायगा, अतः यह आवश्यक है कि इनसे उन्हें आरम्भ से ही समुचित आर्थिक लाभ तथा आय में वृद्धि उपलब्ध हो सके । इसके लिये यह आवश्यक हों सकता है कि इन आर्थिक योजनाओं में कुछ काल के लिये रख-रखाव तथा यातायात इत्यादि के लिये भी अनुदान देना जरूरी हो । इसके अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं का समुचित विपणन कराने के लिये भी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी । कृषि कार्य में लगे हुए लाभार्थियों के चक्र अगर एक स्थान पर उपलब्ध है तो उनके लिये सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है । यदि सिंचाई के साधन व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं तो मंडलीय विकास निगम अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा सिंचाई साधन का निर्माण किया जा सकता है तथा बिना लाभ-हानि पर पानी का मूल्य लाभार्थियों से लिया जा सकता है । यदि उत्पादित वस्तुओं के ऋण-विक्रय हेतु कोई सहकारी समिति बनायी जाती है तो और उसमें 51 या उससे अधिक अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तो समिति को प्रबन्ध अनुदान दिया जा सकता है । इस प्रकार की अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक विकास की स्कीमों में इस धन का उपयोग किया जा सकता है ।

(3) विकास खंडवार आवंटित धनराशि में से प्रत्येक विकास खंड के लिये लेखन सामग्री तथा छपाई हेतु 15,000 रु0 तथा मोटर गाड़ियों के डीजल पेट्रोल के लिये 1,500 रु0 की धनराशि आवंटित कर दी जाय । पेट्रोल डीजल विकास खंड में उपलब्ध जीपों के प्रयोग हेतु दिया जा रहा है ।

(4) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लिये प्राविधानित धनराशि का उपयोग मार्जिन मनी ऋण एवं गैर आई0आर0डी0/एस0एफ0डी0ए0, हाडा क्षेत्रों में अनुदान के लिये किया जा सकता है । सामान्य-तया: आई0 आर0 डी0 क्षेत्रों में अनुदान आई0 आर0 डी0 से देय होगा तथा मार्जिन मनी ऋण निगम से देय होगा ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में उपरोक्त धन की सम्बद्धता

यह निगम कुटीर उद्योगों, कृषि एवं बागवानी के लिये विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों को मार्जिन मनी ऋण तथा अनुदान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं तथा योजना को लागत का 50 प्रतिशत भाग बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराया जाता है । निगम की योजनाओं में एकीकृत ग्राम्य अभिकरण, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास अभिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के समन्वय के संबंध में शासनादेश/संख्या 2380/26-3-80-7(21)--80, दिनांक 10-9-80 द्वारा अनुदान, मार्जिन मनी ऋण तथा संस्थागत वित्तीय व्यवस्था की प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे क्षेत्रों जिनमें उपरोक्त अभिकरणों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान अनुमन्य नहीं है, निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायगा । चूंकि शासन द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये अनुदान की मात्रा पर्याप्त नहीं है अतः मह निर्णय लिया गया है कि उक्त परियोजनाओं के उद्देश्य पूरे करने हेतु उपरोक्त धनराशि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निवर्तन पर रख दी जाय ।

धन का रख-रखाव एवं संचालन—उपरोक्त धनराशि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के जिला कोषागार के वैयक्तिक लेखे/बैंक के खाते में आवश्यकतानुसार रखी जायगी । उपरोक्त धन का संचालन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति के निर्देशन के अनुसार किया जायगा ।

3—उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, विभागाध्यक्ष होंगे ।

4—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सघनीकृत रूप में इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण धन का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कर लिया जाये ।

5—उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—ख—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—आयोजनागत—11—अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—आयोजनागत—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ—अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

6—उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति के लिए शेषक "160—" केन्द्रीय परकार के पहायक अनुदान-घ-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रायोजनगत योजनाओं के लिए अनुदान-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—अनुसूचित जातियों का कल्याण" के अन्तर्गत की जायेगी।

7—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई-12-2959ई-12-1980, दिनांक 15 अक्टूबर, 1980 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 5009(1)/26-3-80-11(1)/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ० प्र० शासन, लखनऊ। (10 प्रतियां)
- (2) समस्त विभागों के सचिव/विशेष सचिव।
- (3) समस्त मण्डलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12।
- (8) नियोजन अनुभाग-3।
- (9) सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली।
- (10) उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, महानगर, लखनऊ।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, बी-912, गेट नं० 1, महानगर, लखनऊ।
- (12) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 5009(2)/26-3--80—11(1)-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रदेश के समस्त कोषाधिकारियों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के जिला प्रबन्धकों के नाम से वैयक्तिक लेखे खोले जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संलग्नक सूची

अनुसूचित जाति की जनसंख्या की अधिक प्रतिशत वाले विकास खण्डों की सूची

जिला	विकास खण्ड
1—अलीगढ़	.. 1—लोघा
2—सबनऊ	.. 2—माल
	3—गोसाईगंज
	4—मोहन लाल गंज
	5—मलिहाबाद
	6—स रोजनी नगर
3—उन्नाव	.. 7—श्री रास
	8—हानगंज
	9—मियागंज
4—सीतापुर	.. 10—मिश्रख
	11—कसमंडा
	12—गोदलामऊ
	13—मछरेहटा
5—हरदोई	.. 14—अहिरोली
	15—सुग्सा
	16—टेहियावाँ
	17—हरियाँवा
	18—बेहदर
	19—बावन
	20—कछौना
	21—कोथावा
6—बीरी	.. 22—बांकेगंज
7—रायबरेली	.. 23—बछरावाँ
8—मलाहाबाद	.. 24—कनेली
	25—मेजा
	26—शंकरगढ़
9—इटावा	.. 27—महेवा
10—वाराणसी	.. 28—नोगढ़
11—मिर्जापुर	.. 29—लालगंज
	30—हलिया
	31—मडिहान
	32—धोरावल
	33—नगवाँ
	34—चोपन
	35—प्यारपुर
	36—दुडी
	37—बभनी
12—बौदा	.. 38—मानिकपुर

संलग्नक सूची 2

अधिकतम अनुसूचित जाति वाले विकास खंड

जनपद	विकास खण्ड
1—गोरखपुर	.. बेलघाट
2—देवरिया	.. खडका
3—बस्ती	.. हेन्सर
4—म्राजमगढ़	.. लालगंज
5—फैजाबाद	.. टांडा
6—गोंडा	.. छपिया
7—बहराइच	.. गिलावाला
8—सुल्तानपुर	.. जामों
9—प्रतापगढ़	.. बाबागंज
10—बाराबकी	.. सिंदौर
11—अल्मोड़ा	.. ताकुला
12—नैनीताल	.. रामनगर
13—पिथौरागढ़	.. गंगोलीघाट
14—देहरादून	.. सहसपुर
15—टेहरी-गढ़वाल	.. जौनपुर
16—उत्तरकाशी	.. पुरौला
17—गढ़वाल	.. पौड़ी
18—चमोली	.. चमोली
19—सहस्रनपुर	.. बलिया खेड़ी
20—मुजफ्फरनगर	.. पुरकाजी
21—मेरठ	.. मेरठ
22—गाजियाबाद	.. भोजपुर
23—बुलन्दशहर	.. खुर्जा
24—मथुरा	.. फरह
25—आगरा	.. कोटला
26—मैनपुरी	.. किसनी
27—एटा	.. जलेशर
28—बरेली	.. रामनगर
29—बिजनौर	.. कीरतपुर
30—बदायूं	.. अंबियापुर
31—मुरादाबाद	.. अमरोहा
32—शाहजहांपुर	.. पुवायाँ
33—पंजाबी	.. पूरनपुर
34—रामपुर	.. शाहाबाब
35—फर्रुखाबाद	.. कन्नौज
36—कानपुर	.. बिल्लीर
37—फतेहपुर	.. बहुवा
38—ललितपुर	.. मझवरा
39—झांसी	.. मऊरानीपुर
40—जालौन	.. कोंच
41—हमीरपुर	.. पनवाड़ी
42—जौनपुर	.. केराकत
43—गाजीपुर	.. मरदह
44—बलिया	.. रसड़ा

संख्या 5053/छब्बीस-3-1980

जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-3
लखनऊ, दिनांक 4 अक्टूबर, 1980

विषय :- विशेष समन्वित-योजना-प्रक्रिया

प्रिय श्री अहमद,

श्री शमशाद अहमद, उषि उद्गादन आयुक्त को सम्बोधित आपका अर्गु शासकीय पत्र संख्या 7052/जी0 सी0-1, दिनांक 13 सितम्बर, 1980 प्राप्त हुआ जिसमें आपने इटावा जनपद में 4 विकास खण्डों में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजना चलाने का आग्रह किया है। उपरोक्त स्मरण रखें कि हरिजन कल्याण की स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान पूरे जिले में चलाना है और इस कार्य के लिए जिले में स्थित समस्त विभागों को अपना-अपना दायित्व निभाना है। प्रदेश के 12 जिलों में 38 ऐसे विकास खंड, जिनमें हरिजनों की आबादी 40 प्रतिशत या उससे ऊपर है तथा शेष 44 जिलों में 11 हरिजन बहुल्य विकास खण्ड में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजना चलाने का निर्णय इसलिये लिया गया कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हरिजन परिवार उपलब्ध हो जायेंगे ताकि उनके कल्याण के कार्य को सघन रूप से किया जा सके इन विकास खण्डों में आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के समान गरीबी की रेखा के नीचे हर परिवार का सघन सर्वेक्षण किया जाना है और हर परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित किये जाने हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार का प्लान सघन सर्वेक्षण से तैयार किया जायगा और इस प्रकार हर गांव का माइक्रो प्लान बनेगा जो उस न्याय पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त गांवों के लिए तदुपरान्त संकलित किया जायगा। इस प्रकार विशेष समन्वित परियोजना के लिये चयनित विकास खण्डों में हर न्याय पंचायत क्षेत्र का सघन परिवार सर्वेक्षण कराकर, माइक्रो प्लान तथा एरिया प्लान तैयार किया जायगा। इस न्याय पंचायत माइक्रो प्लान को संलग्नक-1 में दिये गये शीर्षकों के आधार पर संकलित कर परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

परिवार सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित प्रश्नावली पहले ही वितरित की जा चुकी है जो संलग्नक-2 में जदी जा रही है। हर परिवार का प्लान इसी प्रश्नावली को सम्मिलित करते हुए एक छोटा पुस्तिका के रूप में 2 प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रति सम्बन्धित परिवार के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यहां पर यह सुझाव देना उचित होगा कि हरिजन परिवारों की पुस्तिका की जिल्द का रंग गैर हरिजन परिवारों की पुस्तिका के रंग से भिन्न कर दिया जाय ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हरिजन तथा गैर हरिजन परिवारों के आर्थिक विकास के कार्यक्रम कुशलता से आयोजित हो सकें। परिवार सर्वेक्षण के लिये यह उचित होगा कि गांव/क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को 3-4 दिन का प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर देकर डेलीवज पर आई0 आर0 डी0 योजना के प्राविधानों के अनुसार लगाया जाय। इससे समुदाय विशेष को परियोजना के निर्माण में भागीदार बनाने से पर्याप्त सफलता मिलेगी। यह स्मरण रहे कि सर्वेक्षण के ऊपर स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेन्स/स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान के तहत केवल हरिजन परिवारों की ही योजनाएँ कार्यान्वित होंगी। विकास खण्ड की अन्य योजनाओं के तहत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले अन्य परिवारों की योजनाएँ कार्यान्वित होंगी। परिवार सर्वेक्षण के लिए ग्राम सेवक, लेखपाल और पंचायत सेवक में परस्पर समन्वय की बहुत आवश्यकता होगी जिसे जिला कलेक्टर को सुनिश्चित करना होगा।

विशेष समन्वित परियोजना के लिए चयनित विकास खण्डों में हरिजनों के लिए आर्थिक विकास के कार्यक्रम उसी प्रकार से निर्धारित किये जायें जिस प्रकार से आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाते हैं। परियोजनाओं के लिए खण्ड विकास अधिकारी पदेन परियोजना अधिकारी होंगे और परियोजना का भली प्रकार से चलाने के लिये जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक अन्तर्विभागीय समिति होगी जो परियोजना क्षेत्र में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का निर्णय करेगी। इस अन्तर्विभागीय समिति का सदस्य सचिव अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) होगा जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का पदेन जिला प्रबन्धक भी होगा। इस प्रकार निगम के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण को निगम के जिला प्रबन्धक द्वारा जिला समिति के सुझावों के अनुसार उपलब्ध किया जायेगा। सामान्य रूप से यदि विशेष समन्वित परियोजना के अन्तर्गत चयनित विकास खण्ड में पहले से ही आई0 आर0 डी0 योजना लागू है तब निगम के माध्यम से अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा हरिजन परिवारों को उपलब्ध हो जायेगा। गैर आई0 आर0 डी0 क्षेत्रों में निगम द्वारा अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण इस प्रकार उपलब्ध किया जायेगा कि राष्ट्रीय दृष्ट बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों से केवल 50 प्रतिशत ही ऋण लेना आवश्यक होगा। यहीं पर यह भी सुझाव देना उचित होगा कि यथा-सम्भव हरिजन महिलाओं के लिये आर्थिक कार्यक्रम बड़े से बड़े पैमाने पर चलाये जायें क्योंकि यह सर्वविदित है कि किसी समुदाय को उठाने के लिए उस समुदाय की महिलाओं तथा बच्चों का विकास अति आवश्यक है।

सर्वेक्षित परिवारों के लिए सहायता का कार्य सर्वेक्षण के तुरन्त बाद प्रारम्भ हो जाना चाहिये—पूरे गांव अथवा न्याय पंचायत क्षेत्र के सर्वेक्षण, अथवा न्याय पंचायत क्षेत्र की परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवारों की योजना का साइमल्टेनियस सर्वेक्षण, प्लानिंग तथा कार्यान्वयन इस विधा की विशेषता होगी। इस प्रकार के परिवारों के सर्वेक्षण में पिछले सर्वेक्षित परिवारों की कार्यान्वित योजनाओं का ध्यान रखना होगा तथा नये गांवों के सर्वेक्षण में पिछले सर्वेक्षित गांवों की कार्यान्वित हो रही योजनाओं का ध्यान रखना होगा। अर्थात् एक न्याय पंचायत क्षेत्र का माइक्रो प्लान तैयार भी होता चलेगा और कार्यान्वित भी होता चलेगा। स्मरण रहे कि परिवारों का समग्र विकास हमारे नियोजन और कार्यान्वयन का उद्देश्य होगा। इसीलिये संलग्नक-2 में एक सामाजिक प्रश्नावली भी प्रस्तावित है ताकि उससे (Quality of life) का आभास हो सके तथा उसे सुधारने का प्रयास हो सके।

यदि जिला समिति यह अनुभव करती है कि विशेष समन्वित परियोजना के लिए चयनित विकास खण्ड/खण्डों के अतिरिक्त भा. ए. से क्षेत्र जनपद में उपलब्ध हैं जहां उपरोक्तानुसार सघन परिवार सर्वेक्षण कर क्षेत्र विशेष के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाना वांछित है तब इस प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ कराने का उसे पूरा अधिकार होगा। उस परिस्थिति में क्षेत्र विशेष के लिए परियोजना अधिकारी नामित करने का दायित्व जिला समिति का होगा और वहाँ सब एहतियात और कार्यक्रम उस क्षेत्र विशेष में चलाये जाने अपेक्षित होंगे जो कि विशेष समन्वित परियोजना के लिए चयनित विकास खण्डों के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को जिला प्रबन्धक के माध्यम से पूरे जिले में निवास करने वाले हरिजन परिवारों को अनुदान तथा मांजिन मनी ऋण की सुविधा उपलब्ध करनी है। विशेष समन्वित परियोजना का कार्यक्रम इसलिए निर्धारित किया गया है कि चयनित क्षेत्र में सघन कार्यक्रम आयोजित कर हरिजनों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाय। जिला समिति का यह विशेष दायित्व होगा कि हरिजन परिवारों के लिए निर्धारित आर्थिक कार्यक्रमों के लिए वच्चे माल, जैसे प्रारम्भिक सुविधायें तथा बाद में उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जिला समिति को बैंकों से सहयोग प्राप्त करने के लिये भी विशेष रूप से प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मुझे आशा है कि उपरोक्त विवरण से आपको हरिजन कल्याण का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा विशेष समन्वित परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी तथा इस कार्यक्रम को आप अपने जनपद में कुशलता से लागू करने में सफल होंगे।

भवदीय,

जगदीश चन्द्र पन्त ।

श्री एस 0 के 0 अहमद,
जिलाधिकारी,
इटावा।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की 3-3 प्रतियां आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। शासन के रभरत सचिवों से यह निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीन विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि जिला स्तर पर विशेष समन्वित परियोजनाओं को सफल बनाने में जिलास्तरीय अन्तर्विभागीय समिति को अपना पूरा सहयोग दें।

भवदीय,

जगदीश चन्द्र पन्त ।

1—प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट ।

2—समस्त मंडलायुक्त ।

3—शासन के समस्त सचिव ।

संलग्नक 1

स्वदेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत म्याय पंचायत की विशेष समन्वित परियोजना का प्रस्तावित प्रारूप

6

1--प्रस्तावना :

2--विषय सूची :

3--विभिन्न योजनाओं (विभागवार) लाभान्वित परिवार/व्यक्तियों की तालिका

गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	अगले तीन प्रस्तावित वर्ष		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय

4--सर्वेक्षण की विधि तथा सीमायें (Limitation)

5--परियोजना की प्रमुख विशेषताओं का सारांश :--
(Brief write up suming up the Plan)

- (क) पृष्ठ भूमि व उद्देश्य
- (ख) मूल्यांकन के मापदण्ड
- (ग) परियोजना क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक तथा जनसंख्या वर्ग की विशेषतायें--
- (घ) सामाजिक सेवायें
- (च) प्रथम चरण का वर्णन
- (छ) अन्य :--

6--प्राकृतिक संसाधन :--

7--बेरोजगारी की समस्या का वर्णन व विश्लेषण

8--विभागवार योजनायें तथा उनके स्पेशल कम्पोनेन्ट :--
(Special Components)

9--विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) से प्रस्तावित योजनायें/कार्यक्रम ।

10--चार-पांच वर्ष की अवधि में योजना के लागू होने से आय-स्तर (Income level) क्या हो जायेगा एवं उसके मूल्यांकन की विधि ।

11--आधारभूत भौतिक, विकास खण्ड का मानचित्र, न्याय पंचायत क्षेत्र का मानचित्र, भूमि विकास (Land Development) के मानचित्र ।

परिवार अनुमूची

सकलनकर्ता का नाम.....
 पद.....
 दिनांक.....

- 1—ग्राम..... 2—पुरवा..... 3—मकान नं०.....
 4—विकास खंड..... 5—तहसील..... 6—जनपद.....
 7—मकान कच्चा/पक्का/कमरों की संख्या.....
 8—उत्तरदाता का नाम.....
 9—परिवार के सदस्यों के विषय में सूचना :—

क्रम- संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	जाति/प्रमु० जाति/ जनजाति	सदस्यों की कुल संख्या		आयु वर्ग के अनुसार		विभाजन
			स्त्री	पुरुष	15 वर्ष तक	15-50 वर्ष	60 वर्ष से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	

शिक्षा पा रहे बच्चों का विवरण.....				
बच्चों की संख्या	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	डिग्री कालेज
8	9	10	11	12

- 10—परिवार का मुख्य धरेलू पेशा.....
 मुख्य पेशा: कृषि/बागबानी/नौकरी/ब्यापार/कर्मकार/मजदूरी/अन्य
 गौण पेशा.....
 11—यदि आप कर्मकार है तो कौन सा कार्य करते हैं ?.....

 12—यदि कृषि कार्य करते हैं तो कृषि योग्य भूमि—
 1—एकड़ में.....
 2—भूमि के स्वामित्व का प्रकार—
 भूमिधर/आसामी/बटाई/रिह्त/अन्य.....

13--जानवरों का विवरण--

नाम	संख्या	दूध/प्रंडा प्रतिदिन
बैल		
गाय		
भैंसा		
भैंस		
सुअर		
बकरी		
भेड़		
मुर्गी		

14--क्या आपके परिवार की स्त्रियां घर के बाहर परिवार की आय बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं? यदि हां, तो उनका मुख्य पेशा क्या है --

- 1--
- 2--
- 3--
- 4--

15--यदि हां, तो क्या मजदूरी/आय प्रतिदिन प्राप्त होती है।

16--स्त्रियां घरेलू कामों के अतिरिक्त घर के कौन से कार्य करके आय बढ़ाने में सहायक होती हैं--

- 1--
- 2--
- 3--

17--स्त्रियां कौन-कौन सी दस्तकारी जानती हैं--

.....

18--मकान जिस भूमि पर बना है क्या आप उसके स्वामी हैं अथवा नहीं।

19--आपके परिवार को विभिन्न स्रोतों से क्या आय हो जाती है--

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1--कृषि से | उत्पादन | कुल मूल्य रु० में |
| | रबी..... | कुन्तल में |
| | खरीफ..... | कुन्तल में |
| | जायद..... | कुन्तल में |
| 2--नौकरी--प्रतिमाह वेतन (रु० में) | | वार्षिक आय..... |
| 3--कारोगरी--प्रतिदिन (रु० में) | | वार्षिक आय..... |
| 4--मजदूरी--प्रतिदिन (रु० में) | | वार्षिक आय..... |

20--यदि मजदूरी करते हैं तो वर्ष में किन-किन महीनों में मजदूरी लग जाती है और किन महीनों में मजदूरी नहीं मिलती.....

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1--माह जिनमें मजदूरी मिल जाती है-- | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- |
| | 13-14-15-16-17-18-19-20-21- |
| | 22-23-24-25- |
| 2--माह जिनमें मजदूरी नहीं मिलती-- | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- |
| | 13-14-15-16-17- |

21--क्या आप सहकारी समिति के सदस्य भी हैं हां..... नहीं.....

22--यदि हां, तो गत दो वर्षों में आपने कोई सहायता प्राप्त की है।

सहायता की धनराशि () रु० में

- 1--बि हेतु
- 2--सिचाई
- 3--पशुपालन
- 4--गृह उद्योग
- 5--अन्य

23—क्या आपने कोई ऋण भी लिया है—

- 1—बैंक द्वारा
- 2—सहकारी समिति द्वारा
- 3—विकास विभाग द्वारा
- 4—ठेकेदार द्वारा
- 5—महाजन द्वारा
- 6—व्यापारी द्वारा
- 7—अन्य

24—ऋण आप किन-किन कार्यों के लिए लेते हैं—

- 6—कृषि
- 2—बागवानी
- 3—उद्योग
- 4—विवाह
- 5—अन्य संस्कार (जन्म एवं मृत्यु)
- 6—खाने के लिये
- 7—बीमारी के लिये

25—क्या ऋण से कर्ज की अदायगी के लिए आपको ऋण दाता के घर पर काम करना पड़ता है। यदि हां, तो कितने दिन

तो परिवार के कितने लोगों को कार्य करना पड़ता है

ऐसे काम के एवज में आपको ऋण दाता द्वारा क्या पैसा/अनाज/खाना मिलता है

यदि हां, तो कितना

क्या इस दौरान कहीं और कार्य करने की स्वतंत्रता है

26—क्या अवमुक्त बन्धुआश्रमिक को जो सरकारी सहायता उपलब्ध करायी गयी है, उसके अन्तर्गत आपके परिवार को भी कोई सहायता मिली, हां/नहीं

27—यदि हां, तो किस रूप में मिल रही है

कृषि योग्य भूमि/दुधारू पशु/अन्य पशु/ऋण/अनुदान/अन्य

28—क्या वह पर्याप्त है

29—क्या पिछले पांच वर्षों में आपको सरकार से कृषि हेतु भूमि प्राप्त हुई। यदि हां, तो कितनी

30—क्या वह भूमि आपके कब्जे में है

31—यदि नहीं तो, कितनी भूमि पर आपका कब्जा नहीं है

32—उक्त हेतु आपने क्या कार्यवाही की है

33—क्या पिछले पन्द्रह वर्षों में आपने किसी और अनुचित तरीके/जा-जाति को भूमि हस्तान्तरित की है। यदि हां, तो कितनी एकड़

34—क्या आपने इसे कानूनी तौर पर बेचा है :

यदि नहीं तो, (अ) क्या किसी ने आपकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है।

(ब) या आपको धोखा देकर भूमि लिखा लिया।

(स) या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर भूमि को लिखा लिया या कब्जे में कर लिया

35—यदि आपकी भूमि पर आपकी मरजी के विरुद्ध कब्जा कर लिया तो प्रभाव क्या कार्यवाही की

36—नाजायज कब्जा करने वाले का नाम तथा जाति

37—आपकी मुख्य कठिनाइयां क्या-क्या हैं—

- 1—
- 2—
- 3—
- 4—
- 5—

38--क्या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे के लिये क्या सुझाव देते हैं तथा सरकार से क्या मदद चाहते हैं:--

- 1--कृषि
- 2--लघु सिंचाई
- 3--पशुपालन
- 4--ग्रामीण उद्योग
- 5--अन्य

39--क्या परिवार के पास प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आवश्यक अनुभव/प्रशिक्षण प्राप्त है। हां/नहीं यदि नहीं तो क्या प्रशिक्षण लेने हेतु इच्छुक हैं।

.....

.....

.....

समाजिक प्रश्नावली

1--आपके परिवार में बच्चा जनने पर नीचे लिखी किसकी सेवार्थें ली जाती हैं ? ग्राम की दाई/प्रशिक्षित दाई/करीब के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

2--किसी धात्री मां को पौष्टिक भोजन में क्या मिलना चाहिये ? घी/दूध/फल/हरी सब्जी/मांस/अण्डा/अन्न।

3--शिशुओं में पौष्टिक आहार की कमी के कारण कौन-कौन से बीमारियाँ हो जाती हैं तथा उनके बचाव के लिये क्या उपाय होने चाहिये ?

बीमारियाँ--सूखा रोग/पोलियो/पोलियो/काली खांसी/दांत निकलने में कठिनाई नहीं जानते।

रोकथाम--पौष्टिक आहार/टीका तथा इंजेक्शन/नियमित स्वास्थ्य परीक्षण/विटामिन का सेवन/कुछ नहीं।

3--(अ) आपके परिवार में गत पांच वर्षों में कितने बच्चों की एक वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो गई और किस बीमारी से हुई ?

(ब) मृतक शिशुओं की संख्या.....

(स) प्रमुख बीमारी.....

4--पीने के लिए पानी आप कहां से लाते हैं ?

कुआँ/टोंटी/हैण्ड पम्प/नदी/तालाब/अन्य।

(अ) पेय-जल की व्यवस्था यदि ग्राम में हो जाय तो उसका रख-रखाव कौन करेगा ?

(ब) क्या इस सुविधा पर आप कुछ प्रतिशत व्यय करने के लिए भी तैयार हैं ?

हां/नहीं

(स) यदि आपके ग्राम में पेय जल/स्वास्थ्य सुविधायें/पौष्टिक आहार वितरण आदि व्यवस्था हो जाय तो आप इससे लाभ उठाना पसन्द करेंगे ?

हां/नहीं

5--क्या आपका कोई लड़का/लड़की स्कूल पढ़ने जाता है ? हां/नहीं

(अ) यदि हां, तो किस कक्षा में तथा स्कूल में पढ़ने जाता है ?

संख्या

कक्षा

स्कूल का काम

लड़का

लड़की

(ब) यदि नहीं, तो क्यों ?

6--खाली समय में आपकी घर की औरतें क्या कार्य करती हैं ?

(अ) क्या यदि महिलाओं के लिये कोई आर्थिक लाभ का कार्यक्रम चलाया जाय तो वे उसे करना चाहेंगी।

हां/नहीं

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 ।

विषय:- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने तथा उनके आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 106 विकास खण्डों में विस्तार ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-6479/26-3-81-11 (1)/80 दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन न निर्णय लिया है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से पर उठाने हेतु समन्वित परियोजनाओं के सघनीकृत कार्यक्रम का विस्तार वर्ष 1982-83 में संलग्नक-1 में उल्लिखित 106 विकास खण्डों में कर दिया जाये । तदनुसार राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक चयनित विकास खण्ड के लिए रु 0.5 लाख की दर से कुल रु 5,30,000,00 (केवल पांच करोड़ तीस लाख रु 0) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2—उपरोक्त धनराशि संलग्नक-2 के स्तम्भ-3 में दिये गये विभाजन के अनुसार संबंधित अपर जिला विकास, अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा आहरण कर जिला कोषागार के वैयक्तिक लेख में रखी जायेगी और इसका संचालन उक्त अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देश के अनुसार तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा ।

3—शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि संलग्नक-1 में चयनित 106 विकासखण्डों में से प्रत्येक में एक सहायक विकास अधिकारी (ह 0 क 0) तथा 2 ग्राम विकास अधिकारी (ह 0 क 0) नियुक्त किये जायें । तदनुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सामने उल्लिखित वेतनमान में उन पर नियुक्ति के दिनांक से 28 फरवरी, 1983 तक के लिये, यदि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी अग्रिम सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
		रु
(1) सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	106	470-15-575-द 0 र 0-15-650-17-701-द 0 र 0-17-735
(2) ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	212	400-10-450-12-474-द 0 र 0-12-570-द 0 र 0-15-615

4—उपरोक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर रु वीकृत महुंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे ।

5—उपरोक्त पदधारकों के वेतन तथा भत्तों के व्यय हेतु राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 1982-83 में रु 23,00,000 (केवल तेइस लाख रुपये) की स्वीकृति संलग्नक-2 के स्तम्भ-4 में दिये गये विभाजन के अनुसार प्रदान करते हैं ।

6—उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, विभागाध्यक्ष होंगे जिनमें उपरोक्त पदों का प्रशासकीय नियंत्रण भी निहित होगा ।

7—उपरोक्त मदों पर होने वाला व्यय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक क लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण-(11)-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजागत-1(1) सामाजिक उत्थान कार्यक्रम-ख-अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' (अनुदान संख्या-79) के नामे डाला जाएगा ।

8—यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय द्वारा संख्या-ए-2-933/र-1980-14(1)-80 दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 द्वारा प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारियों के अस्तित्व जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांक संख्या-- 5497(1)/26-3-82--11(81)/81, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मण्डलीय उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त सहायक/उप मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (9) मुख्य मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/मुरादाबाद/लखनऊ/वाराणसी/नैनीताल/अलीगढ़/कानपुर/पीलीभीत/मथुरा/फर्रुखाबाद/फतेहपुर/शाहजहांपुर/इटावा/खीरी/उन्नाव/सीतापुर/मुल्तानपुर/प्रताप गढ़/जालौन/हमीरपुर/आजमगढ़/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/देवरिया/वहराइच/गढ़वाल।
- (10) जिला विकास अधिकारी, देहरादून/बिजनौर/एटा/मैनपुरी/मुजफ्फरनगर/बुलन्दशहर/बदायूं/रामपुर/पीलीभीत/मथुरा/फर्रुखाबाद/फतेहपुर/शाहजहांपुर/इटावा/खीरी/उन्नाव/सीतापुर/मुल्तानपुर/प्रताप गढ़/जालौन/हमीरपुर/आजमगढ़/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/देवरिया/वहराइच/गढ़वाल।
- (11) अपर जिलाधिकारी (विकास), इलाहाबाद/हरदोई/रायबरेली/बाराबंकी/मिर्जापुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बरेली/मिर्जापुर/गोडा/कैजाबाद/चमोली/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/टेहरी गढ़वाल/अल्मोड़ा/
- (12) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (13) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0, लखनऊ।
- (14) उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानगर, लखनऊ।
- (15) आयुक्त, अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, वजीरहसन रोड, लखनऊ।
- (16) नियोजन अनुभाग-3।
- (17) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

शा 0 सं 0 5497/26-3-82-11(81)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 का

संलग्नक 1

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1982-83 के लिए चयनित 106 विकास खण्ड

जिला	विकास खण्ड	जिला	विकास खण्ड
1	2	3	4
1--देहरादून	1--डोईवाला	2--टेहरी गढ़वाल	2--जखोली
3--गढ़वाल	3--दुगड्डा	4--उत्तरकाशी	4--टूंडा
5--चमोली	5--अगस्त मुनी	6--नैनीताल	6--खटीमा
7--अलमोड़ा	7--ताड़ीखेत	8--पिथौरागढ़	8--धारचूला
9--बरेली	9--अलमपुर जाफराबाद	10--शाहजहांपुर	10--बंडा
11--बदायूं	11--जगत	12--पीलीभीत	12--मरोरी
13--मुरादाबाद	13--जोया	14--बिजनौर	15--हल्दौर
	14--सम्भल		16--नूरपुर
15--रामपुर	17--मुआर	16--सहारनपुर	18--रामपुर मनिहारन
			19--नागल
			20--नानीता
			21--बहादुराबाद
17--मुजफ्फरनगर	22--जानसठ	18--मेरठ	25--दौराला
	23--थाना भवन		26--मवाना
	24--चरथावल		

जिला	विकास खण्ड	जिला	विकास खण्ड
1	2	3	4
19--गाजियाबाद	27--लोनी	20--बुलन्दशहर	28--पहासू
21--अलीगढ़	30--सिकन्दराराऊ	22--मथुरा	29--अनूपशहर
	31--सासनी		36--बल्देव
	32--जवां		
	33--खैर		
	34--चंडौस		
	35--टप्पल		
23--आगरा	37--बरोली अहीर	24--मैनपुरी	38--मदनपुर
25--एटा	39--सोरों	26--इलाहाबाद	40--मूरतगंज
			41--सरसवां
			42--जसरा
27--फर्रुखाबाद	43--कमालगंज	28--इटावा	44--जसवन्तनगर
29--कानपुर देहात	45--पतारा	30--फतेहपुर	46--धाता
31--ललितपुर	47--जखौरा	32--झांसी	48--बंगरा
33--जालौन	49--जालौन	34--हमीरपुर	50--राठ
35--बांदा	51--नरैनी	36--लखनऊ	53--चिनहट
	52--महुआ		
37--उन्नाव	54--हिलौली	38--रायबरेली	59--डलमऊ
	55--बीघापुर		60--नसीराबाद
	56--सफीपुर		61--सलौन
	57--फतेहपुर चौरासी		62--सरेनी
	58--बांगर मऊ		63--सतांव
			64--ऊंचाहार
			65--तिलोई
39--सीतापुर	66--पिसांवा	40--हरदोई	74--सण्डीला
	67--महौली		75--भरावन
	68--एलिया		76--दिलग्राम
	69--लहरपुर		
	70--खैराबाद		
	71--बेहटा		
	72--रेउसा		
	73--सकरन		
41--लखीमपुर खीरी	77--बेहजम	42--फैजाबाद	80--मसोधा
	78--कुम्भी (गोला)		81--अमानीगंज
	79--निघासन		82--भिथांव
			83--कटैहरी
			84--बसखारी
43--गोण्डा	85--हरैया मतधरवा	44--बहराइच	86--प्रयागपुर
45--सुल्तानपुर	87--अखण्डनगर	46--प्रतापगढ़	88--कुण्डा
47--बाराबंकी	89--फतेहपुर	48--गोरखपुर	93--चरगांवां
	90--देवा		94--बांसगांव
	91--रुदौली		95--सजनी
	92--पूरे डलई		
49--देवरिया	96--दुधई	50--बस्ती	97--बस्ती सदर
51--आजमगढ़	98--अजमतगढ़	52--वाराणसी	102--औरई
	99--फतेहपुर मंडांव	53--मिर्जापुर	103--राबर्टसगंज
	100--सठियांव	54--जौनपुर	104--मछलीशहर
	101--मुहम्मदाबाद	55--गाजीपुर	105--सादात
		56--बलिया	106--सीयर

शासनदेश संख्या-5497/26-3-82-11(81)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 द्वारा स्वीकृत रु0 5,53,00,000 का जिलेवार विभाजन ।

संलग्नक 2

क्रम- संख्या	जिले का नाम	विकास खण्डों की धनराशि	स0 वि0 अ0 तथा ग्रा0 वि0 अ0 के वेतन आदि के लिए	योग
1	2	3	4	5
1	उत्तरकाशी	5,00,000	22,000	5,22,000
2	चमोली	5,00,000	22,000	5,22,000
3	गढ़वाल	5,00,000	25,000	5,25,000
4	टिहरी गढ़वाल	5,00,000	25,000	5,25,000
5	देहरादून	5,00,000	25,000	5,25,000
6	पिथौरागढ़	5,00,000	22,000	5,22,000
7	अल्मोड़ा	5,00,000	25,000	5,25,000
8	नैनीताल	5,00,000	25,000	5,25,000
9	मेरठ	10,00,000	43,000	10,43,000
10	गाजियाबाद	5,00,000	22,000	5,22,000
11	सहारनपुर	20,00,000	85,000	20,85,000
12	मुजफ्फरनगर	15,00,000	65,000	15,65,000
13	बुलन्दशहर	10,00,000	43,000	10,43,000
14	बिजनौर	10,00,000	43,000	10,43,000
15	मुरादाबाद	10,00,000	43,000	10,43,000
16	रामपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
17	बरेली	5,00,000	22,000	5,22,000
18	बदायूँ	5,00,000	22,000	5,22,000
19	शाहजहाँपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
20	पीलीभीत	5,00,000	22,000	5,22,000
21	आगरा	5,00,000	22,000	5,22,000
22	मथुरा	5,00,000	22,000	5,22,000
23	मैनपुरी	5,00,000	22,000	5,22,000
24	अलीगढ़	30,00,000	1,27,000	31,27,000
25	एटा	5,00,000	22,000	5,22,000
26	इलाहाबाद	15,00,000	65,000	15,65,000
27	फतेहपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
28	कानपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
29	इटावा	5,00,000	22,000	5,22,000
30	फर्रुखाबाद	5,00,000	22,000	5,22,000
31	लखनऊ	5,00,000	22,000	5,22,000
32	उन्नाव	25,00,000	1,05,000	26,05,000
33	हरदोई	15,00,000	65,000	15,65,000
34	सीतापुर	40,00,000	1,65,000	41,65,000
35	खीरी	15,00,000	65,000	15,65,000
36	रायबरेली	35,00,000	1,48,000	36,48,000
37	फैजाबाद	25,00,000	1,05,000	26,05,000
38	गोण्डा	5,00,000	22,000	5,22,000
39	बाराबंकी	20,00,000	87,000	20,87,000
40	बहराइच	5,00,000	22,000	5,22,000
41	सुल्तानपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
42	प्रतापगढ़	5,00,000	22,000	5,22,000
43	झाँसी	5,00,000	22,000	5,22,000
44	ललितपुर	5,00,000	22,000	5,22,000

1	2	3	4	5	
45	जालौन	5,00,000	22,000	5,22,000
46	बांदा	10,00,000	43,000	10,43,000
47	हमीरपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
48	गोरखपुर	15,00,000	65,000	15,65,000
49	बस्ती	5,00,00	22,000	5,22,000
50	आजमगढ़	20,00,000	87,000	20,87,000
51	देवरिया	5,00,000	22,000	5,22,000
52	वाराणसी	5,00,000	22,000	5,22,000
53	मिर्जापुर	5,00,000	22,000	5,22,000
54	जौनपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
55	गाजीपुर	5,00,000	22,000	5,22,000
56	बलिया	5,00,000	22,000	5,22,000
	योग	5,30,00,000	23,00,000	5,53,00,000

(कुल पांच करोड़ तिरपन लाख रुपये)

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 6883/26-3-82-11(34)/82

प्रेषक

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल, 1982

विषय—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित 188 विकास खण्डों के लिये 1982-83 के लिये धन का आवंटन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 5497/26-3-82-11(81)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने हेतु समन्वित परियोजनाओं के सघनीकृत कार्यक्रम के विस्तार हेतु शा 0 सं 0-5009/26-3-80-11(1)/80, दिनांक 24 अक्टूबर 1980, द्वारा चयनित 82 विकास खण्डों तथा शा 0 सं 0-64799/26-3-81-11(1)/80, दिनांक 21 सितम्बर 1981 द्वारा चयनित 106 विकास खण्डों में वर्ष 1982-83 में व्यय हेतु राज्यपाल महोदय रु 5,00,000 प्रति विकास खण्ड की दर से कुल रु 09,40,00,000 (नौ करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की धनराशि संलग्न जिलेवार विभाजन के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2—उपरोक्त धनराशि संलग्नक के स्तम्भ 4 में दिये गये विभाजन के अनुसार संबंधित अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0) द्वारा आहरण कर जिला कोषागार के व्यक्तिक लेखे में रक्खी जायेगी और इसका संचालन उक्त अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देश के अनुसार तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन रहते हुए किया जायेगा ।

3—उपरोक्त व्यय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक “288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (ख)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—(11)—अनुसूचित जातियों का कल्याण—आयोजनागत—1(1)—सामाजिक उत्थान कार्यक्रम—ख—अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता” (अनुदान संख्या 79) के नाम में डाला जायेगा ।

4—यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए-2-938/दस-1980-14(1)-80, दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 द्वारा प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ 0 सं 0 6883(1)/26-3-82-11(34)/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (5) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश ।
- (6) समस्त सहायक/उप मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- (7) सचिव भारत सरकार गृह मन्त्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लि 0, लखनऊ ।
- (9) नियोजन अनुभाग-3
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संलग्नक

शासनादेश संख्या 6883/26-3-82-11(34)/82, दिनांक 19 अप्रैल, 1982 द्वारा स्वीकृत ₹ 9,40,00,000 का जिलेवार विभाजन।

क्रम- संख्या	जिले का नाम	1980-81 तथा 1981-82 में चयनित विकास खण्ड	विकास खण्डों की धनराशि रुपये
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	1	5,00,000
2	चमोली	1	5,00,000
3	गढ़वाल	1	5,00,000
4	टिहरीगढ़वाल	1	5,00,000
5	देहरादून	1	5,00,000
6	पिथौरागढ़	1	5,00,000
7	अल्मोड़ा	1	5,00,000
8	नैनीताल	1	5,00,000
9	मेरठ	3	15,00,000
10	गाजियाबाद	2	10,00,000
11	सहारनपुर	5	25,00,000
12	मुजफ्फरनगर	2	10,00,000
13	बुलन्दशहर	4	20,00,000
14	बिजनौर	5	25,00,000
15	मुरादाबाद	2	10,00,000
16	रामपुर	2	10,00,000
17	बरेली	2	10,00,000
18	बदायूं	2	10,00,000
19	शाहजहांपुर	2	10,00,000
20	पीलीभीत	2	10,00,000
21	आगरा	3	15,00,000
22	मथुरा	2	10,00,000
23	मैनपुरी	2	10,00,000
24	अलीगढ़	3	15,00,000
25	एटा	2	10,00,000
26	इलाहाबाद	8	40,00,000
27	फतेहपुर	3	15,00,000
28	कानपुर (देहात)	2	10,00,000
29	इटावा	5	25,00,000
30	फर्रुखाबाद	2	10,00,000
31	लखनऊ	7	35,00,000
32	उन्नाव	8	40,00,000
33	हरदोई	10	50,00,000

1	2					3	4	
34	सीतापुर	9	45,00,000	
35	खीरी	6	30,00,000	
36	रायबरेली	6	30,00,000	
37	फैजाबाद	5	25,00,000	
38	गोण्डा	2	10,00,000	
39	बाराबंकी	6	30,00,000	
40	बहराइच	2	10,00,000	
41	सुल्तानपुर	3	15,00,000	
42	प्रतापगढ़	3	15,00,000	
43	झांसी	2	10,00,000	
44	ललितपुर	2	10,00,000	
45	जालौन	4	20,00,000	
46	बांदा	3	15,00,000	
47	हमीरपुर	4	20,00,000	
48	गोरखपुर	3	15,00,000	
49	बस्ती	3	15,00,000	
50	आजमगढ़	6	30,00,000	
51	देवरिया	2	10,00,000	
52	वाराणसी	3	15,00,000	
53	मिर्जापुर	10	50,00,000	
54	जौनपुर	2	10,00,000	
55	गाजीपुर	2	10,00,000	
56	बलिया	2	10,00,000	
					योग	..	188	9,40,00,000

(कुल नौ करोड़ चालीस लाख रुपये)

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 8473/26-3-82-11(20)/80

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०,
बी-912, सेक्टर "सी" महानगर,
लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 15 जुलाई, 1982

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य सरकार की प्राप्त धनराशि की स्वीकृति—
1981-82

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5993/26-3-82-11(20)/81 दिनांक 31 मार्च, 1982 के द्वारा रु० 3,21,66,000 (केवल तीन करोड़, इक्कीस लाख, छियासठ हजार रुपये) की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-6429/26-3-82-11(20)/82, दिनांक 31 मार्च, 1982 के द्वारा रु० 33,22,516 (केवल तैंतीस लाख, बाइस हजार पांच सौ सोलह रु०) की धनराशि उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के लखनऊ के कोषागार स्थित पी० एल० ए० में जमा करने के आदेश दिये गये थे।

2—शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त रु० 3,54,88,516 (केवल तीन करोड़, चौवन लाख, अठठासी हजार, पांच सौ सोलह रु०) की धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सघन आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए चयनित 294 विकास खण्डों में उपयोग हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित जिलों के अपर जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के जिला कोषागारों में खुले पी० एल० ए० में अविलम्ब स्थानान्तरित कर दी जाय।

3—उपरोक्त धनराशि का उपयोग चयनित विकास खण्डों को पूर्व में आवंटित धनराशि के उपयोग के संबंध में दिये गये शासनादेशों के अनुसार किया जायगा और यह धनराशि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पूर्णतः सदुपयोग की जाएगी।

4—यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांक संख्या-8473(1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) नियोजन अनुभाग-3।
- (6) वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-12।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

शा0 सं0-8473/26-3-82-11(20)/80, दिनांक 15 जुलाई, 1982 का संलग्नक
चयनित विकास खण्डों में उपयोग के लिए आवंटित धनराशि--

क्रम- संख्या	जिला	धनराशि रु०	क्रम- संख्या	जिला	धनराशि रु०
1	देहरादून	2,41,000	2	देहरी गढ़वाल	2,41,000
3	पौड़ी गढ़वाल	2,41,000	4	उत्तरकाशी	2,41,000
5	चमोली	2,41,000	6	ननीताल	2,41,000
7	अल्मोड़ा	2,34,000	8	पिथौरागढ़	2,41,000
9	बरेली	3,61,500	10	शाहजहांपुर	3,61,500
11	बदायूं	3,61,500	12	पीलीभीत	3,61,500
13	मुरादाबाद	4,82,000	14	बिजनौर	7,23,000
15	रामपुर	3,61,500	16	सहारनपुर	10,84,500
17	मुजफ्फरनगर	6,02,500	18	मेरठ	6,02,500
19	गाजियाबाद	3,61,500	20	बुलन्दशहर	7,23,000
21	अलीगढ़	10,84,500	22	मथुरा	3,61,500
23	मैनपुरी	4,82,000	24	आगरा	4,82,000
25	इलाहाबाद	1325,500	26	फर्रुखा बाद	3,61,500
27	कानपुर (देहात)	3,61,500	28	इटावा	7,23,000
29	एटा	3,61,500	30	फतेहपुर	482,000
31	ललितपुर	3,61,500	32	झांसी	361,500
33	जालौन	6,02,500	34	बांदा	6,02,500
35	हमीरपुर	6,02,500	36	लखनऊ	10,25,516
37	उन्नाव	15,66,500	38	रायबरेली	15,66,500
39	सीतापुर	20,48,500	40	हरदोई	16,87,000
41	खीरी	10,84,500	42	गोण्डा	3,61,500
43	फैजाबाद	10,84,500	44	बहराइच	3,61,500
45	सुल्तानपुर	4,82,000	46	प्रतापगढ़	4,82,000
47	बाराबंकी	12,05,000	48	गोरखपुर	7,23,000
49	देवरिया	3,61,500	50	बस्ती	4,82,000
51	आजमगढ़	12,05,000	52	वाराणसी	4,82,000
53	जौनपुर	3,61,500	54	मिर्जापुर	13,25,000
55	गाजीपुर	3,61,500	56	बलिया	3,61,500
			योग	..	3,54,88,516

(तीन करोड़ चौवन लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ सोलह रुपये)

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या-6343/26-3-81-11(35)/81

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त, 1981

विषय :- हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु रबीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक रूप रेखाएँ ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जनजीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए यह नीति अपनाई गई है कि राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं का पर्याप्त अंश लाभ अनुसूचित जातियों तक पहुँचे । उपरोक्त अंश लाभ को शीघ्रता से और समुचित रूप से प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इस समय प्रदेश के हरिजन बहुल वाले 82 विकास खण्डों में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाएँ वर्ष 1980-81 से चलाई जा रही हैं । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण परियोजना निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन में "आर्थिक विकास की योजनाओं" के लिये वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को 5-7 लाख रु० प्रति वर्ष की दर से क्रमशः शासनादेश संख्या-5009/26-3-80-11(1)/80, दिनांक 24-10-1980, तथा संख्या-4703/26-3-81-11(1)/80, दिनांक 2-4-1981 द्वारा आवंटित की गई है । शासन के आदेशों के अनुसार वर्ष 1980-81 में स्वीकृत धनराशि को "प्रत्येक दश में" 31-3-81 तक व्यय हो जाना चाहिये था और वर्ष 1981-82 में स्वीकृत धन को भी "प्रत्येक दश में" 31-3-82 तक व्यय सुनिश्चित किया जाना है ।

2-शासन को उपरोक्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में अब तक जो सूचनार्थ प्राप्त हुई हैं वे घोर निराशाजनक हैं । जिलों से औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से शासन को जो संदर्भ प्राप्त हुए हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी तक सामान्यतः प्रश्नगत धन के उपयोग के बारे में समुचित योजनाएँ फील्ड स्तर पर नहीं बन सकी । अनेक स्थानों पर धन के उपयोग के सम्बन्ध में इस प्रकार अनावश्यक शंकाएँ भी उठायी जा रही हैं कि अमुक बिन्दु पर शासन के आदेश स्पष्ट नहीं हैं । वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा उपरोक्त धन के उपयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिये व्यय की प्रत्येक मद इंगित नहीं की जा सकती क्योंकि योजनाएँ अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही चयन की जानी हैं । इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन को पार्श्वीकृत पत्रों द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं वे सामान्य प्रकृति के और नीति विषयक हैं और इन्हें जारी करते समय इस बात का

1-4488/26-3-80, दिनांक 11-9-1980
2-अ० शा० प० सं०-5053/छब्बीस-3-80, दिनांक 4-10-80
3-सं०-5009/26-3-80-11(1)/80, दिनांक 24-10-80

ध्यान रखा गया है कि जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुसार योजना तथा धन की स्वीकृति में पर्याप्त स्वतन्त्रता हो और व्यय की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में शासन के औपचारिक अनुमोदन में विलम्ब से बचा जा सके । जहाँ तक योजनाओं के चयन का सम्बन्ध है, आपकी सुविधा के लिए निम्नांकित मार्गदर्शक रूप रेखाएँ तथा योजनाओं का वरीयता क्रम अवलोकनार्थ एवं समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

(1) विशेष समन्वित पारियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को व्यक्तिगत रूप से तथा उनसे सम्बद्ध क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास पर विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं में इन जातियों के लिए मात्त्राकृत की गई धनराशि का उपयोग किया जाएगा । प्रश्नगत धनराशि का उपयोग ऐसी योजनाओं पर किया जाना है जिससे आय में प्रत्यक्षतः वृद्धि हो और साथ ही इस धनराशि का व्यय "आर्थिक विकास" की ऐसी योजनाओं पर किया जाना अपेक्षित है जो अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो और जो धन के अभाव के कारण अन्य विभागों की मात्त्राकृत धनराशि द्वारा न चलाई जा सकें । इस प्रकार इस धनराशि का उपयोग आर्थिक विकास की योजनाओं में पूरक के रूप में किया जाना है । प्रश्नगत धन के उपयोग के बारे में अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुईं उनमें अधिकांश व्यय व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये मार्जिन मनी ऋण तथा अनुदान पर किया गया । यद्यपि इस प्रकार व्यय करने की शासन द्वारा मनाही नहीं है फिर भी जब व्यक्तिगत अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास तथा आई० आर० डी० एवं अत्योदय आदि योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त धन मौजूद है तो उचित होगा कि इस धनराशि का उपयोग सामूहिक रूप से कार्यान्वित किये जाने वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर किया जाय जो व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध

करायी गयी सहायता से नहीं किये जा सकते। उदाहरण के तौर पर खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि पर अनुदान कृषि विभाग, आई० आर० डी०, अन्त्योदय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम आदि की योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु इसका लाभ तब तक सम्भव नहीं है जब तक खेत में पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती। अभी हाल ही में नियोजनविभाग द्वारा प्रथम अग्रगामी परियोजना जो मलिहाबाद विकास खण्ड में चलाई जा रही है, के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन के लिये उपलब्ध कराये गये अन्य इनपुट्स का लाभ नहीं उठाया जा सका। सिंचाई का कार्य व्यक्तिगत रूप से सहायता देकर कराना उनना उपयोगी नहीं होगा जितना सिंचाई की कम लागत की छोटी-छोटी सामूहिक योजनाओं के द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बांकेगंज विकास खण्ड में लघु सिंचाई की जो परियोजना (संगन) चलाई जा रही है वह अन्य विकास खण्डों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

(2) कृषि के पश्चात् सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्टर उद्योग का है। प्रायः यह देखा जाता है कि धन के व्यय में सुविधा के दृष्टिकोण से अनदान दुधारू पशु खरीदने जैसी योजनाओं पर कर दिया जाता है जिससे न तो लाभार्थी तक पूर्ण ऋण का लाभ पहुँच पाता है और न ही उसकी आय में स्थायी और पर्याप्त वृद्धि हो पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण युवकों में उद्यमशीलता (ENTREPRENEURSHIP) उत्पन्न करके उन्हें अधिक से अधिक औद्योगिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि व्यक्तिगत रूप से उद्योग स्थापित करने के लिये प्रशस्त विकास खण्डों में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न एजेंसियों के पास धन मौजूद है अतः यह उचित होगा कि इस धन का उपयोग औद्योगिक विकास के ऐसे कार्यक्रमों पर किया जाये जो सामूहिक हों। सामूहिक रूप से चलाये गये कार्यक्रमों का यह लाभ भी होगा कि सम्बन्धित उद्योगों के लिए नियोजित रूप से कच्चे माल की व्यवस्था प्रशिक्षण, उत्पादन की प्रगति में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण एवं मार्केटिंग आदि की व्यवस्था की जा सकेगी। वस्तुतः जैसा उपर कहा गया है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार की योजना दी जाए यह उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं क्षमताओं, कच्चे माल की उपलब्धता और विपणन आदि की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

उद्योग के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर आवश्यकतानुसार जोर दिया जाना चाहिए :—

- (अ) हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा उससे सम्बन्धित कार्य, जैसे—कपड़ों की रंगाई, कलेन्डरिंग इत्यादि।
- (ब) कृषि पर आधारित उद्योग जैसे वान, मेट, कारपेट, आदि। इसी प्रकार वन क्षेत्रों में वन उत्पादन पर आधारित उद्योग जैसे दियासलाई, लाख, रेशा, लकड़ी का सामान इत्यादि।
- (स) दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अन्य वस्तुओं का उत्पादन।

(3) उद्योग के बाद पशुपालन की योजना पर महत्व दिया जाना चाहिये। पशुपालन योजनाओं में जैसा उपर कहा गया है व्यक्तिगत रूप से सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता अतः उचित होगा कि पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सामूहिक रूप से चलाया जाए। अनुसूचित जाति सहकारी समितियों के गठन से यह कार्य किया जा सकता है। सामूहिक रूप से योजना चलाने का यह लाभ होता कि समिति को अच्छे किस्म के पशु पक्षी उपलब्ध कराके उनके चारे की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था एवं उत्पादित वस्तु को विपणन को सुनियोजित ढंग से किया जा सकेगा।

(4) कृषि, उद्योग, पशुपालन सम्बन्धी उपरोक्त प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी 20 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में यदि कमी होती है तो उसे आई० आर० डी०, जिसमें 10 प्रतिशत तक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर व्यय किये जाने का प्राविधान है अन्त्योदय (स्थानीय विकास) एन० आर० ई० पी० तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कराया जाना चाहिये।

(5) उपरोक्त के अनुसार यदि सामूहिक रूप से चलाई जाने वाली योजनाओं पर धन व्यय किया जायगा तो उसका प्रत्यक्ष लाभ क्षेत्र विशेष में दृष्टिगोचर होगा और धन का उपयोग भी शीघ्र ही कुछ चुनी हुई अच्छी योजनाओं में हो जावेगा। सामूहिक रूप से चलाई जाने वाली योजनाओं में आवश्यकतानुसार संस्थागत वित्त भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जहाँ तक सम्पत्ति और दायित्व (Assets and liabilities) का प्रश्न है, योजना के स्वरूप के आधार पर संस्था/विभाग जिसके माध्यम से योजना चलाई जावेगी अथवा लाभार्थियों के होंगे। इस प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है कि जो योजनाएँ ली जायें वे अधिक समय साध्य न हों क्योंकि धन का त्वरित उपयोग किया जाना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(6) उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रायः उपरोक्त परियोजनाओं की अनुश्रवण जिला समिति की बैठक तत्काल बुलायी जावे, उसमें सम्बन्धित परियोजना परियोजनाओं में उपरोक्त धनराशि के व्यय की प्रगति की समीक्षा की जावे और धन के उपयोग हेतु समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित कर लिए जायें।

प्रश्नगत धन के उपयोग के बारे में संबंधित अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों, जो उक्त परियोजनाओं के "परियोजना अधिकारी" हैं, के विशिष्ट उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित कर दिए जायं। यदि आवश्यकता हो तो प्रश्नगत व्यय की प्रगति की माह में एक से अधिक बार समीक्षा की जाए और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ढिलाई दिखाए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(7) विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्रीडातिशील 82 विकास खण्डों के समस्त ग्रामों में सर्वेक्षण पूर्ण करा लिया जावे ताकि उसके आधार पर गावों, न्याय पंचायत तथा प्रत्येक विकास खण्ड की परियोजना टोस रूप में तैयार हो सके। अभी तक जिलाधिकारियों से किसी भी विकास खण्ड की परियोजना का प्रारूप प्राप्त नहीं हो सका है और जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में एक कन्सालीडेटेड रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है जिससे यह मालूम नहीं हो रहा पा रहा है कि इन विकास खण्डों में हरिजनों के संबन्ध में उनकी आवश्यकताओं के सापेक्ष या प्रति प्रति हुई और क्या-क्या कमियां रहीं और क्या-क्या कार्य होना शेष है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गतिशील है फिर भी इसे समयवद्ध तरीके से किया जाता है। अतः यह अभी आवश्यक है कि उपरोक्त विकास खण्डों में छोटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुसूचित जाति के सभी परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखते हुए उन्हें आर्थिक विकास की योजनाओं के अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं तथा जन उपयोगी सुविधाओं जैसे, शिक्षा, पेयजल, आवास, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवायें, सरकारी भवन निर्माण आदि की भी उपलब्ध करा देना है। अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर अपने जिले के संबंधित विकास खण्ड/खण्डों के संबन्ध में हरिजन कल्याण की परियोजना का प्रारूप तथा अब तक हुए कार्यों पर संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट रिपोर्ट शासन को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1--समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- 2--समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उप.विकास आयुक्त, अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/(परियोजना), जिला विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 3--समस्त संबंधित 82 विकास खण्डों के खंड विकास अधिकारी।
- 4--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5--निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6--समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।

संख्या-8489/26-3-81-11(71)/81

श्रेणिक;

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा म,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 1981

बिषय : हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के संबंध में मार्ग-दर्शक रूप रखायें।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
प्रनुभाग-3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6343/26-3-1981-11(35)/81, दिनांक 14 अगस्त, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के लिए चयनित विकास खण्डों को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान शासन द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय की प्रगतिनिर्वाह असंतोषजनक पाई गई। शासन द्वारा उपरोक्त धन के उपयोग के संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शक रूप रेखायें जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं। उपरोक्त पत्र के द्वारा आपको वरीयता क्रम में योजनाओं की रूप रेखा से भी अवगत कराया गया था। आशा की जाती है कि निर्देशों के अनुरूप आपके जिले में पड़े अवशेष धन के व्यय के लिए योजनायें तैयार की जा रही होंगी और दिनांक 31 मार्च, 1982 तक सम्पूर्ण अवशेष धनराशि को व्यय करने की रणनीति तैयार की जा चुकी होगी।

2—उपरोक्त अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित एक अतिरिक्त योजना कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट की जा रही है :

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय के लिये भवनों को निर्मित कराकर उपलब्ध कराने की योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत परिवार कृषक मजदूर हैं और वर्ष 1981-82 में ऐसे 63 हजार परिवारों को औद्योगिक कार्यक्रम दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन परिवारों को औद्योगिक कार्यक्रम दिये जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके लिये उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था भी की जाये ताकि उन्हें अपेक्षित आय वृद्धि प्राप्त हो सके। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति के उपरोक्त विकास खण्डों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय केन्द्रों के लिये भवन निर्मित कराकर उपलब्ध करा दिए जायें। योजना की रूप रेखा निम्न प्रकार होगी :—

(1) लाभार्थियों का चयन—(अ) लाभार्थी अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें उद्यमशीलता हो।

(ब) लाभार्थी यथा सम्भव वे व्यक्ति होंगे जो उत्पादन करने की स्थिति में हैं किन्तु उत्पादित वस्तु के विपणन की व्यवस्था न होने के कारण गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं जा सके हैं। योजना के अन्तर्गत भवनों को व्यवसायिक कार्यों के लिए भी आवंटित किया जा सकता है।

(स) योजना का विस्तृत प्रचार किया जायगा ताकि उपयुक्त लाभार्थियों का चयन किया जा सके। लाभार्थियों का चयन परियोजना के संबंध में गठित जिला समिति द्वारा किया जायगा।

(2) योजना का आकार—(अ) भवनों की लागत आवश्यकतानुसार होगी किन्तु यह लागत 10 हजार रुपये प्रति भवन से अधिक नहीं होगी।

(ब) भवनों को हायर-पेज पद्धति के आधार पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायगा। भवन की लागत का 50 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया जायगा और शेष 50 प्रतिशत भाग को दस वर्षों में समान मासिक किस्तों में योजना शुरू होने के एक वर्ष बाद से वापिस कर लिया जायगा। ऋण पर लाभार्थी से कोई ब्याज नहीं लिया जायगा।

(स) भवन निर्माण यथासम्भव ग्राम सभा की भूमि पर कराया जायगा। यदि भूमि उपलब्ध न हो तो ऋण भी की जा सकती है। ऐसी दशा में भूमि के ऋण पर भवन की लागत का 20 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा सकेगा।

(3) योजना का कार्यान्वयन और उसकी स्वीकृति—(अ) योजना के कार्यान्वयन का दायित्व अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पदेन जिला प्रबन्धक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० का होगा। इस योजना के कार्यान्वयन में सहायक/उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण भी सहयोग देंगे।

(ब) योजना की स्वीकृति जिला समिति द्वारा की जायगी, जो इस धन के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकृत है।

(स) योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण पंजीकृत ठेकेदार अमानी के आधार पर अथवा अर्द्ध शासकीय एजेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। गैर सरकारी संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य कराने की स्थिति में उसका सत्यापन नियमानुसार करा लिया जायगा।

(4) स्थान का चयन—(अ) भवनों का निर्माण ऐसे स्थानों पर कराया जायगा जहाँ उद्यमियों को विपणन का पर्याप्त अवसर मिल सके। भवनों का निर्माण यथासम्भव ग्रामोत्थान केन्द्र के निकटस्थ क्षेत्र में कराया जाय। निर्माणकार्य ऐसे क्षेत्र में, जो सड़क के किनारे हैं और विकसित हैं, में भी कराया जा सकता है।

(ब) भवन जहाँ तक सम्भव हों समूह में ही बनवाये जायें।

(5) धन का रख-रखाव—(अ) भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लि० के कोषागार के पी०एल००० में हस्तांतरित की जायगी।

(ब) भवनों के आवंटन के साथ ही जिला प्रबन्धक द्वारा ऋण की वसूली हेतु प्रत्येक लाभार्थी का लेजर खोलकर मासिक किस्तें निर्धारित कर दी जायेंगी ताकि धन की वसूली का लेखा नियमित रूप से रखा जा सके।

(स) जिला प्रबन्धक द्वारा ऋण की वापसी होने पर बैंक में खाता खोलकर धनराशि की जमा कर लिया जायगा। यह धनराशि योजना के दूसरे चरण से अन्य लाभार्थियों के लिये दुकानों के निर्माण पर व्यय कर ली जायगी।

3—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना नवम्बर, 81 तक अवश्य तैयार कर ली जावे और उसका कार्यान्वयन दिसम्बर, 81 में प्रारम्भ कर लिया जावे। यह प्रयास किया जाय कि अधिक से अधिक भवन 26 जनवरी, 1982 को लाभार्थियों को आवंटित कर दिये जावे। किन्तु प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य फरवरी, 82 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाये।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8489 (1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, बी-912 सेक्टर “सी” महानगर, लखनऊ।
- 3—मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०।
- 4—उप निदेशक/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०।
- 5—समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उ० प्र०।
- 6—संबंधित जिलों खण्ड विकास अधिकारी, उ० प्र०।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।

संख्या 8866/26-3-81-11(71)/81

प्रेषक

श्री अर्जुन प्रसाद अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 23 दिसम्बर, 1981

विषय—हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक रूप रेखाएँ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग—3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 8333/26-3-81, दिनांक 13 नवम्बर, 81 के द्वारा हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के लिये चयनित विकास खण्डों के लिये वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान शासन द्वारा आवंटित की गई धनराशि के उपयोग हेतु "अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय के लिये भवनों को निर्मित कराकर उपलब्ध कराने की योजना" निर्दिष्ट की गई है। उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :—

(1) उपरोक्त योजना जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जायगी।

(2) योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के कोषागार में स्थित पी० एल० ए० से आहरित करके उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबन्धक के पी० एल० ए० में स्थानान्तरित कर दी जायगी। जो धनराशि निगम के पी० एल० ए० में स्थानान्तरित की जायगी वह निगम को अनुदान के रूप में दी गई मानी जायगी।

(3) योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिये ऋय की गई भूमि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थानान्तरित की जाएगी, जिसे जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा दाखिल खारिज किया जायगा।

(4) भवन का रख रखाव का उत्तरदायित्व लाभार्थी का होगा तथा लाभार्थी को भवन का स्वामित्व सम्पूर्ण ऋण के भुगतान के बाद जिला प्रबन्धक द्वारा हस्तांतरित कर दिया जायगा। हस्तान्तरण के पूर्व उपरोक्त भवन निगम की सम्पत्ति होगी।

2—जिला प्रबन्धक तथा लाभार्थी के बीच भवन के आवंटन से संबंधित अनुबन्ध पत्र का माडल प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है, जिसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायगा।

भवदीय,

अर्जुन प्रसाद अग्रवाल,
संयुक्त सचिव।

संख्या 8866(1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, बी-912 "सी" सेक्टर, महानगर, लखनऊ।

(3) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(4) मण्डलीय उप निदेशक/सहायक निदेशक, हरिजन एजबं समाज कल्याण।

(5) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

(6) संबंधित जिलों के खण्ड विकास अधिकारी।

आज्ञा से,

अर्जुन प्रसाद अग्रवाल,
संयुक्त सचिव।

संख्या 4120/26-3-81

प्रेषक

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 1982

विषय—हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के लिये चयनित विकास खण्डों को स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक रूपरेखायें ।

महोदय,

हरिजन एवं
जिला कल्याण
भाग-3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 8866/26-3-81, दिनांक 23 दिसम्बर, 81 के साथ पठित शासनादेश संख्या-8333/26-3-81 दिनांक 13 नवम्बर, 81 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु चयनित विकास खण्डों के लिये स्वीकृत धनराशि के उपयोग में त्वरित गति लाने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि विकास खण्डों को आवंटित धनराशि में से अवशेष धनराशि द्वारा निम्नांकित योजना कार्यान्वित की जाये :

अनुसूचित जातियों के कृषक मजदूरों के आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि को क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराने की योजना

प्रदेश में अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग 42 प्रतिशत है । खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा अपेक्षाकृत अधिक शोचनीय है और उपरोक्त व्यक्तियों की आय अस्थिर एवं पराधीन है । अतः यदि इन व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करा दी जाये और उन्हें कृषि के लिये आवश्यक कृषि निवेशों की पूर्ति कर दी जाये तो यह उनकी आय में स्थायित्व प्रदान करेगी और वे गरीबी की रेखा के ऊपर आने के लिये सक्षम हो सकेंगे । योजना के रूप रेखा निम्न प्रकार निदिष्ट की जाती है :—

लाभार्थियों का चयन—

(क) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक मजदूर होंगे ।

(ख) लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता तथा कृषि कार्य में रुचि के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जायगा ।

योजना का आकार—

(क) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को लगभग एक एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ख) भूमि क्रय के लिए प्रति लाभार्थी 5000 रु० का अनुदान अनुमन्य होगा ।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में 2 लाख रु० तक अनुदान का उपयोग किया जा सकता है ।

योजना का कार्यान्वयन और उसकी स्वीकृति—

(क) योजना का कार्यान्वयन अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के माध्यम से किया जायेगा और योजना के कार्यान्वयन में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जायेगा ।

(ख) योजना की स्वीकृति जिला समिति द्वारा की जायेगी, जो प्रश्नगत धन के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकृत है । योजना के कार्यान्वयन और धन की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जिला समिति द्वारा की जाएगी ।

भूमि का क्रय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के नाम से किया जाएगा । और भूमि अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा दाखिल खारिज कराई जाएगी । अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा भूमि क्रय करके उसे तुरन्त लाभार्थी को आवंटित कर दी जाएगी ।

स्थान का चयन—

(क) जहां तक सम्भव हो ऐसी भूमि क्रय की जाएगी जो लाभार्थियों के निवास स्थान से निकट हो ।

(ख) यथासम्भव भूमि का एक बड़ा चक्र क्रय किया जाए ताकि एक स्थान पर उसे अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित किया जा सके । इसका यह लाभ होगा कि आवंटियों को भूमि पर कब्जा करने में आसानी होगी और आवंटियों को सामूहिक कृषि विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित कराने में सुविधा होगी ।

धन का रख रखाव

भूमि क्रय के साथ ही अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा व्यय का लेखा-जोखा प्रथक रखा जाए।

लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायगा। अनुबन्ध पत्र का प्रारूप जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से (उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही इसी प्रकार की एक अन्य योजना में अनुबन्ध-पत्र निर्धारित है) प्राप्त कर लिया जाए।

मुझे यह भी कहना है कि इस योजना का तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि लाभार्थियों को अगली फसल का निश्चित रूप से लाभ मिल सके।

भवदीय,
चन्द्र कुमार बर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 4120(1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण।
- (3) समस्त मण्डलीय उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण।
- (4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0, बी-912 सेक्टर "सी", महानगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- (7) चयनित 188 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी।

आज्ञा से,
चन्द्र. कुमार बर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 5608/26-3-82-11(36)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 1982

विषय :—हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक रूप रेखाएँ ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं० 6343/26-3-81-11(35)-81 दिनांक 14 अगस्त, 1981 का अवलोकन करें । उक्त पत्र के प्रस्तर 2(1) के द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि हरिजन बाहुल्य वाले चयनित विकास खण्डों को इस विभाग द्वारा आवंटित की गई धनराशि का उपयोग शार्प प्राथमिकता के आधार पर सामूहिक लघु सिंचाई योजनाओं पर किया जाए । अनेक विकास खण्डों में मण्डलीय विकास निगमों, सिंचाई विभाग आदि एजेंसियों के माध्यम से लघु सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

2-- शासन को कतिपय जिलों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त एजेंसियाँ निर्माण कार्य कराने के लिए तो तैयार हैं किन्तु स्टाफ के अभाव में वे उनका रख-रखाव करने की स्थिति में नहीं हैं । अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके जिले में चयनित विकास खण्ड/खण्डों में अनुसूचित जातियों के लिये कोई सामूहिक लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित हो और उसका कार्यान्वयन इसलिए रुका हो कि संबंधित एजेंसी रख-रखाव के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वही योजना उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० को हस्तांतरित कर दी जाए और योजना के अन्तर्गत रख-रखाव तथा उसके कार्यान्वयन का कार्य निगम के जिला प्रबन्धक के माध्यम से कराया जाए रख-रखाव हेतु आवश्यक व्यय का वहन चयनित विकास खण्ड को आवंटित धनराशि से कर दिया जाए ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांक संख्या 5608(1)/26-3-82-11(36)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 5608(2)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ को उनके अर्ध शा० सं० 5467/जी०एम० (आई० एफ०) 17/82, दिनांक 5-3-1982 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 6596/26-3-82-11(71)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 24 मई, 1982

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में किराया क्रय पद्धति पर आवंटन हेतु दुकानों का निर्माण ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग 3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-8866/26-3-81-11-(71)/81, दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र के लिये भवनों को निर्माण कराकर उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने हेतु निम्नलिखित 3 रूप-पत्र, जो संलग्न हैं, निर्धारित किये गये हैं:—

- (1) दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र ।
- (2) आवंटन आदेश का कार्यालय-ज्ञाप ।
- (3) आवंटन के सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला विलेख ।

विलेख 3 प्रतियों में निष्पादित किया जायेगा । मूल विलेख आवंटी को दे दिया जायेगा और उसकी द्वितीय प्रति जिला प्रबन्धक के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तीसरी प्रति प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ को भेज दी जायेगी । विलेख की प्रत्येक प्रति के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर जिला प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित करके मोहर लगा दी जायेगी ।

2—इन सभी प्रपत्रों की सुस्पष्ट प्रतियां साइक्लोस्टाइल कराकर पर्याप्त संख्या में तैयार करा ली जाए और आवंटी को उपयोग के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ।

3—अनुरोध है कि जैसे-जैसे दुकानों का निर्माण पूरा हो, उनका आवंटन पात्र व्यक्तियों को यथा-सम्भव शीघ्र कर दिया जाए । इसके लिये यह आवश्यक है कि दुकानों का निर्माण प्रारम्भ होते ही आवेदन-पत्र मांगने तथा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए । आवंटन करने के पूर्व आवश्यक जांच के उपरान्त यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि:—

- (1) प्रार्थी अनुसूचित जाति का है ।
- (2) प्रार्थी उसी चयनित विकास खण्ड का स्थायी निवासी है जिसके धन से दुकानों का निर्माण किया गया है ।
- (3) प्रार्थी के परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय ₹ 0 8,500 से अधिक नहीं है ।
- (4) प्रार्थी के पास उद्योग/व्यवसाय चलाने योग्य कोई दुकान या मकान नहीं है ।
- (5) प्रार्थी जो उद्योग/व्यवसाय चला रहा है अथवा जिसके चलाने के लिये उसे किसी बैंकेवल योजना में आर्थिक सहायता दी गई है उसके चलाने के लिये प्रसंगत दुकान का आवंटन आवश्यक है ।

4--कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि इत्येक दुकान-समूह के ऊपर मध्य में लोहे की चादर का एक बड़ा साइन-बोर्ड मजबूती से लगा दिया जाए जिस पर कालो चमकदार पृष्ठभूमि में सफेद रंग के बड़े और सुन्दर अक्षरों में निम्नलिखित लिखा हो:--

माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिये निर्मित उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र । निर्माण वर्ष	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ।
--	---

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ 0 सं 0-6569(1)/26-3-82-11(71)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित, निम्नांकित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0), उत्तर प्रदेश ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ 0 ग 0 अनुसूचित जाति विल एवं विकास निगम लिमिटेड ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- (5) निजी सचिव, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण ।

अज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव

(दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र)

सेवा में,

अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०),
पदेत जिला प्रबन्धक,
उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
जनपद

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का किराया-ऋय-पद्धति पर आवंटन ।

महोदय,

मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्ड-----मो०/गांव-----
पोस्ट-----का स्थायी निवासी हूँ। इस समय मेरा पेशा-----है जिससे मुझे लगभग रु०
-----को मासिक आय हो जाती है। मेरे परिवार के बालिग सदस्य (1)----- (2)-----
(3)-----हैं जिनकी मासिक आमदनी-----है। इस प्रकार मेरे
परिवार को समस्त स्रोतों से सालाना आमदनी रु० 3,500 से कम है। मेरा अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र तथा गरीबी
की रेखा के नीचे होने के प्रमाण में आय प्रमाण संलग्न है।-----उद्योग/व्यवसाय चलाने योग्य मेरे पास कोई
दुकान या मकान नहीं है।

2-अतः मुझे अत्र-----उद्योग/व्यवसाय चराने हेतु विकास खण्ड-----के-----
स्थान पर निर्मित दुकानों में से एक दुकान किराया ऋय पद्धति पर आवंटित करने का कष्ट करें। मैं आवंटन की सभी
शर्तों को मानने तथा वांछित श्रोनवारिकताओं को पूर्ति के लिए तैयार हूँ।

3- मुझे आवंटन की निम्नलिखित मौलिक शर्तों पूरी तरह स्वीकार है कि :—

- (1) आवंटित दुकान का उपयोग केवल मेरे अथवा मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा निजी उद्योग/व्यवसाय चलाने के लिये किया जायेगा।
- (2) आवंटित दुकान मेरे अथवा मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा कभी किराये पर नहीं उठायी जायेगी और न किसी को बेचो अथवा अन्यथा किसी प्रकार हस्तांतरित की जायेगी।
- (3) जब मुझे अथवा मेरे उत्तराधिकारी को निजी उद्योग/व्यवसाय के लिये इस दुकान की आवश्यकता नहीं होगी तो इसे आवंटित की वापस कर दिया जायेगा।
- (4) उपरोक्त शर्तों दुकान के 50 प्रतिशत रु० मूल्य की अदायगी के बाद भी लागू रहेगी और उनका पालन मेरे तथा मेरे उत्तराधिकारियों का परम कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

दिनांक—

हस्ताक्षर—

प्रार्थी का नाम—

पता का नाम—

पता—

भवदीय,

जांच प्रारथना

प्रार्थी श्री-----पुत्र-----निवासी-----के प्रार्थना-
पत्र में वर्णित तथ्य जांच के पश्चात् सही पाये गये। अतः मैं इन्हें वांछित विकास खण्ड/स्थान में निर्मित दुकानों में से एक
दुकान आवंटित किये जाने की संस्तुति करता हूँ।

खण्ड विकास अधिकारी/सहायक/ग्राम विकास
अधिकारी (हरिजन कल्याण) ।

प्रवेशन (आवंटन)

जिला समन्वय समिति (हरिजन कल्याण)-----को बैठक दिनांक-----में
श्री-----पुत्र-----को विकास खण्ड-----में-----स्थान पर
निर्मित दुकानों में से दुकान संख्या-----आवंटित की गयी।

जिला प्रबन्धक-----

जबपद-----

कार्यालय अपर जिला विकास अधिकारी

(पदेन-जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०)

संख्या-----

जिला-----

दिनांक-----

कार्यालय जाप

श्री-----को उनके आवेदन पत्र दिनांक-----के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि जिला समन्वय समिति (हरिजन कल्याण) के दिनांक-----को लिये गये निर्णय के अनुसार उनको-----स्थान पर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकान संख्या-----किराया क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित की गयी है। भूमि सहित इस दुकान का कुल मूल्य रु०-----है जिसका 50 प्रतिशत, जो रु०-----होता है, उनके द्वारा इस आदेश की तारीख के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस पर उनके द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2-आवंटित दुकान का कब्जा दिये जाने के पूर्व आवंटी को एक विलेख 3 प्रतियों में निष्पादित करना है। प्रत्येक प्रति के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी की पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाई जायेगी। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है वे अपनी फोटो की 3 प्रतियों सहित विलेख के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरों के कार्यालय में 15 दिन के अन्दर उपस्थित हों।

श्री-----

पुत्र श्री-----

निवासी गांव-----

पोस्ट-----

जिला-----

अपर जिला विकास अधिकारी,

पदेन जिला प्रबन्धक।

पृ० सं०-----

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, बी-912, सेक्टर "सी", महानगर, लखनऊ।

(2) लेख लिपिक/सहायक प्रबन्धक।

(अपर जिला विकास अधिकारी)

पदेन जिला प्रबन्धक।

स्वैच्छक कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के धन से निर्मित दुकानों के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों का आवंटन का अनुबन्ध पत्र

यह विलेख दिनांक-----को अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0) पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0----- (प्रथम पक्ष), जिसे इस विलेख में एतद उपरान्त "आवंटक" कहा गया है, तथा श्री-----आत्मज श्री-----जाति-----निवासी गांव-----डाकखाना-----विकास खण्ड-----तहसील-----जिला----- (द्वितीय पक्ष), जिसे इस विलेख में एतद उपरान्त "आवंटी" कहा गया है, के मध्य निष्पादित हुआ ।

यतः

1--स्वैच्छक कम्पोनेन्ट प्लान के लिये चयनित-----विकास खण्ड के निवासो अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों के लिये किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाने हेतु-----स्थान पर-----दुकानों का निर्माण किया गया है

2--दुकानों के निर्माण मूल्य का 50 प्रतिशत आवंटो के पक्ष में अनुदान मानने हेतु शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटो से आवंटन के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है जिस पर उसके द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3--आवंटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिये गये प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आवंटक ने दुकान संख्या-----आवंटी को परिचयना से सम्बन्धित गठित जिला समिति के अनुमोदन से आवंटन करने का निर्णय लिया है ।

आवंटी का फोटो

अतः यह विलेख साक्षी है कि आवंटक द्वारा ह 0-----के आगत से निर्माण को गई दुकान संख्या आवंटो को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप आवंटो निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन करेगा:--

(1) दुकान को निर्माण लागत की 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् ह 0----- (शब्दों में) आवंटो द्वारा आवंटन की तारीख से 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में ह 0-----की दर से अदा की जायेगी । प्रथम किस्त की देय तारीख-----होगी तथा अन्तिम किस्त की देय तारीख-----होगी ।

(2) आवंटो इस दुकान में-----सम्बन्धी उद्योग/व्यवसाय करेगा ।

(3) आवंटो इस दुकान को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने अथवा किराये पर उठाने का किसी भी समय अधिकारी नहीं होगा और न कभी ऐसा करेगा ।

(4) जब कभी आवंटो को दुकान के उपयोग करने की आवश्यकता न रहे तो वह इस दुकान को आवंटक को वापस कर देगा ।

(5) आवंटो द्वारा मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तिथि पर अथवा उसके पूर्व आवंट के जिला कार्यालय में नकद जमा करके रसीद प्राप्त कर ली जायेगी अथवा आवंटक द्वारा बतलाये गये बैंक में आवंटक के खाते में जमा करके बैंक से रसीद प्राप्त कर ली जायेगी ।

(6) आवंटो द्वारा अपना छोटी साइज का फोटो प्रस्तुत किया जायेगा, जिस इस विलेख के मुख्य पृष्ठ पर चिपका कर आवंटक द्वारा प्रमाणित कर दिया जायेगा ।

(7) इस विलेख द्वारा निर्धारित समस्त किस्तों के भुगतान के उपरान्त आवंटो को दुकान का स्वामित्व ऊपर उल्लिखित शर्त संख्या (3) और (4) के अधीन रहते हुए स्वयमेव प्राप्त हो जायेगा ।

(8) दुकान को रख-रखाव का उत्तरदायित्व आवंटो का होगा । इसी प्रकार दुकान के ऊपर अथवा उसके सम्बन्ध में किसी भी तथ्य प्राधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई कर लगाया जाता है तो उसके भुगतान का उत्तरदायित्व भी आवंटो का होगा ।

(9) आवंटो द्वारा किसी भी धनराशि के प्रदा नहीं किये जाने पर उक्त वसूली आवंटक द्वारा भू-राजस्व के बकाये की भांति को जा सकेगी और उक्त दश में वसूली पर होने वाला समस्त व्यय आवंटो वहन करेगा ।

(10) आवंटित दुकान संबंधी समस्त वाद विवादों पर आवंटक का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा ।

4--इस विलेख में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, आवंटक को सर्वथा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले कि आवंटो अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों को सभी शर्तों से सम्मिलित वार्षिक आय रु 3,500 से अधिक हो अथवा आवंटो के पास आवंटन के पूर्व कोई दुकान हो अथवा आवंटो दुकान का उपयोग स्वयं नहीं कर रहा है और उक्त दुकान को किसी को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया है तो इन बात के बावजूद कि आवंटो ने दुकान का प्रांश मूल्य अदा कर दिया है, वह आवंटन को निरस्त कर दे और आवंटो अथवा उक्त और से दुकान के प्रांश प्रत्येक व्यक्ति को बेदखला को कार्यवाही करे अथवा कराने ।

5--इस विलेख में शब्द "आवंटी" में उक्त उतराधिकारियों का अन्तर्भाव है ।

आवंटित दुकान का विवरण

विकास खण्ड/गहरी क्षेत्र-----का गांव/मोहल्ला/रोड-----पर निर्मित दुकान
संख्या-----जि.की सीमा निम्न प्रकार है:--

उत्तर में--

पूर्व में--

दक्षिण में--

पश्चिम में--

इस विलेख पर साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं:--

साक्षी : (1) (हस्ताक्षर तथा नाम)
सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०)

आवंटक : (हस्ताक्षर तथा नाम)
अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०)

पदेन जिला प्रबन्धक, उ० प्र० अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम लि०-----

(2) (हस्ताक्षर तथा नाम)
अन्वेषक/सहायक प्रबन्धक ।

प्रथम साक्षी (हस्ताक्षर)

नाम-----

पता-----

(आवंटो के हस्ताक्षर)

नाम-----

पता-----

द्वितीय साक्षी

(हस्ताक्षर)

नाम-----

पता-----

संख्या-8981/26-3--82-11(71)-81]

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, ।
उत्तर प्रदेश शासन ।]

लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 1982 ।

विषय :- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में निर्मित दुकानों का किराया क्रय पद्धति पर आवंटन

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-6596/26-3--82-11(71)/81, दिनांक 24 मई, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को जानकारी में यह बात आई है कि यद्यपि अनेक जिलों में दुकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है परन्तु उनका आवंटन नहीं हुआ है। यह स्थिति खेदजनक है।

2—ऐसा आभास मिला है कि प्रत्येक स्थान पर निर्मित दुकानों के लिए प्राथियों की संख्या निर्मित दुकानों की संख्या की तुलना में कई गुना अधिक है। जिसके कारण उपयुक्त आवंटियों के चयन में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में शासन ने यह निर्णय लिया है सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण सन्दर्भित शासनादेश के पैरा 3 में दी गई शर्तों के अनुसार कठोरता से कर लिया जाए और उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों में से लाटरी ड्रा करके आवंटियों का चयन कर लिया जाए। लाटरी तिस्रो वरिष्ठ प्रयत्नियों द्वारा तबत पात्र अभ्यर्थियों को उम्ह्रिति में निर्धारित दिनांक और समय को निहाली जाए और इसके सूचना अभ्यर्थियों को विधिवत दे दी जाए जिससे कि अभ्यर्थियों में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना न रहे।

3—अनुरोध है कि दुकानों का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण कराने और उनका उपरोक्तानुसार आवंटन सुनिश्चित करने की व्यवस्था अविलम्ब करने की कृपा करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव ।

पृ०सं०-8981 (1)/26-3--82-11(71)/81, तद्दिनांक

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (2) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड ।
- (4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उ०प्र० ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव ।

संख्या 9114/26-3-82-11(71)/81

प्रेषक,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 1982

विषय:—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में निर्मित दुकानों का किराया-ऋय-पद्धति पर आवंटन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा 0 सं 0-6596/26-3-82-11(71)/81 दिनांक 24 मई, 1982 द्वारा उपरोक्त दुकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आवंटन आदेश का कार्यालय-ज्ञाप और आवंटन के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने वाले विलेख के रूप-पत्र निर्धारित किए जा चुके हैं और यह भी आदेश दिया जा चुका है कि प्रत्येक दुकान समूह के ऊपर मध्य में बोहे की चादर का एक बड़ा साइनबोर्ड मजबूती से लगा दिया जाए जिस पर सुन्दर अक्षरों में लिखा हो कि "माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए निर्मित उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र" इसके बाद शा 0 सं 0-8981/26-3-82-11(71)/81 दिनांक 15 जुलाई, 1982 में यह निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि दुकानों का आवंटन अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लाटरी निकाल कर किया जाए जिससे कि किसी शिकायत को गुंजाइश न रहे ।

2—तथापि शासन के ज्ञान में कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं जहां दुकानों पर निर्धारित साइनबोर्ड नहीं लगाया गया है । कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दुकान-समूह पर निर्धारित साइनबोर्ड अवश्य लगाया जाए ।

3—दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आवंटन विलेख के पैरा संख्या-4 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले की आवंटनी अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु 0 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटनी के पास आवंटन के पूर्व कोई दुकान थी अथवा आवंटनी दुकान का उपयोग स्वयं नहीं कर रहा है और उसने दुकान को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया है तो इस बात के बावजूद कि आवंटनी ने दुकान का अध्या मूल्य अदा कर दिया है, आवंटक को यह अधिकार होगा कि आवंटन को निरस्त कर दें और आवंटनी अथवा उसकी और से दुकान के काबिज प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दें । यह बहुत महत्वपूर्ण प्राविधान है और इसे कठोरता के साथ कार्यान्वित किया जाए । यदि आवंटनी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चाहे वह अनुसूचित जाति का हो अथवा अन्य किसी जाति का हो दुकान के कब्जे में पाया जाय तो उसे तुरन्त बेदखल कर दिया जाए और दुकान का आवंटन किसी अन्य पात्र व्यक्ति को कर दिया जाए ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ 0 सं 0-9114/26-3-82-11(71)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0), उ 0 प्र 0 ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- (5) निजी सचिव, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या-7451/26-3-81-11(71)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त अवर जिला विकास अधिकारी (ह० क०)
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 10 मई, 1982 ।

विषय:—विशेष समन्वित परियोजनाओं के लिए चयनित विकास खण्डों में अनुसूचित जातियों के लिए सेवा एवं विपणन केन्द्रों का निर्माण ।

महोदय,

हरिजन
एवं समाज
कल्याण
अनुभाग-3

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-4181/26-3-81-11(71) 81, दिनांक 12 जनवरी, 1982 जो समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठीकृत है कि अग्रे आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना की मासिक प्रगति शासन को नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रगति प्राप्त भी हुई है वह अपूर्ण तथा अस्पष्ट है।

2—कृपया संलग्न प्रपत्र में सूचना शासन को विलम्बतम 15 मई, 1982 तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाय और भविष्य में भी नियमित रूप से प्रगति सूचना भेजना सुनिश्चित किया जाय। सूचना पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से भेजी जाय।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

प्रपत्र

जिले का नाम/विकास खण्डों का नाम (जिनकी राशि से निर्माण होना है)	ग्राम अथवा शहर का नाम जो विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु चयनित है	प्रस्तावित विपणन केन्द्रों की संख्या	कुल लागत	भौतिक प्रगति		केन्द्रों की संख्या जहाँ निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	निर्माण पर व्यय		दुकानों की संख्या जिन्हें लाभार्थियों को आबंटित किया गया		
				निमित्त	निर्माणाधीन		31-3-82 तक	30-4-82 तक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

अ० शा० पत्र सं० 7765/26-3-81 हरिजन
एवं समाज कल्याण अनु०-3 विधान भवन,
लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 1981

प्रिय महोदय,

वर्ष 1981-82 में प्रदेश के 106 विकास खण्डों में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं को विस्तार किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है तथा इन परियोजनाओं के लिए शासनादेश संख्या 6479/26-3--81 11-(1)/80, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 द्वारा उपरोक्त विकास खण्डों के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

2--स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य को त्वरित गति से प्राप्त करने हेतु शासन उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष महत्व देती है । इन परियोजनाओं के लिए योजना निर्माण, उसके कार्यान्वयन एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण साथ-साथ किया जाना है । इस दृष्टिकोण से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :

(1) परियोजनाओं के लिए चयनित विकास खण्डों में सर्वेक्षण करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया जाये और इसके लिए पूर्व आवश्यक कार्यवाही जैसे सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति, विकास पुस्तिकाओं की छपाई, आदि तुरन्त सम्पन्न कर ली जावे ।

(2) सर्वेक्षण के आधार पर न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड की योजना बनाने के लिये भी समयबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाये जावें ।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त विकास खण्डों को आवंटित 5-5 लाख रुपये की धनराशि का पूर्ण उपयोग वित्तीय वर्ष के भीतर हो जाए ।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रत्येक माह प्रगति की समीक्षा की जाए ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,

1--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

2--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण),
उत्तर प्रदेश ।

संख्या-8683/26-3--81-11(1)/80

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1981

विषय:---प्रदेश के हरिजन बाहुल्य वाले विकास खण्डों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिये विशेष समन्वित परियोजना का कार्यान्वयन और उनके लिये धन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6479/25-3--81-11(1)/80, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) तथा ग्राम्य विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के पद सृजित किये गये हैं। जिला स्तर से शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि उपरोक्त विकास खण्डों के लिए आवंटित की गई धनराशि से उपरोक्त अधिकारियों के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु व्यय की अनुमति दी जाए। अतः प्रपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा निम्न प्रकार सामग्री की व्यवस्था करा दी जाए:---

(1) विकास खण्ड स्तर पर

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (अ) विकास खण्ड अधिकारी | एक लोहे की अत्मारो |
| (ब) सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)
तथा ग्राम्य विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) | एक मेज तथा एक कुर्सी आवश्यकतानुसार । |
| (स) कार्यालय के लिए | रैक आवश्यकतानुसार । |

(2) जिला स्तर पर

अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के कार्यालय के . . खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी के बैठने के लिये आवश्यक कुर्सियां ।

3--जैसे शासनादेश हैं, विकास खण्डों को आवंटित उपरोक्त धन का व्यय जिला समिति के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकता है। अतः उपरोक्त व्यवस्था उपरोक्त सामग्री के क्रय पर भी लागू होगी। यदि जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पूर्व ही नियमानुसार कर ली गई है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

4--जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-2087-88/वि 0वि 0नि 0/एस 0टी 0/81-82 दिनांक 16 अक्टूबर, 1981 के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि विकास खण्डों को इस वर्ष आवंटित धनराशि में शासनादेश संख्या-5009/26-3--80-11(1)/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 के अनुसार निर्धारित सीमा तक छपाई तथा मोटर गाड़ियों के डीजल/पेट्रोल पर व्यय किया जा सकता है।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-8683(1)/26-3--81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (2) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी, (हरिजन कल्याण) ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 8250/26-3-81-11(69)-81

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 1981।

विषय:—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिये चयनित विकास खण्डों में नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) तथा ग्राम विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के कार्य का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग— 3

श्री राम कृष्ण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अर्ध शासकीय परिपत्र संख्या—7648/26-3-81-11(35)/81, दिनांक 23 अक्टूबर, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत सघनित कार्यक्रम हेतु चयनित विकास खण्डों के लिये अपर जिला विकास अधिकारियों को आवंटित धनराशियों का अभी तक नगण्य उपयोग होने के निम्न कारण प्रतीत होते हैं :

(क) आई 0 आर 0 डी 0 में चयनित परिवारों के अतिरिक्त पात्र अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी,

(ख) जिन विकास खण्डों में ऐसी सहायता दी गयी है वहाँ अनुदान की धनराशि का भुगतान चयनित विकास खण्ड की धनराशि के बजाय निगम की धनराशि से किया गया है।

(ग) सहायक विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) तथा ग्राम विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) को अभी तक लक्ष्य की ओर अप्रसर होने हेतु कोई अतिरिक्त और निश्चित उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गयी है और उन्हें विकास खण्ड के वर्तमान तन्त्र का केवल अनुपूरक माना गया है।

प्रत्येक विकास खण्ड का वर्तमान लक्ष्य 600 लाभार्थी का है जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत अर्थात् 180 लाभार्थी अनुसूचित जातियों के होंगे। इतना कार्य तो विकास खण्डों में अतिरिक्त कर्मचारियों के बिना पूरा होना है, परन्तु इससे पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों के 4.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि हरिजन कल्याण के उपरोक्त अधिकारियों के लिये भी अलग से लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायें।

2--अतः शासन ने निर्णय लिया है कि :--

(1) प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा रु 0 2 लाख वार्षिक अनुदान और मार्जिन मनी ऋण के वितरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसे वह न्यूनतम 60 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिलवा कर पूरा कर सकता है।

(2) लक्ष्य की पूर्ति तब ही मानी जायगी जब कि लाभार्थियों को बैंक ऋण प्राप्त हो जाये और अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण की धनराशि उनके बैंक खातों में समायोजित हो जाय।

(3) सहायक विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) का अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है क्योंकि सम्प्रति उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने अधिनस्थ ग्राम विकास अधिकारियों के लक्ष्य की पूर्ति कराने में पूर्णरूपेण सहायता और सहयोग दे।

(4) सामान्यतः ग्राम विकास अधिकारी ऋण के आवेदन पत्र इत्यादि तैयार कराने तथा अन्य ग्राम्य स्तरीय कार्य करेंगे और सहायक विकास अधिकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराने, उसमें अनुदान और मार्जिन मनी ऋण का समायोजन कराने और बैंक ऋण अवमुक्त कराने की भूमिका निभायेंगे। सहायक विकास अधिकारी के न होने की दशा में समस्त कार्य ग्राम विकास अधिकारियों को ही देखने होंगे।

(5) सहायक विकास अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करना है क्योंकि लक्ष्य की पूर्ति पर दोनों समान रूप से पुरस्कार के पात्र होंगे और लक्ष्य प्राप्त न होने की दशा में दोनों समान रूप से दण्ड के भागी होंगे।

3--शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में कई मास बीत जाने के बावजूद जो भी ग्राम विकास अधिकारी पूरे वर्ष का लक्ष्य 31 मार्च, 1982 तक पूरा कर लेगा वह रु० 200 मानदेय प्राप्त करने का पात्र होगा। इसी प्रकार जिस किसी सहायक विकास अधिकारी के अधीनस्थ सभी ग्राम विकास अधिकारी अपना अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे वह रु० 250 मानदेय के रूप में प्राप्त करने का पात्र होगा। यह मानदेय की धनराशि आपके अनुमोदन से अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा स्वीकृत की जायेगी और इसका भुगतान संबंधित चयनित विकास खण्ड के लिये आबंटित धनराशि में से अप्रैल, 1982 में कर दिया जाए।

4--अनुरोध है कि आप योजना का तदनुसार तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कृपा करें।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या--8250(1)/26-3-81-11-(69)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं अविजम्ब अनुपालन हेतु प्रेषित। वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि :-

- (क) चयनित विकास खण्डों में लाभान्वियों को अनुदान का धन चयनित विकास खण्ड के आबंटन से भुगतान किया जाय और मार्जिन मनी ऋण का भुगतान निगम की धनराशि से हो।
- (ख) इस शासनादेश तथा इसमें उल्लिखित शा०सं० 7648, दिनांक 23-10-81 तथा अन्य संबंधित शासनादेशों की प्रतिवां साइक्लोस्टाइल करा कर वर्तमान और भविष्य में पोस्ट होने वाले समस्त सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को दे कर उनसे हस्ताक्षर ले लिए जायें।
- (ग) प्रत्येक अधिकारी की कारगुजारी की पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त की जाये और एक रजिस्टर में प्रत्येक

अधिकारी का लेजर खोल कर उसकी पाक्षिक कारगुजारी का विवरण स्थायी रूप से रखा जाए क्योंकि इसका उपयोग उन्हें पुरस्कृत करने आदि के संबंध में किया जाएगा।

पृष्ठांकन संख्या/8250(2)/26-3-81-11(69)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (4) श्री के० एन० सक्सेना, उप सचिव, नियोजन विभाग।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

राम कृष्ण,

अर्ध शा 0प 0सं 0- 9055/26-3-81-4(27)/80

सचिव ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग--3

उत्तर प्रदेश शासन ,

लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी, 1982

प्रिय महोदय,

छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश के 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने और उनके सर्वांगीण विकास किये जाने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित कार्यक्रमों को हरिजन बाहुल्य वाले विकास खण्डों में सघनीकृत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि निर्धारित वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। इस समय प्रदेश के 188 विकास खण्डों को सघनीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया है और अगले तीन वर्षों में 106 विकास खण्ड प्रतिवर्ष और चयनित किये जाने का प्रस्ताव है। स्पष्ट है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की सफलता उपरोक्त हरिजन बाहुल्य वाले विकास खण्डों में कार्यक्रमों की सफलता पर निर्भर है।

2-- आप सहमत होंगे कि कार्यक्रमों की सफलता निरन्तर उनके प्रगति के अनुश्रवण, अनुसरण तथा उनके समय-समय पर मूल्यांकन से ही सम्भव है। किसी कार्यक्रम को प्रारम्भ कर देने, उसके लिये धन स्वीकृत कर देने अथवा धन के व्यय हो जाने से ही निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक यह न देख लिया जाय कि जिस योजना के लिये जिस उद्देश्य को लेकर धन व्यय किया गया है उसकी प्रतिपूर्ति हो गयी है। निर्धारित उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिये यह अपरिहार्य है कि योजनाओं के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप आवश्यकतानुसार उनके कार्यान्वयन में संशोधन भी किया जाय। अभी हाल ही में शासन के नियोजन विभाग द्वारा हरिजन बाहुल्य विकास खण्ड, मलिहाबाद, जिला लखनऊ में चलाई जा रही प्रथम अग्रगामी समन्वित विकास योजना का मूल्यांकन किया गया है। उक्त मूल्यांकन की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं समुचित उपयोगार्थ संलग्न है। उपरोक्त मूल्यांकन के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं जो आपके अधीनस्थ हरिजन बाहुल्य वाले चयनित विकास खण्डों तथा अन्य क्षेत्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

3-- अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनके अधीनस्थ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाय और आवश्यकतानुसार योजनाओं के कार्यान्वयन में संशोधन किया जाय और मलिहाबाद विकास खण्ड में चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जो कमियाँ इंगित की गई हैं उनके प्रति विशेष रूप से निगरानी रखी जाय। मण्डल तथा जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण संबंधी समिति में योजनाओं के मूल्यांकन के विषय को अवश्य सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। अतः इस संबंध में भी जिले के विकास विभागों के अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

संलग्नक--1

राम कृष्ण ।

1--समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2--समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या--9055(1)/26-3-81-4(27)/80, तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि उपरोक्त मूल्यांकन की प्रति सहित आपके अध्यानार्थ एवं अनुपालनार्थ संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय,
राम कृष्ण।

1--निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

2:-उप/सहायक निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

3--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण)
उत्तर प्रदेश।

राम कृष्ण,
सचिव ।

संख्या 7648/26-3-81-11(35)-81

उत्तर प्रदेश

हरिजन एवं समाज कल्याण प्रनुभाग-- 3

लेखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर, 1981

प्रिय महोदय,

मुझ से यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि अनुसूचित जातियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु प्राप्त प्रिजिस्टेड केन्द्रिय सहायता में से शा 0 सं 0 5009-26-3-80-11 (1)/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 (जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 1980-81, नामक पुस्तिका के पृष्ठ 67-73 पर मुद्रित है) द्वारा चयनित विकास खण्डों के लिये रु 0 486 लाख तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लिये रु 0 200 लाख को धनराशि में स्वोक्त हो गयी थी। सन्दर्भित शासनादेश के पैरा 2 की मद (4) के अनुसार निगम के लिये प्राविधानित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आई 0 आई 0 डी 0 क्षेत्रों में आर 0 आर 0 डी 0 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त माजिन मनी ऋण उपलब्ध कराने तथा गैर आई 0 आर 0 डी 0/हाडा क्षेत्रों में माजिन मनी ऋण और अनुदान दोनों उपलब्ध कराने के लिये अनुमत्य है।

2—चयनित विकास खण्डों के लिये प्राविधानित धनराशि के उपयोग के लिये ऊपर उल्लिखित शासनादेश के पैरा 2 की मद (1), (2) तथा (3) में स्पष्ट आदेश दिये गये हैं जिनका सारांश निम्नवत् है :—

(1) लाभार्थियों को फेमिली ओरियेन्टेड योजना हेतु आर्थिक सहायता दी जाय।

(2) फेमिली ओरियेन्टेड योजना का लाभार्थी को पूर्ण लाभ उठाने के लिये समर्थ बनाने हेतु अनुपूरक योजना में दी जायगी। उदाहरणार्थ जिस परिवार को दुधारू पशु दिया जाय उसके साथ चारे तथा आहार की व्यवस्था, पशु चिकित्सा तथा बीमा और दूध की उचित बिक्री की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(3) एक ही प्रकार की योजना के लाभार्थियों के समूह के सहायताार्थ ऐसी व्यवस्था करना जिसका उपयोग वे अपनी योजना से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये सामूहिक रूप से कर सकें। उदाहरणार्थ रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) अथवा यातायात अथवा उत्पादित वस्तुओं का समुचित विपणन की व्यवस्था के लिये अनुदान।

(4) लेखन सामग्री, छाई तथा डीजल/पेट्रोल के लिये उपयोग चयनित विकास खण्डों में सामूहिक योजनाओं के चयन के संबंध में कुछ मार्गदर्शक रूप-रेखायें शा 0 सं 0 6343/26-3-81-11(35)-81, दिनांक 18 अगस्त, 1981 द्वारा जारी किय गये हैं।

3—इतने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद चयनित विकास खण्डों के लिये अब तक आवंटित रु 0 1502 लाख (जिसका जिलेवार व्योरा संलग्न है) में से अब तक केवल नगण्य धनराशि का उपयोग हो पाया है। इस असन्तोषजनक स्थिति पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्षोभ प्रकट किया है।

4—कतिपय जिला अधिकारियों ने यह शंका व्यक्त की है कि ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 1981 के अनुसार सामूहिक योजनाओं का कार्यान्वयन सहकारी समितियों अथवा किसी प्रकार की अन्य संस्थाओं अथवा विभागीय तन्त्र द्वारा कराना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की सामूहिक योजनाओं का चयन, उनके लिये विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया और व्यय के लिये आवश्यक अनुदान को स्वोक्ति का सम्पूर्ण अधिकार जिला अधिकारी को है जिसमें वह अपनी अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति में आवश्यकता-नुसार विचार करके निर्णय ले सकते हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी के अधिकार पर कोई बन्धन नहीं है। इस प्रकार की योजनाओं के संबंध में यदि किसी सहकारी समिति से किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध हो और जिला अधिकारी चाहे तो वे उसका उपयोग कर सकते हैं, और अगर न चाहें, तो उसकी कोई पाबन्दी नहीं है।

5—जहाँ तक फेमिली ओरियेन्टेड योजनाओं में आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, शा 0 सं 0 4895/26-3-81-7(2)-80, दिनांक 26 मई, 1981 के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित विकास खण्डों में अनुसूचित जातियों के ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें आई 0 आर 0 डी 0 योजना के अन्तर्गत अनुदान अनुमत्य है परन्तु वे चयनित सूची में नहीं आ पा रहे हैं अथवा वहाँ से उन्हें अनुदान नहीं मिला है, तो उनको चयनित विकास खण्ड के लिये आवंटित धनराशि से 25 प्रतिशत अथवा 33 1/3 प्रतिशत, जो भी अनुमत्य हो अनुदान स्वीकृत किया जाय और निगम के धन से माजिन मनी ऋण स्वीकृत किया जाय। यह स्मरणीय है कि अब रु 0 12,000 तक की अनावर्ती पूंजी लागत को योजनाओं में आर्थिक सहायता प्रति परिवार दी जा सकती है। इससे भी चयनित विकास खण्डों के लिये आवंटित धनराशि का काफी उपयोग सम्भव हो सकेगा।

6—अतः अनुरोध है कि आप इस मामले में निजी रुचि लेकर अपने मण्डल के जिला अधिकारियों की आवश्यक परामर्श एवं निदेश दकर चयनित विकास खण्डों के लिये आवंटित धनराशि का सामूहिक प्रकार की तथा फेमिली ओरियेन्टेड योजनाओं में अधिकाधिक धन का तीव्र गति से उपयोग सुनिश्चित कराने की कृपा करें। यह भी अनुरोध है कि आप इनकी प्रगति समीक्षा को कोई ऐसी विधि निर्धारित करें जिससे कि पाश्चिक अथवा मासिक रूप से उसका ज्ञान

आपको और शासन को बराबर होता रह क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति की प्रति मास समीक्षा की जायेगी। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगामी मासों में आप से और जिला अधिकारियों से प्रगति की उत्साहजनक रिपोर्ट प्राप्त होगी।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

सेवा में—

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त जिलाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या 7648 (1)/26-3-81-11 (35)-81, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0क 0), उत्तर प्रदेश।
- 2—निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3—समस्त मण्डलीय सहायक/उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4—प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0, लखनऊ।
- 5—श्री के 0 एन 0 सक्सेना उप सचिव, नियोजन विभाग।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत अपर जिला विकास अधिकारियों को आवंटित धनराशियों की मण्डलवार सूची

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	जिले का नाम	वर्ष 1980-81 में आवंटित धनराशि			वर्ष 1981-82 में आवंटित धनराशि		
		चयनित विकास खंड हेतु	निगम की योजनाओं हेतु	योग	चयनित विकास खण्डों हेतु	निगम की योजनाओं हेतु	योग
आगरा मण्डल							
1	आगरा ..	5.0	15.0	20.0	15.0	..	15.0
2	मथुरा ..	5.0	7.50	12.50	10.0	..	10.0
3	मैनपुरी ..	5.0	7.50	12.50	10.00	..	10.0
4	अलीगढ़ ..	7.0	13.50	20.50	17.0	..	17.0
5	एटा, ..	5.0	9.0	14.0	10.0	..	10.0
	मण्डलीय योग ..	27.0	52.50	79.50	62.0	..	62.0
इलाहाबाद मण्डल							
6	इलाहाबाद ..	21.0	16.0	37.0	46.0	..	46.0
7	फतेहपुर ..	5.0	10.50	15.50	15.0	..	15.0
8	कानपुर ..	5.0	16.0	21.0	10.0	..	10.0
9	इटावा ..	7.0	12.0	19.0	27.0	..	27.0
10	फर्रुखाबाद ..	5.0	10.0	15.0	10.0	..	10.0
	मण्डलीय योग ..	43.0	64.50	107.50	108.0	..	108.0
फैजाबाद मण्डल							
11	गोण्डा ..	5.0	12.0	17.0	10.0	..	10.0
12	बहराइच ..	5.0	9.0	14.0	10.0	..	10.0
13	बाराबंकी ..	5.0	13.50	18.0	30.0	..	30.0
14	फैजाबाद ..	5.0	15.0	20.0	25.0	..	25.0
15	प्रतापगढ़ ..	5.0	9.0	14.0	15.0	..	15.0
16	सुल्तानपुर ..	5.0	10.0	15.0	15.0	..	15.0
	मण्डलीय योग ..	30.0	68.50	98.50	105.0	..	105.0
गढ़वाल मण्डल							
17	चमोली ..	5.0	3.0	8.0	5.0	..	5.0
18	पौड़ी ..	5.0	3.0	8.0	5.0	..	5.0
19	देहरा ..	5.0	3.0	8.0	5.0	..	5.0
20	देहरादून ..	5.0	3.50	8.50	5.0	..	5.0
21	उत्तरकाशी ..	5.0	4.40	9.46	5.0	..	5.0
	मण्डलीय योग ..	25.0	16.96	41.96	25.0	..	25.0
गोरखपुर मण्डल							
22	आजमगढ़ ..	5.0	18.0	23.0	30.0	..	30.0
23	बस्ती ..	5.0	16.0	21.0	15.0	..	15.0
24	देवरिया ..	5.0	13.0	18.0	10.0	..	10.0
25	गोरखपुर ..	5.0	21.0	26.0	15.0	..	15.0
	मण्डलीय योग ..	20.0	68.0	88.0	70.0	..	70.0

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	जिले का नाम	वर्ष 1980-81 में आवंटित धनराशि			वर्ष 1981-82 में आवंटित धनराशि		
		चयनित विकास खंड हेतु	निगम की योजनाओं हेतु	योग	चयनित विकास खंडों हेतु	निगम की योजनाओं हेतु	योग
झांसी मण्डल							
26	बांदा ..	7.0	9.0	16.0	17.0	..	17.0
27	हमीरपुर ..	5.0	7.50	12.50	20.0	..	20.0
28	जालौन ..	5.0	7.50	12.50	20.0	..	20.0
29	झांसी ..	5.0	17.0	22.0	10.0	..	10.0
30	ललितपुर ..	5.0	4.50	9.50	10.0	..	10.0
	मण्डलीय योग ..	27.0	45.50	72.50	77.0	..	77.0
कुमायूं मण्डल							
31	अल्मोड़ा ..	5.0	4.50	9.50	5.0	..	5.0
32	नैनीताल ..	5.0	4.50	9.50	5.0	..	5.0
33	पिथौरागढ़ ..	5.0	3.0	8.0	5.0	..	5.0
	मण्डलीय योग ..	15.0	12.0	37.0	15.0	..	15.0
लखनऊ मण्डल							
34	हरदोई ..	56.0	17.04	73.04	66.0	..	66.0
35	खीरी ..	7.0	12.0	19.0	32.0	..	32.0
36	लखनऊ ..	35.0	12.0	47.0	45.0	..	45.0
37	रायबरेली ..	7.0	15.0	22.0	32.0	..	32.0
38	सीतापुर ..	28.0	17.0	45.0	53.0	..	53.0
39	उन्नाव ..	21.0	15.0	36.0	46.0	..	46.0
	मण्डलीय योग ..	154.00	88.04	242.04	274.0	..	274.0
मेरठ मण्डल							
40	बुलन्दशहर ..	5.0	15.0	20.0	20.0	..	20.0
41	मेरठ ..	5.0	18.0	23.0	15.0	..	15.0
42	मुजफ्फरनगर ..	5.0	10.50	15.50	10.0	..	10.0
43	गार्जियाबाद ..	5.0	3.0	8.0	10.0	..	10.0
44	सहारनपुर ..	5.0	15.0	20.0	25.0	..	25.0
	मण्डलीय योग ..	25.0	61.50	86.50	80.0	..	80.0
बरेली मण्डल							
45	बरेली ..	5.0	6.0	11.0	10.0	..	10.0
46	वदायूं ..	5.0	9.0	14.0	10.0	..	10.0
47	पीलीभीत ..	5.0	3.0	8.0	10.0	..	10.0
48	शाहजहाँपुर ..	5.0	7.50	12.50	10.0	..	10.0
	मण्डलीय योग ..	20.0	25.50	45.50	40.0	..	40.0

 मुरादाबाद मण्डल

49	बिजनौर	..	5.0	9.0	14.0	25.0	..	25.0
50	रामपुर	..	5.0	4.50	9.50	10.0	..	10.0
51	मुरादाबाद	..	5.0	12.0	17.0	10.0	..	10.0
मण्डलीय योग		..	15.0	25.50	40.50	45.0	..	45.0

वाराणसी मण्डल

52	बलिया	..	5.0	6.0	11.0	10.0	..	10.0
53	गाजीपुर	..	5.0	14.0	19.0	10.0	..	10.0
54	मिर्जापुर	..	63.0	15.0	78.0	68.0	..	68.0
55	जौनपुर	..	5.0	19.0	24.0	10.0	..	10.0
56	वाराणसी	..	7.0	17.50	24.50	17.0	..	17.0
मण्डलीय योग		..	85.0	71.50	156.50	115.0	..	115.0
कुल योग		..	486.0	600.0	1086.0	1016.0	..	1016.0

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

अर्ध शा 0 प 0 सं 0-8600/26-3-81-11(79)/81
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
विधान भवन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, दिनांक 26 नवम्बर, 1981

प्रिय महोदय,

मुझसे यह कहने का अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विकासार्थ कार्यान्वित किए जा रहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की जानकारी प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों तथा माननीय विधान सभा सदस्यों का होना आवश्यक है, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनका भी योगदान शासन तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राप्त हो सके ।

2--अतः अनुरोध है कि कृपया अपने जिले के संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों को उनसे संबंधित क्षेत्र में कार्यान्वित किये जा रहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार उन्हें वर्ष 1980-81 तथा इस वर्ष आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें । कृपया उक्त सूची की एक कापी शासन को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

चन्द्र कुमार वर्मा ।

प्रपत्र १

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का पता	लाभार्थी को दी गई आर्थिक योजना कुराई गई कुल धनराशि	ऋण स्वरूप उपलब्ध कुराई गई कुल धनराशि	अनुदान की धनराशि	माजिन मनी ऋण की धनराशि
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	--	--------------------------------------	------------------	------------------------

संख्या-8438/26-3--82-11(34)-82

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 1982।

विषय:—स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में उपयोग के लिये आवंटित धनराशि का विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिये फांट।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5497/26-3-82-11(81)-81, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 तथा शा0 सं0-6883/26-3-82-11(34)-82, दिनांक 19 अप्रैल, 1982 द्वारा प्रत्येक चयनित विकास खण्ड में वर्ष 1982-83 में उपयोग के लिये 5 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त शा0 सं0-8473/26-3-82-11(20)-80, दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 से अनुरोध किया गया है कि उनके पी0एल0ए0 में रु0 3,54,88,516 की जो धनराशि रखवा दी गई थी उसे चयनित विकास खण्डों में उपयोग के लिये तुरन्त अवमुक्त कर दिया। अपर जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के जिला कोषागारों में खोले गये पी0एल0ए0 में जमा करा दें। कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त समस्त धनराशियां प्रत्येक अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) के पी0एल0ए0 में जमा हो जाए।

2—कतिपय जिलों से शासन के पास पत्र आये हैं जिनमें ये पूछा गया है कि चयनित विकास खण्डों के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किस अनुपात में किया जाए। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित विकास खण्डों के लिये आवंटित और पूर्व वर्ष/वर्षों की बकाया को मिलाकर उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिये मोटे रूप से निम्नवत् विभाजन किया जा सकता है:—

	प्रतिशत
(1) अनुदान वितरण	20
(2) उत्पादन तथा वितरण केन्द्रों का निर्माण	40
(3) कृषि भूमि खरीद कर उपलब्ध कराना	20
(4) सिंचाई साधनों की व्यवस्था	20

यह स्मरणीय है कि चयनित विकास खण्डों के लिये आवंटित धनराशि से ही मुद्रण, लेखन सामग्री तथा पी0ओ0एल0के ऊपर होने वाला व्यय वहन किया जाना है। शासन का उद्देश्य चयनित विकास खण्डों के लिये उपलब्ध कराई गई धनराशियों का निर्धारित प्रयोजनों हेतु शीघ्रातिशीघ्र उपयोग कराना है जिसे कृपया सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3—पैरा 2 के निर्देश आगामी वर्षों में भी लागू रहेंगे जब तक कि उनमें कोई संशोधन न किया जाय।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पू0सं0-8438(1)/26-3--82-11(34)-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, ल0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, बी-912 सेक्टर "सी", महानगर, लखनऊ।
- (3) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या-15525/26-3--82-11(71)-81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर, 1982।

बिषय:—स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में सघनित विकास कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि से भूमिहीन हरिजनों को आवंटन हेतु कृषि योग्य भूमि खरीदने की मूल्य सीमा ₹0 10,000 तक बढ़ाना।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-4120/26-3-81, दिनांक 12 जनवरी, 1982 तथा शासकीय रेडियोग्राम संख्या-6477/26-3-82-11(71)-81, दिनांक 21 अप्रैल, 1982 का आंशिक संशोधन करते हुए तथा शासनादेश संख्या-8438/26-3--82-11(34)-82, दिनांक 16 सितम्बर, 1982, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयनित विकास खंडों में सघनित विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनराशि में से कृषि योग्य उपजाऊ भूमि खरीद कर अनुसूचित जातियों के निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रहे भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन किए जाने की योजना में शासन ने निम्नांकित संशोधन किए हैं:—

(1) जहां कृषि योग्य उपजाऊ भूमि ₹0 5,000 प्रति एकड़ तक उपलब्ध है वहां लाभार्थी को उतनी भूमि खरीद कर आवंटित कर दी जाए जितनी ₹0 5,000 में क्रय की जा सके।

(2) जहां भूमि का मूल्य ₹0 5,000 प्रति एकड़ से अधिक है वहां लाभार्थी को इतनी भूमि खरीद कर दी जाए जो 10,000 ₹0 में खरीदी जा सकती है।

(3) जिस लाभार्थी को 10,000 ₹0 की भूमि आवंटित की जायेगी उसे भूमि का 50 प्रतिशत मूल्य अर्थात् 5,000 ₹0 का शासन द्वारा ऋण दिया गया समझा जायेगा जो लाभार्थी से आवंटन के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा परन्तु इस पर लाभार्थी से कोई व्याज नहीं लिया जायेगा।

(4) लाभार्थी ऋण की अदायगी की मासिक किस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के कार्यालय में भुगतान करेगा जहां से वह उक्त अधिकारी के कोषागार स्थित पी 0 एल 0 ए 0 में जमा कर दी जायेगी। प्रत्येक लाभार्थी से प्राप्त ऋण तथा उसकी अदायगी का विधिवत् लेखा रजिस्टर अलग रखा जायेगा।

(5) रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्ति हेतु समस्त भूमि की खरीद श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, के नाम में की जायेगी और गवर्मेन्ट्स ग्रांट ऐक्ट के अन्तर्गत इस शर्त पर आवंटित की जायेगी की आवंटि को किसी भी दशा में उस भूमि को बेचने अथवा अन्यथा हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। ₹0 10,000 मूल्य की भूमि के पट्टों में ₹0 5,000 के ऋण की अदायगी की शर्त और उसके लिये आवंटि की सहमति स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी।

(6) प्रत्येक आवंटन विलेख में यह बात भी स्पष्ट कर दी जायेगी कि "इस विलेख में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले कि आवंटि अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय ₹0 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटि के पास आवंटन के पूर्व कोई कृषि योग्य भूमि थी अथवा उसने इस विलेख द्वारा आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है तो इस बात के बावजूद कि आवंटि ने भूमि का आधा मूल्य अदा कर दिया है, वह आवंटन को निरस्त कर दे और आवंटि अथवा उसकी ओर से भूमि के काबिज प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दे अथवा करा दे।

(7) यदि अनुसूचित जाति का कोई सम्पन्न खातेदार इस प्रयोजन हेतु शासन को अपनी भूमि बेचना चाहता है और वह इस हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क के अन्तर्गत जिलाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भूमि क्रय किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

2—अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकाधिकारियों को आवश्यक निर्देश अविलम्ब जारी करने की कृपा करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ० सं०-15525(1)/26-3—82-11(71)-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 8306/26-3-82-11(59)/82

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 3 जुलाई, 1982 ।

विषय : गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के लक्षित परिवारों की क्रेडिट आवश्यकताओं को डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में सम्मिलित किया जाना ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज ।
कल्याण
अनुभाग-3

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का मूल उद्देश्य यह है कि आपके जिले में गरीबी के रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को वर्ष 1989-90 तक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं द्वारा गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जाय । ऐसे परिवारों का जिलेवार लक्ष्य शासन द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1982-83 में आपके जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य आपको शासनादेश सं० 7370/26-3-82-11(24)/81 दिनांक 12 मई, 1982 द्वारा सूचित किया जा चुका है ।

2—उपरोक्त परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक विकास की योजनायें बैंक ऋण से संबद्ध हैं । अतः यह अपरिहार्य है कि अनुसूचित जाति के जिले के लक्षित परिवारों की क्रेडिट आवश्यकताओं को डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में सम्मिलित किया जाय । डिस्ट्रिक्ट/क्रेडिट प्लान में अनुसूचित जाति के लक्षित परिवारों की क्रेडिट आवश्यकताओं को समावेशित करने हेतु लीड बैंक आवश्यक सूचना जिले के विकास विभागों के अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं ।

3—अनुरोध है कि आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में अनुसूचित जाति के उपरोक्त लक्षित परिवारों की क्रेडिट आवश्यकता की सूचना लीड बैंक को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की जिला समन्वय समिति की बैठक शीघ्रताशीघ्र आहूत करके विकास विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे लीड बैंक को वांछित सूचना तुरन्त उपलब्ध करा दें ।

4—उपरोक्त के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सामान्यतः 5,000 रु० से 10,000 रु० के बीच ऋण व्यवस्था की जानी है । अतः डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में अनुसूचित जातियों के लिये क्रेडिट की कुल आवश्यकता तदनुसार होगी ।

5—कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें ।

भवदीय,

राम कृष्ण,
सचिव ।

संख्या 8306(1)/26-3-82-11(59)-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, श्री पी० एस० कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके अर्ध शा० प० सं० बी० सी०-18020/3/82, एस० सी० बी० सी० डी० 111, दिनांक 2 जून, 1982 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव ।

पत्रांक : ए-15(1)/81-टी 0सी 0/3542

प्रेषक,

सचिव एवं निदेशक,
संस्थागत वित्त निदेशालय, उ 0प्र 0,
16, विधान सभा मार्ग ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक अप्रैल 21, 1982

महोदय,

जनपदों में क्रेडिट प्लान एवं वार्षिक एक्शन प्लान बनाने का कार्य चल रहा है । उक्त क्रम में मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि जनपद की क्रेडिट प्लान में विकास खण्डवार प्रत्येक बैंक शाखा के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लक्ष्यों को देखते हुए अवश्य निर्धारित करने का कष्ट करें तथा प्रत्येक बैंक शाखा को उसकी सूचना भी दे दें । कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र सूचित करें ।

भवदीय,

रोमेश कुमार शर्मा,

उप सचिव एवं उप निदेशक,
कृते सचिव एवं निदेशक ।

प्रति :—उप सचिव, ग्रामीण विकास, उ 0 प्र 0 शासन के सूचनार्थ ।

राम कृष्ण,
सचिव ।

पत्रांक-5557 / 26-3-82-11(54)/81
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
विधान भवन
लखनऊ, दिनांक 17 मार्च, 1982

प्रिय महोदय,

माननीय प्रधान मंत्री जी के पुनरीक्षित 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सातवें सूत्र में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अतः प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाई जावेगी। इसके साथ ही '20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सूत्र से संबंधित योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लाभार्थ प्रगति की समीक्षा विशेष रूप से किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभार्थ किन-किन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाना है इसके संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम निर्दिष्ट किये हैं। इन कार्यक्रमों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा करते समय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रत्येक सूत्र में निर्दिष्ट की गई उपरोक्त योजनाओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाया करे।

सादर,

भवदीय,
राम कृष्ण;

- 1--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
20-सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित
विभागों के सचिव (नाम से)
- 2--संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रति आप के सूचनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,
राम कृष्ण,

- 1--श्री भूरे लाल,
सचिव, मुख्य मंत्री जी ।
- 2--डा० जे० पी० सिंह,
सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3--श्री आर० चन्द्रा,
निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आप के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
राम कृष्ण;

श्री पी० एस० कृष्णन्,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आपक अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

भवदीय,
राम कृष्ण;

20-point programme	Important benefits that should be channelised to Scheduled Castes
1	2
<i>Point 1</i>	
Increase irrigation potential, develop and disseminate technologies and inputs for dry land agriculture.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Provision of irrigation for lands owned by Scheduled Castes by means of individual wells and bore-wells, group wells and bore-wells and surface irrigation, to the fullest extent of availability of ground water and surface water resources. (ii) Dissemination of package of inputs based on latest available technology for dry land agriculture.
<i>Point 2</i>	
Make special efforts to increase production of pulses and vegetable oil seeds.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Introduction of vegetable oil seeds and pulses cultivation in lands owned by Scheduled Castes at present growing low value crops like coarse foodgrains. (ii) Improvement of production of oil seeds and pulses in lands owned by Scheduled Castes where they are already growing them.
<i>Point 3</i>	
Strengthen and expand coverage of integrated Rural Development and National Rural Employment Programmes.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Subsidy and loan assistance to Scheduled Caste families for various productive assets, along with package of back-up services, in clusters, to enable them to cross the poverty line. (ii) Creation of rural assets of direct and exclusive benefit to Scheduled Castes like:— <ul style="list-style-type: none"> (a) Drinking water source in all non-problem Scheduled Caste villages, all Scheduled Caste bastis in non-problem villages. (b) Developed house-sites for all Scheduled Caste families, not having them. (c) Satisfactory housing for all Scheduled Caste, which do not have satisfactory housing. (d) Link roads for all Scheduled Caste basties and villages. (e) All-round sanitation (e. g. filling up, levelling up, etc. to end stagnation of drain and rain water) of Scheduled Caste basties, which are generally the most insanitary part of villages. (f) Construction of primary schools, community centres, health and veterinary sub-centres etc. in Scheduled Caste basties (but open to all communities to use) Scheduled Caste villages. (g) Silvi-pasture for group of Scheduled Caste beneficiaries in dairy and Animal Husbandry sector. (h) Similar appropriate support for groups of fishermen, who belong to Scheduled Castes in States like West Bengal. (i) Similar appropriate economic infrastructure support of groups of Scheduled Castes in different occupational categories. (j) Comprehensive development of lands distributed to Scheduled Castes. (iii) Coverage under Operation Flood-II or the National Dairy Development Programme.
<i>Point 4</i>	
Implement agricultural land ceilings, distributed surplus land etc.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Improvement of land ownership of landless Scheduled Caste families. (ii) Land records pass-books.

1	2
Point 5 Review and effectivelly enforce minimum wages for agricultural labour.	Actual improvement in wage earnings of Scheduled Castes, who form a high proportion of agricultural labourers.
Point 6 Rehabilitate bonded labour ..	Permanent and effective release from bondage and free socio-economic life.
Point 8 Supply drinking water to all problem villages.	Availability of safe source of drinking water within every Scheduled Caste Basti in problem villages and Scheduled Caste villages among problem villages.
Point 9 Allot house-sites to rural families who are without them and expand programme for construction assistance to them	Availability of house-sites to and housing for Scheduled Caste families who do not have them.
Point 10 Improve the environment of slums, implement programmes of house building for economically weaker sections etc.	Sanitary living condition in slums of Scheduled Castes. Greater availability of house for Scheduled Castes, with priority for "Scavengers".
Point 11and electrify all villages.	Electrification of all Scheduled Caste Villages, Scheduled Caste Bastis.
Point 12 Pursue vigorously..... Social and Farm forestry and the development of bio-gas.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Fuel wood plantation adjoining Scheduled Caste villages, Scheduled Caste bastis wherever waste land and common lands are available adjoining them along the sides of roads in them and canals and railway lines adjoining them. (ii) Availability of seedlings to Scheduled Caste farmers. (iii) Availability of seedlings of fruit trees to Scheduled Caste children under "A Tree for every Child" Programme. (iv) Trees in schools in Scheduled Caste village and bastis. (v) Trees in Scheduled Caste Hostels. (vi) Availability of fair share of family size bio-gas plants for Scheduled Castes.
Point 14 Substantially augment universal primary health care facilities and control of leprosy, T.B. and blindness.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Location of a good number of sub-centres and subsidiary health centres in the Scheduled Caste villages and bastis. (ii) Selection of the major proportion of health guides from among Scheduled Castes. (iii) Assistance to Scheduled Caste Dais and modernisation of their service.
Point 15 Accelerate programme of welfare of women and children and nutrition programmes for pregnant women, nursing children especially in tribal, hilly and backward areas.	<ul style="list-style-type: none"> (i) Coverage of Scheduled Caste women and children on priority. (ii) Location of nutrition centres, Balwadis and Aanganwadis in the Scheduled Caste bastis, to serve the entire village in Scheduled Caste villages, Scheduled Caste urban slums, and interspersed mixed urban slums with 51 per cent or more of Scheduled Caste in the population of the slum.

1

2

Point 16

Spread universal elementary education for the age-group 6—14 with special emphasis on girls and simultaneously involve students and voluntary agencies in programmes for the removal of adult illiteracy.

- (i) Universal enrolment and retention of Scheduled Caste children especially girl and improvement of their literacy.
- (ii) Increase of the literacy of Scheduled Caste adults.
- (iii) Location of new elementary Schools adult education Centres in Scheduled Caste basties to (serve entire village) and Scheduled Caste Villages in non-tribalar.

Point 17

Expand the public distribution system through more fair price shops including mobile shops in far-flung areas, shops to cater to student's hostels and make available to students text-books on priority basis.....

- (i) Location of serial fair price shops in Scheduled Caste basties, while being open to the whole village.
- (ii) Location of a fair proportion of the fair price shops in Scheduled Caste villages.
- (iii) Appointment of fair price shops dealers mainly from among the Scheduled Castes.
- (iv) Priority for distant Scheduled Caste villages as in Uttarkhand of U. P. in the matter of mobile shops.
- (v) Coverage of all Scheduled Caste students hostels in the matter of shops.
- (vi) Coverage of all caste students in the matter of text books and exercise books.

Point 18

.....Give handicrafts, handlooms, small and village industries all facilities to grow and to up date their technology.

- (i) Full coverage of leather workers, flayers, tanners and cobblers who almost entirely belongs to Scheduled Castes.
- (ii) Full coverage of handloom Weavers in Western and North-western states where most of them belong to Scheduled Castes.
- (iii) Full coverage and handlooms weavers in certain specific parts of Orissa and certain pockets in some other States who belong to the Scheduled Castes and live in clusters.
- (iv) Full coverage of metal workers in Uttarkhand and other adjoining hill areas where they mostly belong to Scheduled Castes.
- (v) Full coverage of artisans based on palm leaves and other leaves, reeds and grasses who generally belong to the Scheduled Castes.
- (vi) Assistance and extension for mulberry cultivation in the lands of Scheduled Castes.
- (vii) Coverage of silk reelars who generally belong to the Scheduled Castes.

पत्रांक 8312 / 26-3-82

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
विधान भवन,

लखनऊ, दिनांक 24 जून, 1982

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

प्रिय महोदय,

माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा घोषित नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्री, भारत सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित अर्ध शा 0 पत्र सं 0-बी 0सी 0 17020/6/82 एस 0सी 0बी 0सी 0डी 0 II दिनांक 8 मार्च, 1982 की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की मुझसे अपेक्षा की गई है।

2--ग्राम्य विकास, स्वायत्त शासन, उर्जा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभागों से अनुरोध है कि वे कृपया हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को प्रेषित की जाने वाली स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की मासिक प्रगति रिपोर्टों में उक्त पत्र के संलग्नक-3 के प्रपत्र III में उल्लिखित कार्यक्रमों के संबंध में अपेक्षित भौतिक प्रगति अनिवार्य रूप से दर्शाने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार को वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

सादर,

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,

1--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित सचिव / विशेष सचिव।

2--संबंधित विभागाध्यक्ष,

3--प्रबंध निदेशक, उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0 महानगर, लखनऊ।

D. O. BO. BC.-17020/6/82-SCBCD.-II

HOME MINISTER, INDIA

New Delhi, March 8, 1982

The Prime Minister has already written to you to ensure that the New 20-Point Programme is efficiently executed so as to achieve the desired objectives. As you would have noticed, Point 7 in it is to "accelerate programmes for development of Scheduled Castes and Tribes". It is intended to focus on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes the benefits of the programmes and schemes under various Points from which benefits can and should be channelised to these communities—in addition to programmes and schemes devised exclusively for them.

2. I am writing this letter specifically about the development of Scheduled Castes since the matter needs continuing vigilance. You may recall in this connection the Prime Minister's letter of March 12, 1980 conveying the deep concern of the Government of India about the problems of Scheduled Castes and the high priority attached to the task of their rapid socio-economic development. She also emphasised the need for quantitatively and qualitatively improving the Special Component Plan, keeping in view the special needs and handicaps of the Scheduled Castes. Shortly thereafter, the Special Central Assistance to the States Special Component Plans was introduced from 30th March, 1980. Now that the New 20-Point Programme has begun, proper implementation of the Special Component Plan, with a view to achieving its objectives (listed at Annexure-I) becomes all the more important.

3. As emphasised by the Prime Minister in her above letter, a permanent solution to the problems of Scheduled Castes must be based on their rapid economic development. Accordingly, she laid down a target of enabling 50 per cent of the Scheduled Castes families to cross the poverty line in the Sixth Plan. I can well appreciate that this target is not only challenging but is achievable with your personal interest and guidance. Simultaneously their educational and social development and provision of minimum needs are also important to reinforce the many sided efforts aimed at economic development.

4. Annexure-II gives an illustrative list of major programmes which can be taken up for enabling Scheduled Castes to cross the poverty line. The relevant points under the new 20-Point Programme has also been indicated against each item. There are many more possibilities which, I have no doubt, are fully known to you and your colleagues responsible for the various State Departments. These programmes can be implemented and the objectives for the development of Scheduled Castes can be achieved by bringing adequate outlays from the State Plan into the Special Component Plan and Working out schemes in an integrated manner and ensuring their thorough implementation by the Government machinery at the State, District and Block levels.

5. There are a number of Centrally Sponsored Scheme (Annexure-III) of which any number of States are yet to take full advantage even though from the Centre, we have repeatedly offered more assistance to States under these schemes. This position naturally gives it to needless criticism of the Government. Your intervention will ensure that the Scheduled Castes of your State do not lose the full benefit of these schemes by administrative default.

6. It is essential to devise suitable systems for the formulation, implementation and monitoring of the Special Component Plan. These aspects are covered in the Report of the Working Group on the development of Scheduled Castes in the Sixth Plan (1980—85). You will find this Report very useful and it may be very carefully gone through by the officer of the State—adequate number of copies are already available in the State. For ready reference, I enclose a list of important aspects regarding the implementation of the Special Component Plan (Annexure-IV). In addition I request you to regularly review financial and physical progress of your State's Special Component Plan and see that timely remedial and corrective measures are taken, wherever necessary. I also enclose a proforma in Annexure-V, in which monitored reports may kindly be communicated to this Ministry quarterly by the concerned Department.

7. With your constant interest, drive and guidance, the administration will, I am confident, be able to achieve the targets under the Special Component Plan in the right spirit.

With kind regards,

Yours Sincerely,
ZAIL SINGH.

ANNEXURE I

**ELOBORATION OF SOME IMPORTANT OBJECTIVES FOR THE DEVELOPMENT
OF SCHEDULED CASTES**

1. Ensuring 50 per cent of the Scheduled Castes families to cross the poverty line in the Sixth Plan period Prime Minister's D.O. letter of March 12, 1980, and Point 7 read with Points 1, 2, 3, 4, 6 and 18.
2. Ensuring drinking water source in every Scheduled Castes basti and Scheduled Caste urban slums Point read with Point 3 (NREP) and Point 10 read with Point 7.
3. Ensuring that every Scheduled Caste family has a house-site in a convenient locality and a reasonable house, Point 9 and Point 3 (NREP) read with Point 3.
4. Ensuring link road for every Scheduled Caste Basti. Point 3 (NREP) read with Point 7.
5. Ensuring electrification of unelectrified Scheduled Caste Bastis in all electrified villages and to select a good number of wholly Scheduled Caste villages in taking up new villages for electrification. In other villages newly taken up, it has to be ensured that the Scheduled Castes Bastis are not left out hereafter. Point 11 read with Point 7.
6. Providing reasonable attendance scholarship and other incentive and facilities for Scheduled Castes children, especially girls, so that all of them come to school and donot drop out ; Point 16, Point 15 read with Point 7.
7. Providing adequate number of hostels from secondary school upwards for these communities : Pont 15 read with Point 7.
8. Introducing on a large scale remedial and special coaching for Scheduled Caste and Scheduled Tribe children at different levels of education : Point 7.
9. Low cost conversion of dry latrines into water-sealed closets, so as to eliminate scavenging, on whole-town basis while smultaneously retaining existing municipal scavengers in non-scavenging work and retraining and alternative employment for private scavengers.

ANNEXURE II

**ILLUSTRATIVE LIST OF SOME MAJOR PROGRAMMES FOR ENABLING
SCHEDULED CASTES FAMILIES TO CROSS THE POVERTY LINE**

(Points refer to the New 20-Point Programmes)

- (a) Bringing lands of Scheduled Castes under irrigation through new wells and bore-wells, group bore-wells and surface irrigation wherever there is water. This will make a big difference to the economic as well as social status of this community, largely landless; Point 1 read with Point 7.
- (b) Providing for all road-side cobblers, bunks nearly with tools and equipment and work-ing capital ; Point 18 read with Point 7.
- (c) Providing all necessary raw-material, marketing and other support for flayers, tanners, cobblers and save them from middlemen—Point 18 read with Point 7.
- (d) In some States, the handloom weavers belong to the Scheduled Castes. In other States there are some Scheduled Castes weavers in pockets. Similar provision of facilities and services for them to save them from middlemen is also necessary : Pont 18 read with Point 7.
- (e) In some States, most of fishermen are from Scheduled Castes. Similar provision of facilities and services for them to save them from middlemen is also necessary : Point 3 read with Point 7.
- (f) The traditional dais are also from Scheduled Castes in some States. Their skill by up-gradation and improvement of income are important Points 13, 14 and 15 read with Point 7.
- (g) Integrated schemes under animal husandry including operation Flood-II for agri-cultural labourers alongwith enforcement of minimum wages : Point 3 and Point 5 read with Point 7.
- (h) Complete rehabilitation of bonded labourers, most of whom belong to the Scheduled Castes : Point 6 read with Point 7.
- (i) Expeditious implementation of Land Ceilings Act and distribution of surplus land along with irrigation and other development : Point 4 read and Point 1 read with Point 7 .
- (j) For lands of Scheduled Castes without scope for irrigation, provision of package of inputs for efficient dry land agriculture based on latest available technology like that of I.C.R. I.S.A.T. : Point 1 read with Point 7.
- (k) Self-employment opportunities for the educated : Point 18 read with Point 7.

ANNEXURE III
CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

1. Prematric scholarships
2. Girls Hostels
3. Book-Banks
4. Coaching and Allied Schemes
5. Research and Training
6. Machinery for implementation of P.C.R. Act.
7. Scheduled Castes Finance and Development Corporation.

ANNEXURE IV

SOME IMPORTANT POINTS REGARDING IMPLEMENTATION, MONITORING AND REMEDIAL MEASURES TO BE INCLUDED IN THE SPECIAL COMPONENT PLAN DOCUMENT

- (a) Arrangements and systems for distribution of family coverage and other physical and financial targets among the different sectoral departments, Heads of departments district level, block level and other field level officers and set ups under each department with clear guidelines for implementation and fixing of responsibilities for implementation.
- (b) Communication to the District Magistrates and BDO's of the targets and guidelines referred to at (a) above so as to facilitate district level and block level co-ordination by District Magistrates/Collectors/Deputy Commissioners and BDOs. respectively.
- (c) Essential strengthening, especially at district/field level for ensuring satisfactory implementation, monitoring and timely remedial measures.
- (d) Implementation, review and Monitoring committees at State level, Departmental level, district level and other field levels. At the District level the District Magistrate/Collectors/Deputy Commissioners should be made fully responsible for these tasks.
- (e) Machinery and systems for monitoring from grass-root level through Blocks, district and State levels to national level and arrangements and systems to ensure prompt furnishing of data of monitoring at every level.
- (f) Identification of areas of co-ordination required between the main department implementing a programme and other departments which have also got a role in that programme, and arrangements and systems for such co-ordination.
- (g) Arrangements and systems for tie-ups between the various concerned departments, the Scheduled Castes Development Corporation and Banks and other financial institutions.
- (h) Even where a programme is to be implemented by a single department, especially where they pertain to activities involving production and income-generation, various internal tie ups will be required to ensure that all necessary back-up services and linkages are available to the beneficiary families/groups and clusters of families. Arrangements and systems to provide this have also to be covered.
- (i) Arrangements and systems to ensure that a scheme does not merely remain as a static paper scheme but becomes a dynamic programme bringing out the number of families to be covered, the details of the schemes for each, where the families will be, how they will be located, how the inputs will be arranged, how they will be organised etc. and the time and action scheduled for each stage in items of action.
- (j) Arrangements to ensure cluster, saturation and team approach.
- (k) Listing of villages in the state in the descending order of the Scheduled Castes population in the villages so that economic as well as other schemes could be concentrated on villages with the largest number of Scheduled Castes families/population and thus maximum number of population/families can be covered with the same effort. Any other type of rational ordering of villages or groups of villages adopted by the State has also to be brought out in the Special Component Plan document.
- (l) Personal policy and measures so as to make them available for departments and agencies, directly pertaining to the Scheduled Castes, the services of competent officers and to provide them necessary orientation, training, continuity and facilities for fulfilling their task and targets.
- (m) The special central assistance should be utilised in an integrated optimal and cost-effective manner, in conjunction with flow of outlays and benefits from the various sectors of the State plan as well as with resources from other sources like that of the various Corporations, co-operative and commercial financial institutions and so on. This should be done with a view to fulfil the objective of enabling 50 per cent of the Scheduled Caste families to cross the poverty line in the Sixth Plan period.

ANNEXURE V

PROFORMA FOR REPORTING SPECIAL COMPONENT PLAN PROGRESS

I. Financial Progress

Serial no.	Sixth Plan Target	Outlay	(Rs. in crores)					Remarks
			1981-82/1					
			Expenditure					
			Actual/Estimated					
			April-June 1981	July-Sept. 1981	Oct.-Dec. 1981	Jan-March, 1982	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Special Component Plan for Scheduled Castes :

(a) Flow from State Plan ..

(b) Special Central Assistance

(1) While sending the first report, actual expenditure incurred in 1980-81 may be separately indicated.

NOTE :

- (i) The reports may be sent by the end of the month following each quarter.
(ii) The first report for the first 3 quarters of 1981-82 may be sent immediately.
(iii) The reports may be addressed to the J. S. (SCBCD). M.H.A.

II. Families to be enabled to cross the Poverty Line

Serial No.	Unit	Sixth Plan Target	Target	1981-82/2				Total	Remarks
				Achievements/3					
				April-June 1981	July-Sept. 1981	Oct.-Dec. 1981	Jan-March 1982		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No. of families targeted to be enabled to cross the poverty line.

(2) While sending the first report, the scheme-wise break-up of the families to be enabled to cross the poverty line during 1981-82 may be indicated separately while reporting the figures.

(a) Double counting should be avoided and
(b) only the no. of families given substantial economic assistance for generating sizeable additional incomes, adequate to cross the poverty line should be taken into account.

(3) The schemewise break up of the families enabled to cross the poverty line may be given along with the lines in Annexure.

III. Improvement in Scheduled Castes Bastis

Serial no.	Unit	Sixth Plan Target	Target	1981-82/4					Remarks
				Achievement					
				April-June, 1981	July-Sept. 1981	Oct.-Dec. 1981	Jan.-March, 1982	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Water Supply :</i>								
	No. of bastis provided :								
	with water sources								
	(a) through wells								
	(b) through piped water supply.								
2.	No. of SC bastis provided street lighting								
3	No. of bastis provided with link roads.			(4) While sending the first report the progress achieved under the various items during 1980-81, may be separately indicated.					
4	No. of SC Slums (including inter mixed slums with 51 per cent or more of SC population) covered with environmental improvements.								
5	No. of SC families provided with house sites.								
6	No. of SCs. provided with housing.								
7	No. of common facilities/services located in SC bastis.								
	(a) Primary Schools								
	(b) Health Centres.								
	(c) Veterinary Centres								
	(d) Community Halls								
	(e) Pnachayat Ghars								
	(f) Others (specify)								
8	Nutrition no. of beneficiaries—No.								

संख्या 406/26-3-82-4(12)/82

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 1982 ।

विषय:---नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय समितियों के उपयोग हेतु सूत्र संख्या 7 के अन्तर्गत चेक लिस्ट ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

श्री डी 0 के 0 मित्तल, विशेष सचिव, 24 सूत्रीय कार्यक्रम अनुभाग के अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्या 264/82-चौ 0 सू 0-26-51 दिनांक 4 फरवरी, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 7 में यह अपेक्षा की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यों में तेजी लाई जाये । अतः मंडलीय मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों द्वारा समीक्षा हेतु सूत्र संख्या 7 से संबंधित चेक-लिस्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संलग्नक--1

पृ 0 सं 0 406(1)/26-3-82-4(12)/82

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- (1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ 0 प्र 0 ।
- (2) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि 0 लि 0, लखनऊ ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि 0, लखनऊ ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि 0, लखनऊ ।
- (6) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (8) श्री डी 0 के 0 मित्तल, विशेष सचिव, 24 सूत्रीय कार्यक्रम अनुभाग ।
- (9) जनजाति अधिकारी ।
- (10) हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1 ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय समितियों के उपयोग हेतु चेक-लिस्ट

सूत्र संख्या 7—अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों में तेजी लाई जाय ।

चेक लिस्ट की मदें

(क) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

1—विभिन्न विकास विभागों द्वारा अपने अपने बजट में मात्रावृत्त धनराशियों में से उनके जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा लाभान्वित परिवारों/कार्यक्रमों की लक्ष्य के प्रति उपलब्धि ।

2—चयनित विकास खण्डों के लिये अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0) को उपलब्ध कराई गई धनराशि में से लक्ष्य के प्रति वित्तीय और भौतिक उपलब्धि :—

- (1) अनुदान वितरण
- (2) विपणन केन्द्रों का निर्माण,
- (3) कृषि भूमि का वितरण
- (4) सामूहिक सिंचाई साधनों का उपलब्ध कराया जाना
- (5) अन्य कोई कार्यक्रम

3—जिला प्रबन्धक, उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, द्वारा अनुदान और मार्जिन मनी ऋण वितरण की लक्ष्य के प्रति वित्तीय और भौतिक उपलब्धि ।

(ख) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति वितरण की वित्तीय और भौतिक उपलब्धि ।

(ग) हरिजन छात्रों तथा छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण ।

(घ) उत्पीड़ित हरिजनों को आर्थिक सहायता अनुदान वितरण ।

संख्या 4488/छब्बीस-1-1980

प्रेषक,

राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 1980।

विषय :--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन एवं उनकी प्रगति का अनुश्रवण।

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-1

1--उत्तर प्रदेश में जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की संख्या समस्त भारतवर्ष में सबसे अधिक है और देश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की लगभग 25 प्रतिशत है। इतनी बड़ी जनसंख्या सदियों से निम्न स्तर व गरीबी का जीवन व्यतीत करती रही है और इसका एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। वणिग परिवार-स्थितियों में भारतवर्ष की प्रधान मंत्री ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जाये।

2--उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों का वर्ष 1980-81 के लिये एक विशेष कम्पोनेन्ट प्लान बनाया गया है। इस योजना का आधार है कि हालांकि सार्वजनिक हित की बड़ी योजनाएँ, उदाहरणार्थ, वृहत् सिंचाई योजनाएँ, भारी एवं मध्यम उद्योग, पुल इत्यादि का तो विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न विभागों के परिव्यय में से ऐसी योजनाओं का जिनको विभाजित किया जा सकता है, उसमें से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी है, जिससे इन पिछड़ी जातियों का शैक्षिक, सामाजिक और विशेष रूप से आर्थिक स्तर से ऊंचा हो और वर्ष 1980-81 में कम से कम प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर आ जायें।

3--इस विशेष कम्पोनेन्ट प्लान का मंडलवार व जिलेवार फांट विभिन्न विभागाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय एवं जिला स्तर के अधिकारियों को कार्यान्वयन हेतु सूचित करने हेतु निदिष्ट कर दिया गया है। मंडल स्तर पर डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में मंडलायुक्त इस विशेष कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन व अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिसमें उनके अतिरिक्त विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्लान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा इस प्लान की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह हो जाये। इस पत्र के साथ एक प्रारूप संलग्न भेजा जा रहा है, जिसमें हर महीने जिला स्तर पर समस्त विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उनके विभाग द्वारा लाभान्वित हरिजन परिवारों की संख्या, भौतिक प्रगति तथा व्यय की गयी धनराशि का व्यौरा अगले माह के 10 तारीख तक जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। इस सूचना के संकलन तथा परीक्षण एवं विभिन्न विभागों द्वारा कम्पोनेन्ट प्लान की स्कीमों के कार्यान्वयन के अनुसरण के लिए शासन ने एक पद अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का प्रत्येक जिले में सृजित किया है। यह अधिकारी उ० प्र० अनु० जाति वि० वि० नि० का पदेन जिला प्रबन्धक भी होगा तथा हरिजन परिवारों को संस्थागत वित्त अनुदान तथा मार्जिन मनी की सहायता पहुंचाने के लिये जिम्मेदार होगा।

4--अनुसूचित जाति के आर्थिक कार्यक्रमों को तेज तथा प्रभावशाली ढंग से चलाने और उन व्यक्तियों को सरलता से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर भी निगम की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाये। जिला स्तर पर निगम के कार्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) निगम का पदेन जिला प्रबन्धक भी होगा, जो निगम द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। एक-एक सहायक प्रबन्धक (अन्वेषक) लेखाकार, नैतिक लिपिक, आशुलिपिक तथा चपरासी की सुविधा दी जा रही है। निगम के जिला प्रबन्धक को बैंकों, से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कराकर, मार्जिन-मनी ऋण एवं अनुमन्य अनुदान स्वीकृत तथा वितरण करने के लिये प्राधिकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा वर्ष 1980-81 के लिये 32.647 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1445 लाख रुपये की ऋण के रूप में आर्थिक सहायता का कार्यक्रम संस्थागत वित्त के सहयोग से तैयार किया है ताकि उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण, मार्जिन मनी मिलने में सुविधा हो। इसके संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने आपको पूर्व ही अवगत करा दिया है।

5--शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि निगम के कार्यों को तेजी से चलाने के लिये तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सही ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर के विकास विभागों जैसे ग्राम्य विकास, कृषि, उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, सहकारिता तथा पंचायत राज एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग निगम को प्राप्त हो। अतः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निगम के जिला प्रबन्धक द्वारा विभिन्न आर्थिक योजनाओं जैसे दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, सुअरपालन, बकरी पालन, हथकरघा बुनाई, जूता निर्माण, लान्डी, कुटीर

एवं लघु उद्योग, व्यापार, परचनी, दुकान तथा अन्य योजनाओं जो बायबुल हों, के लिये चयन किया जाना तथा उनके प्रार्थना पत्रों का संकलन एवं भरना, बैंकों से ऋण स्वीकृत कराना और माजिन मनी हेतु निगम के जिला प्रबन्धक के कार्यालय में स्वीकृति हेतु भेजना तथा अनुदान वितरण करवाना तथा उनकी तकनीकी सहायता तथा मार्ग दर्शन करना होगा। परिवारों के चयन में और उनके आर्थिक स्तर के निर्धारण के लिये लेखपाल, पंचायत सेवक एवं ग्राम सेवक द्वारा समन्वित रूप से चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा, जिसकी ओर जिला मजिस्ट्रेट को विशेष ध्यान देना अपेक्षित है।

6—यह भी अनुभव किया गया है कि अभी तक राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंको द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा अन्य गरीब सम्पत्तिहीन व्यक्तियों को अपेक्षाकृत ऋण प्राप्त होने में सुविधा नहीं मिली है और बैंकों से समुचित योगदान भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उचित यह होगा कि जिले में अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों का चयन कर चयनित विकास क्षेत्र में निगम की योजनाओं से क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाय। ऐसा करने से लाभार्थियों को ग्रुप गारन्टी देकर बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी और बैंक तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के कम प्रयास से अधिक कार्य सम्भव हो सकेगा। चयनित क्षेत्र के लाभान्वित परिवारों के आर्थिक विकास को विशेष रूप से मानीटर किया जावे। जिले में स्थित बैंकों के ब्रान्च मैनेजरों के सहयोग से इस ओर विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

7—निदेशक, संस्थागत वित्त ने इस सम्बन्ध में मंडलायक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने व ऋण स्वीकृत कराने हेतु अनुरोध किया है, ताकि उपरोक्त कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके। उचित होगा कि बैंकों को और अधिक ऋण वितरण के लिये प्रोत्साहित किया जाए। शासन के सामने यह बात आई है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैंकों में बार-बार जाने पर भी उनके प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण और ऋण स्वीकृत करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। बैंक अचल सम्पत्ति तथा धनी व्यक्तियों की जमानत मांगते हैं। यह सर्वविदित है कि अधिकांश अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पास अचल सम्पत्ति नहीं होती और न ही वह धनी व्यक्तियों को जमानत देने में समर्थ होते हैं। अतः आप इस सम्बन्ध में अपने जनपद के शाखा प्रबन्धकों से शासन तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण दिलाने में प्रभावी कदम उठाये और जिन संस्थागत वित्त समन्वय समिति में विशेष रूप से निगम द्वारा घोषित योजनाओं से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण तथा ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करें।

8—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० वर्तमान में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि एवं बागवानी के लिये अनुदान तथा निर्धारित उद्योग धंधों के लिये माजिन मनी ऋण देता है अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुदान तथा माजिन मनी ऋण की योजनाओं को सम्बद्ध कर दिया जाय और उनका क्षेत्रीय विकास विभाग की आई० आर० डी० योजनाओं के साथ समन्वय किया जाय। संक्षेप में कार्यविधि निम्न प्रकार होगी :—

(क) प्रदेश के आई० आर० डी० विकास खंडों में पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त उस सीमा तक लाभार्थी को माजिन मनी ऋण निगम द्वारा देय होगा जिससे प्रार्थी लाभार्थी को उसकी योजना की कुल लागत का केवल 50 प्रतिशत ही भाग ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त करना होगा।

(ख) जिन क्षेत्रों में आई० आर० डी० योजना लागू नहीं है वहां निगम आई० आर० डी० के अन्तर्गत अनुमन्य योजनाओं के लिये पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उसी प्रकार अनुदान देगा जिस प्रकार आई० आर० डी० योजना वाले विकास खंडों में दिया जाता है, जो योजना की लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 3,000 रु० होगा। इसके अतिरिक्त निगम लाभार्थी को उसकी योजना की लागत का 25 प्रतिशत से 33 1/3 प्रतिशत तक माजिन मनी ऋण देगा। जिससे लाभार्थी को उसकी योजना की लागत का केवल से 50 प्रतिशत ही ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त करना होगा।

9—जिला स्तर पर निगम के कार्यक्रमों तथा उनके लिये अन्य विभागों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिये जिले में एक समिति का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(ख) मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी	सदस्य
(ग) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना)	सदस्य
(घ) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं रजि०)	सदस्य
(ङ) जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
(च) जिला सहायक निबन्धक (सहकारी समितियां)	सदस्य
(छ) जिला पशुधन अधिकारी	सदस्य
(ज) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(झ) जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
(ट) लीड बैंक के शाखा प्रबन्धक (प्रधान शाखा)	सदस्य
(ठ) प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के एक शाखा प्रबन्धक (समिति द्वारा नामित)	सदस्य
(ड) जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धक	सदस्य
(ढ) अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (ह० कल्याण) पदेन जिला प्रबन्धक निगम	सदस्य सचिव

यह समिति योजना की प्रगति की समीक्षा तथा बैंकों और विभिन्न विभागों से तालमेल संबंधी समस्याओं का निवारण किया करेगी। क्षेत्र विकास में हरिजन कल्याण की आर्थिक योजनाओं के निर्धारण करने में भी यह समिति अपना अमूल्य योगदान देगी।

10--जिलाधिकारी यह सूचित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जिला तथा खंड स्तर पर विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंसियों के निम्न कार्य निर्धारित किये जाय और वे तदनुसार कार्यान्वित हों:--

(क) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का चयन तथा ऋण हेतु उनके आवेदन पत्रों को एकत्रित करने तथा बैंकों में दिलवाने के लिये फील्ड कर्मचारियों के लक्ष्य का निर्धारण किया जाये।

(ख) क्षेत्र विकास अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी बैंकों से ऋण स्वीकृत करने में बैंकों से सम्पर्क करें व उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें।

(ग) ऋण स्वीकृत कराने तथा अंशदान/मार्जिन मनी स्वीकृत कराने और वितरण का समयबद्ध कार्यक्रम बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कराया जाय।

(घ) जिलाधिकारी उपरोक्त कार्य की समीक्षा नियमितरूप से करें तथा उस समीक्षा की आख्या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० को भी भेजें, ताकि उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

11--प्रान्त में 38 विकास खंड ऐसे बताये गये हैं जिनमें हरिजनों की जनसंख्या समस्त जनसंख्या के अनुपात में लगभग 40 प्रतिशत या उससे ऊपर बतायी गई। इन विकास खंडों की सूची संलग्नक-2 के रूप में भेजी जा रही है। जिन जनपदों में इस सूची में से कोई विकास खंड नहीं है वे भी कृपया अपने जिले के अन्दर एक हरिजन बाहुल्य विकास खण्ड का चयन कर लें ताकि क्षेत्र विशेष में हरिजनों के सर्वांगीण विकास की योजना के कार्य को चलाया जा सके। आपको स्मरण होगा कि मई 1980 में मलिहाबाद विकास खंड में इस प्रकार की परियोजना के प्रथम चरण का शुभारम्भ 3 चुने हुए गाँवों के सघन परिवार सर्वेक्षण के साथ महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया था। उसी के अनुरूप संलग्नक 2 में इंगित विकास खंडों में भी 3-3 चयनित गाँवों का सघन परिवार सर्वेक्षण कर परियोजनाओं का शुभारम्भ आगामी गांधी जयन्ती, 2 अक्टूबर, 1980 से किया जाना प्रस्तावित है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया तथा परियोजना निर्माण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समस्त मण्डलों के उप विकास आयुक्तों को दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को अवगत करा दिया गया है ताकि वे तदनुसार अपने मंडल के सभी जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परियोजना को अवगत करा सकें तथा चयनित 3-3 गाँव के सर्वेक्षण को 2 अक्टूबर से पहले पूरा कर लें। इसी उद्देश्य से लखनऊ में दिनांक 21-22 तथा 27-28 को 2-2 दिन के वर्कशाप, बखशी का तालाब प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किये जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था अलग से की जा रही है। 21-22 सितम्बर की वर्कशाप में 38 चयनित विकास खंडों के क्षेत्र विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा सघन सर्वेक्षण के लिये 3 चयनित ग्रामों से सम्बद्ध एक-एक ग्राम सेवक को प्रशिक्षित किया जायेगा। 27-28 सितम्बर की वर्कशाप को निगम के जिला प्रबन्धकों एवं सहायक प्रबन्धकों के लिये आयोजित किया गया है।

आपसे निवेदन है कि कृपया आगामी गांधी जयन्ती से अपने जनपद में विशेष कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन तथा चयनित विकास खंड/खंडों के चयनित 3-3 ग्रामों में सघन कार्यक्रम के शुभारम्भ की व्यवस्था निश्चित करें।

भवदीय,

रामबहादुर सक्सेना

मुख्य सचिव।

संख्या 4488(1)/छब्बीस-1-80, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त सचिव/विशेष सचिव/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के राज्य स्तरीय लक्ष्यों को मंडलवार/जिलेवार फांट करने की कार्यवाही को तुरन्त सम्पन्न कर अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करें। गांधी जयन्ती से प्रस्तावित कार्यक्रमों के शुभारम्भ की व्यवस्था भी करें।

2--समस्त मंडलायुक्त।

3--समस्त उप विकास आयुक्तों को 10 अतिरिक्त प्रतियां विकास विभागों के समस्त मंडल स्तरीय अधिकारियों के उपयोग के लिए।

4--मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना), जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक को 10 अतिरिक्त प्रतियां विकास विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को वितरण के लिए।

* अज्ञा से,

जगदीश चन्द्र पंत

सचिव।

संख्या 8637/26-3-81-11(20)/81

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1981

विषय : अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों को तत्परता, कुशलता तथा प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु जिला स्तरीय विकास संगठन का सुदृढीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2339/26-3-81-23/79 दिनांक 27/29 सितम्बर, 80 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में यह बात आई है कि अनुसूचित जातियों के लिए कार्यान्वित किये जा रहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के सम्बन्ध में जिले के वरिष्ठ विकास अधिकारियों तथा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) एवं जिला स्तरीय विकास अधिकारियों के बीच अपेक्षित समन्वयन स्थापित नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप जिले के वरिष्ठ विकास अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता में उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने और दायित्व निर्धारित होने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने और उनसे समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न विकास अधिकारियों से प्रभावी सहयोग प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/(परियोजना) अथवा जिला विकास अधिकारी की नामित कर दिया जाय। इस अधिकारी को जिला अधिकारी द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार बना देना उपयुक्त होगा।

2-—जहां तक अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का संबंध है, यह अधिकारी जिला विकास संगठन का एक अभिन्न सदस्य की हैसियत से आपके जिले में तैनात किया गया है। साथ ही, यह अधिकारी निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के नियंत्रणाधीन संबंधित अधिकारी की देख-रेख में तथा जिले में अन्य सभी विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों में हरिजनों के कल्याण के लिये वांछित योगदान सुनिश्चित करेगा और यह अधिकारी उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।

3-—अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राम कृष्ण

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 8637(1)/26-3-81-11(20)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- (1) कृषि उत्पादन आयुक्त ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (4) अपर जिला विकास अधिकारी, हरिजन कल्याण ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0, महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ ।
- (6) समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ।
- (7) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, महानगर लखनऊ ।

आज्ञा से,

राम कृष्ण

सचिव।

संख्या-1117/पी० एस०/एम० एस०-80

विधान भवन,
लखनऊ,

23 अक्टूबर, 1980।

समस्त सचिव/विशेष सचिव

राज्य योजना आयोग की दिनांक 21-10-80 की बैठक में हरिजन एवं समाज कल्याण विषय पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिये कि विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" का समय से एवं शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना है और इसके लिए सचिव/विशेष सचिव एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि हर विभाग ने जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाया है उसको सुचारु और सुसंगठित रूप से और समय से कार्यान्वित किया जाये।

त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव।

त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव ।

अ० शा० प० सं० 6326/26-3-81-11(6)-80
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
विधान भवन,
लखनऊ, दिनांक 4 अगस्त, 1981

प्रिय महोदय,

वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों के लिये बनाई गई स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्साह और परिश्रम से करते हुए इस वर्ष गत वर्ष की कमियों को भी पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान वर्ष में 4.50 लाख हरिजन परिवारों को आर्थिक विकास की योजनाएँ इस प्रकार उपलब्ध करायी जानी हैं कि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें। शासनादेश संख्या 5971/26-3-81-11(24)-81, दिनांक 21-7-81 द्वारा जिलाधिकारियों को उपरोक्त परिवारों के जनपदवार लक्ष्यों से अवगत करा दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

2—इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अभी हाल में लखनऊ जिले के विकास खंड मलीहाबाद का निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान यह पता लगा है कि ब्लाक कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों और कुछ अवांछनीय तत्वों की सांठ-गांठ से हरिजनों को पूरी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे दुधारु पशु दिये गये हैं जिनसे इतना कम दूध निकलता है जिसके बेचने से पशु के चारे की व्यवस्था और ऋण की अदायगी की धनराशि नहीं निकल पा रही है। जिसे खड़खड़ा मिलना था उसे पशु पहले मिल गया और गाड़ी कई मास बाद मिली जिससे उस पर पशु के खिलाने का भार पहले आ गया। यही दशा अक्सर आई० आर० डी० और अन्त्योदय योजनाओं की बताई जाती है। सारांश यह है कि आर्थिक सहायता का वितरण सामान्यतया कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि उससे अनेकों लाभान्वी की आय में वृद्धि होने की बजाय उस पर आर्थिक भार बढ़ रहा है जिससे कि वह कालान्तर में समृद्धता की ओर अग्रसर होने के बजाय ऋण की अदायगी में बर्बाद हो जायेगा। जो कमियाँ दृष्टिगोचर हैं उनसे स्पष्ट है कि कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वांछित कर्तव्य-परायणता व लगन से काम नहीं किया जा रहा है। कार्य की देख-रेख की भी बहुत कमी है।

3—जैसा कि आपको विदित है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में माननीय प्रधान मंत्री स्वयं रुचि ले रही हैं और इसके लिये भारत सरकार से शत प्रतिशत अनुदान मिल रहा है। वैसे भी यह योजना श्रेष्ठ प्राथमिकता की है। इसलिये यह अनिवार्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाये कि विकास खंड स्तर का किसी विभाग का भी अधिकारी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आई० आर० डी० तथा अन्त्योदय आदि के धन का दुरुपयोग कर लाभान्वियों का शोषण न कर सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धन का सही एवं पूर्ण उपयोग लाभार्थी की आय में स्थायी रूप से वृद्धि के लिये होता है।

4—यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि आप और जिलाधिकारीगण प्रत्येक गांव में स्वयं जाकर भौके पर लाभान्वियों से सम्पर्क स्थापित कर वास्तविकता का पता लगायें और दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त यथायोग्य दंडित करने के आदेश पारित करें। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को मैं अलग से लिख रहा हूँ।

5—अतः आपसे साग्रह निवेदन है कि आप अपने मंडल के प्रत्येक जिले के एक विकास खंड के एक गांव का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें और प्रत्येक मास किये गये निरीक्षणों की संहत टिप्पणी शासन को भेजें जिससे यह विदित हो कि कितने गांवों के कितने लाभार्थियों को सहायता ठीक मिली है और कितने मामलों में गड़बड़ी पाई गई और इस सम्बन्ध में कितने-कितने अधिकारियों के प्रति दंडात्मक कार्यवाही की गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आपका पूर्ण सहयोग सक्रिय रूप से उपलब्ध होता रहेगा।

सादर,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद

अ० शा० प० सं० 6326 (1)/26-3-81-11(6)-80, तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूँ। कृपया समस्त उप विकास आयुक्तों एवं विकास अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें जिससे कि अनुदान वितरण का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

सादर,

श्री शमशाद अहमद,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद

त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव ।

अर्ध 0 शा 0 पत्र संख्या 6429/26-3-81-11(16)-81

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3,
विधान भवन

लखनऊ, दिनांक 4 अगस्त, 1981

प्रिय महोदय,

वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्साह और परिश्रम से करते हुए इस वर्ष गत वर्ष की कमियों को भी पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान वर्ष में 4.50 लाख हरिजन परिवारों को आर्थिक विकास की योजनायें इस प्रकार उपलब्ध करायी जानी हैं कि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें। शासनादेश संख्या 5971/26-3-81-511(24)-81, दिनांक 21-7-81 द्वारा आपको उपरोक्त परिवारों के जनपद के लक्ष्यों से अग्रगत करा दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

2- इस सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि अभी हाल में लखनऊ जिले के विकास खण्ड मलीहाबाद का निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान यह पता लगा है कि कहीं-कहीं ब्लाक कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों और अवांछनीय गैर सरकारी लोगों की सांठ-गांठ से हरिजनों को पूरी सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दुधारु पशु दिये गये हैं जिनसे इतना कम दूध निकलता है जिसके बेचने से पशु के चारे की व्यवस्था और ऋण की अदायगी की धनराशि नहीं मिल पा रही है। जिसे खडखड़ा मिलना था उसे पशु पहले मिल गया और गाड़ी कई मास बाद मिली जिससे उस पर पशु के खिलाने का भार पहले आ गया। यही दशा अक्सर आई 0 आर 0 डी 0 और अन्त्योदय योजनाओं में भी हो सकती है। सारांश यह है कि आर्थिक सहायता का वितरण कहीं-कहीं इस प्रकार से हो रहा है कि उससे अनेकों लाभान्वी की आय की आय में वृद्धि होने की बजाय उस पर आर्थिक भार बढ़ रहा है जिससे कि वह कालान्तर में समृद्धता को और अग्रसर होने के बजाय ऋण की अदायगी में बर्बाद हो जायेगा। जो कमियां दृष्टिगोचर हैं उनसे स्पष्ट है कि कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वांछित कर्तव्यपरायणता व लगन से काम नहीं किया जा रहा है। कार्य की देख-रेख की भी बहुत कमी है।

3- जैसा कि आपको विदित है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में माननीय प्रधान मन्त्री स्वयं रुचि ले रही हैं और इसके लिए भारत सरकार से शतप्रतिशत अनुदान मिल रहा है वैसे भी यह योजना श्रेष्ठ प्राथमिकता की है। इसलिये यह अनिवार्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाए कि विकास खण्ड स्तर का किसी विभाग का भी अधिकारी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आई 0 आर 0 डी 0, तथा अन्त्योदय आदि के धन का दुरुपयोग कर लाभान्वियों का शोषण न कर सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गए धन का सही एवं पूर्ण उपयोग लाभार्थी की आय में स्थायी रूप से वृद्धि के लिए होता है।

4- यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि आप और आयुक्त पर्याप्त गांव में स्वयं जाकर मौके पर लाभान्वियों से सम्पर्क स्थापित कर वास्तविकता का पता लगायें और दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त यथायोग्य दण्ड करने के आदेश पारित करें।

5- अतः आप से साहू निवेदन है कि आप अपने जिले के एक विकास खण्ड के एक गांव का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें और प्रत्येक मास किये गये निरीक्षणों की संहत टिप्पणी अपने मण्डलायुक्त को भेजें जिससे यह विदित हो कि कितने गांवों के कितने लाभार्थियों को सहायता ठीक मिली है और कितने मामलों में गड़बड़ी पाई गई और इस सम्बन्ध में किन किन अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आपका पूर्ण सहयोग सक्रिय रूप से उपलब्ध होता रहेगा।

सादर

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद

पृष्ठांक संख्या 6429(1)/26-3-81-11(16)-80, तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूँ। कृपया समस्त उप विकास आयुक्तों एवं विकास अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें जिससे कि अनुदान वितरण का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

सादर,

श्री शमशाद अहमद,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद

संख्या 130/दो-5-7/(2)-80

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1981

विषय: चकबन्दी कार्यों पर नियंत्रण एवं उसमें योगदान तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में रुचि का जिलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में समावेश ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चकबन्दी कार्यक्रमों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने जिलाधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम पर समुचित नियंत्रण रखने पर बल देते हुए प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा चकबन्दी कार्यक्रमों के निरीक्षण का एक मापदण्ड भी शासनादेश संख्या 65/23-79-399-रा-8, दिनांक 6 मार्च, 1980 में निर्धारित किया है। आपसे अनुरोध है कि जिलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में उनके द्वारा चकबन्दी कार्यक्रम में ली गई रुचि के सम्बन्ध में भी उल्लेख करने का कष्ट करें।

2. मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि निर्बल वर्ग के उत्थान की नीति की पृष्ठ भूमि में राज्य सरकार स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन को भी विशिष्ट महत्व देती है। अतः जिलाधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों में उनके द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन में ली गई रुचि के सम्बन्ध में भी उल्लेख करने का कष्ट करें।

3---उपरोक्त आदेश वर्ष 1980-81 को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:--

- 1-- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
- 2-- सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग।
- 3-- चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-- शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
- 5-- सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-- समस्त जिलाधिकारी।

आज्ञा से,
त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव।

संख्या-8636/26-3-81-11(76)/81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1--समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
- 2--समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय : स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान समिति का गठन ।

लखनऊ, दिनांक 25 नवम्बर, 1981

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
प्रनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा0 सं0 8505/26-3-81-11(76)/81, दिनांक 16 नवम्बर, 1981 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा श्री राज्यपाल ने माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण, की अध्यक्षता में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन को वांछित दिशा एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान समीक्षा समिति गठित की है। इस परिपेक्ष में माननीय राज्य मंत्री जी ने यह यह निर्णय लिया है कि वे जब जिलों में भ्रमण पर जायेंगे तो वहाँ मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी एवं विकास विभागों के अन्य मण्डलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक करके जिले में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

2. अतः अनुरोध है कि माननीय राज्य मंत्री जी के जिला भ्रमण के समय उपरोक्त समीक्षा हेतु एक बैठक विधिवत आयोजित कर दी जाए जिसमें सम्बन्धित बैंकों के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाए।

भतदीय

राम कृष्ण,
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 8636 (1)/26-3-81-11(76)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे जब माननीय राज्य मंत्री जी के दौरे का कार्यक्रम मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित कर दें कि राज्य मंत्री जी किस तारीख को समीक्षा हेतु बैठक आयोजित कराना चाहेंगे।

पृष्ठांकन संख्या-8636(2)/26-3-81-11(76)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- 2--निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3--समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- 4--प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ ।
- 5--सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (व्यापक प्रचार हेतु) ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या 8505/26-3-81-11(76)/81

लखनऊ, दिनांक 16 नवम्बर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन को वांछित दिशा एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से उसकी प्रगति की मासिक समीक्षा हेतु श्री राज्यपाल ने एक उच्च-स्तरीय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान समीक्षा समिति निम्नवत् गठित की है:--

1--राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2--कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3--वित्त सचिव	सदस्य
4--नियोजन सचिव	सदस्य
5--सचिव, संस्थागत वित्त	सदस्य
6--सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण	सदस्य-संयोजक

2--उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा:--

(1) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति की प्रत्येक मास समीक्षा की जायेगी।

(2) योजना को आवश्यक गति और दिशा प्रदान करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(3) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु धन के आवंटन, व्यय एवं प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त और आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

राम कृष्ण
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8505/26-3-81-11(76)/81

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1--कृषि उत्पादन आयुक्त।
- 2--वित्त सचिव।
- 3--नियोजन सचिव।
- 4--सचिव, संस्थागत वित्त।
- 5--शासन के शेष विकास विभागों के सचिव एवं विशेष सचिव।
- 6--निजी सचिव, राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण।
- 7--निजी सचिव, सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव।

प्रेषक,

जगदीश चन्द्र पंत,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/
समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1980

विषय—अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन एवं उसकी प्रगति का अनुश्रवण तथा मासिक अर्द्धशासकीय पत्र का प्रेषण ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण पत्र संख्या 4488/छब्बीस-1-1980, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 की ओर आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि इस पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्लान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा अनुसूचित जाति के लिये तैयार की गयी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की समीक्षा प्रत्येक माह की जानी है। प्रत्येक माह में समस्त विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत व्यय की धनराशि, भौतिक प्रगति तथा लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या का ब्योरा अगले माह की 10 तारीख तक जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार मण्डलीय स्तर पर डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में मण्डलायुक्त इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा समीक्षा करेंगे।

2—उपरोक्त समीक्षात्मक कार्यवाही जिला तथा मण्डलीय स्तरों पर समय से सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण मासिक अर्द्ध शा 0 पत्र द्वारा प्रत्येक मास में मण्डलायुक्त को भेजेंगे। सम्बन्धित मास का विवरण, अगले मास की 15 तारीख तक अवश्य भेज दिया जाय। जिला मजिस्ट्रेटों को सुविधा हेतु इस मासिक अर्द्धशासकीय पत्र तथा उसके संलग्नकों का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। इस मासिक अर्द्धशासकीय पत्र के आलेख को तैयार करने का दायित्व अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पर होगा जो इसे जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर ही तैयार करेंगे।

3—जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मण्डलायुक्त को भेजे जाने वाले मासिक अर्द्धशासकीय पत्र के प्रथम प्रस्तर में विभिन्न विकास विभागों द्वारा अपने आयोजनागत परिव्यय में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की उपलब्धियां दिखायी जानी हैं। इसमें विशेषकर लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मासिक रिपोर्ट के प्रेषण की स्थिति दर्शायी जानी है। इससे सम्बन्धित संलग्नक एस 0 सी 0 पी 0 प्रपत्र-1 है जिसमें जिले के सभी विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मासिक रिपोर्ट अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजेंगे।

4—प्रस्तर—2 में फूड फार वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत उन कार्यों का विवरण है जो हरिजन आवादियों को लाभान्वित करते हैं।

5—प्रस्तर—3 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार हरिजन कल्याण के लिये सम्पन्न किये गये विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना है।

6—प्रस्तर—4 में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुदान तथा माजिन मन्ती के वितरण की प्रगति दर्शायी जानी है। इस मद से सम्बन्धित संलग्नक प्रपत्र एस 0 सी 0 पी 0 2, 3 तथा 4 है। इन प्रपत्रों में क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख तक जिला प्रबन्धक को भेजी जायगी तथा जिला प्रबन्धक पूरे जिले की संकलित रिपोर्ट 15 तारीख तक भेजेंगे।

7—प्रस्तर—5 में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के विषय में समीक्षा दी जानी है। इसके अन्तर्गत परिवारों का सर्वेक्षण तथा आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति सूचित की जायगी तथा लाभान्वित परिवारों का विवरण दिया जाना आवश्यक है। यह रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अगले माह की दस तारीख तक अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भेजेंगे और वह 15 तारीख तक भेजेंगे।

8—प्रस्तर—6 में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास की योजना की प्रगति दी जानी है। इससे सम्बन्धित संलग्नक एस 0 सी 0 पी 0 प्रपत्र-5 है। इसमें ग्रामीण आवास की उस योजना की प्रगति दर्शायी जानी है जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायी

चलायी जा रही आवास योजना में हरिजनों के लिये आवासों की प्रगति एस 0 सी 0 पी 0 प्रपत्र-1 में उस विभाग की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति के अन्तर्गत दिखायी जायगी। प्रपत्र-5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति के आवास निर्माण की सूचना अलग-अलग जाति-वार दिखायी जायगी।

9—प्रस्तर-7 में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की रिपोर्ट दर्शायी जानी है। इससे सम्बन्धित संग्रह प्रपत्र-6 है। यह रिपोर्ट जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को हर मास के लिये अगले माह की 10 तारीख तक भेजी जायगी ताकि मासिक अर्द्धशासकीय पत्र में सम्मिलित करके जिला मजिस्ट्रेट इसे मण्डलायुक्त को भेज सकें।

10—जिला मजिस्ट्रेट कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त मासिक अर्द्धशासकीय पत्र नियमित रूप से मण्डलायुक्त को प्रत्येक मास की 15 तारीख को अवश्य भेज दिया जाय। कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।

पत्र संख्या 5064(1)/26-3-80--11(16)-80, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:—

(1) समस्त विकास विभाग के सचिव/विशेष सचिव को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को यह आदेश देने का कष्ट करें कि वह नियमित रूप से समय से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भेजें, सुनिश्चित कर लें।

(2) समस्त विकास विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के मासिक अर्द्धशासकीय पत्र का प्रारूप

लखनऊ :

जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक : , 1980।

प्रिय महोदय,

हरिजन कल्याण की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की माह-----की रिपोर्ट निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ :--

1--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत पूरे जनपद की संकलित स्थिति संलग्नक-1 में दर्शायी गयी है जिससे यह ज्ञात होता है कि संदर्भगत मास में-----हरिजन परिवारों को लाभ पहुंचाया गया तथा संदर्भगत मासान्त तक लाभान्वित परिवारों का इस जनपद में वर्ष के आरम्भ से क्रमिक योग-----हुआ। मुख्य सचिव के पत्र संख्या 4488/छबीस-1-1980, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 में निर्दिष्ट प्रारूप पर निम्नलिखित विभागों के जिला-स्तरीय अधिकारियों ने मासिक रिपोर्ट भेजी :--

उपर्युक्त विभागों में से-----विभागों का कार्य इस दिशा में सन्तोषजनक प्रतीत होता है-----विभागों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पाई गयी।

निम्नलिखित विभागों ने संदर्भगत माह की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की तथा उन्हें इस दिशा में सचेत किया जा रहा है :--

2--फूड फार वर्क--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस माह में-----हरिजन आबादियों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों पर कार्य पूर्ण कराया गया जिनकी कुल लम्बाई-----किलोमीटर हुई। संदर्भगत मासान्त तक वर्ष के आरम्भ से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत-----हरिजन आबादियों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराया गया जिनकी कुल लम्बाई-----किलोमीटर हुई।

3--क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार हरिजन कल्याण के उद्देश्य से सम्पन्न किये गये विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण : --

4--अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुदान एवं मार्जिन मनी का वितरण :--संदर्भगत माह में हुई प्रगति तथा क्रमिक प्रगति का विवरण संलग्नक 2, 3 तथा 4 में प्रस्तुत किया जा रहा है। निम्नलिखित विकास खण्डों में तथा नगर क्षेत्रों में कार्य की प्रगति अच्छी रही : --

निम्नलिखित विकास खण्डों तथा नगर क्षेत्रों की प्रगति असन्तोषजनक रही जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है।

निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही में अच्छा सहयोग दिया गया :--

निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित बैंकों को सहयोग इस दिशा में पर्याप्त नहीं पाया गया जिसके लिए उन बैंकों को ब्रांच मैनेजरों से पुनः सम्पर्क किया जा रहा है-----

5--विशेष समन्वित परियोजनाएँ-- इस जनपद में निम्नलिखित विकास खण्डों में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी कार्य प्रथम चरण में 3-3 गांवों के सघन परिवार सर्वेक्षण से आरम्भ किया गया है-----

सर्वेक्षण की प्रगति निम्न प्रकार से है--

परियोजना के प्रथम चरण के तैयार होने की प्रगति निम्न प्रकार से है--

विशेष समन्वित परियोजनाओं के प्रथम चरण के अन्तर्गत--हरिजन परिवारों को--(इन-इत) उद्योगों/धन्धों/कामों में नियोजित किया गया है जिसके लिये--अनुदान--मार्जिन मनी ऋण तथा--बैंक से ऋण दिया गया ।

6--हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा वित्त पोषित हरिजनों के लिए ग्रामीण आवास का निर्माण--संदर्भगत माह में--धनराशि के व्यय पर--मकानों का निर्माण किया गया । वर्ष के आरम्भ से संदर्भगत मासान्त तक--धनराशि के व्यय पर--हरिजन परिवारों के लिए ग्रामीण आवास का निर्माण किया गया । इस कार्य की विशेष सूचना संलग्नक-5 में दी गयी है ।

7--हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण--इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदन संलग्नक-6 के रूप में दिया जा रहा है ।

निम्नलिखित विद्यालयों से हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है :-

निम्नलिखित विद्यालयों से छात्रवृत्ति वितरण के कार्य में अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ :-

8 - सामान्य

भवदीय
(
जिला मजिस्ट्रेट ।

मण्डलायुक्त 1

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण)

दिनांक : 1981

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,
(
अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी,
हरिजन कल्याण ।

1--निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ।

2--प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ।

3--प्रबन्धक निदेशक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम ।

संलग्नक--1
विशेष कम्पोनेन्ट प्लान की रिपोर्टें

एस 0सी 0सी 0 प्रपत्र (1)

जनपद का नाम----- अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का नाम-----
माह-----

क्रम- सं०	विभाग तथा योजना का नाम तथा मात्रा एवं धनराशि	माह में व्यय धनराशि	व्यय का क्रमिक योग		माह में लाभान्वित हरिजन परिवार	लाभान्वित हरिजन परिवारों का		कार्यक्रम की भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति	230
			लक्ष्य	वास्तविक व्यय		वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

नोट :- (1) यह प्रतिवेदन मुख्य सचिव के शासकीय पत्र सं० 4488/छब्बीस-1-1980, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 के संलग्नक -1 परजिले के सब विभागों का संकलन होगा ।
(2) यह प्रतिवेदन हर माह के लिये अगले माह के 15 तारीख तक मुख्यालय भेजा जाना चाहिये ।

संलग्नक—2

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1980-81 में मार्जिन मनी ऋण अनुदान योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति प्रतिवेदन

जिले का नाम-----

माह-----

बैंक का नाम तथा शाखा का नाम	प्रयोजन (योजना) का नाम	ऋण स्वीकृति हेतु भेजे गये मामले				स्वीकृत मामले							
		संख्या		धनराशि		संख्या		धनराशि					
		चालू माह में	क्रमिक	चालू माह में	क्रमिक	चालू माह में	क्रमिक	चालू माह में	क्रमिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
मार्जिन मनी हेतु जिला प्रबन्धक निगम को भेजे गये आवेदन पत्र				भुगतान (वितरण) की प्रगति				देय माह से पुराने बैंकवार प्रार्थना पत्रों की संख्या (सूची संलग्न की जावे)					
		संख्या		धनराशि		संख्या		धनराशि		संख्या		धनराशि	
क्रमिक		चालू माह में		क्रमिक		चालू माह में		क्रमिक		चालू माह में		क्रमिक	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

231

टिप्पणी— प्रत्येक माह की रिपोर्ट क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक जिला प्रबन्धक को तथा जिला प्रबन्धक द्वारा संकलित रिपोर्ट निगम मुख्यालय को 15 तारीख तक भेजा जायगा।

जिला प्रबन्धक,
उ० प्र० अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम,
जिला-----

संलग्नक—3

एस0सी 0पी 0प्र पत्र (3)

ग्रामीण क्षेत्र

स्वोक्त मर्जिन मनी ऋण योजनावार मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन बाबत माह

जिले का नाम

क्रम- सं०	नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि माह में	क्रमिक / उपलब्धि	लाभार्थी				लाभार्थी कुल योग
						लघु कृषक	सीमान्त कृषक	कृषक मजदूर	दस्तकार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1—भौतिक प्रगति

	कृषक कार्यक्रम									
1	क्षेत्राच्छादान							
2	उन्नतशील बीज वितरण							
3	उर्वरक वितरण							
	(अ) नैत्रजन							
	(ब) फास्फेट							
	(स) पोटेशियम							
4	कीटनाशक दवाइयां							
5	कृषि प्रदर्शन							
6	फल सब्जी (उद्यान)							
7	कृषि सेवा							
8	भूमि संरक्षण							
9	कृषि यन्त्र (बखारी)							
10	बैलजोड़ी वितरण							
11	डनलप गाड़ी वितरण							

कुल लाभार्थियों की संख्या

1	कूप निर्माण
2	नलरूप निर्माण
3	पंपिंग सेट वितरण
4	बोरिंग एवं रहट
5	गूल निर्माण
6	हाज

कुल लाभार्थियों की संख्या ..

3—पशुपालन

1	दुधारू पशुओं का वितरण— (अ) एक भैंस की योजना भूमिहीन तथा माजिनल कृषकों के लिए। (ब) दो भैंसों/कास ब्रैंड गायों की योजना (लघु कृषकों के लिये)		
2	कुक्कुट वितरण— अ—बैकयार्ड पोल्ट्री योजना .. ब—100 मुर्गियों की कुक्कुट योजना ..		
3	भेड़ पालन (तीन बच्चों के लिए) ..		
4	वकरी पालन योजना (4 बच्चों की) ..		
5	मत्स्य पालन ..		
6	बुनकरों हेतु योजना (कालीन बुनकरों सहित)		
7	चर्म उद्योग ..		
8	लान्डी योजना ..		
9	कु टीर एवं लघु उद्योग योजना ..		
10	व्यवसाय योजनायें ..		
11	रिक्शा योजना ..		
12	डनलप गाड़ी योजना ..		
13	बैलगाड़ी योजना ..		
14	घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले खड़खड़ा योजना		
15	खच्चर पालन योजना (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए)		
16	अन्य ..		

लाभार्थियों की संख्या ..

क्रम - सं०	नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि माह में	क्रमिक उपलब्धि	लाभार्थी				लाभार्थी कुल योग
						लघु कृषक	सोमान्त कृषक	कृषक मजदूर	दस्तकार	
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11

4—उद्योग—

1	हथकरघा							
2	कुम्हारगीरी							
3	काष्ठ कला							
4	चर्म उद्योग							
5	बान उद्योग							
6	लोहारगीरी							
7	सूप बनाना							
8	फोटो फ्रेम बनाना							
9	साइकिल मरम्मत							

कुल लाभार्थियों की संख्या

5—अन्य व्यवसाय

1	रिक्शा							
2	सिलाई मशीन							
3	दुकान आदि							

कुल लाभार्थियों की संख्या

जिला प्रबन्धक,
उ० प्र० प्रसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
जिला

टिप्पणी — (1) ग्रामीणक्षेत्रकी रिपोर्टें क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के लिए जिला प्रबन्धक को 10 तारीख तक तथा जिला प्रबन्धक संकलित रिपोर्टें निगम मुख्यालय को 15 तारीख तक भेजेंगे।

(2) शहरी क्षेत्र, जिसके लिए क्षेत्रीय विकास अधिकारी से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त होगी, के लिए जिला प्रबन्धक अपनी अलग रिपोर्ट की प्रत में निगम मुख्यालय को प्रगले माह के 15 तारीख तक भेजेंगे।

संलग्नक-4

प्रगति प्रतिवेदन-रूप-पत्र

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पिछले वर्षों के स्वीकृत मामलों में भुगतान की प्रगति प्रतिवेदन

कार्यक्रम	जिन स्वीकृत मामलों में अप्रैल, 1980 का भुगतान होना शेष था		अप्रैल, 1980 से पिछले माह तक हुए भुगतान की स्थिति		चालू (आलोच्य) माह में हुए भुगतान के मामले		आलोच्य माह के अंत में शेष मामले		मुख्यालय पर अनिस्तारित बाण्ड		शेष मामलों में बाण्ड न भेजे जाने का कारण	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1—कृषि अनुदान												
2—विधि, चिकित्सा इंजीनियरिंग स्नातकों का व्यावसायिक अनुदान ।												
3—कुटीर उद्योग अनुदान												
(अ) सीधा अनुदान												
(ब) मार्जिन नाम अनुदान												
4—मार्जिन मनी ऋण												

233

जिला प्रबन्धक;

उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति-वित्त एवं विकास निगम, लिमिटेड-

जिला

टिप्पणी:—प्रत्येक माह की रिपोर्ट जिला प्रबन्धक द्वारा निगम मुख्यालय को अगले माह के 15 तारीख तक भेजी जायेगी ।

संलग्नक—5

हरिजन एवं निर्बल वग आवास निगम लिमिटेड लखनऊ को प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के लाभार्थियों के सम्बन्ध में आवास निर्माण हेतु क्षेत्रीय निधि विकास खण्ड के मध्यम से वितरित अनुदान के व्यय के सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप

जनपद का नाम-----

माह-----

क्रम- सं०	क्षेत्रीय निधि/विकास खण्ड का नाम	धनराशि का विवरण (रुपये में)					आवास निर्माण की प्रगति संख्या				अन्य विवरण
		गत माह के अंत तक प्राप्त कुल धनराशि	इस माह में धनराशि	कुल प्राप्त धनराशि	गत माह तक कुल व्यय	इस माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	निर्मित	निर्माणाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र जिस पर क्षेत्र विक स अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होनी है

हरिजन एवं निबल वर्ग आवास निगम लि०, लखनऊ को प्रत्येक खण्ड विकास संगठन द्वारा जिलाधिकारी क माध्यम से भेजी जाने वाली व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्टें क प्रपत्र का प्रारूप

क्षेत्रीय निधि/विकास खंड का नाम-----

माह-----

क्रम- संख्या	लाभान्वी का नाम पिता का नाम (जाति व उपजाति सहित)	पूरा पता	व्यय की धनराशि योजना के प्रारम्भ से (रुपये म)			आवास निर्माण की प्रगति (रुपये)		अन्य विवरण
			गत माह तक व्यय की धनराशि	इस माह व्यय की गयी धनराशि	कुल व्यय की धनराशि	निर्मित	निर्माणाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

237

टिप्पणी- इस प्रारूप पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के लिए रिपोर्ट अन्तरिम जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को 10 तारीख तक भेजी जायेगी तथा अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा माह की 15 तारीख तक हरिजन एवं निबल वर्ग आवास निगम लखनऊ में भेजी जायेगी !

संलग्नक—6

हरिजन छात्रों को छात्र वृत्ति वितरण की प्रगति-----माह तक

जनपद का नाम

छात्र वृत्ति का प्रकार	जिले में कुल छात्र संख्या	हरिजन छात्र संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या			स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या				योग
				योग	नवीन	पुनर्नव	छात्र		छात्राये		
							होस्टलर	डे-स्कालर	होस्टलर	डे-स्कालर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

छात्र वृत्ति के मास तक के बिल ट्रेजरी भेजे गये		छात्र वृत्ति माह तक बैंक भेजी गयी		छात्र वृत्ति माह तक छात्रों के पास बुक में जमा हुई		विद्यालयों की संख्या जिनसे स्वीकृत छात्र वृत्ति के विरुद्ध बिल प्राप्त नहीं हुए हैं	विद्यालयों की संख्या जिनसे सहयोग प्राप्त नहीं हुआ
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	19	20
13	14	15	16	17	18		

प्रीमेट्रिक
पोस्टमेट्रिक

नोट—यह रिपोर्ट जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी से जिला मजिस्ट्रेट को हर माह के लिए अगले माह की दस तारीख तक पहुंच जानी चाहिए इसके उपरान्त यह 15 तारीख तक मुख्यालय भेजी जानी चाहिए।

प्रपत्र

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति

क्रम- योजना का सं०	नाम	वर्ष 1981-82 वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां				वर्ष 1981-82 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां				क्रमिक योग			
		वित्तीय लक्ष्य	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास (माह-तक)	तृतीय त्रैमास (माह-तक)	चतुर्थ त्रैमास (माह-तक)	क्रान्तियोग	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धियां				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1
2
3
4
आदि

टिप्पणी—भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण योजना की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। अतः भौतिक उपलब्धियों की सूचना में लाभार्थियों की संख्या/इकाइयां/सड़कों की लम्बाई/हरिजन बस्तियों ग्रामों की संख्या, सिंचित भूमि का क्षेत्रफल इत्यादि जैसी दशा हो, को सूचना दी जाय।

संख्या-7585/26-3-82-11(44)/82

प्रेषक;

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 21 मई, 1982

विषय:—स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को अनुदान और ऋण वितरण में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु 20 सूत्रीय निर्देश।

महोदय,

हरिजन
एवं समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर जिला विकास अधिकारियों (ह० क०) के कार्यालयों में चयनित विकास खंडों तथा उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के धन का लेखानियमित और ठीक ढंग से नहीं रखा जा रहा है तथा अनुदान और माजिन मनी ऋण वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का केवल एक उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों के निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर सम्पन्नता की ओर अग्रसर कराया जाए। ऐसे 80 प्रतिशत निर्धन परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं परन्तु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अधिकांश आर्थिक सहायता का वितरण शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है, और उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार की वास्तविक आय निर्धनता रेखा से ऊपर है अथवा जो किसी सविस/व्यवसाय/कुटीर उद्योग में पहले से जमे हुए हैं। एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को आर्थिक सहायता दिए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है और इसको सुधारने की दिशा में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

2—अतः स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के सफल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:—

(1) चयनित विकास खंडों के लिए आवंटित धनराशि की कैशबुक तथा व्यय की मदों (अनुदान, अधिष्ठान, पेट्रोल, स्टेशनरी तथा छपाई, दुकान-निर्माण, कृषि भूमि खरीद, सामूहिक सिंचाई योजना इत्यादि) के लिए अलग एक लेजर रखा जाय।

(2) निगम से प्राप्त धनराशि की कैशबुक अलग रखी जाए और निगम से प्रत्येक मद (विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुदान आवंटन, अधिष्ठान व्यय आवंटन, राज्य योजनान्तर्गत अनुदान तथा अंश पूंजी से आवंटन) की प्राप्तियों तथा व्यय के लेजर ललग रखे जाए।

(3) चयनित विकास खंडों में सभी लाभान्वियों को अनुदान चयनित विकास खंड की धनराशि से ही दिया जाय।

(4) चयनित विकास खंडों की धनराशि को अन्य विकास खंडों तथा शहरी क्षेत्रों में किसी दशा में उपयोग न करा जाय।

(5) ऊपर मद (2) उल्लिखित निगम के माध्यम से जिला प्रबंधकों को विशेष केन्द्रीय सहायता से तथा राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशियों का उपयोग चयनित विकास खंडों को छोड़कर अन्य विकास खंडों तथा जिले के शहरी क्षेत्रों में केवल अनुदान वितरण पर किया जाए। इन धनराशियों से माजिन मनी ऋण किसी दशा में नहीं दिया जाएगा।

(6) निगम की अंश पूंजी से आवंटित धनराशि का उपयोग सम्पूर्ण जिले में माजिन मनी ऋण वितरण पर किया जाएगा। यदि किसी जिला प्रबंधक के पास निगम की अंश पूंजी से आवंटित धनराशि समाप्त हो जाए तो माजिन मनी ऋण का वितरण तब ही किया जाय जबकि निगम से अंश पूंजी का आवंटन पुनः प्राप्त हो जाए। अन्य किसी मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग माजिन मनी ऋण वितरण के लिये नहीं किया जाएगा।

(7) प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्रों में जिला प्रबंधक द्वारा केवल उतनी धनराशि अनुदान एवं माजिन मनी ऋण के रूप में वितरित की जा सकेगी जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित अनुदान एवं माजिन मनी ऋण की कुल धनराशि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। उदाहरणार्थ समस्त विकास खंडों में अनुदान एवं माजिन मनी ऋण के रूप में प्रति 40 हजार रु० के वितरण होने के उपरान्त ही शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रु० तक का वितरण किया जा सकेगा।

(8) उपरोक्त मद संख्या (7) के निर्देश कानपुर नगर में लागू नहीं होंगे क्योंकि इस जिले के शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की संख्या 3 विकास खंडों के परिवारों से कई गुनी अधिक है। जिलाधिकारी, कानपुर नगर कृपया स्वयं यह निर्णय कर लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान और माजिन मनी ऋण का पर्याप्त वितरण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाय।

(9) सहायक प्रबंधक का मौलिक पद और कार्य अन्वेषक का है और उसका अन्वेषण क्षेत्र चयनित विकास खंडों को छोड़कर पूरा जिला है। अतः उसे आदेश दिए जाए कि वह शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जा कर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता के प्रस्ताव तैयार कराये। इस संबंध में की गई यात्राओं के लिये अन्वेषक को नियमित यात्रा भत्ता अथवा सड़क किलोमीटर भत्ता, जो भी अनुमन्य हो, दिया जाय।

(10) चयनित विकास खंडों में प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०) को 1 न्याय पंचायत सिकिल में केन्द्रित किया जाय और जब वहां के सभी जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता मिल जाय तब उसे दूसरे पंचायत सिकिल में भेजा जाए। ग्राम विकास अधिकारियों (ह० क०) द्वारा जब कभी विकास खंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा की जाए अथवा उसे जिला मुख्यालय बुलाया जाय तो उसे भी ऐसी यात्राओं के लिये नियमित यात्रा भत्ता अथवा सड़क किलोमीटर भत्ता, जो भी देय हो, तत्परता से भुगतान किया जाय।

(11) ऐसे व्यक्ति को कोई आर्थिक सहायता न दी जाए जो किसी सरकारी विभाग, रेलवे, बैंक; निगम, स्थानीय निकाय, कम्पनी, मिल/कारखाना अथवा अन्य किसी संस्था की नियमित सेवा में हों।

(12) स्पेशल कम्पौनेट प्लान का उद्देश्य अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों को निर्धनता रेखा पार करने हेतु सहायता दिलाना है जिनके समस्त सदस्यों की समस्त श्रेतों से कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु० 3,500 अथवा शहरी क्षेत्रों में 4,300 रु० से कम हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रथम चरण में यह सुनिश्चितता किया जाना अनिवार्य है कि सभी जरूरत मंद पात्र परिवारों के एक एक वयस्क व्यक्ति को आर्थिक सहायता अवश्य मिल जाय।

(13) समस्त अपर जिला विकास अधिकारियों, सहायक/ग्राम विकास अधिकारियों (ह० क०) तथा अन्वेषकों/सहायक प्रबंधकों का यह सुनिश्चित करना उत्तर दायित्व है कि लाभार्थी को जिस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता दी गई है वह उसका उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कर लाभान्वित हो रहा है तथा माजिन मनी ऋण और बैंक की नियमित रूप से अदायगी कर रहा है।

(14) यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान तथा माजिन मनी का दुरुपयोग किया गया है तो इस धनराशि के लिये अपर जिला विकास अधिकारी (जिला प्रबंधक) तथा सहायक प्रबंधक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। यह देखने के लिये मुख्यालय से विभिन्न जिलों को जांच टीमों भी भेजी जायेगी।

(15) चयनित विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०) द्वारा जिन हरिजन व्यक्तियों को बैंक ऋण स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जाए उन मामलों को आई० आर० डी० के कोटे में शामिल न किया जाय बल्कि ऐसे मामलों में अनुदान की पूरी धनराशि चयनित विकास खंड के धन से स्वीकृत की जाय।

(16) चयनित विकास खंडों में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि खरीदकर आवंटन करने की योजना से सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०) की पूरी तरह सम्बद्ध किया जाय और इस दिशा में उनकी उपलब्धि की गणना शा० सं०-8250/26-3-81-11(69)/81 दिनांक 3 नवम्बर, 1981 द्वारा निर्धारित उनके लक्ष्य पूर्ति में की जाय।

(17) चयनित विकास खंडों का धन पी० एल० ए० से निकाल कर बैंकों में इस उद्देश्य से रखा गया था कि वे कम से कम दुगुनी धनराशि के ऋण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वीकृत करेगी। परन्तु इसके बावजूद अनेक विकास खंडों में लोनिंग नहीं हुई। अतः बैंकों द्वारा इस दिशा में दिये गये सहयोग की समीक्षा की जाये और प्रत्येक अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) द्वारा धन केवल उन बैंकों में रखा जाय जो चयनित विकास खंड में जमा किये गये धन से कम से कम दुगुने धन की लोनिंग करने का वायदा करें।

(18) वर्ष 1981-82 में जिन बैंकों ने लोनिंग बिल्कुल नहीं की अथवा जमा धन के बराबर भी नहीं की, वहां से धन वापस लेकर पी० एल० ए० में जमा कर दिया जाय अथवा मद संख्या (7) की व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य बैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाए।

(19) मद संख्या (17) और (18) में दिये गये अधिकार के फलस्वरूप प्रत्येक अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक चयनित विकास खंड में लोनिंग के लिये कम से कम एक बैंक अवश्य उपलब्ध हो जाए।

(20) प्रत्येक मंडल के सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक मान अपने मंडल के प्रत्येक जिले में एक दौरे पर जाकर स्पेशल कम्पौनेट प्लान के कार्यान्वयन तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करें और जो कठिनाइयां हों उनके निवारण में अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) की सहायता करें। यह अपनी निरीक्षण आख्या जिला अधिकारी, मंडलायुक्त, निदेशक तथा शासन को नियमित रूप से भेजें।

3--पूर्व पैरा की मद संख्या (9) और (10) के प्रयोजनों के लिये स्पष्ट किया जाता है जो स्थान रेल अथवा बस से सम्बद्ध है उनकी यात्राओं के लिये रेल/बस किराया तथा अनुषांगिक व्यय आदि का नियमित यात्रा भत्ता अनुमन्य है। अन्य स्थानों के लिये सड़क किलो मीटर भत्ता दिया जाये।

4--अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े आदेश दिये जाये कि वे उपरोक्त निर्देशों का पूर्णरूप पालन करते हुए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का सही दिशा में उद्देश्य पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ 0 सं 0-7585/26-3-82-11(44)/82 तद् दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) को अनुपालनार्थ प्रेषित । कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें।

उनसे अपेक्षित है कि वे इस आदेश की प्रतियां समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों (ह० क०) खंड विकास अधिकारियों (ह० क०), सहायक प्रबन्धक तथा लेखा लिपिकों पर अनुपालनार्थ तामील कर दें।

पृ 0 सं 0-7585(2)/-3-82-11(44)/82 तद् दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० को भी सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त शासनादेश के पैरा-2 की मद संख्या--(2) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु व्यय के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत जिला प्रबन्धकों को अलग-2 आवंटन किया करें जिससे कि व्यय का वर्गीकरण प्रारम्भ से ही नियमित और सही रूप से हो सके और प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत व्यय के आंकड़ों हर समय उपलब्ध रह सकें।

प्र 0 सं 0-7585(3)/26-3-82-11(44)/82

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- (1) अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ।
- (4) समस्त मण्डलीय उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त सहायक/उप मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (6) मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/मुगदाबाद/लखनऊ/वाराणसी/नैनीताल/अलीगढ़/कानपुर।
- (7) जिला विकास अधिकारी, देहरादून/बिजनौर/एटा/मैनपुरी/मुजफ्फरनगर/बुलन्दशहर/बदायूँ/रामपुर/पीलीभीत/मथुरा/फरुखाबाद/फतेहपुर/शाहजहाँपुर/इटावा/खीरी/उन्नाव/सीतापुर/सुल्तानपुर/प्रतापगढ़/जालौन/हमीरपुर/आजमगढ़/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/देवरिया/बहराइच/गढ़वाल।
- (8) अपर जिलाधिकारी (विकास), इलाहाबाद/हरदोई/रायबरेली/बाराबंकी/झांसी/मिर्जापुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बरेली/मिर्जापुर/गोण्डा/फैजाबाद/चमोली, उत्तर काशी/पिथौरागढ़/देहरी-गढ़वाल/अल्मोड़ा।
- (9) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (10) उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानगर, लखनऊ।
- (11) आयुक्त, अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश, वजीरहसन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
रामकृष्ण
सचिव।

संख्या-7625/26-3-82-11(46)/82

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर, प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 24 मई, 1982

विषय:- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को स्वीकृत बैंक ऋण अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण का समायोजन कराने में शीघ्रता किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न श्रोतों से शासन के ज्ञान में यह बात आ रही है कि अनुसूचित जातियों का जिन व्यक्तियों को आर्थिक योजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत हो जाता है उनको आई० आर० डी० तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत देय अनुदान और/अथवा मार्जिनमनी ऋण का समायोजन करने हेतु बैंकों को भुगतान करने में कुछ अधिक विलम्ब हो जाता है जिससे लाभार्थी पर ब्याज का भार अनावश्यक रूप से पड़ जाता है । लाभार्थी को आर्थिक सहायता स्वीकृत कराये जाने से उसमें हर्ष तथा उल्लास की उमंग और शासन के प्रति श्रद्धा की जो भावना उत्पन्न होती है वह इस अनावश्यक विलम्ब से लुप्त प्रायः हो जाती है और शासन की छवि धूमिल होती है । यदि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी गण अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन तत्परता से कर दें तो वह जनहित में होगा और वे जनता की दृष्टि में प्रशंसा के पात्र भी होंगे ।

2--अतः अनुरोध है कि आप आब० आर० डी० तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें कि लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान/और/अथवा मार्जिन मनी ऋण का भुगतान संबंधित बैंक को प्राथमिकता के आधार पर करने के व्यवस्था बना ले ।

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ० स०-7625/(1)/26-3-82-11(46)/82 तद् दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जब वे अथवा निगम मुख्यालय का अन्य कोई अधिकारी जिलों में दौर पर जाए तो यह बात विशेष रूप से देखें कि लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान और मार्जिन मनी ऋण का समायोजन शीघ्रता पूर्वक हो रहा है या नहीं ।

पृ० स०-7625(2)/26-3-82-11(46)/82 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, हरिजन एव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को उनके अशासकीय संख्या-7/व० स०/विन्धि/82 दिनांक 12 मई, 1982 के संबंध में ।

(2) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०), उत्तर प्रदेश ,

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव

संख्या-7164/26-3-82-11(42)-81

प्रेषक

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1982।

विषय:—स्पेशल कम्पौनंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को बैंकबिल योजनाओं में अनुमन्य अनुदान की धनराशि बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जाना।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर पार्ष्णांकित शासनादेशों का आंशिक संशोधन करते हुए तथा शा० सं०-7585/26-3-

- 1—शा० सं०-4325/26-3-80-7/(21)
80, दिनांक 10 सितम्बर, 1980।
2—शा० सं०-4895/26-3-81-7(2)/80,
दिनांक 26 मई, 1981।
3—शा० सं०-7648/26-3-81-11 (35)/81,
दिनांक 23 अक्टूबर, 1981।
4—शा० सं०-8250/26-3-81-11 (69)/81,
दिनांक 3 नवम्बर, 1981।

—82-11(44)/82, दि० 21 मई, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों के निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रहे व्यक्तियों को स्वयं रोजगार (सेल्फ एम्प्लायमेंट) की 12,000 रु० तक की अनावतों पूंजो लागत को जित आर्थिक योजनाओं में किसी भी बैंक अथवा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जिनता ऋण स्वीकृत किया जाय उसका 50 प्रतिशत अर्थात् 3,000 रु० जो भी कम हो, तक का अनुदान पेशल कम्पौनंट प्लान के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त विशिष्ट

केन्द्रीय सहायता से दिया जाय।

2—विशिष्ट केन्द्रीय सहायता से धन का आवंटन शासन द्वारा:—

(1) प्रत्येक जिले के अपर जिला विकास अधिकारी (ह०क०) को सीधे चयनित विकास खंडों में उपयोग के लिये प्रतिवर्ष किया जाता है, और

(2) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के माध्यम से निगम के प्रत्येक जिले के जिले प्रबन्धक को जिले के शेष विकास खण्डों तथा शहरों क्षेत्रों में अनुदान वितरण के लिये किया जाता है।

तदनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित विकास खंडों की धनराशि से अन्य क्षेत्रों में कोई अनुदान किसी भी दशा में न दिया जाय और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के लिये निगम के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग चयनित विकास खंडों में न किया जाय।

3—आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास खंडों में 25 प्रतिशत अथवा 331/3 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के प्रत्येक लाभार्थी को अपर जिला विकास अधिकारी (ह०क०) द्वारा विशिष्ट केन्द्रीय सहायता से केवल इतनी धनराशि अनुपूरक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी कि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि योजना के लिये प्राप्त ऋण का 50 प्रतिशत अथवा 3,000 रु० जो भी कम हो, से अधिक न हो। इस अनुपूरक अनुदान का भुगतान भी चयनित विकास खंडों में उन खंडों के लिये स्वीकृत धनराशि से अपर जिला विकास अधिकारी (ह०क०) द्वारा किया जायेगा और शेष विकास खंडों में निगम के माध्यम से उपलब्ध विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की धनराशि से होगा। जिन लाभार्थियों को आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत ही 3,000 रु० का अनुदान मिल जाय उन्हें कोई अनुपूरक अनुदान नहीं दिया जायेगा।

4—आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से लागू होंगे। इस आदेश के प्राप्त होने के पूर्व जिन मामलों में अनुदान और मार्जिन मनी ऋण का भुगतान हो चुका है उन पर पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। उनमें अनुदान की बढ़ी हुई दर लागू नहीं होगी। यह अनुदान केन्द्रीय सहायता को उत्तर प्रदेश पर और उसी से दाय होगा। केन्द्रीय अनुदान होने पर चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये यह योजना लागू होगी।

5—शासन को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि सामान देने के लिये केवल घोड़े, ऊट तथा खच्चर पालन के लिये अधिक सहायता अनुमन्य है जबकि कुछ जिलों में भारवाहक के रूप में गधा, बैल और मूँगा भी सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। अतः शासन न निर्णय लिया है कि खच्चर पालन के समान गधा पालन, बल पालन और भैंसा पालन के

में भी अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

6—अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश देने की कृपा करें।

7—यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राम कृष्ण
सचिव।

पू 0सं 0-7164/26-3-82-11(42)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उ० प्र० को अविलम्ब अनुपालन हेतु प्रेषित। वे इस आदेश की प्रतियां समस्त खंड विकास अधिकारियों सहायक विकास अधिकारी (ह० क०), ग्राम विकास अधिकारियों (ह० क०), अन्वेषक/सहायक प्रबन्धक, लेखा लिपिक तथा जिले की बैंकों पर तामील कर दें।

पू 0सं 0-7164(2)/26-3-82-11(42)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) श्री हेमन्त कुमार, प्रबन्ध निदेशक, वित्तीय निगम, 14/88 सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलीय उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त सहायक/उप मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (7) मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/मुराबाबाद/लखनऊ/वाराणसी/नैनीताल/अलीगढ़/कानपुर/
- (8) जिला विकास अधिकारी, देहरादून/बिजनौर/एटा/मैनपुरी/मुजफ्फरनगर/बुलन्दशहर/बदायूं/रायपुर/पीलीभीत/मथुरा/फर्रुखाबाद/फतेहपुर/शाहजहाँपुर/इटावा/खीरी/उन्नाव/सीतापुर/सुल्तानपुर/प्रतापगढ़/जालौन/हमीरपुर/आजमगढ़/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/देवरिया/बहराइच/गढ़वाल।
- (9) अपर जिलाधिकारी (विकास), इलाहाबाद/हरदोई/रायबरेली/बाराबंकी/झांसी/मिर्जापुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बरेली/मिर्जापुर/गोण्डा/फैजाबाद/चमोली/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/टिहरी गढ़वाल/अल्मोड़ा।
- (10) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ।
- (12) उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानगर, लखनऊ।
- (13) आयुक्त, अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, वजीरहसन रोड, लखनऊ।
- (14) नियोजन अनुभाग-3,
- (15) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
- (16) गोपन अनुभाग-1 को उनके अ० संख्या 4/2/8/82-सी० एक्स (1), दिनांक 26 अप्रैल, 1982 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
रामकृष्ण
सचिव।

संख्या 8259/26-3-82-11(45)-82

प्रेषक

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 23 जून, 1982।

विषय:--स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को अनुदान और ऋण वितरण में भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण अनु-
भाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या 7585/26-3-82-11 (44)/82 दिनांक 21 मई, 1982 में भ्रष्टाचार निवारण हेतु निर्दिष्ट 20 सूत्रों में सूत्र संख्या (14) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान तथा माजिन मनी ऋण का दुरुपयोग किया गया है तो इस धनराशि के लिये अपर जिला विकास अधिकारी (जिला प्रबन्धक) तथा सहायक प्रबन्धक पूर्ण रूप में जिम्मेदार होंगे। इस संदर्भ में शासन के ज्ञान में यह बात आई है कि अनेक जिलों में लाभार्थियों ने अनुदान और माजिन मनी ऋण की धनराशि प्राप्त होते ही शेष बैंक ऋण की अदायगी नकद अथवा ट्रांसफर क्रेडिट द्वारा एकमुश्त अथवा किस्तों में अल्प अवधि में कर दे जिससे उनका बैंक में खाता निष्क्रिय हो गया और उसके साथ माजिन मनी ऋण की वसूली में भी बैंक की रुचि समाप्त हो गई। कहीं-कहीं पर लाभार्थियों ने पुनः अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक ऋण के लिए दुबारा आवेदन-पत्र भी दे दिए।

2--आप सहमत होंगे कि इस प्रकार के भ्रष्ट-आचरण से स्थानीय तन्द अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता। इस दुराचार पर कठोर अंकुश लगाना अविलम्ब आवश्यक है अन्यथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का उद्देश्य ही दूषित होकर समाप्त हो जायेगा।

3--अतः अनुरोध है कि आप यह जांच करायें कि वर्ष 1981-82 के ऐसे कितने लाभार्थी हैं जिन खाते में बैंक ऋण की नकद अथवा ट्रांसफर क्रेडिट द्वारा अदायगी शासकीय अनुदान प्राप्त होने के 3 मास के भीतर कर दी गई थी और इसका क्या कारण था। जांच के परिणाम से शासन को 3 मास के अन्दर अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ 0सं 0-8259/26-3-82-11(45)/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (2) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3
लखनऊ, दिनांक 12 जुलाई, 1982

प्रिय महोदय,

आयुक्त एवं सचिव तथा निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में 4 जून, 1982 को हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दूसरी प्रदेश स्तरीय बैठक के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या-5 के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र संख्या आर 0 आर 0बी 0-सी-157/359 ए/81 दिनांक 29 जून, 1981 में निर्धारित मार्ग निर्देशकों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों को संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक योजनाएं तैयार कराएँ और यदि आवश्यक हो तो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त की जाए। इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संलग्न पुस्तिका में बैंकों से वित्त पोषित आर्थिक विकास की वित्तिय योजनाएं तैयार की हैं और उसकी प्रक्रिया भी बताई है जो आपके लिए सहायक होगी।

2--इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि निर्धनता रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक योजनाओं में कोई भी बैंक जितना ऋण स्वीकृत करेगी उसका 50 प्रतिशत अथवा ६० 3,000 जो भी कम हो, शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय से ऋण गृहिताओं को जहाँ एक ओर प्रयाप्त आर्थिक सुविधा प्राप्त होगी वहाँ दूसरी ओर बैंकों का ऋण की वसूली का दायित्व आधा रह जाएगा।

3--अतः अनुरोध है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेशानुसार योजनाएं बनाकर समस्त ग्रामीण बैंकों को यथाशीघ्र परिचालित करने की कृपा करें और अपने आदेश की प्रतियां सभी संबंधित जिलों के उपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को मार्ग निर्देशन हेतु पृष्ठांकित कर दें जिससे कि वे उन्हीं के अनुसार ऋण के आवेदन-पत्र तैयार करवा कर प्रस्तुत करें और निर्धन हरिजनों को अधिकतम लाभ मिल सके।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संलग्न-पुस्तिका।

- | | |
|---|--|
| 1--श्री दिनकर राव,
अध्यक्ष, प्रथमा बैंक,
मुरादाबाद। | 7--श्री एम 0 खान,
अध्यक्ष, कानपुर क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, कानपुर। |
| 2--श्री एस 0 एन 0 अर्मा,
सामान्य प्रबन्धक, गोरखपुर क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, गोरखपुर। | 8--श्री बी 0 एन 0 गोस्वामी
इटावा, क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक, इटावा। |
| 3--श्री एम 0 एल 0 अग्रवाल,
अध्यक्ष, रायबरेली क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, रायबरेली। | 9--श्री बी 0 चक्रवर्ती
प्रबन्धक (एच ओ), इलाहाबाद
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद। |
| 4--श्री एस 0 के 0 सक्सेना,
अध्यक्ष, फतेहपुर क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, फतेहपुर। | 10--श्री वी 0 पी 0 सिंह,
अध्यक्ष, प्रतापगढ़, क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़। |
| 5--श्री टी 0 पी 0 सिंह,
अध्यक्ष, भागीरथ ग्रामीण
बैंक, सीतापुर। | 11--श्री एस 0 के 0 घोष,
अध्यक्ष, फर्रुखाबाद क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद। |
| 3--श्री एस 0 आर 0 शुक्ला,
अध्यक्ष बलिया क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, बलिया। | 12--श्री एम 0 सी 0 नरौला,
अध्यक्ष, संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक, आजमगढ़। |

- 13--श्री एच० वी० लाल,
अध्यक्ष, किसान ग्रामीण बैंक,
बदायूं।
- 14--श्री डी० एस० उपाध्याय,
अध्यक्ष, छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई।
- 15 -- श्री एस० डी० गुप्ता,
अध्यक्ष, रानी लक्ष्मीबाई,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी।
- 16 -- श्री सी० एल० श्रीवास्तव,
अध्यक्ष बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
बरेली।
- 17 -- श्री ओ० एन० महाजन,
अध्यक्ष, देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक, गोंडडा।
- 18 -- श्री ए० के० घोष,
प्रबन्धक, तुलसी ग्रामीण बैंक,
बांदा।
- 19 --श्री पी० सी० गांधी,
प्रबन्धक (एचक्यू), अलीगढ़ ग्रामीण
बैंक, अलीगढ़।
- 20--श्री एस० आर० विश्वकर्मा,
अध्यक्ष, हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक,
हरदोई।
- 21 -- श्री आर० एस० द्विवेदी,
अध्यक्ष, सरस्वती ग्रामीण बैंक,
बहराइच।
- 22 -- श्री ए० के० अकादर,
अध्यक्ष, गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर।
- 23 -- श्री जे० के० रस्तोगी,
अध्यक्ष बाराबंकी क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक, बाराबंकी।
- 24 -- श्री ए० डब्ल्यू० सिद्दीकी,
अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वस्ती।
- 25 -- श्री आर० मनपाथी,
प्रबन्धक, (एचक्यू), एटा ग्रामीण बैंक,
एटा।

पृ० सं० ० 8439(1)/26-3-82-5(23)/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। उन्से अनुरोध है कि वे अपने जिले से संबंधित ग्रामीण बैंक के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा लाभान्वितों को ऋण स्वीकृत कराने में उनकी सहायता प्राप्त करें।

पृ० सं०-8439(2)/26-3-82-5(23) 82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संस्थागत वित्त निदेशालय, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ को उनके पत्रांक 63 (आर० डी०) 82-5315, दिनांक 11 जून, 1982 के संदर्भ में प्रेषित।

आजा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

प्रेषक,

राम कृष्ण,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति

वित्त एवं विकास निगम लि०,

बी-912 सेक्टर, "सी", महानगर,

लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 1982

विषय:--प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों को स्वयं रोजगार की योजनाओं में निगम द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

महोदय,

मूझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी हाल में केन्द्रीय योजना आयोग के सलाहकार महोदय ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रदेश के समस्त विकास खण्ड आई० आर० डी० योजना से आच्छादित होने के कारण वहाँ निगम को कार्य करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, परन्तु दूसरी ओर जिलों में मुख्यालय के नगर तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्रों तथा नोटिफाइड एरियाओं और टाउन एरिया होते हैं जिनमें अनुसूचित जाति के अनेक परिवार निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और वे शासन की समस्त योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। तदनुसार यह अपेक्षित है कि निगम अपने कार्यकलाप उपरोक्त शहरी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सम्पन्न करें।

2--अतः शासनादेश संख्या 7585/26-3-82-11(44)/82 दिनांक 21 मई, 1982 का आंशिक संशोधन करते हुए शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:--

(1) उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से निगम के जिला प्रबन्धकों को अनुदान वितरण हेतु आर्वाटित धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जाय:--

(क) चयनित विकास खण्डों को छोड़कर शेष विकास खण्डों में आई० आर० डी० योजना के लाभार्थियों को यथास्थिति 16, 2/3 अथवा 25 प्रतिशत अनुपूरक अनुदान उपलब्ध कराने हेतु,

(ख) शहरी क्षेत्रों में 3,000 रु० की सीमा तक 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु,

(2) निगम के अन्वेषक/सहायक प्रबन्धक अब शहरी क्षेत्रों में अधिक कार्य करेंगे तथा सहायता के प्रस्ताव तैयार करायेंगे।

(3) निगम द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान तथा स्टेट प्लान के अन्तर्गत आर्वाटित धनराशियों, अनुदान वितरण के लेखे जिला प्रबन्धक द्वारा अलग-2 रक्खे जायेंगे।

(4) यह शर्त समाप्त की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित धनराशि की केवल 25 प्रतिशत धनराशि शहरी क्षेत्रों में वितरण की जा सकेगी। परन्तु प्रत्येक दश में निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित विकास खण्डों को छोड़कर अन्य विकास खण्डों में आई० आर० डी० का कोई भी लाभार्थी अनुपूरक अनुदान से वंचित न रह जाये।

(5) निगम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रत्येक जिले के सीधे लाभान्वित किये जाने वाले लक्षित परिवारों में से 50 प्रतिशत ऐसे परिवारों को स्वयं रोजगार की योजनाएं दी जाएं जो जिला मुख्यालय तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्रों, टाउन एरियाओं तथा नोटिफाइड एरियाओं में निवास कर रहे हों।

(6) प्रत्येक जिला प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अनुदान/मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित के लिए सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग निजी रूप से उत्तरदायी होंगे:--

(क) आर्थिक सहायता केवल पात्र परिवार के व्यक्ति को स्वीकृत की जाए और ऐसे परिवार को प्रथमतः सहायता दी जाए जिसे निगम द्वारा पहले कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) आर्थिक सहायता स्वयं रोजगार की जिस योजना हेतु स्वीकृत हो उसका उसी प्रयोजन हेतु पूर्णरूपेण उपयोग वास्तव में किया जाना और दी गई योजना से लाभार्थी की आय में अपेक्षित वृद्धि होना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति केवल अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता की योजना का लाभ अनुचित रूप से तो नहीं प्राप्त कर रहा है।

(घ) लाभार्थी बैंक ऋण तथा माजिन मनी ऋण की अदायगी नियमित रूप से कर रहा है।

3--अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की वृत्ता करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ० सं० 8651(1)/26-3-82-11(44)/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:--

- 1--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2--समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- 5--निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6--आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ० प्र०, वजीरहसन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।

पत्रांक: ए-30/82/4654

प्रेषक;

सचिव एवं निदेशक,
संस्थागत वित्त निदेशालय, ७0प्र0,
16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

सेवा में;

समस्त प्रमुख प्रबन्धक,
व्यवसायिक बैंक,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 24, मई 1982 ।

महोदय,

कतिपय जनपदों से शासन को सूचना मिली है कि किन्हीं मामलों में अचयनित परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण स्वतः वितरित कर दिया गया है और अब खंड विकास अधिकारियों से अनुदान की मांग की गयी है।

आपको विदित है कि भारत सरकार के आदेश हैं कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में परिवारों का चयन अन्त्योदय के सिद्धांत पर किया जाय। इस प्रकार जो 600 परिवार विकास खंड में चयन किये जायेंगे केवल वह ही अनुदान के पात्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनुदान का पात्र नहीं हो सकता भले ही वह निर्बल वर्ग श्रेणी में आता हो। शासन की नीति है कि संतुलित क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलाया जाय और परीक्षित परिवार जिसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों को ही केवल अनुदान सहायता दी जाये। अतः शाखा प्रबन्धकों का स्वतः ऋण वितरण करके अनुदान की मांग करना नीति के विरुद्ध है। इन मामलों में अनुदान देना सम्भव नहीं होगा।

यदि शाखा प्रबन्धक के पास ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको खण्ड विकास अधिकारी से पुष्टि करने के पश्चात् ही ऋण वितरण करना चाहिये ताकि उसे चयनित सूची में नियमानुसार शामिल किया जा सके। यह निश्चय टास्क फोर्स की बैठकों में बातचीत करके किया जा सकता है।

किन्हीं मामलों में बैंकों द्वारा निर्धारित इकाई लागत मूल्य से कम ऋण स्वीकृत करने की घटनायें भी जानकारों में आयी हैं; राज्य स्तर पर कमेटी द्वारा प्रत्येक इकाई लागत मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः मूल्य सूची संलग्न की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट और यह निर्दिष्ट करने का कष्ट करें कि स्वीकृत मूल्य से कम ऋण न वितरण किया जाय।

अब सभी जिलों के वार्षिक क्रेडिट प्लान तैयार हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में इस वर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि को ध्यान में रखते हुए जनपद की क्रेडिट आवश्यकता की पूर्ति का समुचित एवं मुव्यवस्थित प्रबन्ध करेंगे। कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट एवं इस सूचना की प्रति इस निदेशालय को भी शीघ्र भेजने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोमेश कुमार शर्मा)
उप सचिव एवं उप निदेशक
कृते, सचिव एवं निदेशक

पत्रांक ए-30/82/4654/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि उप सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन को पत्रांक 2483/38-6-82, दिनांक 27-4-82 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(रोमेश कुमार शर्मा)

उप सचिव, एवं उप निदेशक,
कृते, सचिव एवं निदेशक ।

संख्या 2915/26-3-81-11-(57)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 1981।

विषय :—अनुसूचित जाति के कृषकों को खाद तथा बीज केलिये आई.आर.डी. योजना के अन्तर्गत अनुदान।

महोदय,

हरिजन एवं
माज कल्याण
अनुभाग-3

कृषि निदेशक, समस्त जिला अधिकारीगण तथा प्रबन्धक निदेशक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, को सम्बोधित आपके टी0पी0 मेसेज संख्या 4288/12-2 दिनांक 11 सितम्बर, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता में दिये गये अनुदान का उपयोग अनुसूचित जाति के कृषकों को खाद और बीज केलिये नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति के कृषकों को खाद और बीज केलिये अनुदान कृषि विभाग द्वारा अपने बजट में मात्रागत धनराशि से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन हेतु वित्तीय विशिष्ट केन्द्रीय सहायता से कृषि विभाग को वित्तीय वर्ष 1980-81 में 101.70 लाख रु0 तथा वर्ष 1981-82 में 100 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें से वर्ष 1981-82 में व्यय की शून्य सूचना प्राप्त हुई है।

2—अतः आप से अनुरोध है कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार संशोधित निर्देश शीघ्र भिजवाने की कृपा करें जिससे कि जिला स्तरीय अधिकारीगण अपर जिला विकास अधिकारियों (ह0क0) एवं पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, से इस प्रयोजन हेतु धन की मांग त करें।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा

विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2915(1)/26-3-81-11(57)/81, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—श्री मोहर सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उनके पत्र सं0 5762/जी0एम0 (आई0एफ0)—16/81 दिनांक 29-9-81 के संदर्भ में।
- 2—संयुक्त कृषि निदेशक, (प्रसार एवं पूर्ति), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3—समस्त जिला अधिकारी गण, उत्तर प्रदेश।
- 4—समस्त अपर जिला विकास अधिकारी गण (ह0क0) उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा

विशेष सचिव।

संख्या-यू 0 ओ 308/26-3-81

प्रेषक,
श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में;

समस्त जिलाधिकारीगण,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त अपर जिला विकास अधिकारीगण
(हरिजन कल्याण),
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर, 1981

विषय—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के संबंध में त्रिपक्षीय करार के निष्पादन से छूट ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय जिलों से ज्ञात हुआ है कि कुछ बैंक शाखायें अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जाने वाले माजिन मनी ऋण की वसूली के संबंध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित त्रिपक्षीय करार (एग्रीमेंट) निष्पादित करने में संकोच कर रही हैं जिससे उनके लिये ऋण वितरण की गति कम है। इस व्यवधान को दूर करने के लिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि जहां कहीं ऐसी कठिनाई हो वहां त्रिपक्षीय करार के निष्पादन पर बल न दिया जाय और उसके बिना ही माजिन मनी ऋण का भुगतान बैंक को कर दिया जाय ताकि उनकी आर्थिक योजनाओं के कार्यान्वयन में वांछित गति लाई जा सके।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या यू 0 ओ 308(1)/26-3-81 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (2) प्रबंध निदेशक, उ 0 प्र 0 अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
- (3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 1708/26-3-81-7(21)/80

प्रेषक

श्री चन्द्र कुमार वर्मा;
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त
एवं विकास निगम लिमिटेड,
लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 1981

विषय:—अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों को कुटीर उद्योगों हेतु अनुमन्य अनुदान ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर आपके अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 4466/जी० एम० (स० वि०)/3-81, दिनांक 23-6-81 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साझेदारी को सहकारिता का पर्याय नहीं माना जा सकता जिसके कारण आपका यह सुझाव अमान्य है कि यदि कुछ व्यक्ति मिलकर साझेदारी में कुटीर उद्योग चलायें तो उन्हें अधिक दर से माजिन मनी ऋण तथा अनुदान दिया जाय ।

2—इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 7352/26-7(69)/74, दिनांक 4-2-1975 द्वारा यह निदेश दिए गए थे कि कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शायी गयी लागत का 50% जो किसी एक लाभार्थी की दशा में रु० 3,000 और किसी सहकारी समिति की दशा में रु० 10,000 से अधिक न हो, अनुदान निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य है:—

- (1) प्रस्तावित कुटीर उद्योग की विधिवत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए ।
- (2) अनुदान यथा संभव नकद की बजाय मशीन अथवा कच्चे माल के रूप में दिया जाना चाहिए ।
- (3) अनुदान के साथ-साथ बैंक ऋण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- (4) जो मशीन अथवा कच्चे माल के रूप में अनुदान दिया जाय उसको बैंक में प्लेज करा दिया जाए ।
- (5) लाभार्थी से एक शर्तनामा भराया जाए जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि यदि अनुदान जिस उद्देश्य के लिये दिया गया है उस पर नहीं व्यय किया गया तो शासन द्वारा वसूल किया जा सकता है ।
- (6) अनुदान एकमुश्त न देकर प्रगति के अनुसार किस्तों में दिया जाए और लाभार्थी का कुछ स्टैक जरूर रखा जाए ।
- (7) अनुदान के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उपयोग प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करके पत्रावली में रखा जाए ।

3—शासनादेश संख्या-2380/26-3-80-7(21)/80, दिनांक 10-9-1980 में व्यक्तिगत रूप से देय अनुदान को माजिन मनी ऋण से सम्बद्ध किया गया है जिसके फलस्वरूप 4 फरवरी, 1975, के ऊपर उल्लिखित शासनादेश में सहकारी समितियों को देय अनुदान की राशि और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे अब भी प्रभावी हैं । सहकारी समितियों को माजिन मनी ऋण अनुमन्य नहीं है क्योंकि वह योजना के लिए ऋण ले सकते हैं और कुछ अपना धन लगाना भी आवश्यक है जिससे कि उनका अपना स्टैक रहे ।

4—तथापि यह उल्लेख्य है कि महालेखाकार ने आडिट रिपोर्ट में यह बात शासन के ज्ञान में लायी है कि पूर्व में निगम मुख्यालय से अनेक लाभार्थियों को अनुदान बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त किए स्वीकृत कर दिए थे और जिनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उनमें केवल अनुमानित व्यय दिया था जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित उद्योग की वायबिलिटी (उदाहरणार्थ, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद का विपणन आदि) की पूरी मीमांसा होनी चाहिए । आडिट ने यह भी आपत्ति की है कि सभी मामलों में अनुदान नकद और एकमुश्त दिया गया था और उसके उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किया गया । यह भी नहीं देखा गया कि योजना में बैंक से ऋण मिला कि नहीं । चूंकि अब आर्थिक सहायता का वितरण का अधिकार जिला स्तर पर विकेंद्रित हो चुका है, अतः यह अति आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों (ह० क०) पदेन जिला प्रबन्धकों को यह कड़े निदेश दे दिए जायें कि वे सहकारी समितियों को कुटीर उद्योग धन्धों के लिये अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व और उसके पश्चात् के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 1708(1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, एच-1, पार्क रोड, लखनऊ।
- (2) समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (ह० क०), उत्तर प्रदेश।
- (4) आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जन जाति, उत्तर प्रदेश, वजीर हसन रोड, लखनऊ।
- (5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, ई० सी० पी० ए० सेक्शन, इलाहाबाद।
- (6) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कामर्शियल आडिट विंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 1706/26-3-81-8/79

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी, 1982

विषय :—अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की हायर पर्चेज पद्धति पर नगरों में दुकान उपलब्ध कराना।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा० सं० 190/26-3-80-8/79, दिनांक 28 मार्च, 1980 में शासन ने यह योजना स्वीकृत की थी कि स्वायत्त शासन विभाग की योजना के अन्तर्गत जो नगरपालिकायें तथा नगरमहापालिकायें दुकानें बनाकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को हायर पर्चेज पद्धति पर देंगी उनके निर्माण मूल्य के बराबर धनराशि उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अथवा संबंधित जनजाति निगम द्वारा बैंक से ऋण लेकर उपलब्ध कराई जायेगी और बैंक ऋण पर ब्याज की अदायगी हेतु शासन द्वारा निगमों को अनुदान दिया जायगा। तदनुसार ब्याज भारवहन करने के लिये शासन द्वारा निगमों को निम्नवत् अनुदान दिया गया है :—

निगम का नाम	1979-80 में (लाख ₹०)	1980-81 में (लाख ₹०)	1981-82 में (लाख ₹०)
1-- उ० प्र० अनुसूचित जाति निगम	3.50	3.50	3.50
2--तराई जनजाति निगम	0.10	0.10	0.10
3--कुमायूं जनजाति निगम	0.20	0.20	0.10
4--गढ़वाल जनजाति निगम	0.20	0.20	0.10
योग	4.00	4.00	3.80

2--परन्तु शासन की उपरोक्त धनराशि के उपयोग की कोई सूचना नहीं मिली है। इसमें से जो धन 31-3-82 तक उपयोग में नहीं लाना सम्भव होगा वह धन शासन को वापस करना होगा।

3--उपरोक्त योजना की व्यवहारिक और प्रभावी बनाने हेतु शासन ने इसमें इतना आंशिक संशोधन किया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित दुकानों में जितनी दुकानें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित नियमानुसार होगी वे सब उनके निर्माण मूल्य पर उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ द्वारा नकद भुगतान देकर खरीद ली जायेंगी और तदुपरान्त निगम द्वारा उनका आवंटन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पात्र अभ्यर्थियों को हायर पर्चेज पद्धति पर किया जायगा। इस कार्य में निगम द्वारा लाभ अर्जित नहीं किया जायगा। दुकानों के निर्माण मूल्य का भुगतान हेतु निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया जायगा और आवंटियों से मूल्य का भुगतान उतनी ही किस्तों में प्राप्त किया जायगा जितनी किस्तों में बैंक ऋण की अदायगी होगी। ऋण पर बैंकों को ब्याज शासन द्वारा निगम की दिये गये अनुदान से यथावत् दिया जायगा।

4--कृपया उपरोक्त आदेशों का कार्यान्वयन अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

5--ये आदेश शासन के आवास, नियोजन एवं वित्त विभागों की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ० सं० 1706 (1)/26-3-81-8/79

प्रतिलिपि सचिव, उ० प्र० शासन, आवास अनुभाग-2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपनी पत्तावेली संख्या 6 (मिस/81) में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरणों, नगरमहापालिकाओं एवं नगरपालिकाओं को आवश्यक निर्देश अविलम्ब प्रसारित करने की कृपा करें।

पृ० सं० 1706 (2)/26-3-81-8/79

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ/नैनीताल/देहरादून।
- (3) प्रबंध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, बी-912, सेक्टर "सी" महानगर, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, 54, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (5) प्रबंध निदेशक, कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, नैनीताल।
- (6) प्रबंध निदेशक, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, देहरादून।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
- (8) प्रशासक, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/आगरा/कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/गाजियाबाद/मेरठ/बरेली/गोरखपुर/मथुरा/मुरादाबाद।
- (9) प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी।
- (10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (11) पर्वतीय विकास अनुभाग-6।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-12।
- (13) नियोजन अनुभाग-3।
- (14) आयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति, उ० प्र०, वजीर हसन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव।

संख्या 7465/26-3-82-5 (23)/80

प्रेषक

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 23 जून, 1982

विषय : स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजनाओं के कार्यान्वयन में विभागीय कमियों को दूर किया जाना ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी हाल में भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा आई० आर० डी० योजना के कार्यान्वयन संबंधी जालौन, कानपुर, लखनऊ, रामपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी तथा शाहजहांपुर जिलों में एक अध्ययन कराया था जिसके फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों की निम्नलिखित कमियां दृष्टिगोचर हुई :-

- (1) अधिकारियों द्वारा शासकीय अनुदान के भुगतान में तत्परता का अभाव ।
 - (2) यद्यपि बैंकों द्वारा अनेक योजनाओं में आर्थिक सहायता उपलब्ध है परन्तु अधिकारियों द्वारा कुछ घिसी-पिटी परम्परागत योजनाओं के ही आवेदन-पत्र दिलाये जाते हैं जो लाभदायक नहीं हैं ।
 - (3) अधिकारियों द्वारा बैंक के शाखा प्रबन्धकों से सम्पर्क का अभाव जिसके कारण आवेदन-पत्र बैंक की योजनाओं के अनुरूप तैयार नहीं हो पाते ।
 - (4) ऋण स्वीकृत हो जाने के उपरान्त अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित न किया जाना कि लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग लाभदायक ढंग से इसी योजना के लिये किया जा रहा है अथवा नहीं ।
- 2—जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों के निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को निर्धनता रेखा पर कराकर सम्पन्नता के पथ पर अग्रसर कराने के लिये शासन द्वारा संकल्प है और इसी उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा आई० आर० डी० योजनायें चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से समस्त संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा बैंकों के शाखा प्रबन्धकों का आपस में सम्पर्क और सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण अनिवार्य है । अतः अनुरोध है कि आप समस्त संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर ऊपर उल्लिखित कमियों को दूर कराने का पूरा प्रयास करें जिससे कि योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ० सं० 7465(1)/26-3-82-5 (23)/82 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (2) मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/अलीगढ़/मुरादाबाद/कानपुर/लखनऊ/नैनीताल/सीतापुर/गोरखपुर/वाराणसी ।
- (3) अपर जिलाधिकारी (विकास), गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बरेली/इलाहाबाद/आंसी/मिर्जापुर/हरदोई/रायबरेली/फैजाबाद/बाराबंकी/चमोली/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/टिहरी गढ़वाल/अल्मोड़ा/गोण्डा ।
- (4) जिला विकास अधिकारी, एटा/मैनपुरी/मथुरा/मजफ्फरनगर/बुलन्दशहर/बिजनौर/बदायूं/रामपुर/पोलीभोत/शाहजहांपुर/इटावा/फतेहपुर/फर्रुखाबाद/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/आजमगढ़/देवरिया/खीरी/उन्नाव/प्रतापगढ़/बहराइच/सुल्तानपुर/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून ।
- (5) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 912, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ ।
- (7) निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ को उनके पत्रांक ए-1/81/एस०सी०पी०/4091 दिनांक 5 मई, 1982 के संबंध में ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उप/सहायक निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 1982

विषय:—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन तथा उसकी प्रगति के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण का दायित्व।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को शीर्ष वरीयता प्रदान की गई है और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उसकी प्रगति का सामान्य (overall) अनुश्रवण किया जा रहा है। अतः आप अपने मण्डल में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के सफल कार्यान्वयन, उसकी प्रगति के सम्यक् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और उपरोक्त कार्य आपके दायित्वों में शीर्षस्थ होगा। इसके लिए आप द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:—

- (1) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के संबंधित सभी विभागों के मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुसूचित जातियों के लिये मात्रावृत्त वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं।
- (2) मण्डल/जिला स्तरीय सभी अधिकारी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित प्रगति का प्रत्येक मास अपने स्तर पर अनुश्रवण कर रहे हैं। और उसकी प्रगति आख्या निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
- (3) मण्डल के समस्त अपर जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन तथा उसकी प्रगति के अनुश्रवण और प्रेषण के लिए शासन, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा प्रबंध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, द्वारा समय-समय पर दिए आदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।
- (4) जिला तथा मण्डल स्तर पर गठित समन्वय समितियों की प्रत्येक मास बैठकें हो रही हैं।
- (5) आप द्वारा माह में कम से कम 20 दिन दौरा करके यह देखा जाए कि संबंधित विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये किए जा रहे कार्यों का वास्तविक लाभ लक्षित लोगों/उनके निवास क्षेत्रों को पहुंच रहा है।
- (6) प्रत्येक माह अपने मण्डल में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति तथा अपनी निरीक्षण आख्याओं की संहत रिपोर्ट शासन तथा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत की जाए।

भवदीय,
राम कृष्ण।

पृष्ठांकन संख्या-15334(1)/26-3-82 तद् दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) प्रबंध निदेशक, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, महानगर, लखनऊ।
- (3) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव।

संख्या-9075/26-3-81-11(84)-81

प्रेषक

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उ० प्र०, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी, 1982

विषय : द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार हरिजन एवं समाज कल्याण उ० प्र० के अधीनस्थ अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) के पद पर नये वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मझे आपका ध्यान द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80), की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे० आ०-1590/दस-42 (एम)-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 की ओर आकर्षित करते हुए, यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 जुलाई, 1979 से, अथवा पद के सृजन की तिथि से जो भी बाद में हो, इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पद के लिये स्तम्भ 3 में दिखाये गये वर्तमान वेतनमान के स्थान पर स्तम्भ 8 में अंकित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

2—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का, जो दिनांक 1 जुलाई, 1979 को अथवा दिनांक 1 जुलाई, 1979 और 29 सितम्बर, 1981 के मध्य प्रदेश सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, नये वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर शासनादेश संख्या वे० आ०-2191/दस-39 (एम)/1981 दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार नये वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि से निर्धारित किया जायेगा ।

3—जिन पदों के सम्बन्ध में द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) के प्रतिवेदन अथवा उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासकीय संकल्प में कोई उल्लेख नहीं है, उनके बारे में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे ।

4—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे० आ० 41/दस-1982, दिनांक 15-1-82 में प्राप्त उन ही सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ० सं०-9075(1)/26-3-81-11(84)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 2—समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०), उत्तर प्रदेश ।
- 3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 4—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग, (3 प्रतियां)
- 6—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-124
- 7—वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 तथा 2
- 8—हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1
- 9—लेखाकार ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

शासनादेशा संख्या 9075/26-3-81-11(84)-81, दिनांक 18 जनवरी, 1982

का संलग्नक

क्रम- संख्या	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	पदों की संख्या (1-7-1979 को)		पदों की संख्या (29-9-1981 को)		नया वेतनमान	वर्तमान विशेष वेतन, यदि कोई हो	विशेष वेतन के संबंध में निर्णय	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		₹					₹			
1	अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	550-1,200	51	850-40-1050-द0 रो0-50- 1,300-60-1,420-द0 रो0- 60-1,720।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संलग्नक में उल्लिखित पदों की संख्या, पदों का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान आदेशों से सत्यापित कर लिये गये हैं और सही पाये गये हैं।

चन्द्र कुमार बर्मा,
विशेष सचिव,
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या 4346/26-3-82-11(84)-81

प्रेषक,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, ।

सेवा में,
निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 22 जनवरी, 1982 ।

विषय :-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न पदों पर नये वेतनमानों की स्वीकृति जिनका उल्लेख द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग के प्रतिवेदन में नहीं है ।

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 जुलाई, 1979 से, या पदों के सृजन की तिथि से जो भी बाद में हो, इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ 2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के लिये स्तम्भ-3 में दिखाये गये वर्तमान वेतनमानों के स्थान पर स्तम्भ-8 में अंकित नये वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

2—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का, जो दिनांक 1 जुलाई, 1979 को अथवा दिनांक 1 जुलाई, 1979 तथा 29 सितम्बर, 1981 के मध्य राज्य सरकार की पूर्ण कालिक सेवा में था, नये वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर शासनादेश संख्या-वे० आ०-2191/दस-39(एम)/1981 दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, नये वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि से निर्धारित किया जायेगा ।

3—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे० आ०-85-दस-1982 दिनांक 21 जनवरी, 1982 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ० सं०-4346(1)/26-3-82-11(84)-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग (3 प्रतियाँ) ।
- (3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 ।
- (4) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 तथा 2 ।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (6) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी, (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (8) सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग 1/5 ।
- (9) शिक्षा अनुभाग-4 ।
- (10) हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1 ।
- (11) लेखाकार ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

क्रम- संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान (₹)	पदों की संख्या (1-7-1979 को)		पदों की संख्या (29-9-1981 को)		नया वेतनमान	वर्तमान विशेष वेतन, यदि कोई हो	विशेष वेतन के संबंध में निर्णय	अभ्युक्ति यदि कोई हो
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(₹)			
1	शोध अधिकारी	550-1,200	1	850-40-1,050-द0 रो0-50-1,300-60-1,420-द0 रो0-60-1,720।
2	विशेष कार्याधिकारी	500-1000	1	770-40-1,050-द0 रो0-50-1,300-60-1,420-द0 रो0-60-1,600।
3	प्रवर वर्ग सहायक	350-700	1	570-25-770-द0 रो0-30-980-द0 रो0-30-1,100।
4	टंकक	200-320	2	354-10-424-द0 रो0-10-454-12-514, द0 रो0-12-550।
5	साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	175-250	1	315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400-द0 रो0-8-440।
6	कार ड्राइवर	175-250	1	330-7-365-8-381-द0 रो0-8-405-9-450-द0 रो0-9-495।
7	सहायक विकास अधिकारी (ह0 क0)	280-460	188	470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701-द0 रो0-17-735।
8	ग्राम विकास अधिकारी (ह0 क0)	230-385	402	400-10-450-12-474-द0 रो0-12-570-द0 रो0-15-615।

प्रमाणित किया जाता है कि इस संलग्नक में उल्लिखित पदों की संख्या, पदों का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान वर्तमान आदेशों से सत्यापित कर लिये गये हैं और सही पाये गये हैं।

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग- 3

संख्या 4964/26-3-82-11(84)-81

प्रेषक,
श्री दौलत राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 1982 ।

विषय :-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन हेतु संगणक के पद पर नये वेतनमान की स्वीकृति, जिसका उल्लेख द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग के प्रतिवेदन में नहीं है ।

महोदय,
हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश के प्रसारण की तिथि से कार्यालय ज्ञाप संख्या-3928/26-3-80-4(109)-80, दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 द्वारा सृजित "संगणक" के पद का पदनाम बदल कर "अन्वेषक-कम-कम्प्यूटर" निर्धारित करने तथा उक्त पद के सृजन की तिथि से इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ-3 में दिखाये गये वर्तमान वेतनमान के स्थान पर स्तम्भ-8 में अंकित नये वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

2—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का, जो दिनांक 1 जुलाई, 1979 तथा 29 सितम्बर, 1981 के मध्य राज्य सरकार की पूर्ण-कालिक सेवा में था, नये वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर शासनादेश संख्या वे०आ०-2191/दस-39(एम)-1981, दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, नये वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि से निर्धारित किया जाएगा ।

3—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे०आ०-248/दस-1982, दिनांक 16 फरवरी, 1982 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
दौलत राम,
संयुक्त सचिव ।

संख्या-4964(1)/26-3-82-11(84)-81, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (2) वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग (3 प्रतियां) ।
- (3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 ।
- (4) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 तथा 2 ।
- (5) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- (6) लेखाकार ।

आज्ञा से,
दौलत राम,
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या -4964/26-3-82-11 (84)-81 दिनांक 18, फरवरी, 1982 का संलग्नक

क्रम- संख्या	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या (1-7-1979 को)		पदों की संख्या (29-9-81 को)		नया वेतनमान (रु०)	वर्तमान विशेष वेतन, यदि कोई हो (रु०)	विशेष वेतन के सम्बन्ध में निर्णय	अभ्युक्त, यदि कोई हो
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		रु०					रु०			
1	अन्वेषक-कम-कम्प्यूटर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3	250-425	1	430-12-490-15-520-द० रु०-15-640-द० रु०-15- 695।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संलग्नक में उल्लिखित पदों की संख्या, पदों का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान वर्तमान आदेशों से अस्थापित कर लिये गये हैं और सही पाये गये हैं।

दौलत राम,
संयुक्त सचिव,
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-5013/26-3-82-11(84)-81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अग्र जिला विकास अधिकारी;
(हरिजन कल्याण),
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 15 फरवरी, 1982।

विषय : द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर अधिकारियों को स्वीकृत नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण की संक्षिप्त प्रक्रिया ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग- 3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा0सं0-9075/26-3-81-11(84)-81, दिनांक 18 जनवरी, 1982 द्वारा आपको तथा शा0सं0-4346/26-3-82-11(84)-81, दिनांक 22 जनवरी, 1982 द्वारा सहायक विकास अधिकारियों (ह0क0) तथा ग्राम विकास अधिकारियों (ह0क0) को नये वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है सभी अधिकारी अन्य विभागों से आये हुए हैं जिसके कारण इस विभाग में उनका नये वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिये उनके मूल पदों पर वेतन निर्धारण करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें अधिक हानि होने की संभावना है। वेतन निर्धारण कार्य में आपके तथा आपके कार्यालय की सुविधा के लिये वेतन निर्धारण की संक्षिप्त प्रक्रिया संलग्न की जा रही है। अनुरोध है कि आप इस प्रक्रिया का गहन अध्ययन स्वयं करके अपना तथा अपने अधिनस्थ अधिकारियों का वेतन निर्धारण यथाशीघ्र करा लें जिससे कि सभी अधिकारियों का फरवरी, 1982 का वेतन नये वेतनमान में आहरण होकर भुगतान हो सके।

2--इस विभाग में योगदान के पश्चात् कतिपय अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हुआ है। आपके जिले से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण हो चुका है उनके आपके कार्यालय में योगदान के दिनांक की सूचना आप अबिलम्ब उस जिले को भेज दें जहाँ कि वह स्थानान्तरित होकर गया है क्योंकि प्रत्येक अधिकारी का वेतन निर्धारण उस जिले में होना है जहाँ वह इस समय कार्य कर रहा है। अधिकारी की वर्तमान पोस्टिंग के जिले में ही उसके एरियर का भुगतान किया जायेगा।

3--शासन की यह अपेक्षा है कि सभी अधिकारियों का वेतन निर्धारण होकर उन्हें एरियर का भुगतान यथासंभव इसी मास हो जाय और जिनका किसी कारण इस मास न हो सके उन्हें 20 मार्च, 1982 तक अवश्य हो जाना चाहिये। इसके लिये आपका निजी उत्तरदायित्व होगा।

4--इस संभावना से दृष्टिगत कि आपको अपने तथा अन्य अधिनस्थ अधिकारियों के वेतन आदि के लिये पूर्व आवंटित धनराशि कम पड़ सकती है, श्री राज्यपाल शा0सं0-6479/26-3-81-11(1)-80, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 से संलग्न सूची "ग" के स्तम्भ-3 के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को आवंटित रु0 23,00,000 (तेईस लाख रुपये) का उपयोग समस्त अग्र जिला विकास अधिकारियों (ह0क0), सहायक विकास अधिकारियों (ह0क0) तथा ग्राम विकास अधिकारियों (ह0क0) के वेतन तथा समस्त प्रकार के भत्तों (यात्रा भत्ता को सम्मिलित करते हुए) तथा आकस्मिक व्यय के प्रयोजनों के लिये किये जाने हेतु सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

5--आप यह भी सुनिश्चित करें कि किसी अधिकारी का कोई भी टी0 ए0 बिल भुगतान के लिये लम्बित न रहे।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृष्ठांक सं0-5013/26-3-82-11(48)-81, तददिनांक

प्रतिलिपि शा0सं0-6479/26-3-81-11(1)-80, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 की सूची "ग" की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से;

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण की संक्षिप्त प्रक्रिया

स्वेशन कम्पोजेन्ट प्लान के जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये नये वेतनमान निम्नवत् स्वीकृत किये गये हैं:—

1—अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)—र० 850-40-1050-द० रो० 50-1300-60-1420-द० रो० 60-1720 ।

2—सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)—र० 470-15-575-द० रो० 15-650-17-701-द० रो० 17-735 ।

3—ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)—र० 400-10-450-12-474-द० रो० 12-570-द० रो० 15-615 ।

2—नये वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधी विस्तृत आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग के मुद्रित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2191/दस-39 (एम)-1981, दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में जारी किये गये हैं। यह शासनादेश आपको कलेक्ट्रेट में देखने हेतु मिल सकता है। वहां अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध होंगी जिसमें से एक प्रति अपने रिकर्ड हेतु प्राप्त कर लें।

3—वेतन निर्धारण की दिशा में सबसे पहला काम सभी अधिकारियों से विकल्प प्राप्त करना है जिसका प्रपत्र संलग्नक "क" में दिया हुआ है। विकल्प का प्रपत्र भरते समय निम्न बातें ध्यान में रखने की हैं:—

1—विकल्प प्रत्येक अधिकारी से 4 प्रांतियों में प्राप्त करना है। विकल्प की 1 प्रति अधिकारी की सविश बुक के अन्त में चिपका दी जाये, दूसरी प्रति पत्तावली में रक्खी जायेगी और शेष 2 प्रतियां उस अधिकारी को भेज दी जायेगी जिसके अधिनस्थ विकल्प प्रस्तुतकर्ता मूल पद पर विकल्प के दिनांक को कार्यरत था जिससे वहां पर उनका वेतन निर्धारण हो कर बकाया का भुगतान हो सके।

2—विकल्प में पुराने पद और वर्तमान पद दोनों के लिये विकल्प की तिथि और पद इंगित करने हैं।

3—विकल्प की लाइन 1-2 में पुराने पद का नया वेतनमान लिखना है। जिस अधिकारी को अपने पुराने पद का नया वेतनमान ज्ञात न हो वह उस जगह को खालो छोड़ दें।

4—विकल्प प्रपत्र को दूसरी लाइन में उस पुराने पद का नाम लिखना है जिस पर अधिकारी 1-7-79 अथवा विकल्प के दिनांक को कार्यरत था।

5—विकल्प प्रपत्र की लाइन 3 और 4 में पुराने पद पर नया वेतन चुनने की तारीख भरनी है। जो अधिकारी अपने पुराने पद पर 1-7-79 को वेतनमान में अधिकतम पा रहे थे वे 1-7-79 से नया वेतनमान चुने। जो अधिकारी 1-7-79 को अधिकतम नहीं पा रहे थे उन्हें 1-7-79 के बाद मिली वेतन वृद्धि के दिनांक से नया वेतनमान चुनना लाभप्रद होगा। जो अधिकारी मूल पद पर 1-7-79 के बाद नियुक्त हुए हैं वे नियुक्ति का दिनांक भरें।

6—विकल्प प्रपत्र की लाइन 5 में अधिकारी को वर्तमान पद का नया वेतनमान भरना है। नये वेतनमान विकल्प प्रपत्र में नीचे लिखे हैं। विकल्प प्रपत्र की लाइन 6 में अधिकारी को अपना वर्तमान पद लिखना है जो उसे ज्ञात है।

7—विकल्प प्रपत्र की लाइन 7 और 8 अधिकारी को वर्तमान पद पर नये वेतनमान के चुनन का दिनांक भरना है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जो अधिकारी ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे और उसी वेतनमान में ग्रा० वि० अ० (ह० क०) के पद पर इस विभाग में आये हैं वे नया वेतनमान उस तारीख से चुने जिस तारीख से उन्होंने अपने पुराने पद का नया वेतनमान विकल्प लाइन 2 में घोषित किया है, क्योंकि उनका पुराना और नया पद समान वेतनमान में है। अन्य अधिकारियों की दशा में इस विभाग में नये पद पर उनके अपर जिला विकास अधिकारियों (ह० क०) के कार्यालय में योगदान करने का दिनांक लिखा जायेगा क्योंकि इसी दिनांक के अनुसार उन्हें वर्तमान पद पर नये वेतनमान में वृद्धि देय होगी।

8—इस विभाग में जिन व्यक्तियों ने ग्रा० वि० अ० (ह० क०) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था और अब उनकी प्रोन्नति स० वि० अ० (ह० क०) के पद पर हो गई है ऐसे व्यक्ति ग्रा० वि० अ० (ह० क०) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही विकल्प दें क्योंकि वे तदनुसार सा० वि० अ० के पद पर स्वयमेव नये वेतनमान में आ जायेंगे।

वेतन निर्धारण

4—प्रत्येक अधिकारी का वेतन निर्धारण संलग्नक "ख" में दिये गये प्रपत्र में किया जायगा।

5—विकल्प का दिनांक 1-7-79 हो अथवा उसके बाद का कोई दिनांक हो अधिकारी को विकल्प के दिनांक को जो मूल वेतन मिल रहा था उसमें महुंगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महुंगाई भत्तों को वृद्ध धराराशि जोड़ा जायगा जो उतने वेतन पर 1-7-79 को अनुमन्य थी। अतः संलग्नक "ख-1" के स्तम्भ-2 में वर्तमान वेतनमानों के विभिन्न प्रक्रमों पर 1-7-79 को अनुमन्य महुंगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महुंगाई भत्तों को धराराशियां जोड़कर इंगित कर दी गई है जिससे वेतन निर्धारण में त्रुटि न हो।

6—जिन अधिकारियों की अन्न पोस्टिंग होगी उनका वर्तमान वेतनमान से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण संलग्नक "ख" में ही किया जायेगा ।

7—संलग्नक ख-1 में वर्तमान वेतनमानों के विभिन्न प्रक्रमों पर विभिन्न तिथियों से महंगाई भत्ते की अनुमन्य धनराशियां भी दी गई हैं । इसी प्रकार संलग्नक "ग" में नये वेतनमानों के विभिन्न प्रक्रमों पर विभिन्न तिथियों से अनुमन्य महंगाई भत्ते की धनराशियां इंगित की गयी हैं । इनकी सहायता से अधिकारियों को इस विभाग में देय बकाया वेतन की धनराशि निकाली जायेगी । प्रत्येक अधिकारी को देय मासिक बकाया की धनराशि का स्टेटमेंट संलग्नक "घ" में दिये गये प्रपत्र में तैयार किया जायेगा और उसकी 3 प्रतियां टाइप की जायेंगी । इसकी मूल प्रति बिल के साथ लगाई जायेगी और शेष 2 प्रतियां पत्रावली में रक्खी जायेंगी ।

मकान किराया भत्ता

8—वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-91-209-81, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 द्वारा मकान किराया भत्ता की नई दरें निर्धारित की गई हैं जो संलग्नक "ङ" में दी गई हैं । यह नई दरें 29 सितम्बर, 1981 से लागू हुई हैं अर्थात् अक्टूबर, 1981 का जो वेतन नये वेतनमान में मिलेगा उस पर यह दरें लागू होंगी ।

9—सितम्बर, 1981 तक पुरानी दरों पर मकान किराया भत्ता देय होगा ।

10—नये वेतनमान में निर्धारित वेतन पर अक्टूबर, 1981 से:—

(क) यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास ड्यूटी के स्थान पर अपना ऐसा मकान है जिसका वह स्वामी है किन्तु वह उसमें न रह कर किसी किराये के मकान में रहता हो तो उसे भी किराये के मकान के लिये मकान किराया भत्ता दिया जायगा बशर्ते कि उसे वह भत्ता अन्यथा देय हो ।

(ख) 1,200 रु तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को देय मकान किराया भत्ता वास्तव में उनके द्वारा वहन किये गये मकान किराये/कर की धनराशि के हवाले से नहीं होगा और न ही उनके सम्बंध में मकान किराये/कर की रसीद का प्रस्तुतीकरण तथा सत्यापन आवश्यक होगा । ऐसे सेवकों को संलग्नक-ङ के भाग-1 में इंगित नगरों में वेतन-स्लैब के आधार पर उनके सम्मुख इंगित दरों पर मकान-किराया भत्ता अनुमन्य होगा । ऐसे कर्मचारियों को संलग्नक-ङ के भाग 3 अथवा 4 जो भी लागू हो, में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) 1,200 रु से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को भी बिना मकान किराये/कर की रसीद के प्रस्तुतीकरण/सत्यापन के मकान किराये भत्ते के रूप में उतनी ही धनराशि अनुमन्य होगी जो 1,200 रु प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को बिना मकान किराये/कर की रसीद प्रस्तुत किये संलग्नक-ङ के अनुसार अनुमन्य है । ऐसे सरकारी सेवकों को भी संलग्नक-ङ के भाग-3 अथवा 4 जो भी लागू हो, में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) 1,200 रु प्रतिमास से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों से, जो मकान किराये पर वास्तव में व्यय की गई धनराशि के आधार पर मकान किराये भत्ते की मांग प्रस्तुत करते हैं, मकान किराये की रसीद केवल जनवरी एवं जुलाई के महीनों में ही मांगी जानी चाहिये और उन्हीं महीनों के किराये भत्ते के देयकों पर सम्बन्धित प्राधिकारी को यह प्रमाण-पत्र दे देना चाहिये कि उसे देयक में दिये जाने वाले किराया/करों की रसीदों की मांग लिया गया है और उक्त वेतनमान पर जमा गया है । इनके बीच में अगर कोई सरकारी सेवक मकान बदल दे या किराये की धनराशि में कमी-बेशी हो जाय तो सम्बन्धित सरकारी सेवक इसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित प्राधिकारी को दे देंगे और इस सूचना के मिलने पर उक्त प्राधिकारी नये किराये की रसीद की मांग लेंगे और उसके बाद मकान किराया भत्ता का भुगतान करने से पहले रसीद का सत्यापन कर लेंगे । ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो अपने आहरण और वितरण अधिकारी स्वयं हैं, मकान किराये भत्ते के दावे के सम्बन्ध में प्रत्येक जनवरी और जुलाई के अपने देयक पर उन महीनों के किराये की रसीद लगा देंगे जिन पर उनके विभाग में उनसे अगले उच्चाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे ।

नगर प्रतिकर भत्ता

11—नगर प्रतिकर भत्ता केवल कानपुर, इलाहाबाद वाराणसी, आगरा और लखनऊ नगरों में देय था । वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या जी-1-1796/दस-207-81, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं कि दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पश्चात् सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले किसी नये सरकारी कर्मचारी को या ऐसे किसी कर्मचारी को नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जायेगा जो उक्त तिथि के पश्चात् कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ नगरों में तैनात किया जाय या स्थानान्तरित किया जाय । उक्त तिथि को शासकीय सेवा में तैनात किसी कर्मचारी को नगर प्रतिकर भत्ता के रूप में जितनी धनराशि मिल रही है वह उसे वैधानिक रूप में

उस समय तक दी जाती रहेगी जब तक कि वह अपने तैनाती के वर्तमान स्थान पर तैनात है और पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन ₹0 1200 से अधिक नहीं हो जाता। ₹0 1200 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी उतनी धनराशि नगर प्रतिकर भत्ता के रूप में दी जायेगी जिसे मिलाकर योग ₹0 1,225 प्रतिमाह से अधिक न हो, किन्तु किसी भी कर्मचारी को नगर प्रतिकर भत्ता के रूप में उस धनराशि से अधिक धनराशि नगर प्रतिकर भत्ता के रूप में अनु-मन्य न होगी जो वह दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को पा रहा था।

यात्रा भत्ता

12—यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आनुषंगिक व्यय तथा स्थानान्तरण के अवसर पर अनुमन्य एक मुश्त धनराशि की 29 सितम्बर, 1981 से लागू नई दरें शा 0 सं 0—सा-4-1906/दस—81-601-81, दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 में निर्धारित की गई हैं। इसको प्रति कलेक्टर से प्राप्त कर लें।

संलग्नक "क"

विकल्प का प्रपत्र

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो नये वेतनमान के लिये विकल्प चुनें।

मैं-----, घोषणा करता हूँ कि मैं----- ₹0 के नये वेतनमान के लिये
-----के अपने *मौलिक/मूल पद के लिये (1) 1 जुलाई, 1979 (2) *अपनी अगली वेतन
वृद्धि के दिनांक से जो 1 जुलाई, 1979 के बाद पड़ी थी/पड़ती है *और----- ₹0 के नये वेतनमान
के लिये-----के पद में स्थापनापन्न नियुक्ति के लिये (1) 1 जुलाई, 1979 (2) *स्थापनापन्न
नियुक्ति में अपनी अगली वेतन वृद्धि के दिनांक से, जो 1 जुलाई, 1979 के बाद पड़ी थी/पड़ती है, *विकल्प चुनता हूँ।
मैं यह भी स्पष्ट रूप से बिलग्य देता हूँ कि मूल/मौलिक पद पर मेरा वेतन प्रस्तर 3(1) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय*
प्रक्रिया के अनुसार और स्थापनापन्न पद पर प्रस्तर 3(1) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय *प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया
जाय। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिहार्य होगा।

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

कार्यालय-----

दिनांक-----

(जो दिनांक 1 जुलाई 1979 और 29-9-1981 में मध्य नियुक्त हुए हों उन्हें दिनांक 1 जुलाई, 1979 के स्थान पर अपनी नियुक्ति के दिनांक का उल्लेख करना चाहिये, यदि वे अपनी नियुक्ति के दिनांक से विकल्प चुनते हैं।)

*जो बात लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

शासन द्वारा स्वीकृत नये वेतनमान निम्नवत् हैं:—

1—अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) ..	₹0 850-40-1050-द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1720।
2—सहायक विकास अधिकारी (ह0 क0) ..	₹0 470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701-द0 रो0-17-735।
3—ग्राम विकास अधिकारी ..	₹0 400-10-450-12-474-द0 रो0-12-570-द0 रो0-15-615।

श्री-----पदनाम-----विकास खण्ड-----जिला-----
-----का वेतन निर्धारण ।

भाग "क"—मूल पद पर

- 1—वह मूल पद जिस पर 1-7-79 अथवा विकल्प के दिनांक को कार्य कर रहे थे -----
- 2—उक्त पद का वर्तमान वेतनमान-----
- 3—उक्त पद का नया वेतनमान-----
- 4—उक्त पद पर विकल्प के दिनांक को ग्राह्यित वेतन-----
- 5—उक्त वेतन पर अनुमन्य महंगाई भत्ता (संलग्नक "ख"—1 के स्तम्भ- 2 के अनुसार)-----
- 6—मूल पद की वर्तमान परिलब्धियां (स्तम्भ 4 तथा 5 का योग)-----
- 7—उपरोक्त वर्तमान परिलब्धियों के ऊपर नये वेतनमान में अगला प्रक्रम-----
- 8—नये वेतनमान में उक्त प्रक्रम पर एक काल्पनिक वेतनवृद्धि-----
- 9—विकल्प के दिनांक को नये वेतनमान में निर्धारित वेतन (स्तम्भ 7 तथा 8 का योग)-----
- 10—विकल्प के दिनांक के बाद पहली वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक-----
- 11—पहली वार्षिक वृद्धि जोड़कर वेतन-----
- 12—विकल्प के दिनांक के बाद दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि का दिनांक-----
- 13—उक्त दिनांक को दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ कर वेतन-----

टिप्पणी :—जिन अधिकारियों ने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में अपने मूल पद पर :—

- (1) पहली वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने के पूर्व योगदान कर लिया था उनके सम्बन्ध में स्तम्भ 10 से 13 तक शून्य रहेंगे ।
- (2) दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने के पूर्व योगदान कर लिया था उनके सम्बन्ध में स्तम्भ 12 और 13 शून्य रहेंगे ।

भाग "ख"—इस विभाग में योगदान के दिनांक को

- 1—वह पद जिस पर योगदान किया ..
- 2—पद का नया वेतनमान ..
- 3—पद पर योगदान का दिनांक ..
- 4—योगदान के ठीक पूर्व दिनांक को मूल पद पर निर्धारित वेतन (भाग "क" के स्तम्भ 9 अथवा 11 अथवा 13 के अनुसार) ..
- 5—स्तम्भ 4 के वेतन में मूल पद के नये वेतनमान में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि ..
- 6—स्तम्भ 4 और 5 का योग ..
- 7—उक्त योग के ठीक ऊपर स्तम्भ 2 में उल्लिखित वेतनमान में अगला प्रक्रम (जिस पर योगदान के दिनांक को वेतन निर्धारित हुआ) ..

- टिप्पणी : (1) जो ग्राम विकास अधिकारी इस विभाग में ग्रा० वि० अ० (ह० क०) के पद पर आये हैं उनके सम्बन्ध में भाग "ख" की कार्यवाही नहीं होगी । इस विभाग में योगदान के दिनांक की उनका वही वेतन होगा जो भाग "क" के अनुसार वे अपने मूल पद पर पा रहे थे और उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धियां भी उसी के अनुसार देय होंगी ।
- (2) स्तम्भ 5 में उल्लिखित एक काल्पनिक वेतन वृद्धि उनको भी देय है जो मूल पद के वेतनमान में अधिकतम पा रहे थे ।
- (3) जिन ग्रा० वि० अ० (ह० क०) की प्रोन्नति स० वि० अ० (ह० क०) के पद पर हुई है उनका उस पद पर वेतन स्तम्भ 7 के वेतन पर ग्रा० वि० अ० के वेतनमान में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देकर स० वि० अ० के वेतनमान में अगले प्रक्रम पर योगदान की तिथि से निर्धारित की जायगी । अपने वेतन मान में अधिकतम वेतन पाने वाले ग्रा० वि० अ० (ह० क०) को भी एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देय है ।

संलग्नक "ख"-1

वर्तमान वेतनमान के प्रक्रम तथा उन पर अनुमन्य मंहगाई भत्ते तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्तों की संकलित कुल धनराशि

योगदान की तारीख को निर्धारित वेतन	अनुमन्य मंहगाई भत्ता						
	1-7-79 से	1-9-80 से	1-12-80 से	प्रक्रम	1-7-79 से	1-9-80 से	1-12-80 से
1	2	3	4	1	2	3	4
0 ¹ 230-385	.			360	202.40	288.80	303.30
230	159.50	214.70	223.90	370	202.80	291.60	306.40
236	163.20	219.80	229.20	380	203.20	294.40	309.60
242	166.90	224.90	234.60	390	203.60	297.20	312.80
248	170.50	230.00	240.00	400	206.00	302.00	318.00
254	174.20	235.20	245.30	412	211.10	307.10	323.10
260	177.90	236.30	250.70	424	216.20	312.20	328.20
266	181.70	245.40	256.10	436	221.30	317.30	333.30
272	185.30	250.60	261.40	448	226.40	322.40	338.40
278	189.00	255.70	266.80	460	231.50	327.50	343.50
284	192.60	260.80	272.20	₹ 550.-1200			
290	195.60	265.20	276.80	550	274.30	373.30	389.80
299	199.50	271.30	283.30	580	287.90	392.30	409.70
308	200.30	274.20	286.60	610	302.60	411.40	429.60
317	200.70	276.80	289.40	640	315.20	430.40	449.60
326	201.00	279.30	292.30	670	328.90	449.50	469.60
335	201.40	281.80	295.20	700	342.50	468.50	489.50
345	201.80	284.60	298.40	740	360.70	493.90	516.10
355	202.20	287.40	301.60	780	378.90	519.30	542.70
365	202.60	290.20	304.80	820	394.60	542.20	566.80
375	203.00	293.00	308.00	860	407.80	562.60	588.40
385	203.40	295.80	311.20	900	421.00	583.00	610.00
₹ 280-460				950	422.50	593.50	622.50
280	190.20	257.40	268.60	1000	424.00	604.00	634.00
288	194.70	263.80	275.40	1050	494.00	574.00	634.00
296	198.40	269.30	281.20	1200			
304	200.20	273.40	285.60		137-00	185.00	193.00
314	200.60	275.90	288.50	205	140.10	189.30	197.50
323	200.90	278.40	291.40	210	147.20	197.60	206.00
332	201.30	281.00	294.20	215	150.20	201.80	210.40
341	201.60	283.50	297.10	220	153.30	206.10	214.90
350	202.00	286.00	300.00	225	156.40	210.40	219.40

संलग्नक "ग"

नये वेतनमान के प्रक्रम तथा उन पर अनुमन्य महंगाई भत्ते की संकलित कुल धनराशि

अनुमन्य महंगाई भत्ता					
नये वेतन मान में निर्धारित वेतन	1-9-80 से	1-12-80 से	1-2-81 से	1-4-81 से	1-6-81 से
1	2	3	4	5	6
₹ 400-615					
400	57.60	67.20	76.80	86.40	96.00
410	59.00	68.90	78.70	88.60	98.40
420	60.50	70.60	80.60	90.70	100.80
430	61.90	72.20	82.60	92.90	103.20
440	63.40	73.90	84.50	95.00	105.60
450	64.80	75.60	86.40	97.20	108.00
462	66.50	77.60	88.70	99.80	110.90
474	68.30	79.60	91.00	102.40	113.80
486	70.00	81.70	93.30	105.00	116.60
498	71.70	83.70	95.60	107.60	119.50
510	73.40	85.00	97.90	110.20	122.00
522	75.20	87.70	100.20	112.80	125.30
534	76.90	89.70	102.50	115.30	128.20
546	78.60	91.70	104.80	117.90	131.00
558	80.40	93.70	107.10	120.50	133.90
570	82.10	95.80	109.40	123.10	136.80
585	84.20	98.30	112.30	126.40	140.40
600	86.40	100.80	115.20	129.60	144.00
615	88.60	103.30	118.10	132.80	147.60
₹ 470-735					
470	67.70	79.00	90.20	101.50	112.80
485	69.80	81.50	93.10	104.80	116.40
500	72.00	84.00	96.00	108.00	120.00
515	74.20	86.50	98.90	111.20	123.60
530	76.30	89.00	101.80	114.50	127.20
545	78.50	91.60	104.60	117.70	130.80
560	80.60	94.10	107.50	121.00	134.40
575	82.80	96.60	110.40	124.20	138.00
590	85.00	100.00	114.20	128.50	142.80
605	87.10	101.60	116.20	130.70	145.20
620	89.30	104.20	119.00	133.90	148.80
635	91.40	106.70	121.90	137.20	152.40
650	93.60	109.20	124.80	140.40	156.00
667	96.00	112.00	128.00	144.00	160.00
684 से 735 तक	96.00	112.00	128.00	144.00	160.00

	1	2	3	4	5	6
॥ ८० 850-1720						
850	102.00	119.00	136.00	153.00	170.00	
890	106.00	124.60	142.40	160.20	178.00	
930	111.60	130.20	148.80	167.40	186.00	
970	116.40	135.80	155.20	174.60	194.00	
1,010	121.20	141.40	161.60	181.80	202.00	
1,050	126.00	147.00	168.00	189.00	210.00	
1,100	132.00	154.00	176.00	198.00	220.00	
1,150	138.00	161.00	184.00	207.00	230.00	
1,200	144.00	168.00	192.00	216.00	240.00	
1,250	150.00	175.00	200.00	225.00	250.00	
1,300	156.00	182.00	208.00	234.00	260.00	
1,360	163.20	190.40	217.60	244.80	272.00	
1,420	170.40	198.80	227.20	255.60	284.00	
1,480	177.60	207.20	236.80	266.40	296.00	
1,540 से	180.00	240.00	270.00	270.00	330.00	
1,720 तक						

श्री _____ पदनाम _____ विकास खंड _____ जिला _____

को नया वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप देय बकाया भुगतान की धनराशि की विवरणी

पुराने वेतन मान में प्राप्त

मास अथवा उसका भाग	वेतन अथवा अवकाश वेतन	महंगाई भत्ता	अन्तरिम सहायता तथा अतिरिक्त अन्तरिम सहायता	मकान किराया भत्ता	नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6	7
1—ज्वाइनिंग टाइम अवधि						
2—योगदान की तिथि से						
योग

नये वेतनमान में अनुमन्य

वेतन अथवा अवकाश वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	नगर प्रतिकर भत्ता	योग	बकाया (स्तम्भ 12 में से स्तम्भ 7 घटाकर)	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13	14
..

स्तम्भ 13 के योग में से:—
(क) 31-8-81 तक के
बकाये की वह धनराशि
जो अधिकारी के भविष्य
निधि खाते में जमा की
जायेगी—रु 0

(ख) शेष धनराशि जिसका
भुगतान नकद किया जाना
है—रु 0

टिप्पणी:—जिस अधिकारी का भविष्य निधि खाता नहीं है उसे 31-8-81 तक की बकाये में से उतनी धनराशि
नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट (छठा निर्गम) के रूप में दी जायेगी जो 100 रु के पूर्णांक में हो।
बकाये की शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायगा।

अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0)

जिला _____

संलग्नक-“ड”

भाग-- 1

(शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81-209-81, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 द्वारा स्वीकृत)
अक्टूबर, 1981 के वेतन से लागू मकान किराये भत्ते की दर (रुपयों में)

वेतन स्तर	कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजिया- बाद, नैनीताल, मेरठ और बरेली नगरों में	अलीगढ़, मुरादाबाद सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, देहरादून, रामपुर, मथुरा, शाहजहां- पुर, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद और फैजाबाद नगरों में	संभल, इटावा, जौनपुर, अमरोहा, हरिद्वार, हाथरस बहराइच, बदायूं, हापुड़, पीलीभीत, सीतापुर, मऊ- नाथ भंजन, रुड़की, बुलन्दशहर, फतेह- पुर, चंदौरी, गोण्डा, बांदा, खुर्जा नगरों तथा नैनीताल को छोड़- कर अन्य पर्वतीय नागर क्षेत्रों में
-----------	---	---	---

1	2	3	4
1-- 340 रु० तक	30	15	10
2-- 340 रु० से अधिक और 600 रु० तक ..	60	30	20
3-- 600 रु० से अधिक और 900 रु० तक ..	90	45	30
4-- 900 रु० से अधिक और 1,200 रु० तक ..	120	60	40
5-- 1,200 रु० से अधिक और 1,400 रु० तक	150	75	50
6-- 1,400 रु० से अधिक और 1,700 रु० तक ..	200	100	65
7-- 1,700 रु० से अधिक और 2,000 रु० तक	250	125	85
8-- 2,000 रु० से अधिक और 2,400 रु० तक	300	150	100
9-- 2,400 रु० से अधिक	400	200	125

भाग-2

उस प्रमाण-पत्र का प्रपत्र जिसे नियंत्रक अधिकारी उस बिल पर पृष्ठांकित करेगा जिसमें मकान किराये-भत्ता की धनराशि निकाली जाय।

1-- प्रमाणित किया जाता है कि जिन सरकारी सेवकों के लिये इस बिल में मकान किराया की धनराशि निकाली गयी है उन्हें कोई सरकारी निवास-गृह नहीं दिया गया है।

2-- जिन सरकारी सेवकों के लिए इस बिल में मकान किराया भत्ता निकाला गया है उनसे सरकार द्वारा धारित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं और मैंने अपना यह समाधान कर लिया है कि उनकी यह मांगें सरकार के आदेशों अनुसार हैं।

नियंत्रक अधिकारी

भाग— 3

किराये के मकान में रहने वाले सरकारी सेवकों के लिये

- (1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी निवास-गृह के लिये आवेदन-पत्र दिया है लेकिन उस अवधि के दौरान, जिसके संबंध में यह भत्ता मांगा गया है, मुझे ऐसा निवास-गृह नहीं दिया गया है।
- (2) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मकान किराये के रूप में कुछ व्यय वहन कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

भाग— 4

ऐसे सरकारी सेवकों के लिये जो तैनाती के नगर में निजी या परिवार के किसी सदस्य के मकान में रहते हैं।

- (1) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं एक ऐसे मकान में रह रहा हूँ जिसका मालिक मैं हूँ/मेरी पत्नी/मेरे पति/मेरे पुत्र/मेरे पिता/मेरी माता है, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसका/जिसकी मैं एक सहभागी हूँ।

- (2) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मकान कर अदा कर रहा हूँ/के लिये अंशदान दे रहा हूँ।

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

संख्या-6479/26-3-81-11(1)-81

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर, 1981,

विषय:-- अनुसूचितजातियों के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने तथा उनके आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 106-विकास खंडों में विस्तार ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-- 5009/26-3-81-11(1)-80, दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने निर्णय लिया है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु समन्वित परियोजनाओं के सधनीकृत कार्यक्रम का विस्तार संलग्न सूची "क" में उल्लिखित 106 विकास खंडों में इस वर्ष कर दिया जाए। तदनुसार राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक चयनित विकास खंड के लिये ₹ 5 लाख की दर से कुल 5,30,00,000 (केवल पांच करोड़ तीस लाख रुपये) की धनराशि के व्यय किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2--उपरोक्त धनराशि सूची "ग" में दिये गये विभाजन के अनुसार संबंधित अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) द्वारा आहरण कर जिला कोषागार के वैयक्तिक लेखे में रखी जायेगी और इसका संचालन उक्त अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशन के अनुसार तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन रहते हुये किया जायेगा।

3--शासन ने निर्णय लिया है कि सूची में "क" में चयनित 106 विकास खंडों में से प्रत्येक में एक सहायक विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किये जायें। शासन ने यह निर्णय लिया है कि सूची "ख" में उल्लिखित 44 विकास खंडों, जिसमें शासनादेश संख्या--4034/26-3-80-11(18)-80, दिनांक 8 जनवरी, 1981 द्वारा केवल 114 ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी, में भी एक-एक सहायक विकास अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। तदनुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सामने उल्लिखित वेतनमान में उन पर नियुक्ति की तिथि से 28 फरवरी, 1982 तक के लिये यदि वे पद इसके पूर्व ही बिना किसी से पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
(1) सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	150	₹ 280-8-296-9-350 द 0 रो 0-10-400-द 0 रो 0-12-460।
(2) ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	212	₹ 230-6-290-द 0 रो 0-9-335-द 0 रो 0-10-385।

4--उपरोक्त पदों के धारकों के शासन द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अधीनस्थ समान पदों के लिये समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे।

5--उपरोक्त पद धारकों के वेतन तथा भत्ते के व्यय हेतु राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 23,00,000 (तेइस लाख रुपये) की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

6--उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश विभागाध्यक्ष होंगे जिनमें उपरोक्त पदों का प्रशासकीय नियंत्रण भी निहित होगा।

7—उपरोक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक “ 288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े हुये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—ग- अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनायें-केन्द्र द्वारा पुरानिधाति योजनायें-ग- अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता” के नामे डाला जायेगा।

8—यह आदेश वित्त विभाग के अंशासकीय संख्या -ई-12/2424/दस-81, दिनांक 14-9-1981 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,।

पृष्ठाकन संख्या 6479(1)/26-3-81-11(1)-81

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित:--

- (1) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त अतिरिक्त जिला के विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मंडलीय उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (6) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, बी 0--912 सेक्टर सी-महानगर, लखनऊ।
- (8) उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार गृह मंत्रालय, महानगर, लखनऊ।
- (9) आयुक्त, अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, वजीर हसन रोड, लखनऊ।
- (10) मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/मुरादाबाद/लखनऊ/वाराणसी/नैनीताल/अलीगढ़/कानपुर।
- (11) जिला विकास अधिकारी, देहरादून/बिजनौर/एटा/मैनपुरी/मुजफ्फरनगर/बुलन्दशहर/बदायूं/रामपुर/मथुरा/फर्रुखाबाद/फतेहपुर/शाहजहांपुर/इटावा/खीरी/उन्नाव/सीतापुर/सुल्तानपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/हमीरपुर/आजमगढ़/बांदा/ललितपुर/जौनपुर/बलिया/गाजीपुर/बस्ती/दिवरिया/बहराइच/गढ़वाल।
- (12) अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास-इलाहाबाद/हरदोई/रायबरेली/बाराबंकी/झांसी/मिर्जापुर/गोंडा/फैजाबाद/चमोली/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/देहरी गढ़वाल/अल्मोड़ा।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--12।
- (14) नियोजन अनुभाग--3।

पृष्ठाकन संख्या 6479 (2)/26-3-81-1(1)-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

सूची—ग

शासनादेश संख्या-6479/26-3-81-11(1)-81, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 द्वारा स्वीकृत
 रु 5,53,00,000 का जिलेवार विभाजन

जिले का नाम	विकास खंडों की धनराशि	स 0 वि 0 अ 0 तथा ग्रा 0 वि 0 अ 0 के वेतन आदि के लिये	योग
1	2	3	4
1—उत्तर काशी	8,000	8,000
2—चमोली	8,000	8,000
3—गढ़वाल	8,000	8,000
4—टिहरी गढ़वाल	8,000	8,000
5—देहरादून	8,000	8,000
6—पिथौरागढ़	8,000	8,000
7—अल्मोड़ा	8,000	8,000
8—नैनीताल	8,000	8,000
9—मेरठ	10,00,000	46,000	10,46,000
10—गाजियाबाद	5,00,000	27,000	5,27,000
11—सहारनपुर	20,00,000	82,000	20,82,000
12—मुजफ्फनगर	5,00,000	27,000	5,27,000
13—बृलन्दशहर	15,00,000	51,000	15,51,000
14—बिजनौर	20,00,000	82,000	20,82,000
15—मुरादाबाद	5,00,000	27,000	5,27,000
16—रामपुर	5,00,000	27,000	5,27,000
17—बरेली	5,00,000	27,000	5,27,000
18—बदायूं	5,00,000	27,000	5,27,000
19—शाहजहांपुर	5,00,000	27,000	5,27,000
20—पीलीभीत	5,00,000	26,000	5,26,000
21—आगरा	10,00,000	44,000	10,44,000
22—मथुरा	5,00,000	27,000	5,27,000
23—मैनपुरी	5,00,000	26,000	5,26,004
24—अलीगढ़	10,00,000	46,000	10,46,000
25—एटा	5,00,000	26,000	5,26,000
26—इलाहाबाद	25,00,000	92,000	25,92,000
27—फतेहपुर	10,00,000	45,000	10,45,000
28—कानपुर	5,00,000	26,000	5,26,000
29—इटावा	20,00,000	72,000	20,72,000
30—फर्रुखाबाद	5,00,000	26,000	5,26,000
31—लखनऊ	10,00,000	37,000	10,37,000
32—उन्नाव	25,00,000	92,000	25,92,000
33—हरदोई	10,00,000	37,000	10,37,000

1	2	3	4
34—सीतापुर	25,00,000	92,000	25,92,000
35—खीरी	25,00,000	91,000	25,91,000
36—रायचुरेली	25,00,000	99,000	25,99,000
37—फैजाबाद	20,00,000	81,000	20,81,000
38—गोण्डा	5,00,000	27,000	5,27,000
39—बाराबंकी	25,00,000	99,000	25,99,000
40—बहराइच	5,00,000	26,000	5,26,000
41—मुल्तानपुर	10,00,000	45,000	10,45,000
42—प्रतापगढ़	10,00,000	45,000	10,45,000
43—झांसी	5,00,000	27,000	5,27,000
44—ललितपुर	5,00,000	26,000	5,26,000
45—जालौन	15,00,000	63,000	15,63,000
46—बांदा	10,00,000	37,000	10,37,000
47—हमीरपुर	15,00,000	63,000	15,63,000
48—गोरखपुर	10,00,000	44,000	10,44,000
49—बस्ती	10,00,000	44,000	10,44,000
50—आ जमगढ़	25,00,000	99,000	25,99,000
51—देवरिया	5,00,000	26,000	5,26,000
52—वाराणसी	10,00,000	36,000	10,36,000
53—मिर्जापुर	5,00,000	19,000	5,19,000
54—जौनपुर	5,00,000	27,000	5,27,000
55—गाजीपुर	5,00,000	26,000	5,26,000
56—बलिया	5,00,000	26,000	5,26,000
योग	5,30,00,000	23,00,000	5,53,00,000

(कुल पांच करोड़, तिरपन लाख रुपये)

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा
विशेष सचिव ।

संख्या 5179/26-3-82-23/79

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ;

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 1982

विषय:—अपर जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के लिये डीजल जीप गाड़ियों की स्वीकृति तथा उनके लिये ड्राइवरों की नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5397/26-3-81-23/79, दिनांक 25 जुलाई, 1981 के अनुक्रम में तथा आपके अ० शा० प० सं०-5998/10-80/67/नजारत-ह० स० क०/81-82, दिनांक 18 फरवरी, 1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि उक्त डीजल जीप गाड़ियां शासन की सम्पत्ति होगी, अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि शा० सं० 3823/26-3-80-23/79, दिनांक 6 नवम्बर, 1980 में स्वीकृत जीप ड्राइवरों के 14 पद तथा शा० सं०-4205/26-3-81-23/79, दिनांक 16 फरवरी, 1981 में स्वीकृत जीप ड्राइवरों के 42 पद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत रहने की बजाय सीधे आपके नियंत्रण में रहेंगे।

2--अनुरोध है कि आप समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रार्थना-पत्र विभिन्न जनपदों से प्राप्त कर उपरोक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति करने की कार्यवाही करें।

3--चूंकि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 29 सितम्बर, 1981 के बाद की जा रही है, अतः इन पदों के लिये रु०330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495 का नया वेतनमान स्वयमेव लागू होगा और नये पद धारक इसी वेतनमान में नियुक्त किये जायेंगे। नवनियुक्त ड्राइवरों को वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम अर्थात् 330 पर रु० 79.20 रु० मंहगाई भत्ता तथा 10 रु० धुलाई भत्ता प्रतिमास देय होगा। जिन नगरों में मकान किराया भत्ता अनुमन्य है वह भी निर्धारित दर से देय होगा।

4--ड्राइवरों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान उसी धनराशि में से किया जायेगा जो समय-समय पर अपर जिला विकास अधिकारियों (ह० क०) के वेतन तथा भत्तों के लिये स्वीकृत की जाय।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ० सं०-5179/26-3-82-23/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2--प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, बी-912, सेक्टर "सी", महानगर, लखनऊ।
- 3--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4--समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
- 5--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6--नियोजन अनुभाग-3।
- 7--वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 5538/26-3-82-11(26)/82

प्रेषक,

मन्दीर कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महत्वपूर्ण

लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 1982

विषय:—स्पेशल कम्पोजिट प्लान के कार्यान्वयन हेतु सृजित अस्थायी पदों की अवधि 28 फरवरी, 1983 तक बढ़ाना।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज कल्याण
अनुभाग-3

शासनादेश संख्या-4497/26-3-81-23/79 दिनांक 10 मार्च, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोजिट प्लान के कार्यान्वयन हेतु सृजित निम्नलिखित पदों की अवधि श्री राज्यपाल 28 फरवरी 1983 तक, यदि इसके पूर्व इनमें से कोई पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:—

पदनाम	वेतनमान	सृजन का शा० सं० तथा दिनांक
1--अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) (56)	850-1,720	शा० सं०-2339/26-3-80-23-79 दिनांक 29 सितम्बर, 80
2--अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) (1)	850-1,720	शा० सं०-5396/26-3-81-23/79 दिनांक 14 अगस्त, 1981
3--सहायक विकास अधिकारी (ह० क०) (38)	470-735	शा० सं०-4034/26-3-80-11(18) 80, दिनांक 8 जनवरी, 1981
4--ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०) (190)	400-615	तदेव
5--सहायक विकास अधिकारी (ह० क०) (150)	470-735	शा० सं०-6479/26-3-81-11(1) 80 दिनांक 21 सितम्बर, 1981
6--ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०) (212)	400-615	तदेव
7--जीप ड्राइवर (14)	330-495	शा० सं०-3823/26-3-80-28/79 दिनांक 6 नवम्बर, 1980
8--जीप ड्राइवर (42)	330-495	शा० सं०-4205/26-3-81-23/79 दिनांक 16 फरवरी, 1981
9--जीप ड्राइवर (1)	330-495	शा० सं०/7274/26-3-81-23/79 दिनांक 22 अक्टूबर, 1981
10--सहायक प्रबन्धक/अन्वेषक (31)	350-700	शा० सं०/2339/26-3-80-23/79 दिनांक 29 सितम्बर, 1980
11--लेखाकार/नैतिक लिपिक (56)	250-425	तदेव
12--आशुलिपिक (56)	250-425	तदेव
13--चपरासी (56)	165-215	तदेव
14--नैतिक लिपिक/टंकक (56)	200-320	शा० सं० 4233/26-3-81-23-79 दिनांक 16 मार्च, 1981
15--साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर-कम-चौकीदार (56)	170-225	तदेव
16--सहायक प्रबन्धक/अन्वेषक (1)	350-700	शा० सं० 5396/26-3-81-23/79 दिनांक 14 अगस्त, 1981
17--लेखाकार/नैतिक लिपिक (1)	250-425	तदेव
18--आशुलिपिक (1)	250-425	तदेव
19--चपरासी (1)	165-215	तदेव
20--नैतिक लिपिक/टंकक (1)	200-320	तदेव
21--साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर-कम-चौकीदार (1)	170-225	तदेव

2--पूर्व पैरा में क्रमांक 1 से 9 तक के पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे। शेष पदों के धारकों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0 के आदेशों के अनुसार निगम के अन्य कर्मचारियों की भांति महंगाई तथा अन्य भत्ते देय होंगे और इस प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निगम को अनुदान दिया जायेगा।

3--इस संबंध में होने वाला व्यय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण-11-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत- (1) सामाजिक उत्थान कार्यक्रम-ख- अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" (अनुदान संख्या-79) के नामे डाला जायेगा।

4--यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1/4105/दस-14(18), दिनांक 12 फरवरी, 1963 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ0सं0-5538 (1)/26-3-82-11(26)/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त अपर जिलाधिकारी, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि 0, लखनऊ।
- (6) नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय) अनुभाग-12

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 6206/26-3-82-11(84)/81

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर जिला विकास अधिकारी
(हरिजन कल्याण)
अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून,
पौड़ी-गढ़वाल, तथा टिहरी-गढ़वाल।

लखनऊ, दिनांक 21 अप्रैल, 1982

विषय—पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय विकास भत्ता।

महोदय,

हरिजन
एवं समाज
कल्याण
अनुभाग-3

शासनादेश संख्या 3337/28-7-19-1-76, दिनांक 3 दिसम्बर, 78 के साथ पठित शासनादेश संख्या 4129/28-4-80-40-36-1980 दिनांक 5 जनवरी, 1981 की प्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों में तैनात राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को मूल वतन के 15 प्रतिशत की दर से, जिसकी न्यूनतम धनराशि 25 रु० प्रतिमास तथा अधिकतम धनराशि 100 रु० प्रतिमास है, पर्वतीय विकास भत्ता 1 अक्टूबर, 1980 से स्वीकृत किया गया है। यह भत्ता उपरोक्त 5 जिलों में तैनात अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) समस्त सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), समस्त ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) तथा जीप ड्राइवर्स को भी अनुमत्त है।

2—कृपया यह सुनिश्चित करें कि पर्वतीय विकास भत्ते का भुगतान किया जाए।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

संख्या 4129/28-4-80-40-36-1980]

प्रेषक,

श्री गोपाल दास मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य मुख्य कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय विकास भत्ता।

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी, 1981

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 3337/28-7-19-1, 76, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए तथा शासनादेश संख्या 520/28-7-19-1-76, दिनांक 18 फरवरी, 1978 की रद्द करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 1977 में 457.20 मीटर (1,500 फीट) से अधिक ऊंचाई पर स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने की शर्त समाप्त करते हुए यह आदेश प्रदान करते हैं कि उक्त शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के अनुच्छेद 1 के अन्त में दी गई सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाय:—

“जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल में तैनात समस्त कर्मचारी/अधिकारी”

2—उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 1980 से प्रभावी होंगे।

3—यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या जी-1-2136/दस-80, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गोपाल दास मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव।

संख्या-3337/28-7-19-1-76

प्रेषक,

श्री ऊषा पती भट्ट,
 आयुक्त एवं सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
 उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977

महोदय,

पर्वतीय
 विकास
 अनुभाग-7

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र के 5 जिलों-अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी-गढ़वाल व टिहरी-गढ़वाल में जीवन-निर्वाह के अधिक व्यय, उपयुक्त आवासिक स्थानों का अभाव तथा अन्य कठिनाइयों को देखते हुए वहाँ पर तैनात राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राहत देने का मामला कुछ समय से शासन के विचाराधीन है। अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश देते हैं कि उपर्युक्त जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में तैनात समस्त सरकारी पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पाश्चात्तिक शासनादेशों में दी गई सुविधाओं को दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 से निम्न-लिखित दरों पर वित्तीय नियमावली खंड 2, भाग-2 4, के मूल नियम 44 के अन्तर्गत प्रतिकर भत्ते के रूप में "पर्वतीय विकास

1—ऊँचे स्थानों पर रहने संबंधी भत्ता से संबंधित वित्त विभाग का शासनादेश संख्या वे 0 आ 0 3768/दस-16-2-1973, दिनांक 3 अक्टूबर, 1973।

2—पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन भत्ता से संबंधित वित्त विभाग का शासनादेश संख्या-जी -1-2359/दस-75 -226-75, दिनांक 7/14 नवम्बर, 1975 तथा शासनादेश संख्या जी-1-7-82/दस-76-226-75, दिनांक 10 जून, 1976।

भत्ता" वर्ष के बारह महीनों के लिए देय होगा:—

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के तैनाती के क्षेत्रों का विवरण	मूल वेतन का प्रतिशत	न्यूनतम सीमा	अधिकतम सीमा
1	2	3	4
जनपद नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल व .. देहरादून के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर व समुद्रतट से 457.20 मीटर (1500 फीट) अधिक ऊँचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों तथा जनपद अल्मोड़ा में तैनात कर्मचारी/अधिकारी।	15 प्रतिशत	25 रु० प्रतिमास	100 रु० प्रतिमास

2—मुझे यह भी कहना है कि उपर्युक्त पर्वतीय विकास भत्ता स्वीकृत किए जाने के दिनांक अर्थात् 1 अक्टूबर, 1977 से वर्तमान नियमों एवं आदेशों में उपरोक्त पहाड़ी क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में जहां भी ईंधन भत्ता देय था, वह भी समाप्त किया जाता है।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अग्रसारकीय संख्या सा-(1)-2600/दस-77, दिनांक 30 नवम्बर, 1977 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ऊषा पती भट्ट,
 आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-5832/26-3-82-11(84)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ;

सेवा में,

अपर जिला विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण),
उत्तरकाशी ।

लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 1982 ।

विषय : सीमान्त जिलों में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को सीमान्त विशेष वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 910/स्पे० कम्पो 0/ह० क०/वे० दि०/यू० के० आई०/81-82, दिनांक 3 मार्च, 1982 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं० 1612/28-4-82/5(2)/82, दिनांक 29 अप्रैल, 1982 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित वेतनस्लेबों के अनुसार अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) समस्त सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), समस्त ग्राम्य विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) तथा जीप चालकों को नये वेतन मानों पर सीमान्त विशेष वेतन अनुमन्य है ।

2--कृपया यह सुनिश्चित करें कि सीमान्त विशेष वेतन का तदनुसार भुगतान शीघ्र किया जाय ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-5832 (1)/26-3-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) चमोली तथा पिथौरागढ़ को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या 1612/28-4-82-5(2)-82

प्रेषक,

श्री गोपाल दास मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ;

सेवा में,

जिला अधिकारी,
चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी ।

सखनऊ : दिनांक. 29 अप्रैल, 1982

विषय :--पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर काशी) में तैनात राजकीय कर्मचारियों को सीमान्त विशेष वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

पर्वतीय
विकास
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 2173/18-1-28-7-72, दिनांक 22 मई, 1974 तथा संख्या 18-1/28-क-65, दिनांक 11 जून, 1974 का आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों, जिन्हें शासकीय संकल्प संख्या दे० आ० 1590/दस 42 (एम-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, के परिपेक्ष्य में राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश देते हैं कि प्रदेश के पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी सीमान्त जिलों में तैनात समस्त पूर्णकालिक राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को "सीमान्त विशेष वेतन" दिनांक 1 जुलाई, 1979 से अथवा सम्बन्धित कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से अथवा नये वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि से, जो भी बाद में हो, जब तक इस सम्बन्ध में कोई अन्य आदेश निर्गत न किये जायँ नीचे तालिका में उल्लिखित विभिन्न-वेतन स्लैबों में उनके सम्मुख इंगित दरों पर देय होगा :--

सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय और उनके लिए स्वीकृत विशेष वेतन की दरें

वेतन स्लैब	धाराचूला और मुनशियारी (पिथौरागढ़) जोशीमठ, (चमोली) और भटवारी (उत्तरकाशी) के चार विकास खण्ड (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय को छोड़कर)	उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्र और जिला उत्तरकाशी का मुख्यालय
1	2	3
₹०	₹०	₹०
300	45.00	40.00
301 से 400 तक	55.00	45.00
401 से 500 तक	75.00	60.00
501 से 600 तक	100.00	80.00
601 से 750 तक	125.00	100.00
751 से 900 तक	150.00	120.00
901 से 1000 तक	165.00	140.00
1001 से 1100 तक	180.00	150.00
1101 से 1200 तक	200.00	160.00
1201 से 1350 तक	225.00	180.00
1351 से 1450 तक	250.00	200.00
1451 से 1550 तक	275.00	220.00
1551 से 1650 तक	300.00	240.00
1651 से 1750 तक	300.00	270.00
1751 तथा उससे अधिक	300.00	300.00

संख्या 1610 (1)/28-4-82-5(2)-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

- 1—महलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2—आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल तथा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 3—जिलाधिकारी अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल ।
- 4—राज्यपाल महोदय के सचिव ।
- 5—रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 6—उ० प्र० शासन के समस्त सचिव ।
- 7—डिप्टीजनरल आर्गनाइजर एस० एस० बी० आर्गनाइजेशन/भारत सरकार, रोज माउन्ट, रानीखेत ।
- 8—डाइरेक्टर आफ एकाउन्ट्स, कैबिनेट सेक्रेटेरियेट, नई दिल्ली ।
- 9—वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 4 तथा सभी व्यय नियंत्रण अनुभागों को ।
- 10—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग (तीन प्रतियां) ।
- 11—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
गोपाल दास मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव ।

संख्या 1610 (2)/28-4-82-5(2)-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि शिक्षा अनुभाग-5, पंचायत राज अनुभाग-1 तथा नगर विकास अनुभाग-7 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे शिक्षा संस्थाओं, जिला परिषदों तथा स्वायत्तशासी निकायों में नियुक्ति पूर्णकालिक अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त शासनादेश के अनुसार आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से प्रसारित करने की कृपा करें ।

आज्ञा से,
गोपाल दास मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 7397/26-3-82-11(18)/80

प्रेषक,

श्री चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 14 मई, 1982 ।

द्विषय : स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत तैनात अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) तथा ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को ज्वाइनिंग टाइम के वेतन का भुगतान ।

महोदय,

हरिजन एवं
समाज
कल्याण
अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के ज्ञान में यह बात आई है कि कुछ जिलों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत तैनात किए गए अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-2 से 4, के मूल नियम 105 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी अधिकारी को एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण की दशा में कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य है। मूल नियम 107 (क) के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी कार्यभार ग्रहण काल में ड्यूटी पर समझा जायगा और उस काल के लिये उसको वही वेतन मिलेगा जो वह स्थानान्तरित न होने की दशा में पाता है अथवा वह वेतन जो वह नये पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पावेगा, इनमें से जो भी कम हो। वित्तीय निगम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के मूल नियम 102 (2) के अन्तर्गत स्थानान्तरित अधिकारी को वेतन उस जिले के कोषागार से मिलेगा जिसमें वह स्थानान्तरण हो कर पहुंचा है।

2--अतः अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 1980 से अब तक जितने अपर जिला विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, (हरिजन कल्याण) तथा ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) आपके जिले में तैनात किए गए हैं उनको कार्यभार ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) का वेतन मूल नियम 107 के अनुसार अवश्य भुगतान कर दिया जाय और भविष्य में भी यथावत दिया जाए।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पू सं 0 7397(1)/26-3-82-11-(18)/80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह 0 क 0) को अविलम्ब अनुपालन हेतु भेषित ।

इस शासनादेश की प्रतियां समस्त सहायक विकास अधिकारियों (ह 0 क 0) तथा ग्राम विकास अधिकारियों (ह 0 क 0) को तुरन्त उपलब्ध करा दें जिससे कि वे अपने कार्यभार ग्रहण कालके वेतन के दावे प्रस्तुत कर सकें।

प्राप्ता से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

संख्या-6663/26-3-82-11(31)/82

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ 14 अप्रैल, 1982 ।

विषय : स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन हेतु सृजित जिला-स्तरीय अस्थाई पदों के धारकों को 1982-83 में वेतन तथा भत्तों आदि के भुगतान हेतु धन का आवंटन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 57 अपर जिला विकास अधिकारियों (ह0क0), 188 सहायक विकास अधिकारियों (ह0क0), 402 ग्राम विकास अधिकारियों (ह0क0) तथा 57 जीप ड्राइवरो, जिनके पदों की अवधि शासनादेश संख्या 5538/26-3-82-11(26)/82, दिनांक 8 मार्च, 1982 द्वारा 28 फरवरी, 1983 तक बढ़ाई जा चुकी है, को वेतन समस्त प्रकार के अनुमन्य भत्तों एवं कार्यालय-व्यय (कन्टिजेन्सीज) के चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु राज्यपाल महोदय रु0 76,10,000 (छियत्तर लाख, दस हजार रुपये मात्र) की धनराशि की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। उपरोक्त धनराशि का जिलेवार विभाजन संलग्नक-1 में दिया हुआ है।

2--उपरोक्त धनराशि रु0 23,00,000 (तेइस लाख, रुपये मात्र) की उस धनराशि के अतिरिक्त है जो 106 सहायक विकास अधिकारियों (ह0क0) तथा 212 ग्राम विकास अधिकारियों (ह0क0) के नवसृजित पदों के धारकों के वेतन आदि के लिये शासनादेश संख्या 5497/26-3-82-11-(81)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1982 के संलग्नक-2 के स्तम्भ-4 में जिलेवार स्वीकृत की गई है। प्रत्येक अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) द्वारा अपने जिले को दोनों शासनादेशों में स्वीकृत धनराशियों को मिला कर व्यय किया जायगा और व्यय का मासिक विवरण निदेशक हरिजन समाज कल्याण तथा शासन को संलग्नक-2 में प्रत्येक मास की 10 तारीख तक अवश्य प्रेषित किया जायगा। आप यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि पूरे प्रदेश की संकलित मासिक व्यय विवरणी शासन को प्रति मास 20 तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जाय।

3--पैरा 1 में स्वीकृत व्यय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण (11) अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-1-(1)-सामाजिक उत्थान कार्यक्रम-ख-अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" (अनुदान संख्या-79) के नामे डाला जायेगा।

4--यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-938/दस-1980-14 (1)/80, दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 द्वारा प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

सं0-6663(1)/26-3-82-11(31)-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0), उत्तर प्रदेश।
- (6) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ।
- (8) नियोजन अनुभाग-3।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

शा० सं० ॥६६३/२६-३-८२-११ (३१)/८२, दिनांक १४ जून, १९८२ का संलग्नक-१

जिला अधिष्ठान पर व्यय हेतु स्वीकृत रु० ७६.१० लाख का जिलेवार विभाजन

जिला	पदों की संख्या				वेतन तथा भत्तों और आकस्मिक व्यय के लिये आवंटित घनराशि	
	अपर जि० वि० अ०	स० वि० अ०	ग्रा० वि० अ०	ड्राइवर		
1	2	3	4	5	6	
१—उत्तरकाशी	..	१	१	३	१	७०,०००
२—टेहरी गढ़वाल	..	१	१	२	१	६०,०००
३—देहरादून	..	१	१	२	१	६०,०००
४—पौड़ी-गढ़वाल	..	१	१	२	१	६०,०००
५—चमोली	..	१	१	२	१	६०,०००
६—अल्मोड़ा	..	१	१	३	१	७०,०००
७—पिथौरागढ़	..	१	१	३	१	७०,०००
८—नैनीताल	..	१	१	३	१	७०,०००
९—मेरठ	..	१	३	७	१	१,३०,०००
१०—गाजियाबाद	..	१	२	४	१	९०,०००
११—सहारनपुर	..	१	५	११	१	१,९०,०००
१२—मुजफ्फरनगर	..	१	२	४	१	९०,०००
१३—बुलन्दशहर	..	१	४	९	१	१,६०,०००
१४—बिजनौर	..	१	५	११	१	१,९०,०००
१५—मुरादाबाद	..	१	२	५	१	१,००,०००
१६—रामपुर	..	१	२	४	१	९०,०००
१७—बरेली	..	१	२	४	१	९०,०००
१८—शाहजहाँपुर	..	१	२	४	१	९०,०००
१९—बदायूँ	..	१	२	४	१	९०,०००
२०—पीलीभीत	..	१	२	४	१	९०,०००
२१—आगरा	..	१	३	७	१	१,३०,०००
२२—मैनपुरी	..	१	२	४	१	९०,०००
२३—एटा	..	१	२	४	१	९०,०००
२४—अलीगढ़	..	१	३	६	१	१,२०,०००
२५—मथुरा	..	१	२	५	१	१,००,०००
२६—फर्रुखाबाद	..	१	२	४	१	९०,०००
२७—इटावा	..	१	५	१०	१	१,८०,०००
२८—कानपुर देहात	..	१	२	५	१	१,००,०००
२९—कानपुर शहर	..	१	१	३०,०००
३०—फतेहपुर	..	१	३	७	१	१,३०,०००
३१—इलाहाबाद	..	१	८	१६	१	२,७०,०००

जिला	पदों की संख्या			डाइवर	वेतन तथा भत्तों और आकस्मिक व्ययों के लिये आवंटित धनराशि
	अपर जि० व० अ०	स० वि० अ०	पा० वि० अ०		
1	2	3	4	5	6
32—लखनऊ ..	1	7	14	1	2,40,000
33—उन्नाव ..	1	8	16	1	2,70,000
34—हरदोई ..	1	10	20	1	3,30,000
35—सीतापुर ..	1	9	18	1	3,00,000
36—खीरी ..	1	6	12	1	2,10,000
37—रायबरेली ..	1	6	12	1	2,10,000
38—फैजाबाद ..	1	5	11	1	1,90,000
39—गोण्डा ..	1	2	4	1	90,000
40—बहराइच ..	1	2	5	1	1,00,000
41—बाराबंकी ..	1	6	13	1	2,20,000
42—सुल्तानपुर ..	1	3	7	1	1,30,000
43—प्रतापगढ़ ..	1	3	7	1	1,30,000
44—झांसी ..	1	2	5	1	1,00,000
45—जालौन ..	1	4	9	1	1,60,000
46—बांदा ..	1	3	6	1	1,20,000
47—हमीरपुर ..	1	4	9	1	1,60,000
48—ललितपुर ..	1	2	5	1	1,00,000
49—गोरखपुर ..	1	3	7	1	1,30,000
50—आजमगढ़ ..	1	6	13	1	2,20,000
51—देवरिया ..	1	2	4	1	90,000
52—बस्ती ..	1	3	7	1	1,30,000
53—मिर्जापुर ..	1	10	20	1	3,30,000
54—जौनपुर ..	1	2	5	1	1,00,000
55—वाराणसी ..	1	3	6	1	1,20,000
56—गाजीपुर ..	1	2	4	1	90,000
57—बलिया ..	1	2	4	1	90,000
	57	188	402	57	76,10,000

(छियत्तर लाख दस हजार रुपये मात्र)

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

कार्यालय अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)

जिला-----

मास-----, 198 , में अपर जिला विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा जीप ड्राइवरो पर हुए अधिष्ठान व्यय का विवरण:—

1--वर्ष 1982-83 के लिये स्वीकृत कुल धनराशि	रु 0
2--विगत मास के पूर्व तक हुआ कुल व्यय	रु 0
3--विगत मास में हुआ व्यय :--	
(क) वेतन तथा उससे सम्बद्ध भत्ते	रु 0
(ख) यात्रा भत्ता	रु 0
(ग) कार्यालय व्यय	रु 0
(घ) अन्य व्यय	रु 0
(क) से (घ) तक का योग	रु 0
4--स्तम्भ 2 तथा 3 का योग	रु 0
5--अशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में से 4 घटाकर)	रु 0

हस्ताक्षर लेखा लिपिक

संख्या-----दिनांक-----

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- (1) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग--3।
- (2) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

हस्ताक्षर अपर जिला
विकास अधिकारी,
(हरिजन कल्याण)

संख्या--वे 0 आ 0-1932/दस-39 (एम)-1981

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक : 29 मई, 1982 ।

विषय:—नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय धनराशियों का भुगतान ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे 0 आ 0-1590/दस-42(एम)-1980, दिनांक 29-9-81 में लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों के अधीन पदों के लिये नये वेतनमान विषयक आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं । नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-वे 0 आ 0-2191/दस-39 (एम)/1981, दिनांक 20-11-81 में नये वेतनमानों को चुनने के लिये विकल्प का प्रपत्र और वेतन निर्धारण की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया जा चुका है बहुत से कर्मचारियों ने नये वेतनमानों के लिये अपने विकल्प भी प्रस्तुत कर दिये हैं । नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अवशेषों का आगणन करने हेतु संलग्न प्रपत्र तैयार किया गया है, जिससे कर्मचारियों के अवशेषों का आगणन करने में सुविधा होगी । आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय धनराशियों का आगणन कृपया निर्धारित प्रपत्र में करने का कष्ट करें । इस संबंध में पूर्व में प्रसारित विभिन्न आदेशों के क्रम में निम्न बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान रखा जाय :—

(1) कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार उसका वेतन नये वेतनमानों में दिनांक 1-7-79 या उसके उपरान्त नियुक्ति की तिथि या वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित होगा ।

(2) नई दरों पर विभिन्न भत्तों अथवा नये सिरे से स्वीकृत विशेष वेतन का भुगतान शासकीय संकल्प की तिथि अर्थात् 29-9-81 से ही किया जायगा ।

(3) वर्तमान वेतनमानों में वेतन तथा विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता और अतिरिक्त अन्तरिम सहायता तथा नये वेतनमानों में वेतन, विशेष वेतन और महंगाई भत्ता में अन्तर के फलस्वरूप दिनांक 31 अगस्त, 1981 तक देय धनराशि का नकद भुगतान नहीं किया जायगा और वह संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा कर दी जायेगी । जिन कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खाते नहीं खुले हैं, उनके संबंध में इस धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में किया जायगा । दिनांक 1-9-81 से अनुमन्य परिलब्धियों का भुगतान नकद किया जायगा ।

(4) संलग्न प्रपत्र में स्तम्भ 7 व 11 में विभिन्न भत्तों को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाय । भत्तों में वृद्धि दिनांक 29-9-81 से ही अनुमन्य होगी जिसका भुगतान नकद किया जायगा ।

(5) जिन कार्यालयों में अवशेषों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, वह इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी कर्मचारी को विभिन्न शासनादेशों में अनुमन्य धनराशि के अतिरिक्त किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

भवदीय,

जगमोहन लाल बजाज,
सचिव ।

संख्या--वे 0 आ 0-1932/दस-39 (एम)/1981, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) महालेखाकार, 1, 2, 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।
- (2) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव ।
- (3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से

रमा शंकर महरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी ।

ANNEXURE

Office

Calculation Memo in the Revised Scale of Pay

Serial no.	(a) Name and Designation (b) Old Scale/Scales (c) Revised scale/scales with dates of option (d) G.P.F. A/c no.	Period of drawal		Rate at which pay and allowances drawn in the old scale of pay			
		From	To	Pay, Spl. Pay, Personal Pay	D.A., I.R. A.I.R.	Allowances (each allowance to be indicated separately)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8

Rate of pay and Allowances admissible in the Revised Scale of pay			Total	Rate of difference of emoluments	Total amount to be drawn	Amount of arrears to be deposited in G.P.F.	Net amount of Claim
Pay, Spl. Pay, Personal Pay	D.A.	Allowances (each allowance to be indicated separately)					
9	10	11	12	13	14	15	16

श्रीषक,

श्री जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा
अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

दिनांक: लखनऊ: 21 अक्टूबर, 1981

विषय:—राज्य कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।

महोदय,

- मुझे सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू की गई सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में वित्त (बीमा) अनुभाग द्वारा पार्ष्वीकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के संबंध में जो आदेश समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं उन्हें विभिन्न कार्यालयों में समुचित रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सका है जिसके फलस्वरूप यह देखने में आया है कि शासन स्तर पर जो दावे प्राप्त होते हैं उनमें अनेक कमियां तथा त्रुटियां पाई जाती हैं। इन त्रुटियों का निवारण कराने के लिये दावों को वापस करना होता है जिससे इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि पार्ष्वीकित समस्त आदेशों का एक संकलित आदेश जारी किया जाय जिससे इस योजना का कार्यान्वयन सही-सही रूप में सुनिश्चित हो सके।
- 1-सं० बीमा 1/दस 2-80,
दिनांक 19 2 80
- 2-सं० बीमा 13/दस 2-80,
दिनांक 17 3 80
- 3-सं० बीमा 235/दस 2-80,
दिनांक 12 5 80
- 4-सं० बीमा 75/दस 2(2) 80,
दिनांक 30 1-1981
- 5-सं० बीमा 911/दस 81,
दिनांक 18 8 81

2 - सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक के वेतन से प्रत्येक मास कटौती की जायेगी। जो प्रदेश के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "088 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य प्राप्तियां कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अभिदान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत, यथास्थिति क्रेडिट की जायेगी। उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह क्रेडिट दिनांक 1-4-1981 से किया जायेगा।

3 - प्रत्येक सरकारी सेवक से जो कटौती उसके वेतन से होगी वह निम्न प्रकार की जायेगी:—

- | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|
| (1) पुलिस राजपत्रित अधिकारी | | ₹ 0 40 प्रतिमास |
| (2) पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी | | ₹ 0 15 प्रतिमास |
| (3) अन्य समस्त अधिकारी/कर्मचारी | | ₹ 0 20 प्रतिमास |

3—समूह 'घ' वर्ग के ऐसे कर्मचारियों से जो अभी तक ₹ 0 165-215/₹ 0 170 225 के वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके माह सितम्बर, 1981 तक के वेतन से ₹ 0 10 प्रतिमास की कटौती की जायेगी और दिनांक 30-9-81 तक उत्पन्न दावों का निस्तारण भी उसी आधार पर किया जायेगा, अर्थात् सेवारत मृत्यु होने पर बीमा धनराशि ₹ 0 12,000 होगी और दिनांक 1-10-1981 तथा इसके उपरान्त उत्पन्न होने वाले दावों में बीमा धन ₹ 0 25,000 होगा तथा माह अक्टूबर, 81 के वेतन से मासिक कटौती भी ₹ 0 20 की दर से की जायेगी।

4 - किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने पर उसके परिवार को बीमा धनराशि के अतिरिक्त उसके बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज सहित वापस लौटाई जायेगी सेवानिवृत्ति होने पर तथा सेवा से अन्याया पृथक होने पर, केवल त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने वाले मामलों को छोड़कर, सरकारी सेवक को बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज सहित वापस की जायेगी जो कम से कम उतनी धनराशि अवश्य होगी जो उससे उसकी सेवा अवधि में उसके वेतन से काटी गई हो। त्याग-पत्र देकर सेवा से पृथक होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक को केवल बचत खाते में जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज सहित वापस की जायेगी। बचत खाते में जमा धनराशि पर व्याज की संगणना पूरे मास के आधार पर की जायेगी क्योंकि सरकारी सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम माह या उसके किसी भाग के लिए पूरा अभिदान जमा कराया जाता है और बचत खाते से पूरी धनराशि की वापसी भी की जाती है।

5—दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू सामूहिक बीमा योजना शासन के नियमित अधिष्ठान में नियुक्त राज्य सरकार के अधीन समस्त पूर्णकालिक स्थायी एवं अस्थायी सेवकों पर लागू होगी। यह योजना उत्तर

प्रदेश शासन के अधीन नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होगी। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी/कर्मचारी जो शासन के किसी भी पद पर नियुक्त हों अथवा वास्तु सेवा पर हों अथवा भारत सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त पर हों इस योजना से आच्छादित रहेंगे। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान शासन को देना होगा चाहे वह ड्यूटी पर हों, चाहे अवकाश पर हों अथवा निलम्बित हों। अवकाश की अवधि तथा निलम्बन अवधि में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड (Coverd) रहेगा, इसलिये उक्त अवधियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो दिनांक 1 मार्च, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर हों, उनके बारे में संबंधित बाह्य सेवायोजक अथवा उस शासन द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहे हों ऊपर पैरा 2 में निर्धारित दर से कटौती माह मार्च, 1980 के वेतन से आरम्भ करके उत्तर प्रदेश शासन को ट्रेजरी चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेंजेंगे और इस प्रकार से जमा की गई धनराशि का पूर्ण विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, शासन के अधीन ग्रहण किया गया पद तथा विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा दिनांक तथा बैंक का नाम/ट्रेजरी का नाम देते हुए यह सूचना संबंधित बाह्य सेवा सेवायोजक/संबंधित शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी के प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में यह सूचना उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-1, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग को तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संबंध में यह सूचना वन विभाग को भेजी होगी।

6- शासन द्वारा लागू की गई उपरोक्त योजना ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो अल्पकालीन रिक्तियों में अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त किये गये हों। यह योजना शासन के कोषागारों में नियुक्त कैश स्टाफ पर भी लागू नहीं होती है। उक्त योजना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों पर भी स्वतः लागू नहीं होगी, परन्तु यदि वह इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो उन्हें इसके लिये अपना विकल्प देना होगा और उस विकल्प के अनुसार वह अपना अभिदान शासन को देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये भी यह योजना ऐच्छिक रहेगी, अर्थात् यदि वह चाहें तो विकल्प शासन को देकर अपना अभिदान दे सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा लागू की जाने वाली यह योजना संबंधित सरकारी सेवकों पर उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक ही प्रभावी रहेगी, अर्थात् उस माह के अंतिम दिवस तक जिस माह में वह अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवा-निवृत्त होते हों, और यदि सेवा-निवृत्ति अतिवयता आयु प्राप्त करने से पूर्व ही किसी अन्य कारण से होती है तो यह योजना उनकी ऐसी सेवा-निवृत्ति के दिनांक तक ही लागू रहेगी। प्रायः सेवा-निवृत्ति के उपरांत सरकारी सेवक सेवा में पुनर्नियुक्ति भी कर लिये जाते हैं अथवा उन्हें सेब में प्रसार दे दिया जाता है। ऐसे मामलों में यह योजना उनकी सेवा में प्रसार की अवधि में लागू नहीं होगी और सेवा-निवृत्ति के दिनांक के उपरांत की गई सेवा के लिये न तो उनके वेतन से कोई कटौती की जायेगी और न ही उस पर शासन का कोई अंशदान देय होगा। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इस योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों, सीजनल कर्मचारियों, कोषागारों के कैश स्टाफ तथा सेवा-निवृत्ति के उपरांत सेवा में बनाये रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों से कटौती नहीं की जानी है।

7- अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की गई मासिक कटौती अधिष्ठान बिलों के माध्यम से की जायेगी और इसके लिये प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक वेतन बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कटौतियां कर ली गई हैं और कटौती की कुल धनराशि वेतन बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना की कटौती के रूप में दिखा दी गई है। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों में भी जो अपना बिल स्वयं आहरित करते हैं यह कटौती बिल के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तुत की जायेगी। जिन विभागों में, जैसे सचिवालय के इरला योजना से आच्छादित अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बैंक द्वारा भुगतान होता है, इन विभागों में भी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अधिष्ठान बिलों से कटौती कर लेने का प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार देना होगा। उपरोक्तानुसार सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती की धनराशि कोषागारों के लेखों में संक्रामक प्रविष्टि द्वारा नहीं ली जायेगी अपितु इसे सीधे ही महालेखाकार कार्यालय में भुगतान किये हुए बाउचरों से लेखा शीर्षक "088 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण अन्य प्राप्तियां कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन राज्य कर्मचारियों का अभिदान" के अन्तर्गत प्राप्तिओं के रूप में ले लिया जायेगा। वेतन बिल भुगतान हेतु पारित करने से पूर्व कोषाधिकारी यह देख लेंगे कि वेतन बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ने उपरोक्त प्रमाण-पत्र दे दिया है और राजपत्रित एवं अराजपत्रित वेतन बिलों में सामूहिक बीमा योजना से संबंधित कटौती कर ली गई है।

8--किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने पर उसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य होता है। अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में उन सभी कटौतियों आदि का उल्लेख किया जाता है जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से प्रतिभास कटौती जाती है। चूंकि सामूहिक बीमा योजना के संबंध में वेतन से मासिक कटौती निष्पन्न रूप से की जाती है, इसलिये यह आवश्यक है कि अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस कटौती का भी उल्लेख किया जाना चाहिये। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा, जैसी

भी स्थिति हो, यह उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अमुक दिनांक से अपना मासिक अभिदान निर्धारित दर से दिया है। इसी प्रकार सेवा-निवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा/संबंधित कोषाधिकारी द्वारा/पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा तथा अन्य किसी दफ्तर में सक्षम अधिकारी द्वारा शासन को यह सूचना देनी होगी कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च, 1976 से अथवा इसके बाद नियुक्त होने की दशा में नियुक्ति के दिनांक से (नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करने हुए) अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 अथवा दिनांक 1 मार्च, 1980 के उपरांत नियुक्त होने पर, नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए, अपना अभिदान संबंधित अवधि में निर्धारित दर पर निरंतर रूप से दिया है। इस सूचना के आधार पर शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाने वाले धन का प्रागणन किया जायेगा और उसका भुगतान बचत खाते से 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर किया जायेगा।

9--(क) सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को बीमा धन तथा मृतक कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की बचत खाते में जमा धनराशि वापस किये जाने तथा सेवा-निवृत्ति होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर बचत खाते में जमा धनराशि की वापसी के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार शासन से दावे का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रपत्र संख्या-1 में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को 3 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन-पत्र पर कर्मचारी/लाभग्राही द्वारा 20 पैसे का रसीदी टिकट भी पहले से लगाना होगा। प्रपत्र संख्या-1 संबंधित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जायेगा और प्रविष्टियों को अपने अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, यथास्थिति, को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र संख्या-1 के आधार पर समस्त दावों को संहत रूप से प्रपत्र सं०-2 पृष्ठ 1 में भरकर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को 3 प्रतियों में भेजेंगे। प्रत्येक दावे के प्रपत्र संख्या-1 की भी एक मूल प्रति रसीदी टिकट तथा अग्रसारण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ निदेशालय को भेजनी होगी।

(ग) प्रपत्र संख्या-2 के पृष्ठ-1 के विभिन्न स्तम्भों में विवरण का उल्लेख साफ-साफ तथा सेवा-अभिलेखों से सत्यापित किये जाने के उपरांत भरा जायेगा। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, यथास्थिति, प्रपत्र-2 के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये प्रमाण-पत्र पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके तथा अपनी मोहर लगाकर उक्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेंगे। प्रपत्र-2 के पृष्ठ 2 के स्तम्भों में कोई भी प्रविष्टि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष आदि स्तर पर नहीं की जायेगी परन्तु विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र-2 के पृष्ठ 2 पर भी अपने हस्ताक्षर एवं अपनी मोहर लगाकर दावा निदेशालय को भेजेंगे।

(घ) सामूहिक बीमा योजना निदेशालय प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 की प्रतियां प्राप्त होने पर आवश्यक जांच-पड़ताल के उपरांत दावेदारों/लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि प्रपत्र संख्या-2 के पृष्ठ 2 पर दिये गये स्तम्भों में अंकित करेंगे तथा अन्य स्तम्भ भी भरे जायेंगे। प्रत्येक दावेदार/लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि के लिये जारी किये गये चेक/बैंकों की संख्या, दिनांक तथा धनराशि अंकित की जायेगी। धनराशियों के भुगतान का चेक मृतक अथवा सेवा-निवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक व्यक्ति के संबंध में उसके विभागाध्यक्ष के नाम से जारी किया जायेगा। चेक के साथ सामूहिक बीमा योजना निदेशालय विभागाध्यक्ष को मृतक/सेवा-निवृत्त आदि कर्मचारी के संबंध में प्रपत्र संख्या-2 की दो प्रतियां आवश्यक विवरणों सहित अपने हस्ताक्षर तथा मोहर-सहित वापस सौटावेंगे। दावों के प्रस्तुत करने से पूर्व केवल न्यूनतम तथा अत्यन्त आवश्यक तथ्यों की जांच पड़ताल ही पर्याप्त होगी परन्तु शासन से प्राप्त धनराशि का भुगतान करने समय समस्त सम्भावित तथ्यों की पुष्टि की जानी आवश्यक होगी जिससे धनराशि का भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा सके।

(च) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने नाम से एक खाता इस आशय का खोले जाने के आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा-3-2005/दस-79-14-77, दिनांक 17 सितम्बर, 1979 में जारी किये जा चुके हैं। धनराशियों के चेक उक्त खाते में ही जमा किये जायेंगे और संबंधित विभागाध्यक्ष अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के मृतक कर्मचारियों के लाभार्थियों/सेवा-निवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक कर्मचारियों के नाम से चेक जारी करेंगे जो "एकाउन्ट पेयी" होंगे। कार्यालयाध्यक्ष संबंधित व्यक्तियों के बारे में इस बात की पूरी जांच करके कि भुगतान सही व्यक्ति को ही किया जा रहा है, चेक जारी करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि संबंधित व्यक्ति को विभागाध्यक्ष से प्राप्त चेक दिये जाने की कार्यवाही तुरन्त एवं शीघ्रता से की जाये। संबंधित व्यक्ति द्वारा चेक प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में रसीद प्राप्त की जायेगी जिसे संबंधित कार्यालय बीमा योजना निदेशालय को रिकार्ड हेतु भेजेंगे। अस्तावत रसीद का प्रपत्र फार्म संख्या-4 में उपलब्ध है।

10--सामूहिक बीमा योजना के लिये वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। उपरोक्त आदेश यथावत् लागू रहेंगे। अतः यदि भुगतान के समय पुराने मामलों में इस बात का कोई विवाद उठता है कि अमक व्यक्ति

मृत कर्मचारी के संबंध में धनराशि प्राप्त करने का पात्र है या नहीं तो इस प्रश्न का निस्तारण विभागाध्यक्ष द्वारा शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार स्वयं कर दिया जाना चाहिये और जसमें कोई बिलम्ब नहीं होना चाहिये।

11—समस्त विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि वे अपने मुख्यालय पर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को बीमा योजना संबंधी समस्त कार्यों की देख-भाल तथा उनके निस्तारण हेतु वामांकित कर दें जो विभागाध्यक्ष की ओर से बैंक में खोले गये लेखों को भी सम्पादित करेगा।

12—इस योजना से संबंधित लेखा-प्रणाली की प्रक्रिया से भी आपको अवगत कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत कटौतियों तथा भुगतानों का लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जायेगा। इस योजना की प्राप्ति का सरकारी सेवकों द्वारा दिये गये मासिक अभिदान तथा उस पर शासन द्वारा दिये गये अपने अंशदान पर आधारित होती है। इन प्राप्ति की धनराशि में से एक अंश रिस्क फंड में जमा किया जाता है तथा शेष नाम बचत खाते में जमा होता है। सेवारत मृत्यु की दशा में बीमाधन का भुगतान रिस्क फंड में जमा धनराशि से होता है। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सरकारी सेवकों से लिये जाने वाले अभिदान तथा उस पर शासकीय अंशदान की दरें, रिस्क-फंड में जमा होने वाली धनराशि और बचत खाते में जमा होने वाली धनराशि की स्थिति निम्न प्रकार होती है:—

अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी	अभिदान की मासिक दर	शासकीय अंशदान की मासिक	रिस्क फंड में जमा वार्षिक दर धनराशि	बचत खाते में जमा वार्षिक धनराशि
	₹	₹	₹	₹
1—राजपत्रित पुलिस अधिकारी ..	40	3.40	186.00	334.80
2—अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी ..	15	3.08	93.00	123.96
3—अन्य समस्त सरकारी सेवक ..	20	1.70	93.00	167.40

नोट:—दिनांक 1-10-81 से पूर्व की अवधि के लिए ₹0165-215/170-225 के वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये मासिक अभिदान की दर ₹0 10, शासकीय अंशदान की दर ₹0 0.85 रिस्क फंड में जमा होने वाली वार्षिक धनराशि ₹0 44.64 तथा बचत खाते में जमा वार्षिक धनराशि ₹0 85.60 होगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जो धनराशि अंशदान के रूप में दी जाती है वह रिस्क फंड में क्रेडिट होती है और सरकारी सेवक के अभिदान से जमा होने वाली धनराशि इस सीमा तक कम हो जाती है।

13—समस्त कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में इस आशय का एक लेजर या रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मास प्रत्येक कर्मचारी से की गई कटौती का विवरण अंकित किया जायेगा। इससे यह लाभ होगा कि किसी भी समय यह ज्ञात किया जा सकता है कि प्रत्येक कर्मचारी की किस माह से कटौती उसके वेतन से आरम्भ हुई है और इस कार्यालय में कब तक यह कटौती की गई है। सम्बन्धित कर्मचारी के उस कार्यालय से स्थानांतरण होने पर इसी रजिस्टर से उसके अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि उसके वेतन से नियमित रूप से उसके स्थानांतरण तक प्राप्त किये गये वेतन से कटौती की गई है। प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/आइए एवं वितरण अधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किये जाने की दिशा में समुचित ध्यान रखेंगे।

14—चूंकि प्रत्येक कार्यालय के वेतन बिल चाहे वह राजपत्रित अधिकारियों के हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारियों के हों, प्रत्येक जिले के कोषागार द्वारा पारित किये जाते हैं, अतः प्रत्येक कोषागार में इस बात की सूचना उपलब्ध रहती है कि किस कार्यालय से किस माह में कितनी कटौती सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई है। प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा बीमा निदेशालय को प्रत्येक मास के अन्त में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई कटौतियों के आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। यह सूचना प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा एक निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिये प्रपत्र संख्या-10 निर्धारित किया गया है। संबंधित कोषागार इसी प्रपत्र पर अपने कार्यालय में भी समुचित लेखा-जोखा रखेंगे तथा प्रत्येक उप-कोषागार से जो विवरण आने होंगे वह भी इसी प्रपत्र के अनुसार उनके कार्यालय में आयेगा।

15—प्रत्येक दावा शासन को प्राप्त होने पर क्लेम्स रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यह रजिस्टर एक निर्धारित प्रपत्र में रखा जायेगा जिसका प्रारूप जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 3 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से फार्म संख्या 2 में जो सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर फार्म संख्या 3 रखा जायेगा। इस विषय

यह अत्यन्त आवश्यक है कि जी० आई० एस० फार्म संख्या 2 में संबंधित कार्यालय/विभाग/विभाग द्वारा जो भी सूचना शासन को भेजी जायेगी वह सही होनी चाहिये। इसी क्लेमस रजिस्टर में शासन द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को जो भुगतान स्वीकृत किया जायेगा उसको प्रविष्टियां भी की जायेंगी तथा भुगतान चेक द्वारा अधिभूत किया जायेगा।

16—शासन द्वारा जो चेक जारी किये जायेंगे वह विशेष प्रकार के कागज पर मुद्रित फार्म पर लिखे जायेंगे। चेक का प्राप्ति जी० आई० एस० फार्म संख्या 7 में निर्धारित है। यह चेक जारी होने के दिनांक के माह से तीसरे महीने के अंतिम दिवस तक प्रभावी होंगे और उसके उपरान्त यह स्वयं ही निरस्त समझे जायेंगे। यह चेक "नान-नेगोशियेबिल" तथा "एकाउन्ट पेयो" होंगे। शासन द्वारा जारी किये गये चेक केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रलोक मार्ग शाखा, लखनऊ, पर जारी किये जायेंगे और लेखा शीर्षक "870—चेक्स एन्ड बिल्स—ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम चेक्स" के नामे डाले जायेंगे। हस्त-लिखित चेकों पर क्रास इन्ट्री भी की जायेगी। जारी किये गये चेकों का रजिस्टर जी० आई० एस० फार्म संख्या 8 में निर्धारित है। चेकों के प्रतिपण (काउन्टर फाइल) पर बिल की संख्या तथा उसकी मूल धनराशि को अलग-अलग दिखाया जायेगा और आवश्यकतानुसार योग भी निकाला जायेगा, जैसे यदि चेक किसी सेवारत मृतक कर्मचारी की विधवा को भुगतान हेतु जारी किया जा रहा है तो बीमा धनराशि, मृतक कर्मचारी के खाते में उपलब्ध धनराशि तथा उस पर ब्याज की धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी और उसका योग भी प्रतिपण पर अंकित किया जायेगा।

17—प्रपत्र संख्या 10 द्वारा जो सूचना प्रदेश के कोषागारों द्वारा शासन को भेजी जायेंगी वह पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अलग-अलग भेजी होगी। यह सूचना प्राप्त होने पर शासन स्तर पर खोले गये प्राप्तियों के रजिस्टर में दर्ज की जायगी जिसका प्राप्ति जी० आई० एस० फार्म संख्या 5 में निर्धारित किया गया है। इस रजिस्टर में कोषागारों में नकद जमा तथा बुक ट्रांसफर से जमा धनराशियों के विवरण भी इंगित किये जायेंगे। कुल प्राप्तियों का मासिक योग एक अन्य रजिस्टर में ले लिया जायेगा जिसका प्राप्ति जी० आई० एस० फार्म संख्या 6 में निर्धारित किया गया है। फार्म संख्या 6 में प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण दो प्रतियों में रखा जायेगा और माह के अन्त में इनका योग निकाला जायेगा तथा शेष धनराशि प्रदर्शित की जायेगी। इसको एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को प्रति मास भेजी जायेगी। प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मित्रान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय से प्रत्येक 6 मास पर किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रत्येक मास प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक विवरण शिड्यूल तथा बाउचरों सहित संबंधित माह के आगामी माह की 5 तारीख तक भेजा जायेगा। इसलिये इस योजना के अन्तर्गत लेखे/जोखे नियमित रूप से रखने होंगे और प्रत्येक कोषागार से जो विवरण प्राप्त होंगे उन्हें समय के अन्दर ही प्राप्त करना होगा। अतः प्रत्येक कोषागार इस बात को भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि मासिक सूचनायें शासन को विलम्बतम 3 तारीख तक उपलब्ध हो जायें।

18—शासन द्वारा जो भुगतान चेकों से किये जायेंगे, वह जो एक निर्धारित अधि तक ही प्रभावी होंगे जिसका उल्लेख ऊपर पैरा (4) में किया गया है। यह भी हो सकता है कि चक जारी किया जाय वह किसी प्रकार खो जाय या फट जाय या विरुद्ध हो जाय तो इस प्रकार निरस्त हो, कालातीत, खोये, फटे तथा विरुद्ध चेकों का भुगतान संभव नहीं होगा और ऐसे चेक शासन को वापस लौटावे होंगे। भुगतान हुए चेकों की तीन सूचियां बनाई जायेंगी जिनमें से दो सूचियां मासिक लेखे के साथ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को भेजी जायेंगी। पुराना चेक वापस प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही डुप्लिकेट चेक के रूप में नया चेक जारी होगा। नये चेक जारी करने के पूर्व पुराने प्राप्त हुए चेकों का भी लेखा-जोखा रखा जायेगा और यह लेखा-जोखा जी० आई० एस० फार्म संख्या 9 में निर्धारित किया गया है।

19—चूंकि दिनांक 29-2-80 तक की अधि के लिये सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया गया है और उस योजना के अन्तर्गत शासन से प्रीमियम का भुगतान भी किया है, अतः दिनांक 29-2-80 तक उत्पन्न दावों के निस्तारण का दायित्व जीवन बीमा निगम का है। दिनांक 1-3-80 को जीवन बीमा निगम द्वारा शासन को "रिस्क प्लान" तथा "डिपॉजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान" के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियां वापस लौटानी हैं। इस प्रयोजन के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करके शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। शासन को प्राप्त होने वाली धनराशि की सही-सही स्थिति वास्तविक तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

20—सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है जिसमें शासन को कोई हानि का अवसर आये। इस योजना में हानि का अवसर उसी समय हो सकता है जब "रिस्क फण्ड" में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किसी वर्ष में बीमा धन के रूप में करने की आवश्यकता हो जाये। यदि ऐसा कभी कोई अवसर आयेगा भी, तो शासन "रिस्क फण्ड" में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान स्वयं वहन करेगा और इसके लिये किसी कर्मचारी से कोई अतिरिक्त योगदान नहीं लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, इस योजना में यदि कभी कोई हानि होगी तो उस हानि की शत प्रतिशत पूर्ति शासन द्वारा स्वयं की जायेगी।

21—इस योजना के अन्तर्गत "रिस्क फण्ड" में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध समस्त सेवारत मृत्यु के दावों का भुगतान होगा तथा वर्ष के अन्त में जो धनराशि शेष बचेगी वह लाभ होगा। इस लाभ का 80 प्रतिशत अंश शासन द्वारा सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी योजनाओं पर नीवोलैन्ड फण्ड मंडित करके उपयोग किया जायेगा। इस फण्ड के गठन तथा इसकी कार्यविधि के लिये समुचित नियम बनाये जायेंगे और "रिस्क फण्ड" से प्राप्त लाभों की धनराशि इस फण्ड में हस्तान्तरित की जायेगी।

22--सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों के सम्बन्ध में लेखा-जोबा राज्य सरकार के आय-व्ययक में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जायेगा:—

(1) प्रत्येक सरकारी सेवक के मासिक वेतन से की गयी कटौती की धनराशि प्राप्त लेखा शीर्षक "088-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण अन्य प्राणियां-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्य कर्मचारियों का अभिधान-(क) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा (ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा" के अन्तर्गत क्रेडिट की जायेंगी।

(2) राज्य सरकार का इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-क-अन्य बीमा योजनाएँ (1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन 6-सहायक अनुदात/अंशदात/राज्य सहायता-क-अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

(3) सरकारी सेवकों से प्राप्त की गयी कुल धनराशि लेखा शीर्षक "088-" में क्रेडिट की जायेंगी जिसे अन्ततः सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-क-अन्य बीमा योजनाएँ-(2) राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण-अन्तरलेखा संक्रमण के अधीन प्राविधान रखा जायेगा।

(4) सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को प्राप्त होने वाली वह धनराशि जो संबंधित कर्मचारी के बचत खाते से देय होगी, 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित शासन द्वारा वापस की जायेगी। देय ब्याज को धनराशि का भुगतान आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "249-ब्याज का भुगतान-ख-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-4 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज-राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज-2-कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)" के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) सरकारी सेवकों से प्राप्त धनराशि, शासन द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि तथा ब्याज के लिये व्यवस्थित धनराशियां संग्रहित रूप में आय-व्ययक के लोक लेखा पक्ष के लेखा शीर्षक "811" के अधीन प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट की जायेंगी और इसी लेखा शीर्षक के भुगतान पक्ष से समस्त भुगतान किये जायेंगे। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत एक निधि का सृजन भी करना आवश्यक है। अतः इस प्रयोजन के लिये लेखा शीर्षक "811-बीमा और पेंशन निधियां-क-राज्य सरकार बीमा निधि-(1) कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के अधीन कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि गठित की गई है।

23--यह आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 से प्रभावो क्रिये जाते हैं और ऊपर पैरा 1 के पार्श्व में उल्लिखित शासनादेश इसी दिनांक से निरस्त किये जाते हैं।

भवदीय,

जे० ए० ल० बजाज,
सचिव।

संख्या-बीमा-1316(1)/दस-16-80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (2) विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
- (3) श्री राज्यपाल का सचिवालय।
- (4) कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेंस, भारत सरकार वित्त मन्त्रालय (आर्थिक) कार्य विभाग, बीमा प्रभाग, निवाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या एफ० 81(11)-बीमा-11-79, दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के संदर्भ में।
- (5) भारत सरकार के गृह मन्त्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- (6) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली को श्री एम० पार्थसारथी, निदेशक लेखा तथा लेखा परीक्षा के पत्र संख्या 439-लेखा/885-76, दिनांक 4-3-80 के संदर्भ में।
- (7) भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) लोक नायक भवन, (8वां तल), नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 524019/1-79-टी०ए०/मू०पी०-867, दिनांक 29-2-80 के संदर्भ में।
- (8) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या टी० एम०-1/12-398/486, दिनांक 27-2-80 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

शिव शंकर लाल मदनगार,,
विशेष कार्याधिकारी।

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या— 1

सेवा में,
महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बचत एवं सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अपना दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ :—

- 1— (अ) कर्मचारी का नाम
(ब) पिता का नाम
- 2— पद तथा वेतनमान
- 3— नियुक्ति का स्थान व पता
- 4— जन्म-तिथि
- 5— (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक.....
(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक.....
- 6— क्या कर्मचारी निर्गमन के समय सेवा में था.....हं/नहीं
- 7— निर्गमन का कारण

मृत्यु/सेवा निवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति (यदि मृत्यु हो गयी तो मृत्यु का कारण)

8— सेवा से निर्गमन का दिनांक

9— मृत्यु की स्थिति

लाभग्राही का (अ) नाम

(ब) पता

(स) सम्बन्ध

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंकन

(रूपया)

जो उक्त योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण सन्तोख सहित प्राप्त।

दिनांक

स्थान

गवाह

हस्ताक्षर

नाम

पता

20 पैसा का
रसीदी टिकट

कर्मचारी/लाभग्राही के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान

दिनांक

पदाधिकारी के हस्ताक्षर

जिसके अन्तर्गत कर्मचारी कार्यरत था।

बी० आई० एस० फार्म संख्या—2

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये बचत एवं सामूहिक बीमा योजना
स्तम्भ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भरे जायें

(प्रथम पृष्ठ)

क्रम- संख्या	कर्मचारी का नाम, पद व पता	नियुक्ति के स्थान का पता	जन्म तिथि सेवा अभिलेखों के अनुसार	प्रवेश करने की तिथि		निकलने की तिथि	निकलने का कारण	मृत्यु का कारण	लाभग्राही का नाम तथा पता
				सेवा में	योजना में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावा/दावों का भुगतान आग्रह करत हैं। उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चक दिया जावे। हम यहाँ भी पुष्टि करते हैं कि उक्त कर्मचारी/अधिकारियों के (मृत्यु की दशा में) मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं तथा उक्त दावों का प्रपत्र तथा भुगतान इसके पहले कभी प्रेषित, नहीं किया गया।

स्थान
दिनांक

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण
अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

304

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायें

(द्वितीय पृष्ठ)

(द्वितीय पृष्ठ)

क्रम- संख्या	माह और वर्ष		अंशदान की संख्या	लाभ दिये बीमा धनराशि	बचत ब्याज सहित	बचत में अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकालने का						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्वारा शासन से रु० (रुपया) पूर्ण सन्तोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपॉजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई

विभागाध्यक्ष/आहरण व वितरण अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मोहर

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या— 4

(दावेदार से धनराशि प्राप्त होने की रसीद का प्रपत्र)

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता)

महोदय,

मैंने शासन की सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए दावे के सम्बन्ध में
 रु 0 (शब्दों में) की धनराशि का भुगतान चेक संख्या

दिनांक

द्वारा सधन्यवाद पाया ।

स्थान

भवदीय,

३५

दिनांक

(दावेदार का नाम तथा पूरा पता)

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या—3

सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों से संबंधित रजिस्टर (क्लेम्स रजिस्टर)

क्रम- संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभागाध्यक्षों/ कार्यालयध्यक्ष का नाम	जन्म तिथि	सेवा में नियुक्ति का दिनांक	सेवा से निकालने का दिनांक	तिरुजने का कारण	राज्य कर्म- चारियों द्वारा दिये गये अभिदानों की संख्या	लाभप्राप्ति का नाम	स्वीकार किये गये दावों के धनराशि	रिस्क प्लान के अधीन	बचत प्लान के अधीन	ब्याज की धनराशि	कुल योग	जारी कि गये चेक की संख्या तथा दिनांक	वाउचर संख्या एवं अभ्युक्ति दिनांक	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या—5

लेखा गोपिक "088--सामाजिक पुष्पा एवं कल्याण--अन्य प्राप्तियां--कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन--
राज्य कर्मचारियों का अभिदान"--के अन्तर्गत प्राप्तियों का रजिस्टर

क्रम- संख्या	कोषागारों का नाम	सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों (पुलिस विभाग को छोड़कर) से प्राप्त धनराशियां	सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग से प्राप्त धनराशियां	राजकीय अ.दान की धनराशि	कुल योग जिसे एम्सट्रैक्ट रजिस्टर में ले जाया गया	अभ्युक्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		नकद जमा	बुक ट्रांसफर, से जमा	नकद जमा	बुक ट्रांसफर से जमा	समस्त राज्य कर्मचारियों, केवल पुलिस विभाग को छोड़कर के लिए	पुलिस विभाग के सेवकों के लिए	₹ 0 पैं 0	₹ 0 पैं 0	₹ 0 पैं 0	

जी० आई० एस० फॉर्म संख्या—6

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों से प्राप्त तथा उन्हें भुगतान की गई धनराशि तथा उपलब्ध अवशेष से संबंधित एम्सट्रैकट रजिस्टर

तारीख/माह	प्राप्तियों और भुगतानों के विवरण	प्राप्तियाँ		भुगतान		शेष	अभ्युक्ति
		रु०	पै०	रु०	पै०		

G.I.S. FORM NO. 7

COUNTERFOIL

Cheque no.
Date
In favour of.....
.....
Amount Rs.
(Rupees.....)



A/C PAYEE—NOT NEGOTIABLE

Cheque no.....

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
DIRECTORATE OF GROUP INSURANCE

Dated, Lucknow

To
THE STATE BANK OF INDIA, LUCKNOW,

Pay to

Rupees (In words)

Rs.(in figures).....and charge the
same to the account of the Uttar Pradesh Government against Group Insurance Scheme
Cheques (REMITTANCE) "870—Cheques and Bills—Group Insurance Scheme Cheques.

Joint Director.

*N. B.—This cheque is current only till the last day of the third month from the month
of issue.*

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या— 8

जारी किये गये चेकों का रजिस्टर

दिनांक	क्रम-संख्या	दावे रजिस्टर का क्रमांक	भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम	चेक संख्या तथा दिनांक	धनराशि	भुगतान का दिनांक	वाउचर संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					₹ 0	₹ 0		

जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या— 9

निरस्तीकृत, कालातीत खोये, फटे तथा विकृत चेकों के स्थान पर जारी हुए दोहरे (डुप्लीकेट) चेकों का विवरण

दिनांक	क्रम-संख्या	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम	निरस्तीकृत/कालातीत आदि चेक की संख्या तथा दिनांक	धनराशि	नये चेक की संख्या तथा दिनांक	धनराशि	हस्ताक्षर चेक लेखक, लेखाकार व संयुक्त निदेशक	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	

(FOR USE IN TREASURIES ONLY)

G.I.S. Form no. 10

.....Treasury

Register of "088—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—अन्य प्राप्तियाँ—कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्यकर्मचारियों का अभियान

Date of Receipt	Challan no.	Date of Sub-Treasury Siaha	Name of Treasury, Sub-Treasury/ Depositor or source of deposit	Amount received from government servants (other than Police Deptt.) under the Group Insurance Scheme		Amount received from government servants under Police Deptt. in Group Insurance Scheme		Daily total carried to cash-book	Remarks
				Deposit in Cash	By Book Transfer	Deposit in cash	By Book Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	

310

NOTE—Details of grants received from Government should be noted in the Remarks column.

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सामान्य-4--1905/दस-81--202-70

लखनऊ, 30 अक्टूबर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-851/दस-81-202-70, दिनांकित 28 मई, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सामान्य-4-1255/दस-81-202-70, दिनांकित 21 अगस्त, 1981 के अनुसार राज्य सरकार के ऐसे सेवकों को जो 1,000 रुपये प्रति मास या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हों, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने संचित अवकाश लेखे में से एक मास/30 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश (1936 के पूर्व अथवा बाद के लागू अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) के नकदीकरण की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य है, अवकाश नकदीकरण से सम्बन्धित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी :—

(1) वेतन आयोग द्वारा संस्तुति और शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में 1400 रुपये प्रति-मास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को एक मास/30 दिन (अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) तथा 1400 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि कथित एक मास/30 दिन/15 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात् अभ्यर्पण के दिनांक की सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाय। अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात् अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन के अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रखने का प्राविधान सरकारी सेवकों के हितों की ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकारी सेवक आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सकें और उन्हें अर्ध वेतन/निर्वेतन अवकाश लेने के लिए बाध्य न होना पड़े।

(2) अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भी उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा सेन्ट्रल डेपुटेशन की अपाध में अनुमन्य नहीं होगी।

(3) वर्तमान वेतनमानों में कार्यरत राज्य सरकार के सेवकों को जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उनके मूल वेतन में दिनांक 1-7-1979 को अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार आर्गणित वेतन के आधार पर ही उन्हें एक मास/30 दिन/15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

(4) अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये केवल मूल नियम 9 (21) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जाना चाहिए।

(5) इस प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवक को अवकाश वेतन, नान-प्रीक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता वह देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से एक मास/30 दिन/15 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपभोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से भविष्य निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देय आदि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(6) औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकार करने के लिये सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन-पत्र में (प्रतिलिपि संलग्न) दिये जाने चाहिये। सरकारी सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन-पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तदनुसार संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में से अभ्यर्पण के दिनांक को एक मास/30/15 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिये और अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जानी चाहिये कि यह कमी सरकारी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी है।

(7) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी परन्तु जिन मामलों में वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी ।

(8) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपाजित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में सरकारी सेवक को देय अवकाश अथवा 120 दिन या 1936 के पूर्व के अवकाश नियमों के लागू होने की दशा में मास, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(9) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्त होने में एक मास/30/15 दिन से कम अवधि शेष हो ।

(10) अराजपत्रित कर्मचारियों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन तथा भत्तों का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जाना चाहिये । जहां तक राजपत्रित अधिका-कारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 (वाई) के अधीन अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे 120 दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं । अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अग्रिम में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी ।

(11) यह सुविधा उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगी जो भारत सरकार अथवा दूसरी राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्त अथवा बाह्य सेवा पर हों ।

(12) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखों में कर दी गयी है, जहां तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा । अभ्यर्पित/अवकाश से सम्बन्धित/अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण अधिकारी द्वारा उस बिल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाय इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियां सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर दी गयी हैं ।

(13) सरकारी सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये हुए अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें परन्तु जहां सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहां इस जमा पर किसी प्रकार के सरकारी अंशदान का हक नहीं होगा ।

2--यह आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1931 से प्रभावी होंगे ।

नृपेन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या सामान्य-4-1905(1)/दस-81-202-70, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
- (4) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
- (5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

राधारमन सिकरोरिया,
उप सचिव ।

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण' के लिए आवेदन-पत्र

टिप्पणी : --(1) मद 1 से मद 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी।

(2) मद 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर लागू होगी।

1--आवेदक का नाम-----

2--लागू अवकाश नियम-----

3--पदनाम-----

4--विभाग / कार्यालय-----

5--वेतन-----

6--अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक दिनांक-----से-----तक
अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति-----

7--अवकाश मांगे जाने का कारण-----

8--पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया तथा उसकी प्रकृति-----से-----तक

9--अवकाश की अवधि में पता-----

10--(क) (1) क्या एक मास 30 दिन/15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है ?-----

(2) यदि हां, तो किस दिनांक को-----

(ख) क्या चालू कैलेंडर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है ?-----

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

11--अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति-----

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

12--फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2, भाग 2 से 4, के सहायक नियम 81 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट।

(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2, भाग 2 से 4, के मूल नियम/सहायक नियम
-----के अधीन दिनांक-----से-----तक आवेदित अर्जित अवकाश/
औसत वेतन पर अवकाश देय है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देय तथा अनुमन्य है।

हस्ताक्षर

दिनांक :

पदनाम

13--अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम

(FOR USE IN TREASURIES ONLY)

G.I.S. Form no. 10

.....Treasury

Register of "088—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—ग्रन्थ प्राप्तियाँ—कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन-राज्यकर्मचारियों का अभियान

Date of Receipt	Challan no.	Date of Sub-Treasury Saha	Name of Treasury, Sub-Treasury/ Depositor or source of deposit	Amount received from government servants (other than Police Deptt.) under the Group Insurance Scheme		Amount received from government servants under Police Deptt. in Group Insurance Scheme		Daily total carried to cash-book	Remarks
				Deposit in Cash	By Book Transfer	Deposit in cash	By Book Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	

310

NOTE—Details of grants received from Government should be noted in the Remarks column.

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सामान्य-4-1905/दस-81-202-70

लखनऊ, 30 अक्टूबर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी की यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-851/दस-81-202-70, दिनांकित 28 मई, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सामान्य-4-1255/दस-81-202-70, दिनांकित 21 अगस्त, 1981 के अनुसार राज्य सरकार के ऐसे सेवकों को जो 1,000 रुपये प्रति मास या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हों, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने संचित अवकाश लेखे में से एक मास/30 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश (1936 के पूर्व अथवा बाद के लागू अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) के नकदीकरण की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य है, अवकाश नकदीकरण से सम्बन्धित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी :--

(1) वेतन आयोग द्वारा संस्तुति और शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में 1400 रुपये प्रति-मास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को एक मास/30 दिन (अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) तथा 1400 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि कथित एक मास/30 दिन/15 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात् अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाय। अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात् अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन के अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रखने का प्राविधान सरकारी सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकारी सेवक आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सकें और उन्हें अर्ध वेतन / निर्वतन अवकाश लेने के लिए बाध्य न होना पड़े।

(2) अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा सेन्ट्रल डेपुटेशन की अपाध में अनुमन्य नहीं होगी।

(3) वर्तमान वेतनमानों में कार्यरत राज्य सरकार के सेवकों को जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, अवकाश के नकदीकरण की लिए उनके मूल वेतन में दिनांक 1-7-1979 को अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार आगणित वेतन के आधार पर ही उन्हें एक मास/30 दिन/15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

(4) अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये केवल मूल नियम 9 (21) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जाना चाहिए।

(5) इस प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवक को अवकाश वेतन, नान-प्रीक्टिसिंग एलाउन्स/वेतन, महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता वह देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से एक मास/30 दिन/15 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपभोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से भविष्य निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देय आदि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(6) औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकार करने के लिये सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन-पत्र में (प्रतिलिपि संलग्न) दिये जाने चाहिये। सरकारी सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपन आवेदन-पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तदनुसार संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में से अभ्यर्पण के दिनांक को एक मास/30/15 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिये और अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्यक्ति अंकित कर दी जानी चाहिये कि यह कमी सरकारी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी है।

(7) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी परन्तु जिन मामलों में वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेंडर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी ।

(8) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपाजित अवकाश/असत वेतन पर अवकाश जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में सरकारी सेवक को देय अवकाश अथवा 120 दिन या 1936 के पूर्व के अवकाश नियमों के लागू होने की दशा में मास, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(9) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्त होने में एक मास/30/15 दिन से कम अवधि शेष हो ।

(10) अराजपत्रित कर्मचारियों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन तथा भतों का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जाना चाहिये । जहां तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 (वाई) के अधीन अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे 120 दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं । अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अग्रिम में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी ।

(11) यह सुविधा उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगी जो भारत सरकार अथवा दूसरी राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्त अथवा वाह्य सेवा पर हों ।

(12) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखों में कर दी गयी है, जहां तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा । अभ्यर्पित/अवकाश से सम्बन्धित/अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण अधिकारी द्वारा उस बिल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाय इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियां सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर दी गयी हैं ।

(13) सरकारी सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये हुए अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें परन्तु जहां सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहां इस जमा पर किसी प्रकार के सरकारी अंशदान का हक नहीं होगा ।

2--यह आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1931 से प्रभावी होंगे ।

नृपेन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या सामान्य-4-1905(1)/दस-81--202-70, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- (1) महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
- (4) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
- (5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

राधारमन सिकोरिया,
उप सचिव ।

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण' के लिए आवेदन-पत्र

टिप्पणी : --(1) मद 1 से मद 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी।

(2) मद 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर लागू होगी।

1--आवेदक का नाम-----

2--लागू अवकाश नियम-----

3--पदनाम-----

4--विभाग / कार्यालय-----

5--वेतन-----

6--अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक दिनांक-----से-----तक
अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति-----

7--अवकाश मांगे जाने का कारण-----

8--पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस-----से-----तक
दिनांक तक लिया गया तथा उसकी प्रकृति-----

9--अवकाश की अवधि में पता-----

10--(क) (1) क्या एक मास 30 दिन/15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है?-----

(2) यदि हाँ, तो किस दिनांक को-----

(ख) क्या चालू कैलेंडर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है?-----

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

1--अप्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति-----

दिनांक : हस्ताक्षर
पदनाम

12--फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2, भाग 2 से 4, के सहायक नियम 81 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट।

(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2, भाग 2 से 4, के मूल नियम/सहायक नियम
-----के अधीन दिनांक-----से-----तक आवेदित अर्जित अवकाश/
औसत वेतन पर अवकाश देय है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देय तथा अनुमत्य है।

हस्ताक्षर

दिनांक :

पदनाम

13--अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-- 4

संख्या सा-4-1906/दस-81--601/81

लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

बिषय :--यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) द्वारा राज्य कर्मचारियों की अनुमन्य यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों एवं उन पर शासन द्वारा दिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्यपाल महोदय यात्रा भत्ता की कतिपय दरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पुनरीक्षित व्यवस्था को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(1) पुनरीक्षित वेतनमानों में यात्रा भत्ता के प्रयोजन हेतु शासकीय सेवकों का वर्गीकरण:--

(क) कुछ उच्च पदाधिकारियों को छोड़कर जिनपर विशेष नियम लागू होते हैं, (देखिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 का अध्याय-5) यात्रा भत्ता के प्रयोजन हेतु शासकीय सेवकों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 16 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप यात्रा भत्ता आगणित करने के लिए अब शासकीय सेवक निम्नलिखित कोटि में वर्गीकृत होंगे:--

- | | | |
|------------|----|---|
| 1--कोटि--1 | .. | 1,500 रु0 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी। |
| 2--कोटि--2 | .. | 701 रु0 से 1,500 रु0 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक। |
| 3--कोटि--3 | .. | 320 रु0 से 700 रु0 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक। |
| 4--कोटि--4 | .. | 305-390 रु0 और 315-440 रु0 के वेतनमान तथा उनके सेलेक्शन ग्रेड में वेतन आरित करने वाले सभी शासकीय सेवक तथा वे शासकीय सेवक जो 350 रु0 प्रतिमाह तक नियत वेतन आहरित कर रहे हैं। |

(ख) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 के नियम 23(ए) की व्यवस्था के अनुसार वर्तमान समय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवक रेल के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु प्राधिकृत हैं परन्तु अब वह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त वर्गीकरण में केवल वे शासकीय सेवक ही रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए प्राधिकृत होंगे जो पुनरीक्षित वेतनमानों में रुपये 750 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन आहरित करते हों। इस प्रकार रुपये 750 प्रतिमाह से कम वेतन आहरित करने वाले समस्त शासकीय सेवक रेल के द्वितीय श्रेणी में ही यात्रा करने के अधिकारी होंगे।

(2) दैनिक भत्ता

(क) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 के नियम 23 (सी) (1) के अनुसार ग्राह्य दैनिक भत्ता की वर्तमान दरों के स्थान पर अब निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी:---

1	2	3	4	5
शामकीय सेवकों की कोटि	माधारण दर (स्तम्भ 3, 4 और 5 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों पर लागू)	“ख” वर्ग के नगरों के लिए दरें, जिनमें नगर-पालिकाएँ तथा कैंटोन्मेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, महारनपुर, शाहजहाँपुर, रामपुर, गोरखपुर, मथुरा, मिर्जापुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	“क” वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगर-पालिकाएँ तथा कैंटोन्मेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद, पटना, मद्रास, शिमला, हैदराबाद, चंडीगढ़ और श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के लिए दरें। (प्रदेश के बाहर के स्थान)
कोटि--1	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
1500 ₹ प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।	14.00	18.00	22.00	35.00
कोटि--2				यदि सार्वजनिक निगम/उप-क्रम / सहकारी संस्था / प्राधिकरण की अथवा सरकारी आवासी सुविधा उपलब्ध है अन्यथा ₹ 60.00।
(क) 1100 ₹ से 1500 ₹ प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक।	12.00	14.00	16.00	24.00
(ख) 701 ₹ से 1099 ₹ प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक।	10.00	12.00	15.00	20.00
कोटि--3				
(क) 551 से 700 ₹ प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक	8.00	10.00	12.00	16.00
(ख) 320 ₹ से 550 ₹ प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी शासकीय सेवक।	7.00	8.00	10.00	12.00
कोटि--4				
305-390 ₹ और 315-440 ₹ के वेतनमान में तथा उनके सेलैक्शन ग्रेड में वेतन आहरित करने वाले सभी शासकीय सेवक तथा वे शासकीय सेवक जो 350 ₹ प्रतिमाह तक नियत वेतन आहरित कर रहे हैं।	6.00	6.00	8.00	10.00

(ख) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित नगरों से भिन्न इस प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक तालिका के स्तम्भ-2 में दर्शायी गयी दैनिक भत्ता की साधारण दरों के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दैनिक भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।

(ग) शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित नगरों के अलावा अन्य राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के राज्य क्षेत्रों में यात्रा करने की दशा में उन पर लागू होने वाली दैनिक भत्ता दी दरें वहीं होंगी जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाये गये नगरों में अनुमन्य है।

(घ) (1) ऐसे शासकीय सेवक को जिसे दौरे की अवधि में भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे स्वशासी औद्योगिक अथवा व्यापारिक उपक्रम, निगम अथवा संविहित निकाय या स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) द्वारा, जिसमें राज्य सरकार का धन लगा हो अथवा जिसमें राज्य सरकार का कोई अन्य हित निहित हो, रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई हो, दैनिक भत्ता की अन्यथा अनुमन्य दर के 1/4 की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। यदि शासकीय सेवक को रहने और खाने की सुविधाओं में से कोई एक ही सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई हो तो उसे अन्यथा अनुमन्य दर के 1/2 की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित नगरों में कोटि-1 के सेवकों के लिये उक्त प्रयोजन के लिये अनुमन्य दर रु 35 प्रति दिन मानी जायगी।

(2) कोटि-1 के शासकीय सेवक यदि उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित नगरों में सार्वजनिक निगम/उपक्रम/सहकारी संस्था/प्राधिकरण की अथवा सरकारी आवासीय सुविधा का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में दैनिक भत्ता रुपये 35 प्रति दिन की दर से ग्राह्य होगा।

(3) कोटि-1 के शासकीय सेवक यदि उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित नगरों में आवास एवं भोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था पूर्वतया निजी रूप से करते हैं तो ऐसी स्थिति में दैनिक भत्ता रुपये 60 प्रति दिन की दर से ग्राह्य होगा।

(4) कोटि-1 के शासकीय सेवक उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित नगरों में शासकीय कार्यवश टैक्सी से की गयी स्थानीय यात्राओं पर हुए वास्तविक व्यय को, दैनिक भत्ता में बिना किसी कटौती के, पाने के अधिकारी होंगे।

(ङ) जब भी 0 ए 0 सी 0/मुनिज दर के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिडन्त इत्यादि के लिए अपने अस्थायी बेत कैम्प से क्षेत्र में जाय, जैसे एग्गो-डहैती अभियान में बेत कैम्प से बोहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जाय तब उन्हें उस अवधि के लिये नियमानुसार उपरोक्त दरों पर अनुमन्य दैनिक भत्ता की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

(3) सड़क किलोमीटर भत्ता:—

इस सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

(4) आनुषंगिक व्यय:—

यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवकों के पुनरोक्षित वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न कोटि के शासकीय सेवकों के लिये आनुषंगिक व्यय की दरें पूर्ववत् निम्नानुसार रहेंगी :

1—कोटि—1	..	3.5 पैसे प्रति किलोमीटर
2—कोटि—2	..	3.0 पैसे प्रति किलोमीटर
3—कोटि—3	..	2.0 पैसे प्रति किलोमीटर
4—कोटि—4	..	1.0 पैसे प्रति किलोमीटर

(5) वायुयान एवं रेल के वातानुकूलित कोच से यात्रा करने का अधिकार:—

वर्तमान व्यवस्था के अधीन शासन के सचिव विशेष सचिव एवं रु 2,000 प्रति माह या उससे अधिक वेतन पावे वाले शासकीय सेवक वायुयान से यात्रा करने के लिये प्राधिकृत हैं। अब पुनरोक्षित व्यवस्था के अनुसार शासन के सचिव, विशेष सचिव के अतिरिक्त ऐसे शासकीय सेवक जो पुनरोक्षित वेतनमान में रुपये 2400 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन आहरित करते हों, वायुयान से यात्रा करने के लिये प्राधिकृत होंगे। इसी प्रकार रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) से यात्रा करने के लिये भी अब वे ही शासकीय सेवक प्राधिकृत होंगे जिनका मासिक वेतन पुनरोक्षित वेतनमानों में रुपये 2400 अथवा उससे अधिक हो।

(6) स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवकों को अनुमन्य एक मुश्त (Lum Sum) धनराशि:—

(क) वित्तीय नियम संप्रह, खण्ड-3 के नियम 42 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई सरकारी सेवक शासकीय कार्य के लिये, न कि अपनी स्वयं की प्रार्थना पर, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे आधे माह का वेतन, जिसको अधिकतम धनराशि रु 150 से अधिक न हो, एक-मुश्त धनराशि के रूप में ग्राह्य होती है। इस सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसरण में अब पुनरोक्षित वेतनमानों में उक्त एक मुश्त धनराशि को ग्राह्यता के सम्बन्ध में नवीन व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:—

शासकीय सेवक जो	एक मुश्त धनराशि
	रु
1—1500 रु प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित करते हों	400.00
2—701 रु से 1500 रु तक प्रतिमाह वेतन आहरित करते हों	300.00
3—551 रु से 700 रु तक प्रतिमाह वेतन आहरित करते हों	200.00
4—320 रु से 550 रु तक प्रतिमाह वेतन आहरित करते हों	150.00
5—320 रु प्रतिमाह से कम वेतन आहरित करते हों	100.00

(ख) शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण पर उपर्युक्त एकमुश्त धनराशि तभी अनुमन्य होगी जबकि स्थानान्तरित शासकीय सेवक का नया स्थान उसके पुराने स्थान से 8 कि०मी० से अधिक की दूरी पर स्थित हो। यदि शासकीय सेवक का स्थानान्तरण जिले के अन्तर्गत ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तो उस स्थिति में सरकारी सेवक को उपर्युक्त उप प्रस्तर (क) में अंकित एक मुश्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि ही ग्राह्य होगी।

(7) शासकीय कार्यवश रेल द्वारा की जाने वाली यात्राओं में, जिनमें रात्रि यात्रा भी निहित हो, सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को अब रेल किरायों के अतिरिक्त स्लीपर वर्थ पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्राप्य होगी।

(8) शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय कार्यवश की जानेवाली यात्राओं के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत, यदि शासकीय सेवक को अन्यथा उब दिन का दैनिक भत्ता ग्राह्य न हो और नियंत्रक अधिकारी इन परिस्थितियों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में पूर्णतः सतुष्ट हो, एक दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :—

(क) शासकीय कार्यवश गन्तव्य स्थान पर जाने पर वहां दो तिथियों में मिलाकर 8 घंटे या उससे अधिक का रात्रि अवस्थान हुआ हो,

(ख) शासकीय सेवक को यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल या वायुयान की प्रतीक्षा में 4 घंटे या उससे अधिक का अवस्थान करना पड़े।

2--ऐसे शासकीय सेवकों को, जिनके वेतनमान पुनरोक्षित नहीं किये गये हैं, अथवा जो वर्तमान वेतनमान ही बनाए रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता को उपर्युक्त पुनरोक्षित दरों की अनुमन्यता के लिये उनके वेतन स्लैब के निर्धारण हेतु उनके वेतन में दिनांक 1-7-79 को अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता जोड़ लिया जायगा। वायुयान तथा रेल के वातानुकूलित कोच से यात्रा की सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए), जिनके वेतनमान पुनरोक्षित नहीं किए गए हैं, अथवा जो वर्तमान वेतनमान ही बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान वेतनमानों में रु० 2000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन का आधार पर यथावत् अनुमन्य रहेगी।

3--यह आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से पभावो होंगे अर्थात् वह उन सभी यात्राओं तथा उनसे सम्बन्धित अवस्थानों (Halts) पर लागू होंगे जो उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों, परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावो नियमों/दरों के अनुषार यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनरोद्धारित नहीं किया जायेगा।

4--वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किये जायेंगे।

भवदीय,

जे० एल० वजाज,
सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-1906 (1)/दस-81-601/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2—महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3—सचिव, विधान परिषद्/सभा, विधान भवन, लखनऊ।
- 4—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- 5—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।
- 6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

राधा रमन सिकरोरिया,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-1906/दस-81-601/81

लखनऊ, दिनांक 7 नवम्बर, 1981

कार्यालयज्ञाप

विषय :—याता भत्ता की दरों का पुनरीक्षण ।

उपरोक्त विषयक समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 31 अक्टूबर, 1981 के प्रस्तर-1 (2) में दैनिक भत्ता की मद से संबंधित तालिका के स्तम्भ-5 एवं तालिका के नीचे उप-प्रस्तर-घ (1), घ(2) एवं घ (3) में कोटि-1 के शासकीय सेवकों को रुपये 35 अथवा रुपये 60 प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता की अनुमन्यता की व्यवस्था अंकित है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त कार्यालय ज्ञाप का आंशिक संशोधन करते हुए उसके प्रस्तर-1 (2) में दी गई दैनिक भत्ता की तालिका के नीचे अंकित उप-प्रस्तर-घ (2) तथा घ (3) के स्थान पर निम्नांकित उप-प्रस्तर प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :—

(घ) (2) कोटि-1 के शासकीय सेवकों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित ऐसे नगरों में जहां सार्वजनिक निगम/उपक्रम/सहकारी संस्था/प्राधिकरण की अथवा सरकारी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो (एकजिस्ट करती हो), दैनिक भत्ता रुपये 35 प्रति दिन की दर से ग्राह्य होगा, भले ही वे उक्त सुविधा का उपयोग न करें अथवा वे आवास एवं भोजन की अपनी निजी व्यवस्था कर लें। उदाहरण स्वरूप दिल्ली में चूंकि यू0 पी0 निवास/यू0 पी0 भवन उपलब्ध है (एकजिस्ट करते हैं) अतः दिल्ली में कोटि-1 के शासकीय सेवकों को दैनिक भत्ता रुपये 35 प्रतिदिन की दर से ही अनुमन्य होगा।

(घ) (3) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 के ऐसे नगरों में जहां सार्वजनिक निगम/उपक्रम/सहकारी संस्था/प्राधिकरण की अथवा सरकारी आवासीय सुविधा उपलब्ध न हो (एकजिस्ट न करती हो), यदि कोटि-1 के शासकीय सेवक ऐसे होटल/एस्टैबलिशमेंट में ठहरते हैं जो "शेड्यूल्ड टैरिफ्स" पर आवास एवं/अथवा भोजन की सुविधा उपलब्ध कराते हों, तो ऐसी स्थिति में उन सेवकों द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र एवं तत्संबंधी वाउचर्स प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें रुपये 60 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा :—

प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मैं दिनांक..... से दिनांक..... तक
..... में स्थित....., जो भोजन/आवास
(शहर का नाम) (होटल/एस्टैबलिशमेंट का नाम)
की सुविधा शेड्यूल्ड टैरिफ्स पर उपलब्ध कराते हैं, में ठहरा"।

2—उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3—यह आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से प्रभावी होंगे।

4—वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किये जायेंगे।

जे0 एल0 बजाज,
सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयीय, उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-1906 (1)/दस-81-601/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2—महालेखाकार, द्वितीय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3—सचिव, विधान परिषद्/सभा, विधान भवन, लखनऊ।
- 4—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- 5—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।
- 6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरोरिया,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-40/दस-82-601-81

लखनऊ, दिनांक 6 जनवरी, 1982

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण ।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-1906/दस-81-601/81, दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 के त्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्य से सरकारी सेवकों को समय-समय पर अपने मुख्यालय से बाहर यात्रा करनी पड़ती है इस संबंध में यह आदेश पहले से ही विद्यमान है कि जो स्थान रेल अथवा बस से जुड़े हुये हैं वहां की यात्रा केवल रेल अथवा बस से ही की जानी चाहिए । इसके बावजूद कुछ स्थानों के लिए रेल अथवा बस से यात्रा करना सम्भव नहीं है । ऐसी यात्राओं के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी सेवकों को किये जाने के सन्दर्भ में राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 3 के नियम 23 (बी) (2) के अनुसार ग्राह्य सड़क किलोमीटर भत्ता की वर्तमान दरों के स्थान पर दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से निम्नलिखित दरें लागू होंगी :-

(1) कोटि-1 तथा कोटि-2 के शासकीय सेवक—

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से की गई—

(i) प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिए : ₹ 1.50 प्रति कि० मी०

(ii) 500 कि० मी० से अधिक किन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गयी दूरी के लिए । ₹ 1.20 प्रति कि० मी०

(iii) 1200 कि० मी० (एक मास में) से अधिक तय की गई दूरी के लिये । शून्य

(ख) वाहन के अन्य साधनों से की गई सड़क यात्राओं के लिये । ₹ 1.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये ₹ 100 से अधिक धनराशि अनुमत्य न होगी ।

(2) कोटि-3 के शासकीय सेवक—

वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये । ₹ 1.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये ₹ 75 से अधिक धनराशि अनुमत्य न होगी ।

(3) कोटि-4 के शासकीय सेवक—

वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये ₹ 0.75 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये ₹ 40 से अधिक धनराशि अनुमत्य न होगी ।

टिप्पणी :- प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक उपर्युक्त उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ता की दरों में 33 1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे ।

(4) यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त कोटि के शासकीय सेवकों को ₹ 1.50 प्रति कि० मी० की दर से सड़क किलोमीटर भत्ता ग्राह्य होगा ।

2--वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 में आवश्यक संशोधन यथामसय किये जायेंगे ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

जे० एल० ब्राजाज,
सचिव ।

संख्या सा-4-40 (1)/दस-82-601-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1--महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2--महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3--सचिव, विधान परिषद्/सभा, विधान भवन, लखनऊ ।

4--प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।

5--वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग ।

6--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

ब्राजाज से,
राधा रमन सिकरोरिया,
उप सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सासान्य) अनुभाग-4

संख्या सा 0-4-628/दस-82--604-82

लखनऊ, 1 अप्रैल, 1982

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :--सरकारी सेवकों को "अवकाश यात्रा सुविधा" (Leave travel Concession) की स्वीकृति । अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :--

- (1) अवकाश यात्रा सुविधा राज्य सरकार के अधीन 15 वर्ष की अनवरत सेवा के पश्चात् ग्राह्य होगी ।
- (2) यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार ग्राह्य होगी ।
- (3) यह सुविधा संबंधित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी । इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी तथा सरकारी सेवक पर पूर्णतया आश्रित बच्चों से होगा ।
- (4) अधिकतम दूरी, जिसके लिये यह सुविधा अनुमत्य होगी, प्रत्येक और की यात्रा के लिये 1500 किलोमीटर होगी अर्थात् दोनों ओर की यात्राओं के लिये अधिकतम 3,000 कि० मी० तक की कुल दूरी के लिये यह सुविधा ग्राह्य होगी ।
- (5) सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उसी श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमत्य होगी जिसके लिये सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः प्राधिकृत है । परन्तु इस सुविधा के लिये रेल के वातानुकूलित कोच तथा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी ।
- (6) सरकारी सेवक को इस सुविधा के लिये अर्जित अवकाश का उपभोग करना होगा और जिस कैलेंडर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग किया जायगा उस कैलेंडर वर्ष में संबंधित सरकारी सेवक को अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी ।
- (7) यह सुविधा इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि किसी भी सरकारी सेवक के मामले में इस सुविधा पर होने वाला कुल व्यय उसके मासिक मूल (Basic) वेतन के दुगुने से अधिक नहीं होगा ।
- (8) किसी एक कैलेंडर वर्ष में सरकारी सेवकों के किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20 प्रतिशत से अधिक को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायगी । यह सुविधा आवेदकों को ज्येष्ठता के आधार पर स्वीकृत की जायगी ।

2--कैलेंडर वर्ष 1982 में इस सुविधा का उपभोग करने हेतु अर्ह सरकारी सेवकों से आवेदन-पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1982 तक प्राप्त कर लिये जायें, जिससे कि सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां यथाशीघ्र जारी की जा सकें । कैलेंडर वर्ष 1983 एवं उसके उपरान्त के वर्षों में इस सुविधा का उपभोग करने हेतु आवेदन-पत्र उस कैलेंडर वर्ष (जिसमें इस सुविधा का उपभोग किया जाना है) के पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के माह नवम्बर तक, प्राप्त कर लिये जायें जिससे कि सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर माह में आवेदन-पत्रों का परीक्षण करके उन पर निर्णय लिया जा सके और स्वीकृतियां जारी की जा सकें ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या सा 0-4-628(1)/दस-82--604-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1--महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2--महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
- 4--प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
- 5--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 6--वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग ।

आज्ञा में,
जे० ल० वजाज,
सचिव ।

आज्ञा में,
राधा रमन सिकोरिया,
उप सचिव ।

APPENDIX—VIII

Special Component Plan 1981-82—Financial Achievements

(Rupees in lakhs)

Serial no.	Head of Development/Department	Amount Quantified	Expenditure
1	2	3	4
1	<i>Agriculture Production</i>		
1.	Agriculture Department	41.71	41.72
2.	Fruit Utilisation }	27.33	26.62
3.	Horticulture }		
4.	Cane	15.00	6.62
5.	Marketing (including Link Roads) ..	20.00	20.00
2	Land Reforms	14.00	13.00
3	<i>Minor Irrigation</i>		
1.	Private Minor Irrigation	120.00	105.82
2.	State Minor Irrigation	480.00	331.00
4	<i>Soil Conservation</i>		
1.	Agriculture Department	44.52	39.54
2.	Forest Department	93.96	93.54
5	<i>Area Development</i>		
1.	D.P.A.P.	75.00	70.29
2.	I.R.D. (including Antyodaya)	1225.00	599.94
3.	H.A.D.A.	40.00	9.71
4.	Command Areas	300.00	235.56
6	Animal Husbandry	40.00	39.44
7	Dairy and Milk Supply	21.00	..
8	Fisheries	3.30	.91
9	Forest	180.30	147.59
10	<i>Community Development</i>		
1.	Panchayat Raj	3.00	3.00
2.	Pradeshik Vikas Dal	2.27	.37
3.	Grant to Zila Parishad and Block for Development ..	12.00	..
4.	National Rural Employment Programme	750.00	620.40
11	<i>Co-operation</i>		
1.	Co-operative Department	65.038	49.08
12	<i>Irrigation and Power</i>		
1.	Rural Electrification	641.00	752.00

Serial no.	Head of Development/Department	Amount Quantified	Expenditure
1	2	3	4
13	<i>Industry</i>		
	1. Village and Small Industry } 2. Large and Medium Industry }	650.00	92.43 101.27
14	Public Works Department (construction of Roads)	850.00	1346.00
15	Education	600.00	578.05
16	Technical Education	30.06	34.95
17	<i>Public Health Sanitation and Water Supply—</i>		
	1. Medical and Public Health	329.55	314.03
	2. Water Supply—		
	(a) L.S.G.	1250.00	1215.30
	(b) Rural Development	200.00	292.31
18	<i>Housing and Urban Development—</i>		
	1. Housing Department	216.50	234.74
	2. Revenue Department	12.00	8.00
	3. Rural Development	250.00	373.05
	4. Urban Development (Housing)	287.80	289.01
19	<i>Labour and Labour Welfare —</i>		
	1. Labour Welfare	14.50	32.90
	2. Craftsman Training	15.00	11.59
	3. Employment Exchange78	.98
20	Harijan Welfare Department	558.97	466.27
21	Social Welfare Department	12.36	11.99
22	<i>Nutrition</i>		
	1. Education Department	30.00	1.74
	2. Rural Development	33.00	23.49
	3. Social Welfare Department	27.00	27.00
	Total	9,585.038	8,663.25

Physical Achievements under Special Component Plan—1981-82 received so far

Serial no.	Head of Development/ Department	Target	Achievements
1	2	3	4
1	Agriculture Production		
	(1) Agriculture Department	2,67,874 beneficiaries
	(2) Horticulture and Fruit Utilisation.	Hills 5600 beneficiaries Plains	5,600 Do. 13,000 Do.
	(3) Cane Development		
	(i) Distribution of cane production appliances on subsidised rate.	150 appliances	150 appliances
	(ii) Cane production foundation seed.	664 Hectares	664 Hectares
	(4) Marketing (Link Roads) ..	N. A.	..
2	Land Reforms—		
	(1) Agricultural grant to allottee of ceiling land.	..	3,000 beneficiaries
3	Minor Irrigation		
	(A) State Minor Irrigation ..	188 Tube-wells	212 Tube-wells
	(B) Private Minor Irrigation	15,000 Hect.	14,500 Hect.
4	Soil Conservation		
	(A) Agriculture Department	10,880 Hect.	3272.51 Hect.
	(B) Forest Department	39.18 lacs mandays
5	Area Development		
	(A) I.R.D.	2,00,000 families	1,89,063 families
	(B) D.P.A.P. ..	1,000 families	4,017 families
	(C) C.A.D. ..	1,00,000 families	1,24,020 families
	(D) H.A.D.A.	6,317 families
6.	Animal Husbandry		
	(1) Opening of Veterinary Hospitals and Veterinary Services Centres.	2 Veterinary Hospitals 3 Veterinary Service Centres	2 Veterinary Hospitals. 3 Veterinary Service Centres.
	(2) Artificial insemination	30,000 Animals	44,109 Animals
7	Dairy and Milk Supply
8	Fisheries		
	(i) Allotment of tanks to S.C.	125 Hect.	121.24 Hects. 127 leases
	(ii) Distribution of fingerlings	6.26 lacs	6.22 lakhs
9	Forestry	20.78 lakhs manday employment
0	Community Development		
	(A) Panchayat Raj (construction of Kharanja)	60 Gram Sabha	..
	(B) Pradeshik Vikas Dal (Vocational Training)	..	115 boys
	(C) Grant to Zila Parishad for Block Development.
	(D) N.R.E.P.

Serial no.	Head of Development/ Department	Target	Achievements
1	2	3	4
11	<i>Co-operative Department</i>		
	(A) (i) Short-term loan ..	50.00 Rs. crores	26.02 Rs. crores
	(ii) M.T. Loan ..	6.00 Rs. crores	1.7 Rs. crores
	(iii) L.T. Loan	15.00 Rs. crores	N. A.
	(B) Organisation of Labour Co-operative Societies.	1 Society	1 Society
	(C) Scheme of Marketing Societies—		
	(i) Construction of godowns for marketing societies.	1	..
	(ii) Construction of rural godowns under World Bank Scheme.	45	45
	(iii) Construction of Sachiv residences for rural godowns.	63	..
	(D) Establishment of Co-operative Cold Storage.	12	..
	(E) Organisation of Rickshaw puller Co-operative Societies.	2	..
12	<i>Rural Electrification</i>		
	(i) Energisation of private tube-wells.	871 pump-sets	392 pump-sets
	(ii) Electrification of Harijan Bastis.	2,200 Bastis	2,531 Bastis
	(iii) Electrification of villages having more than 50 per cent S.C. population.	19 Villages	19 Villages
13	<i>Industry</i>		
	(A) Village and Small Scale Industry—		
	(i) Construction of Industrial Estates in Harijan Bastis.	4 Estates	4 Estates (under construction)
	(ii) District Industries Centre and Margin Money Loan.	200 beneficiaries	108 beneficiaries
	(iii) Loan through Development Centres	200 beneficiaries	88 beneficiaries
	(iv) Training in handicraft	500 beneficiaries	250 beneficiaries
	(v) Grant to non-Handloom Industrial Co-operative Societies.	62 Societies	..
	(B) <i>Handloom and Sericulture</i>		
	(i) Share capital loan for Co-operative Societies.	100 Societies	175 Societies
	(ii) Training of Handloom Corporation.	100 Trainees	20 Trainees
	(iii) Modernisation of Handloom	134 looms	..
14	<i>Public Work Department</i>		
	(Link Roads)		
	(i) New Construction ..	400 Kms.	544 Kms.
	(ii) Reconstruction ..	150 Kms.	264 Kms.

Serial no.	Head of Development/ Department	Target	Achievements
1	2	3	4
15	<i>Education</i>		
	(i) Grant for construction of J.B.S. buildings.	278 Schools	278 Schools
	(ii) Grant to construction of S.B.S. building.	32 Schools	33 Schools
	(iii) Grant for Distribution of books.	10,000 Students	10,000 Students
	(iv) Distribution of Uniforms	60,000 Students	60,000 Students
16	<i>Technical Education Enrolment</i>		
	(1) Degree institutions ..	194	202
	(2) Diploma institutions ..	1,542	1,526
	(3) Certificate institutions ..	153	170
17	<i>Public Health Sanitation and Water Supply</i>		
	(A) Medical and Public Health—		
	(1) Construction of P.H.C. ..	8 Centres	8 Centres
	(2) Establishment of sub-Health Centres.	15 Centres	..
	(3) Establishment of Ayurvedic/ Unani Hospitals.	10 Hospital	10 Hospitals
	(4) Establishment of Allopathic Dispensary.	2 Dispensaries	2 Dispensaries
	(5) Establishment of Homoeopathic Hospitals.	15 Hospitals	19 Hospitals
	(6) Establishment of sub-centres	315 Sub-Centres	250 Sub-Centres
	(7) Training of Dais ..	20,000 Dais	18,566 Dais
	(B) Piped water supply	4.05 lacs S.C. population.	3.52 lacs S.C. population.
	(C) <i>Rural Development</i>		
	(1) Construction of wells	5,593 Wells	4,080 Wells
	(2) Construction of Diggis	1,179 Diggis	672 Diggis
	(3) Hand-pump ..	3,530 Hand-pumps	782 Hand-pumps
18	<i>Housing and Urban Development</i>		
	A. (1) Integrated Industrial Housing Scheme.	200 Houses	236 Houses
	(2) Low income group housing scheme.	160 Houses	149 Houses
	(3) Middle income group Housing Scheme.	72 Houses	42 Houses
	(4) Slum clearance scheme	40 Slums	..
	B. Allotment of House-sites to landless labourers and houses to rural poor—		
	(1) Revenue Department ..	4,000 House-sites	75,913 House sites (due to Special Drive)
	(2) Rural Development ..	13,000 Houses	18,091 Houses
	C. <i>Urban Development (Housing)</i>		
	(1) Environmental improvement of Slums.	75,500 beneficiaries	61,000 beneficiaries
	(2) Kanpur City development scheme.	600 site and 600 houses	600 sites and 483 houses

Serial no.	Head of Development/Department	target	Achievements
1	2	3	4
19	<i>Labour and Labour Welfare</i>		
	(A) Labour Welfare—		
	(i) Rehabilitation of bonded labours (S.C.)	1,523 Bonded labourers	1,667 Bonded labourers
	(B) Employment—		
	(i) Establishment of Coaching-cum-Guidance Centre.	1 Centre	1 Centre
	(C) Increase in seats in institutions.	77 seats	22 Seats
20	<i>Harijan Welfare</i>		
	(1) Scholarship Schemes	2,35,800 Students	1,88,093 Students
	(2) Distribution of grants and Margin Money by U.P.S.C. Corporation—	75,000 Families	88,899 Families
	(3) Construction of Hostels	..	13 Hostels
	(4) Rural Housing	..	2,120 Houses
21	Social Welfare Establishment of Balbadis.	50 Balbadis	50 Balbadis
22	<i>Nutrition</i>		
	(A) Education Department	N. A.
	(B) Rural Development ..	76,280 beneficiaries	80,900 beneficiaries
	(C) Social Welfare Department	60,000 women/children	60,000 Women/Children

Scheme-wise detail of Scheduled Castes Beneficiaries who have been given assistance to cross the Poverty Line during 1981-82

Serial no.	Name of Scheme	Number of families benefitted
1	I.R.D.	1,89,063
2	Antyodaya	12,113
3	Animal Husbandry Programmes (Animal Husbandry Department)	8,414
4	U.P. Scheduled Castes Finance and Development Corporation ..	44,482
5	Schemes run by U. P. Industrial Co-operative Association for S.C. weavers.	250
6	Schemes run by U. P. Khadi and Village Board ..	1,061
7	Scheme being implemented in selected Blocks for integrated development.	19,741
8	State Minor Irrigation	4,000
9	H.A.D.A.	4,611
10	Rehabilitation of Bonded labourers	1,667
11	Fisheries (allotment of leases for ponds+inputs)	127
12	Allotment of gaon sabha land+inputs	67,324
13	Horticulture and Fruit Utilisation (Hill evelopment Department)	1,200
14	Assistance directly given by banks	2,425
15	Private Minor Irrigation	3,000
	Total ..	3,60,586

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 1981-82 के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से लाभान्वित किये गये अनुसूचित जातियों के परिवारों की रिपोर्ट
(लाख रुपये में)

जिले का नाम	बैंक शाखाएँ	ऋण स्वीकृत परिवारों की संख्या	स्वीकृत ऋण की धनराशि में से				ऋण वितरित परिवारों की संख्या	वितरित ऋण की धनराशियों में से				
			कुल धन	अनुदान	मार्जिन मनी	कुल धन		अनुदान	मार्जिन मनी	लाभार्थी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1—आगरा	90	17451	341.48	91.38	50.80	13262	331.97	88.98	48.33	..
2—अलीगढ़	57	7134	227.01	75.67	37.83	7134	113.50	75.67	16.34	2256
3—एटा	40	3222	95.01	23.75	23.75	3222	95.01	7.74	18.76	2424
4—मैनपुरी	58	3307	95.87	15.97	31.95	3307	95.87	15.97	31.95	..
5—मथुरा	63	7150	230.65	67.00	47.57	6710	211.30	58.00	47.55	..
योग	308	38264	990.02	273.77	191.9	33635	842.35	246.36	162.93	4680
6—इलाहाबाद	74	9426	235.00	81.27	19.62	8445	215.00	81.27	19.87	2600
7—इटावा	48	3205	80.15	24.04	16.03	3205	80.15	24.04	16.03	3205
8—फर्रुखाबाद	45	10037	253.93	200.22	12.15	10037	253.93	200.22	12.15	2901
9—फतेहपुर	45	2737	70.00	22.00	13.00	2096	46.63	10.43	10.30	2096
10—कानपुर (देहात)	30	6375	74.73	30.26	15.13	5840	58.72	25.86	12.16	5840
11—कानपुर (शहर)	92	7680	121.43	22.54	12.68	7081	103.60	19.17	10.09	7081
योग	334	39460	835.24	380.330	88.61	36704	758.03	360.99	80.69	23723
12—बहराइच	59	4527	149.34	47.40	25.66	4027	134.33	43.49	22.06	..
13—बाराबंकी	49	12144	126.34	79.07	29.75	12144	126.34	79.07	7.33	..
14—फैजाबाद	31	13367	110.37	45.15	18.60	12391	66.42	31.99	9.83	..
15—गोण्डा	71	18475	155.81	59.53	23.74	17733	128.30	42.73	13.48	2497
16—प्रतापगढ़	41	..	99.62	32.51	16.63	11019	82.65	27.30	10.61	..
17—सुल्तानपुर	6	10593	211.07	93.27	6.06	10593	211.07	93.27	6.06	10593
योग	257	59106	852.55	356.93	120.44	67907	749.19	317.85	69.37	13090

327

जिले का नाम	कुल वितरित अनुदान में से		निगम द्वारा बैंकों को हस्तान्तरित धनराशि में से				चयनित विकास खंडों हेतु आवंटन में से व्यय
	निगम अंश	लाभार्थी	अन्य	अनुदान	माजिन मिनी	योग	
	12	13	14	15	16	17	
1—अगरा	25.03	..	63.85	12.09	19.68	38.77	19.87
2—अलीगढ़	5.56	493	39.84	5.56	16.34	21.90	14.68
3—एटा	5.96	792	12.80	5.96	7.74	13.70	8.43
4—मैनपुरी	7.05	857	8.92	7.05	6.03	13.08	13.13
5—मथुरा	11.54	1921	35.36	11.54	10.20	21.74	8.22
योग	55.14	4063	160.77	42.20	59.99	109.19	64.33
6—इलाहाबाद	9.98	687	71.30	9.98	19.62	29.60	55.27
7—इटावा	3.71	396	16.29	3.71	11.69	15.40	18.35
8—फर्रुखाबाद	8.69	1352	191.52	8.69	12.15	20.84	14.20
9—फतेहपुर	10.43	1357	..	10.43	10.39	20.82	19.91
10—कानपुर (देहात)	11.24	1124	14.61	11.24	7.71	18.95	12.66
11—कानपुर (शहर)	9.31	735	9.86	9.31	10.09	19.41	..
योग	53.36	5651	303.58	53.36	71.65	125.22	120.39
12—बहराइच	4.89	..	46.51	4.89	18.51	23.40	..
13—बाराबंकी	10.42	..	68.55	10.42	7.10	17.52	31.18
14—फैजाबाद	14.75	..	17.24	8.52	6.36	14.88	10.72
15—गोण्डा	5.45	6.38	37.27	5.45	6.76	12.21	10.56
16—प्रतापगढ़	1.78	360	15.96	1.78	5.06	6.84	13.57
17—सुल्तानपुर	2.33	264	90.94	2.33	6.06	8.39	13.50
योग	39.62	1262	276.47	33.39	49.85	83.24	79.53

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	चमोली	36	2251	91.66	30.55	..	3731	91.46	30.04
19	पौढी	12	258	9.10	8.92	0.18	204	3.78	3.60	0.18	204
20	टिहरी	20	1985	55.72	29.68	..	1955	54.77	29.21
21	उत्तरकाशी	22	2531	62.09	30.05	0.05	1971	56.03	36.51	0.05	1
22	देहरादून	38	2026	73.03	37.16	0.06	1369	52.04	25.05	0.06	2
	योग	128	9051	291.6	136.36	0.29	9230	258.08	124.41	0.29	207
23	आजमगढ़	103	15727	229.97	76.65	38.32	14072	226.12	76.35	15.08	2465
24	बस्ती	116	5163	129.36	43.12	21.56	4340	84.26	28.09	14.04	..
25	देवरिया	99	12206	270.56	54.12	13.67	11713	168.32	54.12	13.67	2982
26	गोरखपुर	108	29944	187.89	60.43	18.79	28125	160.45	52.28	13.22	..
	योग	426	63040	817.78	234.32	92.34	58250	639.15	210.84	56.01	5447
27	बिजनौर	71	8281	211.93	49.82	15.96	8097	200.79	49.82	15.96	1846
28	रामपुर	56	1288	39.17	15.60	7.75	1288	39.17	15.60	7.75	1288
29	मुरादाबाद	155	16041	361.00	105.25	74.75	12446	299.00	94.79	18.29	12446
	योग	282	25610	612.10	170.67	98.46	21831	538.96	160.21	42.00	15580
30	बांदा	35	8360	123.93	41.03	23.37	8209	113.36	32.20	9.37	8209
31	हमीरपुर	42	2505	65.67	19.04	13.79	1770	48.79	14.15	10.24	..
32	जालौन	22	1427	40.11	10.02	10.02	756	29.68	7.39	7.45	756
33	झांसी	32	10961	135.93	24.17	7.26	9374	101.98	25.37	7.26	..
34	ललितपुर	19	558	12.14	2.60	3.01	558	12.14	2.60	3.01	558
	योग	150	23811	377.78	96.86	57.45	20667	305.95	81.71	37.33	9523

				12	13	14	15	16	17	18
18-- चमोली	6.72	358	23.31	6.72	..	6.72	12.04
19--पौड़ी	1.52	84	..	1.52	0.18	1.70	2.52
20--टिहरी	10.27	..	17.10	10.27	..	10.27	7.31
21--उत्तरकाशी	16.09	616	20.42	16.09	0.05	16.14	10.00
22--देहरादून	11.47	500	13.58	14.10	0.06	14.16	8.46
योग	46.07	1558	74.41	48.70	0.29	48.99	40.33
23--ग्राजमगढ़	18.00	2139	58.34	18.00	15.08	33.09	22.66
24--बरती	4.00	1155	40.56	3.92
25-- देवरिया	6.21	1226	47.91	6.21	13.67	19.88	15.00
26--गोरखपुर	26.43	3965	25.85	21.31	12.15	33.46	21.78
योग	54.64	8485	172.66	45.52	40.90	86.43	63.36
27--बिजनौर	6.09	259	43.73	6.09	15.96	22.05	9.28
28--रामपुर	15.60	748	5.46	15.60	7.75	23.36	13.46
29--मुरादाबाद	18.38	1507	76.41	18.38	18.29	36.67	14.59
योग	40.07	2514	125.60	40.07	42.00	82.08	37.33
30--बांदा	9.90	652	22.40	9.90	9.37	19.27	5.90
31--हमीरपुर	3.26	461	12.09	3.26	4.13	7.39	3.61
32--जालौन	7.39	750	..	7.39	7.45	14.84	1.54
33--झांसी	5.50	..	19.87	5.50	7.26	12.76	14.32
34--ललितपुर	2.51	473	15.54	2.51	3.01	5.52	13.84
योग	28.56	2336	69.90	28.56	31.22	59.78	39.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35—अल्मोड़ा	50	5835	122.88	23.22	18.46	5835	122.88	23.22	18.46	..
36—नैनीताल	4228	140.42	3750	145.40	3496
37—पिथौरागढ़	30	2458	61.00	21.79	..	2458	61.00	21.79
योग ..	80	12521	324.30	45.01	18.46	12043	329.28	45.01	18.46	3496
38—हरदोई	71	44202	139.13	83.18	18.64	2153	121.19	81.72	10.21	2153
39—खीरी	55	14628	191.80	113.34	23.07	14628	191.80	113.34	23.07	3010
40—लखनऊ	17	7547	282.88	81.21	45.75	7263	231.85	59.47	33.02	2856
41—रायबरेली	79	6698	169.89	50.96	33.98	5645	140.50	40.04	12.33	9477
42—उन्नाव	14	5435	149.95	53.32	31.45	5235	147.83	52.32	3.35	463
43—सीतापुर	145	14008	182.87	66.60	12.89	14008	182.87	66.60	12.89	..
योग ..	381	92518	1116.52	448.61	165.78	45992	1016.04	413.49	94.87	17959
44—बुलन्दशहर (फरवरी तक)	803	33.35	13.63	4.41	1078	33.35	13.63	4.41	447
45—मेरठ	62	16230	448.60	151.59	23.28	15824	448.60	151.59	23.28	..
46—मुजफ्फरनगर	95	4925	108.40	32.11	6.59	4730	108.40	32.11	6.59	..
47—सहारनपुर	119	12687	182.28	51.79	10.77	12114	163.67	45.94	6.08	550
48—गाजियाबाद	74	2770	77.39	31.36	11.27	2459	64.77	28.22	8.08	..
योग ..	350	39237	850.02	280.48	56.32	36205	818.79	271.49	48.44	997
49—बरेली	40	3460	88.36	28.69	15.74	3460	88.86	28.69	15.74	..
50—बदायूँ	77	5679	128.00	43.00	21.00	4199	76.00	27.50	10.50	..
51—पीलीभीत	24.60	3.39	4.96	6793	53.60	57.56	4.96	741
52—शाहजहाँपुर	68	2452	73.24	21.63	14.98	2452	73.24	..	10.01	1689
योग ..	185	11591	314.70	96.71	56.68	16904	291.70	113.75	41.21	2430

				12	13	14	15	16	17	18
35—अल्मोड़ा	8.74	..	14.52	8.74	0.03	8.77	4.31
36—नैनीताल	8.88	568	23.69	8.88	2.54	11.42	9.15
37—पिथौरागढ़	4.38	305	17.41	4.38	..	4.38	6.65
योग	22.00	873	55.62	22.00	2.57	24.57	20.11
38—हरदोई	6.25	853	75.47	6.25	10.21	16.46	41.58
39—खीरी	43.27	2650	46.98	43.27	23.07	66.34	32.00
40—लखनऊ	24.74	4347	26.23	24.33	33.02	57.35	21.87
41—रायबरेली	11.37	2726	28.67	21.59
42—उन्नाव	3.21	427	49.11	3.21	3.35	6.56	8.68
43—सीतापुर	4.73	2200	53.26	4.73	12.89	17.62	53.00
योग	93.57	13203	279.72	81.79	82.54	164.33	178.72
44—बुलन्दशहर (फरवरी तक)	5.23	475	8.47	5.23	3.34	8.57	2.75
45—मेरठ	38.01	..	113.58	38.01	23.28	61.30	9.84
46—मु० नगर	7.06	1055	25.05	7.06	6.59	13.65	11.48
47—सहारनपुर	5.14	500	40.80	5.14	6.08	11.22	4.15
48—गाजियाबाद	8.14	..	20.08	0.06
योग	63.58	2030	207.98	55.44	39.29	94.74	28.28
49—बरेली	2.16	..	9.83	11.35
50—बदायूं	1.17	..	25.33	1.17	5.81	6.98	12.75
51—पी ली भीत	3.39	741	..	3.39	4.96	8.35	14.64
52—शाहजहाँपुर	2.73	310	40.40	2.73	10.01	12.74	7.10
योग	9.45	1051	75.56	7.29	20.78	28.07	45.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53--बलिया	62	1963	38.34	12.78	6.39	1963	38.34	11.66	4.01	..
54--मिर्जापुर	10	5074	75.34	25.12	12.55	4050	46.30	19.40	3.75	725
55--गाजीपुर	68	10211	187.94	62.64	23.36	7623	149.89	49.96	9.27	1696
56--जौनपुर	65	9142	158.04	49.20	9.80	8842	152.01	47.30	8.88	..
57--वाराणसी	64	8898	250.05	84.18	31.48	8677	232.80	78.18	13.38	2766
योग	269	35288	709.71	233.92	83.58	31155	619.34	206.50	39.29	5187
महायोग	3150	449497	8092.32	2753.97	1030.31	390523	7171.86	2552.61	690.89	102319

			12	13	14	15	16	17	18
53—बलिया	3.46	..	8.20	3.46	4.01	7.47	4.61
54—मिरजापुर	3.54	389	15.85	3.54	3.75	7.29	120.82
55—गाजीपुर	8.04	831	41.92	8.04	9.27	17.31	2.41
56—जौनपुर	12.72	..	37.73	12.72	8.88	21.60	5.32
57—वाराणसी	13.04	1421	..	13.04	13.38	26.42	14.80
	योग	..	40.80	2641	103.70	40.80	39.29	80.09	147.96
	महायोग	546.86	45672	1905.97	499.12	480.37	979.49	865.39

संख्या 6744/26-77-17 (21)-74

प्रोष क,

श्री धर्मेंद्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977

विषय:—भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 1442/छब्रीस-818-1957, दिनांक 22 मई, 1957 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को दिनांक 27 जुलाई, 1977 से प्रभावी कर दिया गया है। तदनुसार उक्त शासनादेश में उत्तर प्रदेश के लिए निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची दिनांक 27 जुलाई, 1977 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए निम्नवत् पुनरीक्षित कर दी गई है:—

11—अगरिया	34—घरामी
2—वधिक	35—घसिया
3—बादी	36—गोंड
4—बहेलिया	37—ग्वाल
5—बैगा	38—हवड़ा
6—बैसवार	39—हरी
7—बजनिया	40—हेला
8—बाजगी	41—कलावाज
9—बलहार	42—कंजर
10—बलाई	43—कपड़िया
11—बाल्मीकि	44—करवल
12—बंगाली	45—खैराहा
13—वनमानुष	46—खरवार (बनवासी को छोड़कर)
14—बांसफोड़	47—खटिक
15—बरवार	48—खोरोट
16—बसोड़	49—कोल
17—बावरिया	50—कोरी
18—बेलदार	51—कोरवा
19—बेरिया	52—लालबेगी
20—भंत	53—मझवार
21—भुइया	54—मजहबी
22—भुइयार	55—मुसहर
23—बौरिया	56—नट
24—चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव	57—पंखा
25—चेरो	58—परहिया
26—दबगर	59—पासी, तरमाली
27—धनगर	60—पाटरी
28—धानुक	61—रावत
29—धारका	62—सहारया
30—धोबी	63—सिनौडिया
31—डोम	64—सांसिया
32—डोमर	65—शिल्पकार
33—दुसाध	66—तुरैया

भवदीय,

धर्मेंद्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 6744 (1)/26-77-17 (21) 74, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पथ-प्रदर्शनार्थ प्रेषित:—

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त प्रशासक, नगर महापालिकाएं, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त अध्यक्ष, नगरपालिकाएं, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया कमेटी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, उत्तर प्रदेश।
- (8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (9) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (10) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (11) महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (12) उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार, लखनऊ।
- (13) आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जन जाति, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (14) आयुक्त, अनुसूचित जाति जन-जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (15) राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।
- (16) मन्त्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के निजी सचिव।
- (17) समस्त जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
भगत सिंह,
उप सचिव।

NIEPA DC



D00985

Director, Systems Unit,
National Council of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Road, Delhi-110016
DCC. No. 2-785
Date..... 31.1.84